''प्रतापगढ़ जनपद की कामकाजी महिलाओं की समस्याओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन''

से

विद्यावाचस्पति उपाधि हेतु (पीएच.डी.)
समाजशास्त्र विषय में प्रस्तुत

शोध–प्रबन्ध

सत्र–2024

शोधार्थी
देवेन्द्र प्रताप सिंह
नामांकन सं.–**161590514157**

शोध निर्देशिका
प्रो.(डॉ.) महालक्ष्मी जौहरी
विभागाध्यक्ष

समाजशास्त्र विभाग
पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी (मध्य प्रदेश)

''प्रतापगढ़ जनपद की कामकाजी महिलाओं की समस्याओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन''

P.K.UNIVERSITY
SHIVPURI (M.P.)

से

विद्यावाचस्पति उपाधि हेतु (पीएच.डी.)
समाजशास्त्र विषय में प्रस्तुत

शोध–प्रबन्ध

सत्र–2024

शोधार्थी
देवेन्द्र प्रताप सिंह
नामांकन सं.–**161590514157**

शोध निर्देशिका
प्रो.(डॉ.) महालक्ष्मी जौहरी
विभागाध्यक्ष

समाजशास्त्र विभाग
पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी (मध्य प्रदेश)

देवेन्द्र प्रताप सिंह

.

शोधार्थी
समाजशास्त्र विभाग,
पी.के. विश्वविद्यालय,
शिवपुरी (म.प्र.)

घोषणा–पत्र

मैं **देवेन्द्र प्रताप सिंह** यह घोषणा करता हूँ कि समाजशास्त्र विषय के अन्तर्गत **''प्रतापगढ़ जनपद की कामकाजी महिलाओं की समस्याओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन''** विद्या–वाचस्पति (पी–एच.डी.) उपाधि हेतु यह शोध प्रबन्ध मेरी स्वयं की मौलिक कृति (रचना) है। इसके पूर्व यह शोध कार्य किसी अन्य के द्वारा कहीं भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अपना यह शोध कार्य मैनें परम् श्रद्धेय शोध निर्देशिका **प्रो0 (डॉ0) महालक्ष्मी जौहरी, समाजशास्त्र विभाग, पी0के0 विश्वविद्यालय, करैरा, शिवपुरी (म.प्र.)** के निर्देशन में पूर्ण किया है। विश्वविद्यालय परिनियमावली धारा 07 के अन्तर्गत अपने शोध केन्द्र पर निर्धारित मानक के अनुरूप उपस्थित रहकर निर्देशिका महोदया के निर्देशन में मैनें स्वयं पूर्ण किया है।

दिनाँक :

शोधार्थी

देवेन्द्र प्रताप सिंह

प्रो0 (डॉ0) महालक्ष्मी जौहरी

.

विभागाध्यक्ष
समाजशास्त्र विभाग,
पी.के. विश्वविद्यालय,
शिवपुरी (म.प्र.)

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि देवेन्द्र प्रताप सिंह ने **''प्रतापगढ़ जनपद की कामकाजी महिलाओं की समस्याओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन''** शीर्षक पर मेरे निर्देशन में शोध–प्रबन्ध पूर्ण किया गया।

प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध की सामग्री मौलिक है। यह सम्पूर्ण या आंशिक रूप से किसी परीक्षा के लिए प्रयोग नहीं की गई है। यू.जी.सी विनियम 2018 के अनुसार शोधार्थी का शोध कार्य किसी अन्य शोध–प्रबन्ध की अनुकृति नहीं है।

इन्होंने मेरे निर्देशन में 240 दिन से अधिक उपस्थित होकर शोध कार्य पूर्ण किया है।

मैं संस्तुति करती हूँ कि यह शोध–प्रबन्ध इस योग्य है कि मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जाये।

प्रो0 (डॉ0) महालक्ष्मी जौहरी
विभागाध्यक्ष
समाजशास्त्र विभाग,
पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

P.K. UNIVERSITY

(University established under section 2f of UGC act 1956 vide mp government act no 17 of 2015)

Village- Thanra Tehsil, Karera NH 27 District Shivpuri M.P.}

FORWARDING LETTER OF HEAD OF INSTITUTION

The Ph.D. thesis entitled, **प्रतापगढ़ जनपद की कामकाजी महिलाओं की समस्याओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन** Submitted by Shri/Smt./Ku. **Devendra Pratap Singh (Enrolment No.- 161590514157)** is forwarded to the university in six copies. The candidate has paid the necessary fees and there are no dues outstanding against him/her.

Name ……………………………… Seal ……………………

Date: …………………

Place: ………………...

……………………………

(Signature of Head of Institution where the Candidate was registered for Ph.D degree)

Signature of the Supervisor

Date: …………………….

Place: …………………….

Address: ……………………………………..

……………………………

आभार

सर्वप्रथम मैं ज्ञान की देवी माँ सरस्वती एवं देवों में प्रथम देव श्री गणेश जी का वंदन करता हूँ, जीवन में किसी भी बड़े कार्य को क्रियान्वित करने में मजबूत इच्छाशक्ति के अतिरिक्त अन्य लोगों की आशाऐं प्रेम व सहायता की भी आवश्यकता होती है, जिससे हम अपने लक्ष्य प्राप्त कर पाते है । प्रस्तुत शोध प्रबंध को पूर्ण करने में जिन महानुभावों तथा विद्वानों ने अपना बहुमूल्य योगदान तथा सुझाव दिया, उन सभी के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना नैतिक कर्तव्य समझता हूँ, शोध प्रबंध की पूर्णता का श्रेय उन सभी को समर्पित करता हूं ।

सर्वप्रथम मैं पी.के. विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति श्री जगदीश शर्मा जी, का विशेष आभार जिन्होंने शिक्षा के इस मंदिर का निर्माण किया है जिसमें मुझे विद्या. वाचिस्पति की उपाधि से विभूषित किया जाएगा, मैं उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं एवं माननीय कुलपति प्रो. डॉ. योगेश दुबेजी, प्रशासनिक निदेशक डॉ. जितेन्द्र मिश्रा जी, कुलसचिव डॉ. दीपेश नामदेव सर, डीन अकादमी डॉ. एमन फातिमा जी, डीन फेकल्टी डॉ. जितेन्द्र मलिक, डीन रिसर्च डॉ. भास्कर नल्ला जी, मिस निशा यादव के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ जिनके सहयोग से मेरा शोध कार्य पूर्ण हुआ।

शोध प्रबंध को पूर्ण कराने में कुशल मार्गदर्शन और निर्देशन में महत्वपूर्ण भूमिका मेरी शोध निर्देशिका डॉ. महालक्ष्मी जौहरी जो कि मेरी गुरु है का

आशीर्वाद पल.पल मुझे मिलता रहा। उन्हीं के कुशल निर्देशन में प्रस्तुत शोध कार्य अंतिम रूप ले पाया। इनके अमूल्य सुझावों, सहयोग आदि की मैं सदैव ऋणी रहूँगी आपके उच्च विचारों की यथार्थ जीवन शैली ने मुझे सदैव प्रेरित किया है, के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।

मैं अपने माता–पिता **श्री राम यज्ञ सिंह (एडवोकेट) एवं श्रीमती कान्ती सिंह, पुत्र–यथार्थ सिंह एवं सिद्धांत सिंह, गुरू जी श्री संतोष मिश्रा (राजकीय इ०का० प्रतापगढ़) का भी आभारी हूँ जो सदैव मुझे सहयोग देते हैं।**

मेरे अन्य सहयोगीयों में पुष्पेंद्र सिंह चार्टर्ड अकाउंटेंट भोपाल। स्वाति सिंह प्रवक्ता लाल त्रिभुवन सिंह बालिका इंटर कॉलेज अंतू का आभार प्रकट करता हूं।

दिनाँक :

शोधार्थी

देवेन्द्र प्रताप सिंह

P.K.UNIVERSITY
SHIVPURI (M.P.)
UniversityEstablished Under section 2F of UGC ACT 1956 Vide MP Government Act No 17 of 2015

CENTRAL LIBRARY

Ref. No. PKU/C.LIB /2024/PLAG. CERT./ 168 **Date: 08.10.2024**

CERTIFICATE OF PLAGIARISM REPORT

1. Name of the Research Scholar	:	Devendra Pratap Singh
2. Course of Study	:	Doctor of Philosophy (Ph.D.)
3. Title of the Thesis	:	प्रतापगढ़ जनपद की कामकाजी महिलाओं की समस्याओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन
4. Name of the Supervisor	:	Prof. (Dr.) Mahalaxmi Johri
5. Department	:	Social Science
6. Subject	:	Sociology
7. Acceptable Maximum Limit	:	10% (As per UGC Norms)
8. Percentage of Similarity of Contents Identified	:	8%
9. Software Used	:	Drillbit
10. Date of Verification	:	28.05.2024

(Librarian, Central Library)
P.K.University, Shivpuri (M.P.)

LIBRARIAN
P.K. University
Shivpuri (M.P.)

अनुक्रमणिका

अध्याय–1 प्रस्तावना 5

1.2 भारतीय कामकाजी महिलाओं की भूमिका के विभिन्न स्वरूप 8

1.3अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में कामकाजी महिलाओं की अग्रिम/अह्म भूमिका ... 9

1.3.1 कामकाजी महिलाओं के संदर्भ में प्रकाशित साहित्य का अध्ययन 10

1.3.2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामकाजी महिलाओं के नवीन आंकड़े 14

1.3.2.1 विश्व बैंक के आंकड़े 15

1.3.3 प्रकाशित साहित्य पर आधारित निष्कर्ष 18

1.4 नारियों की सामाजिक स्थिति एवं समाज का बदलता स्वरूप 19

1.4.1 अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर कामकाजी महिलाओं के नवीन आंकड़े 20

1.5आधुनिक समाज में कामकाजी महिलाओं की अग्रिम भूमिका 21

अध्याय–2 प्रतापगढ़ (बेल्हा) उ0प्र0 जनपद क्षेत्र का परिचय एवं अध्ययन पद्धति.......... 25

2.1 शोध उद्देश्य 25

2.2. परिकल्पनाएँ 26

2.3. शोधकर्ता की समस्या.. 27

2.4 अधिकारों और उद्देश्यों की परिभाषा 28

2.5 स्रोत और डेटा संग्रहण 29

2.5.1 नमूना चयन.. 29

2.5.5.1 सांख्यिकीय नमूना 29

2.5.5.3 डेटा विश्लेषण 29

2.5.5.5 नमूना चयन विधि 30

2.6 प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद क्षेत्र का परिचय 31

2.6.1 जनसंख्यात्मक स्थिति.. 43

2.3.1.1 प्रतापगढ़ जनपद जनंसख्या–2011–23 33

2.3.2 शैक्षिक एवं व्यावसायिक संरचना 34

2.3.2.1 प्रशासनिक संरचना 35

2.3.2.2 कृषि संरचना एवं आवागमन संरचना 36

2.3.3 भौगोलिक विस्तार– स्थिति तथा सीमाएँ 36

2.3.4 शिक्षा 41

2.4 महिलाओं की शिक्षा व अधिकार 43

2.4.1 मध्य काल 45

2.4.2 ब्रिटिश काल 46

2.4.3 महिलाओं की दयनीय स्थितियाँ 47

2.4.4 स्वतन्त्रता के उपरान्त की स्थिति 49

2.4.5 इस्लाम पंथ में नारियों की स्थिति 50

2.5 रमणियों में सुधार 53

अध्याय–3 समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के रूप में कामकाजी महिलाओं की प्रस्थिति एवं योगदान 56

3.1 समाजशीस्त्रीय परिप्रेक्ष्य से तात्पर्य 56

3.2 प्रतापगढ़ का योगदान 56

3.3 महिलाओं की प्रस्थिति का दृष्टि 59

3.3.1 भूमिका का अर्थ 61

3.3.2 सामाजिक प्रस्थिति के प्रकार 65

3.3.2.1 प्रदत्त प्रस्थिति 65

3.3.3 कामकाजी महिलाओं की सामाजिक विशेषताएँ एवं प्रमुख योगदान 67

अध्याय–4 समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के आधार पर भारत में कामकाजी महिला का विश्लेषण एवं महत्त्व 73

4.1 समाज के भीतर कामकाजी महिलाओं की भूमिकाओं का महत्त्व 80

4.1.1 समाज के भीतर भूमिकाओं के प्रकार 80

अध्याय–5 कामकाजी महिलाओं की अध्ययन में संलग्न उत्तरदाताओं का परिचयात्मक विश्लेषण 86

5.1 प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाओं का सामान्य परिचय 87

5.2 प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाओं की पारिवारिक स्थिति 93

5.2.1 प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाओं की व्यावसायिक स्थिति एवं समस्याएँ 95

5.2.2 प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाओं की भूमिका अन्र्तद्वन्द 96

5.3 कामकाजी महिलाओं की आर्थिक स्थिति एवं समस्याएँ 97

5.3.1 आर्थिक सर्वेक्षण – 98

5.4 कामकाजी महिलाओं की राजनैतिक स्थित 101

5.5 कामकाजी महिलाओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ 102

5.6 कामकाजी महिलाओं की धार्मिक स्थिति 103

अध्याय–6 प्रतापगढ़ (बेल्हा) की कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ 106

अध्याय–7 निष्कर्ष 117

7.1 परिकल्पनाओं का विश्लेषण 118

7.3 प्रमुख परिणाम 121

7.3.1 विवाह के पूर्व परिवार की स्थिति 121

7.3.2 कार्यरत महिलाएँ एवं उनकी जाति 121

7.3.3 कार्यरत महिलाएँ एवं उनकी आयु 121

7.3.4 कार्यरत महिलाएँ एवं उनकी शिक्षा 122

7.3.5 कार्यरत महिलाएँ एवं उनका कार्यरत संस्थान 122

7.3.6 महिलाओं को नौकरी करने के कारण 122

7.3.7 बाॅस/अधिकारियों का कार्यरत महिलाओं के प्रति व्यवहार 123

7.3.8 कार्यरत महिलाओं के सहकर्मियों के साथ सम्बन्ध 123

7.3.9 नौकरी में परिवार के सदस्यों का विरोध 123

7.3.10 पति के साथ कार्यरत महिलाओं के सम्बन्ध 123

7.3.11 कार्यरत महिलाओं के बच्चों के साथ सम्बन्ध 123

7.3.12 कार्यरत महिलाओं का नौकरी करते हुये परिवार के सदस्यों को सन्तुष्ट कर पाना 123

7.3.12 परिवार तथा बच्चों की देख–रेख में कार्यरत महिलाओं की नौकरी/व्यवसाय बाधक 124

7.3.13 कार्यरत महिलाओं के रिश्तेदारों से सम्बन्ध 124

7.3.14 पति के मित्रों व अपने मित्रों से कार्यरत महिलाओं के सम्बन्ध 124

7.3.15 व्यवसाय के कारण से टकराव 124

7.3.16 कार्यरत महिलाओं का एक माँ के रूप में बच्चों का पालन–पोषण करना 124

7.3.17 भूमिका संघर्ष 124

7.4 **सुझाव'** 126

संदर्भ ग्रंथ सूची 129

अध्याय–1

प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना

वर्तमान युग नई चेतना व जागृति का नवयुग है। आज नारी जाति सशक्तिकरण की एक नयी ज्योति हर क्षेत्र में जागृति हो रही है। 21वीं शताब्दी की नारियाँ शिक्षा व समय दोनों के महत्ता या उपयोगिता को समझने लगी है। इस जागरूता के कारण कामकाजी महिलायें अपने शिक्षण संस्थानों, स्वशासित या सरकारी, अस्पतालों, बैंकों तथा सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों, प्रशासन, सेना, व्यवसायिक संस्थानों, अन्तरिक्ष, कला, साहित्य, विज्ञान, तकनीकी आदि सभी क्षेत्रों में महिलाएँ सक्रिय भूमिका निभा रही है। वास्तव में प्रस्तुत आलेख में भारत में व उत्तर प्रदेश राज्य में व प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद में कामकाजी महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में तथा आत्मनिर्भर बनने के मार्ग में सहायक व उसमें बांधक बन रहे विभिन्न कारकों का समलोचन/समीक्षात्मक रूप रेखा तैयार किया। परिस्थितियाँ तथा परेशानियाँ/समस्याओं से सम्बन्धित यह अध्ययन व्यवहारिक विश्लेषण, ऐतिहासिक पद्धतियों द्वारा किया गया जिसमें सन्दर्भ पुस्तको, पत्र–पत्रिकाओं व गुगल वेबसाइटों द्वारा प्राप्त द्वितीय स्रोतों का सहयोग लिया गया है।

वास्तव में वर्तमान समय में यह अधिकतर शिक्षण के प्रति अत्यधिक आकर्षित किया है। निश्चित अवधि तक कार्य निश्चित नियम राजनैतिक हस्तक्षेप का अभाव, सापेक्ष सुरक्षा आदि अनेक ऐसे कारक है। जिससे महिलाओं का आकर्षण वेतन के साथ–साथ महिलाओं से जुड़ी शिक्षा का स्तर और परिवारिक पृष्ठभूमि आदि के कारण महिलाओं के समक्ष कार्य और परिवार का दोहरा दबाव की स्थिति उत्पन्न होगी। अर्जित एवं प्रदत्त मूल्यों की भूमिका के बीच, प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद की कामकाजी महिला किस प्रकार सामंजस करती है प्रस्तुत अध्ययन इसी तथ्यों के उत्तर की है।

विश्व में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता के विकास के साथ कामकाजी महिलाओं के प्रति चिन्ता बड़ी है। मानव में गुलामी की अवधि में सामाजिक स्थितियाँ क्रमशः बिगड़ती गयी और परतन्त्रता की मानसिकता ने राष्ट्रकवि मैथलीशरण गुप्त की पक्रियों को इस प्रकार चरितार्थ किया– ''हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी

आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी'' आजादी के बाद 73वर्ष की विकास यात्रा में देश कामकाजी महिलाआं उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और सामाजिक मान्यताओं के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन की सुबबुगाहट अवश्य लक्षित है। लेकिन इस विशाल और अनगिनत विधिता वाले देश में इस परिवर्तन का अंश नगण्य ही है। संविधान ने नर एवं नारियों को बराबर स्थान दिए हैं, अत्याचारों से दबी उनकी दयनीय जीवन स्थितियों को रूपान्तरित करने और सामाजिक, आर्थिक तथा विधिक पहचान बनाने के लिए कई कल्याणकारी मान्यताएं दी हैं। लेकिन उनकी विकास की स्थिति और दशा आज भी चिन्तनीय है।

भारत व विश्व में भारतीय नारियों की स्थिति बड़ी ही रमणीय एवं दयनीय दोनों प्रकार की परिस्थितियाँ रहीं हैं। परन्तु भारत देश में नारियों की स्थितियाँ वैदिक काल से अपाला घोषा मुद्रा तथा मध्य कालीन में मीरा बाई, रजिया सुल्तान एवं मुगल काल में नूरजहाँ तथा आधुनिक काल में रानी लक्ष्मी बाई, पदमावती एवं सरोजनी नायडू, एस0कृपलानी, कवियत्री महादेवी वर्मा एवं इन्दिरा गॉधी, सानिया मिर्जा, प्रतिभा पाटिल, मायावती, द्रोपदी मुर्मू, मीरा कुमार आदि नारियों ने भारत में ही नहीं अपितु विश्व में बढ़ चढ़कर अपनी प्रभुता एवं ख्याति/प्रसिद्धी प्राप्त किया तथा स्त्रियों की कमजोरियों को या दासी स्वरूप प्रथा को अपने पैरों तले कुचलकर आगे की ओर अग्रसर रहीं। अपना घर परिवार स्वयं का नाम रोशन किया एवं देश की गरिमामयी स्वाभिमान को बढ़ाया।

गोस्वामी तुलसी दास ने भी अपने रामचरित मानस में राजा दशरथ की तीनों रानियों, माता सीता, अहिल्या, सेबरी आदि नारी जाति ही जो समाज को एक नया आयाम तथा पद प्रदर्शक नारी समुदाय के लिये बना है। महिलाओं में अद्वितीय क्षमता पायी जाती हैं। इन्होंने भक्ति साहित्य, राजनीति, शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा, सेना इत्यादि सभी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में जाकर अपनी अद्भूत प्रतिभा का अनोखा परिचय दिया है। आज महिलाओं को पहचानने की आवश्यकता है। वे सब कुछ कर सकती है। एक ओर बहुत अच्छी व्यवस्था कर सकती है तो दूसरी ओर समाज में क्रान्ति भी ला सकती है। पुरूषों की सेवा करने में सम्भव है तो पुरूषों को झुकने और उनसे अपनी सेवा कराने की क्षमता भी रखती है।

हमारे राष्ट्र की जनसंख्या की एक तिहाई भाग में शिक्षित/अशिक्षित नारियाँ हैं। संविधान में इन्हें पुरूषों के समान अधिकार मिले है किन्तु अनेक पूर्वाग्रह और लिंग भेद के परिणाम स्वरूप अनेक असमानताओं का समावेश देखने को मिलता है। लगभग

सभी महिलाओं को शोषण व हिसात्मक रूप देखने को मिलता है। पुरूष वर्ग ने स्त्रियों को भाग–विलास का साधन समझते हैं। पुरूषों ने महिलाओं के जीवन उनकी योग्यता और उनकी कार्यशैली को निर्धारित करने की चेष्टा की लेकिन यथार्थ सत्य है कि महिला भी पुरूषों की भांति अपनी अलग पहचान रखती है वह अपने जीवन में उचित चुनाव करने की क्षमता रखती है। शिक्षा के प्रचार व प्रसार से देश में शिक्षित नारियों की आबादी में बढ़ोत्तरी होती जा रही और पढ़–लिखकर नौकरियाँ करने लगी तथा प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद की कामकाजी महिलाओं का एक नया वर्ग चल गया। जिस समाज में महिला की कमाई को अनुचित समझा जाता था, उसी समाज में महिला की कमाई से घर चलने लगे। पति–पत्नी दोनों कमाते हैं, यह गर्व की बात समझी जाती है। देश में कामकाजी महिलाओं का इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है। यह स्वतन्त्रता व समानता के सिद्धान्त से प्रभावित होकर महिलाओं में आत्मनिर्भरता के लिए जो नई सोच और नई चेतना पैदा हुई है, यह उसी का परिणाम है। प्रतापगढ़ जनपद की कार्यरत नारियों की परेशानियों का एक समाजशास्त्रीय उल्लेख का रूप रेखा शिक्षित एवं रोजगार युक्त महिलाओं से है, अच्छे जीवन स्तर की इच्छाओं की बल मिला, यह तो समय की आवश्यकता, परिवार की आवश्यकता, व्यक्तिगत अक्षमता की तुष्टि, समय व्यतीत करने की भी चाह आदि ऐसे कारण जो कामकाजी महिलाओं का केन्द्र बिन्दु है। अनेक अध्ययनों से यह प्रमाणित कार्यरत स्त्रियों के सामने मुख्य समस्या संघर्ष है कि वे अपने आप को परिवार व कार्यालय के अनुसार कैसे समायोजित करती है। निम्न स्व–प्रतिविम्ब और दोहरी भूमिकाएँ कार्यरत स्त्रियों के लिए भूमिका संघर्ष पैदा करती है। जिसका प्रभाव पारिवारिक सम्बन्धों अपेक्षित भूमिकाओं पर पड़ता है। कामकाजी महिलाएँ वर्तमान समय में पुरूषों से मुक्त नहीं है। क्योंकि जो महिलाएँ अपनी परिवार की अर्थव्यवस्था में योगदान करती है, वे अपनी आय को अपनी इच्छानुसार नहीं है। सामाजिक, नैतिक व मनोवैज्ञानिक आयामों में भी उनकी स्थित पुरूषों के समान कुछ नहीं है। घर का काम करती है। इन सबके प्रति उसकी निष्ठा उसके जीवन के स्वरूप के सन्दर्भ पर निर्भर करती है और समाज द्वारा उसका मूल्यांकन बिल्कुल अलग परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। व्यवसायिक भूमिका और परम्परागत भूमिकाओं की एक साथ निभाना एक महिला के लिए प्राकृतिक व कृत्रिम रूप से बहुत कठिन है। जिनके निर्वाह की पूरी जिम्मेदारी एक महिला की ही मानी जाती है। इस प्रकार नौकरी पेशा स्त्रियों के जीवन में जॉब क्षेत्रों में समायोजन करने बड़ी समस्या उत्पन्न कर देता है।

1.2 भारतीय कामकाजी महिलाओं की भूमिका के विभिन्न स्वरूप

विवाह मूलक परिवार में स्त्री की भिन्न–भिन्न परिस्थितियाँ होती हैं उदाहरण के लिए बेटी, पत्नी, बहू, माँ इत्यादि। इन परिस्थितियों से निवर्तमान समय में कार्यों का देखरेख करना पड़ता है एवं प्रत्येक भूमिका निर्वाह के समय उनसे समपर्ण एवं भेदभाव की जाती है। वहाँ भी उसे निम्न परिस्थिति प्राप्त होती है एवं उनका कोई पृथक व स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता। इस प्रकार स्त्रियों की परिस्थितियों में उतार–चढ़ाव पाया गया है, परन्तु वह परिस्थिति सम्बन्धी उतार–चढ़ाव अचानक परिलक्षित नहीं हुआ अपितु यह एक क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। समाज में जैसे–जैसे परिवर्तन व बदलाव आते गये तथा नारियों की स्थितियों में भी बदलाव होता गया।

जब व्यक्ति की भूमिकाएं अनेक हो जाती है तो उन भूमिकाओं में कभी–कभी संघर्ष की स्थिति आ जाती है व्यक्ति अपनी सभी भूमिकाओं का पूर्ण और यथोचित निर्वाह नहीं कर पाता जिन महिलाओं को कार्यालय एवं वे न तो घर में और न ही कार्यालय में अपने दायित्वों का पूर्ण पालन कर पाती है। ग्रामीण समाज की शिक्षित लड़कियों के लिए उचित वर नहीं मिल पता, जो मिलता भी है वर पक्ष की देहज की माँग अधिक होने के कारण लड़की के पिता उन माँगों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। वैवाहिक समस्या एक ज्वलनत समस्या है। आज की शिक्षित महिलायें जिसका शिकार है।

इससे बडी कोई विडम्बना नहीं हो सकती कि पुरूष समाज ही इस उपभोग से भिन्न अस्तित्व को स्वीकारने के सन्दर्भ में पुरूष है महिला देह उसकी है। महिलाएं चूँकि शारीरिक शक्ति और क्षमताओं में पुरूष से कमजोर होती है इसलिए पुरूष जगत ने उन्हें अपनी पाशविक शक्ति के बल से बलात्कार, अपहरण, पिटाई तथा अन्य अत्यन्त अमानुषिक अत्याचारों से दबा रखा है। प्रतिदिन के समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो, टी0वी0 तथा अन्य सूचना के माध्यमों से महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों का खुलासा पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बलात्कार महिलाओं के लिए सबसे बड़ी गाली तो है ही, अत्याचार की राक्षसी लीला भी है, लज्जा और ग्लानि से सारे पुरूष समाज का सिर झुक जाता है जब समाचार पत्रों में यह लाइन पढ़ने को मिलती है– ''कोलकाता में एक पिता द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार।'' दरअसल नारी की पुरानी व नई स्थिति में कोई अधिक फर्क नहीं आया है, वरना मुल्क की आजादी के इतने वर्षों बाद भी लाखों माँ–बहने, वेश्यावृत्ति करने को मजबूर नहीं

होती। सैकड़ों बहनें दहेज के नाम पर मारी ना जाती या आत्महत्या करने को मजबूर न की जाती।

नारी की स्थिति में कोई फर्क तभी आ सकता है तथा नारी अपनी सोच बदलेगी। यानी गुलामी के बन्धन तभी टूटते हैं, जब बन्धनां में जकड़ा आदमी अपने आप को स्वतन्त्र करता है। महात्मा गाँधी ने कहा था ''कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है जब जेल में रहकर आदमी अधिक स्वतन्त्रत होता है बल्कि बाहर रहकर अनुचित कानूनों के मानने के'' आज यही स्थिति नारी पर लागू होती है।

1.3 अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में कामकाजी महिलाओं की अग्रिम/अह्म भूमिका

अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में कामकाजी महिला शब्द का प्रयोग सर्विस करने वाली महिलाओं के सम्मुख बताया गया है तथा कामकाजी महिलाओं से तात्पर्य हम प्रायः व्यवसाय व नौकरी तथा सरकारी व प्राइवेट नौकरी से उनको जोड़ते हैं तथा उनका अवलोकन भी उनके व्यवसाय से करते है। वास्तव में मनुष्य एक तर्कशील प्राणी हैं। उसके हर एक कार्य के पीछे उद्देश्य होता है। इस अध्ययन का भी यह उद्देश्य है कि एक कामकाजी को किसी तरह की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक और कार्य स्थल पर कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। इनके ऊपर परिवार एवं कार्यालय की जिम्मेदारी होती है तथा अनेक कार्य है जिनके निर्वाह की पूरी जिम्मेदारी एक महिला की ही मानी जाती है।

वास्तव में हिन्दुस्थान में महिलाओं की पारिवारिक भूमिकाओं में सामाजिक, सांस्कृतिक व समाजशास्त्रीय मूल्यों के आधार पर वे इन कामकाजी महिलाओं की भूमिकाओं के प्रति पूर्णरूपेण समर्पित रहे, क्योंकि परम्परागत समाज पुरूष प्रधान समाज रहा है। अतः महिलाओं से यह आशा की गई कि वे पुरूष वर्ग के स्वामित्व को स्वीकार करते हुए पारिवारिक सेवाओं को ही अपना परम कर्त्तव्य समझें। पश्चिमी देशों की तरह भारत में घरेलू कामों में पति–पत्नी का हाथ नहीं बटाते हैं। कामकाजी महिला की स्थिति दो पाटो में फंसे हुए घुन के समान होती है। यदि वह दोनों में सन्तुलन स्थापित करने में असमर्थ होती है तो उसे भारी आलोचना को देखना पड़ता है। जर्मनी, ब्रिटेन एवं फ्रांस में महिलायें कम से कम आत्म विश्वासी है। उन्हें लगता है कि उनका परिवार उनके कैरियर को बर्बाद कर सकता। परिवार/परिजनों के निन्दा से बचने के लिये महिलायें आत्मनिर्भर होने के लिये नगर एवं महानगर में जाती हैं तो

उसे समाज और अनेक लोगों की टीका टिप्पणियों अर्थात् तानाशाही पुरूषों के हिंसात्मक रूपों को देखने को मिला है।

पहले नारी अशिक्षित थी अतः विभिन्न वर्ग का शोषण एवं उत्पीड़न को मूक बनकर सहन करती रहती थी। किन्तु आधुनिक शिक्षा के विकास, व्यावसायिक क्षेत्र में अपना भौतिकवादी दृष्टिकोणों से उसे अपने अस्तित्व का बोध हुआ है और व्यवसायिक क्षेत्र में आने से आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। जिसके फलस्वरूप महिलाओं को दोहरी पारिवारिक तथा व्यावसायिक भूमिकाओं को कायम करने में अनेक समस्या झेलनी पड़ती है। जिससे उनका पारिवारिक जीवन प्रभावित होती है।

1.3.1 कामकाजी महिलाओं के संदर्भ में प्रकाशित साहित्य का अध्ययन

भारतीय कामकाजी महिलाओं की भूमिका पर कई प्रमुख लेखन, शोध, और साहित्यिक कार्य उपलब्ध हैं, जो न केवल उनके सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक संदर्भों में भूमिका का चित्रण करते हैं, बल्कि उनकी कठिनाइयों संघर्षों और सफलताओं पर भी रोशनी डालते हैं। यहां कुछ प्रमुख प्रकाशित साहित्य का उल्लेख किया जा रहा है, जो भारतीय कामकाजी महिलाओं के विभिन्न स्वरूपों को उजागर करता है

नारियों की सामाजिक स्थिति एवं समाज का बदलता स्वरूप पर कई महत्वपूर्ण साहित्य और संदर्भ उपलब्ध हैं, जो महिलाओं की बदलती सामाजिक स्थिति, उनके अधिकारों, और समाज में उनकी भूमिका के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। इन संदर्भों में सांस्कृतिक, आर्थिक, और राजनीतिक परिवर्तन के साथ–साथ महिलाओं की स्थिति में आए बदलाव का विश्लेषण किया गया है।

लेखक शिवनाथ झा**"Women in Indian Society"**

पृष्ठ संख्या 45–58

संदर्भ इस पुस्तक में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पर गहरा विचार किया गया है। लेखक ने पारंपरिक और आधुनिक समाज में महिलाओं की भूमिका के बीच अंतर को समझाने की कोशिश की है। विशेष रूप से भारत में महिलाएं किस प्रकार विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक ढांचों के भीतर अपनी पहचान बनाती हैं, इस पर चर्चा की गई है।

मुख्य बिंदुभारतीय महिलाओं की शिक्षा, पारिवारिक जीवन, और कार्यस्थल में उनकी स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह पुस्तक भारतीय समाज में महिलाओं के लिए लागू होने वाले सुधारों और उनकी बदलती स्थिति को उजागर करती है।

लेखक माधव कश्यप"Gender and Society in India"

पृष्ठ संख्या **71–85**

संदर्भ इस पुस्तक में भारतीय समाज में लिंग आधारित भेदभाव और महिलाओं के लिए बदलते सामाजिक–आर्थिक ढांचे का विस्तृत अध्ययन किया गया है। लेखक ने भारतीय समाज में लिंग समानता की दिशा में किए गए प्रयासों का विश्लेषण किया है और यह बताया है कि कैसे महिलाओं की सामाजिक स्थिति समय के साथ बदल रही है।

मुख्य बिंदुपुस्तक में महिलाओं के लिए शिक्षा, कार्यक्षेत्र और आर्थिक स्वतंत्रता के बढ़ते अवसरों पर विचार किया गया है। साथ ही, महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में विभिन्न सरकारी योजनाओं का विश्लेषण किया गया है।

लेखक कृष्णा कुमारी"Women and Social Change in North East India"

पृष्ठ संख्या **93 –110**

संदर्भ इस पुस्तक में भारतीय उत्तर–पूर्व क्षेत्र की महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर चर्चा की गई है। विशेष रूप से इस क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, उनके अधिकारों, और समाज में उनके योगदान पर विस्तार से जानकारी दी गई है।

मुख्य बिंदुपुस्तक में यह बताया गया है कि उत्तर–पूर्वी भारत में महिलाओं की स्थिति अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक सशक्त है, लेकिन फिर भी उन्हें समाज में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

लेखक सिमोन दबुवे"The Second Sex"

पृष्ठ संख्या **60–75**

संदर्भ इस पुस्तक में सिमोन दबुवे ने महिला के अस्तित्व, उनके सामाजिक स्थिति, और उनके अस्तित्व की समस्याओं का गहन विश्लेषण किया है। हालांकि यह पश्चिमी संदर्भ में लिखी गई है, लेकिन इसके विचारों ने भारतीय समाज में भी महिलाओं के अधिकारों और समानता की बहस को नया आयाम दिया है।

मुख्य बिंदुयह पुस्तक समाज में महिलाओं के दमन और उनके अस्तित्व की अवधारणाओं पर आधारित है और यह महिलाओं के आत्मनिर्णय, उनके अधिकारों, और उनके समग्र विकास के लिए संघर्ष की आवश्यकता को महसूस कराती है।

लेखक देवकी जैन"Reworking Gender: Women's Narratives of the Family and Work in India"

पृष्ठ संख्या 120—135

संदर्भइस पुस्तक में देवकी जैन ने भारतीय महिलाओं की पारिवारिक और कार्यस्थल की स्थितियों पर विचार किया है। इसमें महिलाओं के कामकाजी जीवन और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने की चुनौती और उनके द्वारा किए गए संघर्षों का विश्लेषण किया गया है।

मुख्य बिंदुयह पुस्तक यह दर्शाती है कि भारतीय महिलाओं के लिए पारंपरिक पारिवारिक भूमिका को छोड़कर कामकाजी जीवन की ओर बढ़ने में कई प्रकार की सामाजिक और व्यक्तिगत बाधाएं आती हैं।

लेखक विमल वर्मा: Women in Indian Society: A Study of Their Role and Status

पृष्ठ संख्या 134–150

संदर्भ विमल वर्मा की इस पुस्तक में भारतीय समाज में महिलाओं की बदलती स्थिति पर विस्तृत विश्लेषण किया गया है। इस पुस्तक में यह बताया गया है कि कैसे महिलाओं ने पारंपरिक सामाजिक ढांचों को चुनौती दी है और समाज में समानता और समान अवसर प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया है।

मुख्य बिंदुइसमें महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक, और आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, और उनके राजनीतिक अधिकारों के बढ़ते प्रभाव को विशेष रूप से उजागर किया गया है।

लेखक रेखा शेषाद्री("Women in Indian Society:A Study of Their Role and Status")

पृष्ठ संख्या55—72

संदर्भ इस पुस्तक में भारतीय नारीवाद (फेमिनिज्म) के दृष्टिकोणों और मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसमें यह बताया गया है कि भारतीय महिलाओं ने कैसे विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, और राजनीतिक बाधाओं को पार किया है और समाज में समानता प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किया है।

मुख्य बिंदुरेखा शेषाद्री ने भारतीय समाज में महिलाओं की बढ़ती जागरूकता, शिक्षा, और राजनीतिक सहभागिता पर चर्चा की है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जरूरी कदमों का सुझाव दिया है।

लेखक शांता सिवरामन("Women and Work in India: A Socio-Economic Study")

पृष्ठ संख्या 50–65

संदर्भ शांता सिवरामन की यह पुस्तक भारतीय महिलाओं के कामकाजी जीवन, उनके श्रम के हालात, और समाज में उनके स्थान का अध्ययन करती है। यह पुस्तक विशेष रूप से महिलाओं के कार्यक्षेत्र में सामाजिक–आर्थिक असमानताओं पर विचार करती है।

मुख्य बिंदुइसमें यह बताया गया है कि भारतीय महिलाओं का अधिकांश कार्य असंगठित क्षेत्र में होता है, और इस क्षेत्र में उन्हें कम वेतन, असुरक्षा, और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

लेखक हरि राम मेहता "The Indian Woman: A Sociological Perspective”

संदर्भइस पुस्तक में भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका का व्यापक और गहन विश्लेषण किया गया है। खासकर कामकाजी महिलाओं के संदर्भ में, इसमें उनके परिवार और कार्यस्थल के बीच संतुलन बनाए रखने, उनके पेशेवर जीवन, और समाज में उनकी बदलती भूमिका को संबोधित किया गया है। यह पुस्तक भारतीय महिला की सामाजिक स्थिति को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

लेखक राधा रॉय("Gender and Development: The Indian Experience)

संदर्भयह पुस्तक विशेष रूप से विकास, लिंग और भारतीय महिलाओं के संदर्भ में उनके कामकाजी जीवन का अध्ययन करती है। राधा रॉय ने इस पुस्तक में उन सामाजिक और संरचनात्मक मुद्दों पर प्रकाश डाला है, जो महिलाओं को पेशेवर और निजी जीवन में समान अवसरों से वंचित करते हैं।

लेखक चंद्रा पटनायक के अनुसार ("Indian Women and Work: A Comparative Study")

संदर्भयह पुस्तक भारतीय कामकाजी महिलाओं की भूमिका को एक तुलना के रूप में प्रस्तुत करती है, जहां महिलाओं के घरेलू और कार्यस्थल जीवन के बीच के अंतर और समानताओं का अध्ययन किया गया है। यह पुस्तक यह समझने में मदद करती है कि कैसे भारतीय महिलाएं विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं के बावजूद कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में सफल हो रही हैं।

लेखक लता रावके अनुसार ("Gender, Work and Economic Development")

संदर्भ लता राव ने इस पुस्तक में भारतीय महिलाओं के कामकाजी जीवन को आर्थिक विकास के संदर्भ में अध्ययन किया है। इसमें यह दर्शाया गया है कि भारतीय महिलाएं न केवल घर में, बल्कि कृषि, उद्योग, और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में भी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

लेखक कुमारीनीरजाके अनुसार ("The Social Stratification of Women in India")

संदर्भइस पुस्तक में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके कामकाजी जीवन की सामाजिक परतों का विश्लेषण किया गया है। इसमें विशेष रूप से महिला मजदूरों, कृषक महिलाओं और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

इन प्रकाशित साहित्य और रिपोर्टों में महिलाओं की बदलती सामाजिक स्थिति, उनके अधिकारों, और समाज में उनके स्थान में आए बदलावों पर गहन विचार किया गया है। इनमें यह दिखाया गया है कि भारतीय समाज में महिलाएं अब केवल घरेलू भूमिकाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अपनी जगह बना रही हैं। इन साहित्यिक संदर्भों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों, उनके शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में हुए कदमों की भी चर्चा की गई है। यह साहित्य भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका को समझने और उनके सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाली चुनौतियों को पहचानने में सहायक साबित होता है।

1.3.2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामकाजी महिलाओं के नवीन आंकड़े

1.3.2.1 विश्व बैंक के आंकड़े

कामकाजी महिलाओं की भागीदारी

विश्व बैंक के 2023 के आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी पुरुषों की तुलना में काफी कम है। महिला श्रम बल भागीदारी दर 47% है, जबकि पुरुषों के लिए यह दर लगभग 74% है।

महिलाओं की आय और समानता

विश्व बैंक के डेटा के अनुसार, महिलाओं की औसत आय, पुरुषों की तुलना में कम है। 2020 में वैश्विक स्तर पर महिलाओं की औसत आय पुरुषों की आय का लगभग 77% थी।

महिलाओं का नेतृत्व

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, वैश्विक स्तर पर शीर्ष नेतृत्व में महिलाओं की संख्या 2022 तक 30% से कम थी। हालांकि यह संख्या बढ़ रही है, लेकिन महिलाओं के लिए नेतृत्व की भूमिकाएं अभी भी कम हैं।

1.3.2.2 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़े

महिलाओं की असमानताओं का खात्मा

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट 2022 में दर्शाती है कि महिला श्रमिकों की कुल संख्या वैश्विक स्तर पर 1-3 अरब से अधिक है, लेकिन उनमें से केवल 27% महिलाएं उच्च–आय वाले देशों में कार्यरत हैं। विकासशील देशों में महिलाओं की श्रमिक भागीदारी दर पुरुषों की तुलना में कम है।

महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर समान अधिकार

2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने पाया कि कई देशों में महिलाओं को कार्यस्थल पर समान अधिकार प्राप्त नहीं हैं। महिलाएं अक्सर कम वेतन, अस्थिर नौकरी, और कार्यस्थल पर भेदभाव का शिकार होती हैं।

1.3.2.3.संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

महिलाओं की आर्थिक भागीदारी

संयुक्त राष्ट्र के"State of the World's Women"2020 रिपोर्ट के अनुसार, महिलाएं अब वैश्विक श्रम बल का लगभग 39% हिस्सा हैं। हालांकि, यह आंकड़ा पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि महिलाओं की श्रमबल में वृद्धि धीमी है और कई देशों में महिलाएं अपनी पूरी कार्य क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रही हैं।

महिलाओं का श्रम बल में योगदान

2020 के आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं की कार्यबल भागीदारी दर (स्थ्च्) देशों के आधार पर अलग–अलग रही है। उच्च आय वाले देशों में महिलाओं की भागीदारी 55% तक रही है, जबकि निम्न आय वाले देशों में यह दर 40% से भी कम रही है।

1.3.2.4 राष्ट्रीय स्तर पर कामकाजी महिलाओं के नवीन आंकड़े

भारत में महिलाओं की श्रमबल भागीदारी दर

भारत में महिलाओं की श्रमबल भागीदारी दर में 2021–22 के आंकड़ों के अनुसार 23.4% थी। यह पुरुषों की तुलना में काफी कम है, क्योंकि पुरुषों की श्रमबल भागीदारी दर 70% के आस–पास है। इस आंकड़े में ग्रामीण और शहरी महिलाओं के बीच अंतर भी महत्वपूर्ण है।

महिला श्रमिकों का आंकड़ा

भारत में महिला श्रमिकों की संख्या 2021 में लगभग 15 करोड़ थी, जो कुल श्रमिकों का लगभग 27% हैं। इनमें से अधिकांश महिलाएं कृषि और असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं।

महिलाओं का औसत वेतन

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, भारतीय महिलाओं के औसत वेतन में पुरुषों की तुलना में लगभग 20.30% की कमी है।

कार्यस्थल पर महिलाओं की स्थिति

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयके 75वें राउंड के आंकड़ों के अनुसार, भारत में महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा और भेदभाव की समस्या बनी हुई है। 40% से अधिक महिलाएं असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं, जहां उनकी नौकरी की सुरक्षा और वेतन बहुत कम है।

महिलाओं की श्रमिक भागीदारी में गिरावट

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयके मुताबिक, भारत में महिलाओं की श्रमिक भागीदारी दर पिछले दो दशकों में कम हुई है। मुख्य कारणों में शिक्षा की कमी, पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाएं और कार्यस्थल पर असमानता शामिल हैं।

महिलाओं के लिए रोजगार अवसर

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के 2021–22 के आंकड़ों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई रोजगार योजनाएं लागू की गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसके तहत 20% से अधिक महिलाओं को कर्ज और प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा, स्व–रोजगार योजनाएं जैसे उज्जवला योजना

और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान कर रही हैं।

महिलाओं की नौकरी में वृद्धि

भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23 के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के लिए नौकरी के अवसरों में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में। यह सर्वे यह भी बताता है कि महिला श्रमिकों की भागीदारी का मुख्य कारण स्व–रोजगार और छोटे व्यवसायों में वृद्धि है।

1.3.3 प्रकाशित साहित्य पर आधारित निष्कर्ष

महिलाओं का कार्यबल में योगदान

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का कार्यबल में योगदान धीरे–धीरे बढ़ रहा है, लेकिन यह अभी भी पुरुषों की तुलना में काफी कम है। भारतीय संदर्भ में यह आंकड़ा और भी चिंताजनक है, जहां महिलाओं की श्रमबल भागीदारी दर (स्थ्च्त्) 23% से भी कम है।

भेदभाव और वेतन में असमानता

महिलाओं को कार्यस्थल पर वेतन में असमानता और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर देखा गया है। हालांकि, महिलाओं के लिए समान अवसर और वेतन के लिए कई सुधार प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी वास्तविक परिवर्तन धीमा है।

सशक्तिकरण और अवसरों की बढ़त

महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों की बढ़ोतरी हो रही है, विशेष रूप से सेवा, आईटी, और खुदरा क्षेत्र में। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की श्रमबल भागीदारी में भी धीरे–धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन पारंपरिक और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सुधार की जरूरत है।

अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कामकाजी महिलाओं की स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कई बाधाएं और असमानताएं बनी हुई हैं। शिक्षा, रोजगार, और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों के बावजूद, महिलाओं को कार्यस्थल पर समान अवसर, सुरक्षा और वेतन में सुधार की आवश्यकता बनी हुई है।

1.4 नारियों की सामाजिक स्थिति एवं समाज का बदलता स्वरूप

आधुनिक भारत में यदि देखा जाये तो नारियों की स्थिति समाज में निरन्तर आगे की ओर गतिमान है। इनकी स्थिति एवं परिस्थिति परिवर्तित होती जा रही हैं। क्योंकि पुरूष की तुलना में यह मेहनती एवं कार्यों के प्रति कर्तव्य निष्ठ रहती है तथा कार्यों के प्रति उदरता एवं दया, सहानुभूति के माध्यम को अपना अस्त्र एवं शास्त्र विद्या मानकर कार्य को निष्ठा पूर्वक करती है। इसलिये ये अपने जीवन को सुदृढ़ एवं व्यवस्थिति सरल एवं सौम्य बना लेती है उनसे आगे की ओर निम्न पदो से लेकर उच्च पदो तक पदासीन है। मैं रोजना सुबह एक अध्यापिका को स्कूल जाते हुए देखता हूँ। उनके पति कार में उन्हें छोड़ने जाते हैं। तब उन की अध्यापिका के चहरे पर हँसी को देखकर सोचता हूँ कि पारिवारिक वातावरण के सहयोगपूर्ण होने पर उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।

साथ ही अन्य महिला जो कार्यालय जाती है थकी–थकी सी लगती है। ऐसा लगता है कि कार्यालय जाना उसकी मजबूरी है। नारियों को पुरूषों के साथ एवं घर परिवार के साथ समायोजित अपने आप करना पड़ता है।

हिन्दुस्तानी महिलाये सदियों से काफी दयनीय रही है। उनका हर स्तर पर शोषण और अपमान होता रहा है। भारतवर्ष में पुरूष प्रधान समाज होने के कारण सभी नियम कायदे, कानून पुरूषों के हितों को ध्यान में रखकर बनाये जाते रहें। खेलने और शिक्षा ग्रहण करने की उम्र में बेटियों की शादी कर देना और फिर बाल्यावस्था में ही गर्भाधारण कर लेना उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित होता रहा है तथा बाल–विवाह एक प्रकार से नारी सशक्तीकरण के लिए अभिश्राप है। इस बड़ी से बड़ी कठिनाइयों व समाज में व्यापत बुराईयों व के कारण कुंठित जीवन हो जाता है। महिलाओं का सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन बना कर रखा गया। 21वीं सदी के भारत में आज भी पिछड़े क्षेत्रों में यह परम्परा जारी है। जो भारतीय समाज के लिए एक बहुत बड़ी महामारी या समस्या प्रद रोग है। जिसका निदान करना बहुत जरूरी है। वह मार्ग मानव समाज का सुधार है जिसका मात्र शिक्षा ही एक आधार सिद्ध है।

1.4.1 अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर कामकाजी महिलाओं के नवीन आंकड़े

विश्व बैंक के ताजा ऑकड़ों के अनुसार, ''महिलाओं ने वर्ष 2021 में भारत में औपचारिक और अनौपचारिक कार्यक्रम का 23 फीसदी से कम प्रतिनिधित्व किया, जो वर्ष 2005 में लगभग 27 प्रतिशत थी, वहीं इसकी तुलना में पड़ोसी देशों में बांग्लादेश में 32 प्रतिशत और श्रीलंका में 34.5 प्रतिशत है। कामकाजी महिलाओं पर कोविड का असर भारत व विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ा।

महिलाओं और लड़कियों को बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रशिक्षण व समाजशास्त्रीय अध्ययन व कार्यक्रमों और कौशल विकास तक पहुँच में सुधार महत्त्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि नियोक्ताओं को भी लैंगिक आधार पर संवेदनशील नीतियाँ देनी चाहिए जैसे सामाजिक सुरक्षा बच्चें की देखभाल माता–पिता की छुट्टी और कार्य स्थल तक पहुँचने के लिए सुरक्षित और शुलभ परिवहन का प्रावधान होना चाहिए जिससे महिलाओं की समस्याओं का निदान हो सके। इस प्रकार से यदि देखा जाय कामकाजी महिलाओं को भारत में 37 प्रतिशत पुरूषों से कम वेतन मिलता है।

महिलाओं को परिवार व समाज के सम्मान पाने के लिए आर्थिक रूप से निर्भर होने का निर्देशन दिया जाता है। प्राचीन काल में श्रमिक वर्ग की स्त्रियॉ श्रमिक का ही कार्य करती रही है। कुछ क्षेत्रों में जैसे घरों, सड़कों इत्यादि की सफाई, कपड़े धोना, नर्सिग, दाई, सिलाई, बुनाई, खेती बाड़ी सम्बन्धी कार्य इत्यादि कार्यों में नारियों का अधिकार रहा है। अतिशिक्षित परिवारों एवं उच्चतम शिक्षित परिवारों की महिलाओं के उन परिवारों में महिलाएँ अपेक्षाकृत हमेशा से ही इज्ज्त मिलती है। शिक्षा के अभाव में रूढ़ीवादी समाज के कारण आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हुये अर्थात् व्यापार, ब्यूटी पार्लर, डाक्टर, वकील, शिक्षक कार्यों का अंजाम देने लगी है। डाक्टर, वकील, आई0टी0सी0ए0, सुरक्षा बल में नारियों की बड़ी आवश्यक है।

परन्तु हमारे समाज का ढाँचा नए प्रकार के संघर्ष से जुझना पड़ता है। अब उन्हें सुबह जल्दी उठकर अपने परिवार बच्चे तथा अन्य सदस्यों के लिए भोजन आदि का व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके पश्चात संध्या के समय शीघ्र लौटकर गृह कार्यों में लगना पड़ता है। क्योंकि परिवार के पुरूष आज भी गृहकार्यों की जिम्मेदारी सिर्फ घर की महिला की ही मानते हैं। पुरूष उनका सहयोग, यदि महिला उन पर दबाव बनाती है तो अक्सर पुरूषों को कहते हुये सुना जाता है कि अपनी नौकरी अथवा कामकाज छोड़कर घर की जिम्मेदारी को ठीक से निभाओ महिलाओं की जिम्मेदारी घर संभालने की होती है।

महिलाओं की भूमिका के लिए सामाजिक रवैया, कानून से बहुत पीछे है। यह रवैया जो महिलाओं को कुछ नौकरियों को उपयुक्त मानता है और दूसरी को नहीं लोग उन लोगों को रंग देते है। जो कर्मचारियों की भर्ती करते है।

आज केन्द्रीय राजधानी दिल्ली और राज्यों की राजधानियों के उच्च पदस्थ स्थानों पर महिलाओं ने अपनी योग्यता सिद्ध की है। यूरोप और अमेरिका ही नहीं आज इजरायल, मिस्र और छोटे–छोटे अरब देशों तथा भारत की अनेक महिलाओं ने वायुयान संचालन, सेना, पुलिस, परिवहन के क्षेत्रों में भी कार्य करके पुरूषों की बराबरी करने का साहस दिखाया है।

सामाजिक प्रगति में योगदान संसार के विकसित देशों और विकासशील देशों में नारी का अपने राष्ट्र निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान है। भारत में भी कुशल और उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं का प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्र के निर्माण और विकास में उनका योगदान कम महत्त्व का नहीं है। कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ भारत में शिक्षण प्रशिक्षण और कामकाज करके योग्यता ग्रहण करने में तो महिलाओं का तेजी से योगदान बढ़ा है। परन्तु पुरूष प्रधान देश में नारी के प्रति दृष्टिकोण अभी तक नहीं बदला हैं आज भी पुरूष नफरत से देखते है। अतः उनके विकास और स्वतन्त्रता की राह में हर तरह के कांटे बिछाने का परिणामस्वरूप महिलायें अपनी योग्यता के अनुसार खुलकर कार्य नहीं कर पाती है। भारतीय समाज तो अभी तक प्राचीन सामंती व्यवस्था की मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाया है। कामकाजी महिलाएँ बड़ी कठिनाई से अपना जीवन यापन कर पा रही है।

1.5 आधुनिक समाज में कामकाजी महिलाओं की अग्रिम भूमिका

आधुनिक समय में जहाँ शिक्षा के विकास में नारियों ने कदम रखा वहीं अन्य प्रक्रियाएँ जैसे औद्योगिककरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, लैंकिकीकरण, भौतिकवादी, विचारधार एवं आर्थिक स्वतन्त्रता आदि ने नारी को परम्पराबद्ध बन्धनों से मुक्त करके व्यावसायिक क्षेत्र में ला दिया यह परिवर्तन दो चरणों में हुआ है–

1– स्त्रियाँ समाज में रहकर पुरूष के समकक्ष आने का भरसक प्रयास किया।

2– द्वितीय चरण ने नारी में नौकरियों एवं व्यवसायों में आने का प्रयास किया।

समकालीन भारतीय समाज में निरन्तर परम्परायें तो बदल रही है। किन्तु आधुनिकता को अभी पूर्णरूप से स्वीकार नहीं किया गया है। नैतिक, सामाजिक,

सांस्कृतिक आदर्शों मानदण्डों में अन्तद्वन्द की स्थिति बन गयी है। जिसके फलस्वरूप मानवीय सम्बन्धों में तनाव एवं संघर्ष उत्पन्न हो रहे है। यद्यपि मानवीय सम्बन्धों में होने वाले तनावों एवं संघर्षों को विभिन्न विद्वानों ने अलग–अलग रूपों में देखने का प्रयास किया है चूँकि कामकाजी पड़ती है। एक माँ, पत्नी, व गृहणी तथा बहन एवं नारी जाति को घर परिवार का देखभाल करना पड़ता है व सर्विस दिनचर्या जीवन निर्वाहन निष्ठापूर्वक कार्यालयों में कार्य करने का तथा आदर्श स्त्री जीवन का भी निर्वहन करना पड़ता है।

देश में अधिकतर कार्यरत महिलायें शौकवश कुछ, मजबूरी व आर्थिक परेशानियों के कारण कार्य करती हैं।

An employed women is defined here as one who has been gainfull exmaployed by Government or Semi-Government of Private agencie

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी यह अध्ययन किस प्रकार कामकाजी महिलाओं का आज भी समाज में दो पहलूओं का रूपरेखा अक्सर देखने को मिलती है। एक तो उनका घर और दूसरा काम के अवसर प्रदान करने वाला कार्यालय। इसी अन्तर्द्वन्द को केन्द्रीय अध्ययन मानकर प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद की कामकाजी महिलाओं की प्रस्थिति और समस्याओं का है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध सात अध्यायो में विभक्त है। जिसमें कामकाजी महिलाओं की स्थिति, भूमिका तथा समस्याओं का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष एवं कामकाजी महिलाओं की समस्याओं के निवारण करने का निरन्तर प्रयास किया गया।

इस बात का भी खुलासा करेगा कि नारी किसी भी दायरे में पुरूषों से पीछे नहीं है। यद्यपि उसके सामने सामाजिक वर्णनाओं की एक लम्बी कतार है। परन्तु वह इन वर्णनाओं से भी लोहा लेने के लिए तत्पर है। यह अध्ययन रोजपरक स्त्रियों की समस्याओं और अन्तर्द्वन्दों को मुखारित करेगा, साथ ही यह अध्ययन इन समस्याओं के निराकरण हेतु एक सुझाव भी देगा जो महिलाओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति बनाने के समय सार्थक सिद्ध होगी।

राष्ट्र और समाज की प्रगति में जब हम महिलाओं से योगदान की अपेक्षा रखते हैं तो प्रायः वह भूल जाते हैं कि एक प्रतापगढ़ जनपद की कामकाजी महिला को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। एक कार्य स्थल से दूसरे परिवार से सम्बन्धित होती है। प्रायः नारियों से उम्मीद की जाती है कि काम पर जाने से पूर्व और काम से लौटने

के बाद वह गृहणी की भूमिका भी पूरी जिम्मेदारी से निभाएँ वह अन्याय है। पुरूषों को भी घर की जिम्मेदारी में बराबर का सहयोग करना चाहिए परम्परागत समाज से आज नारी की स्थिति भिन्न है। वह अपनी पहचान कर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बिना किसी दबाव के मुक्त होकर अर्थोपार्जन कर रही है। आर्थिक स्वालम्बन ने उसे गरिमा और आत्मविश्वास दिया है। आर्थिक स्वालम्बन की तलाश में स्त्री घर की चहर दीवालों से आगे निकल रही है। किन्तु यह स्थिति सहज नहीं है।

समाज में दोहरी भूमिका निभाती है। प्रतापगढ़ जनपद की कामकाजी महिलाओं की समस्याओं की एक समाजशास्त्रीय अध्ययन जिसका प्रमुख व्यवसाय आँवला का उत्पाद एवं व्यवसाय से है तथा नौकरी एवं गृहणी की सम्पूर्ण पारिवारिक जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना है। वह घर से परिवार द्वारा प्रताड़ित होती है। तो बाहर समाज द्वारा महिलाएँ पुरूष से आगे निकल जाय तो पुरूष के अहंम को ठेस पहुँची है। पितृ सत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं के विकास में समस्यायें उभर कर आती है। नारी का स्थान पुरूष के बाद ही समझा जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है, स्त्रियों को बाल्यावस्था में पिता के संरक्षण में युवा अवस्था में पति के संरक्षण में पत्नी तथा पुत्रों/पुत्रियों के साथ रहना चाहिए परम्परागत समाज की यह धारणाएँ आज भी पूरी तरह से बदली नहीं है। यह स्त्री के विकास में बांधा उत्पन्न करती है। भारत में धर्म की प्रधानता यहाँ के लोगों द्वारा धार्मिक मान्यताओं को बहुमूल्य समझते है।

उपरोक्त सभी समस्याओं के कारण महिलाएँ कैरियर एवं निजी जीवन को सन्तुलित रखते समय कठिनाईयों का सामना करती है। ऐसा माना जाता है कि बाहर से काम करके आने के बाद घर की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है यह सोच तनाव पैदा करती है और कुछ महिलाएँ व्यवसायिक जीवन से दूर हो जाना पसन्द करती है। जिससे मनोवैज्ञानिको के द्वारा विशेष अध्ययन के उपरान्त नारियों की कठिनाईयों का निदान करना पड़ता है। जिससे मानसिक रूप से तनाव ग्रसित हो जाती है।

कई लोगों के लिए एक साथ विवाह और कार्य के उद्देश्य को स्वीकार करना एक संघर्ष उत्पन्न कर सकता है। क्योंकि दो प्रकार के उद्देश्यों की संतुष्टि के लिए दो प्रकार से होती है।

एक कामकाजी महिला को अपने कार्यरत जीवन भूमिकाओं का दायित्व है। एक तरफ अपने कार्यालय का कार्यभार और दूसरी तरफ माँ के रूप में संतानों की देखभाल करना इस प्रकार एक कामकाजी महिला अपने परिवार की भी देखभाल करती है। फिर भी संघर्ष उत्पन्न होता है।

प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद में बिहार ब्लाक के हरिहरपुर गाँव की सरिता देवी, सुमन देवी सहित अन्य महिलाएँ अक्टूबर 2019 में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थी। उनको ट्रेनर के माध्यम से उनकों पखवारे भर प्रशिक्षित किया गया। रिवाल्विंग फण्ड व सामुदायिक निवेश निधि के तहत महिलाओं को लगभग डेढ़ लाख रूपये मिले।

प्रतापगढ़ जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ अपनी समस्याओं का निराकरण करती हुई आत्म निर्भर की ओर उन्मुख हो रही है।

यद्यपि प्रतापगढ़ जनपद की रोजगार परक स्त्रियों की कठिनाइयों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन के तहत प्रतापगढ़ की महिलाओं के साथ बढ़ती आपराधिक वारदातों को देखते हुए कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शासन चिन्तित हो उठा है। ऐसी महिलाओं की सुरक्षा के लिए या समस्याओं के निदान हेतु 2001 में ही शासनादेश जारी हुआ था लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के कारण ऐसे मामले सामने आने के बाद भी गम्भीरता नहीं दिखाई जा रही थी। अब नए सिरे से शासन का आदेश आने के बाद इस पर कार्यवाही करने के लिए जिला स्तर पर महिलाओं की टीम गठित की गई है। कामकाजी महिलाओं की अभाव, अत्याचार, घुटन, कुरीतियों तथा पशुओं से भी बदत्तर जीवन स्थितियों को आजादी प्राप्ति के बाद बदलने का सिलसिला प्रारम्भ अवश्य हुआ। पहले दशक में विस्तृत सर्वेक्षण कर विकास की नीतियों के चरण निर्धारित किए गए। महिला दशक की वैचारिकता ने उनके विकास के मुद्दों की नयी दिशा प्रदान की। इतिहास में पहली बार महिलाओं के विकास कार्यक्रमों में भागीदारी में पहचान बनाना प्रारम्भ हुई। शिक्षा तथा कल्याण कार्यक्रमों का सुप्रभात दिखाई दिया तथा अधिकारों और समानता के प्रति जागरूकता के विकास की झलक मिलने लगी।

दोनों स्थान पर दायित्व की जिम्मेदारी को पूर्ण करनी पड़ती है। फलस्वरूप उन पर कार्य का बोझ तो बढ़ता ही है साथ ही कार्य स्थल पर एवं परिवार दोनों ही स्थान पर उनका कार्य प्रभावित भी होता है। दोहरी भूमिका इनके थकान का कारण भी है। अधिकांश महिलाओं के पास परिवार में मदद के लिए कोई सदस्य ना होने के कारण उन्हें घरेलू नौकरानियों की आवश्यकता होती है। कार्यस्थल में यौन शोषण, लिंग विभेदीकरण एवं असुरक्षा जैसी समस्याओं से ये महिलाएं जूझती है। अधिकांश महिलाओं में आर्थिक विवशता है किन्तु अनेक महिलाएं आर्थिक स्वतन्त्रता एवं अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए भी नौकरी करती है।

अध्याय–2

प्रतापगढ़ (बेल्हा) उ0प्र0 जनपद क्षेत्र का परिचय एवं अध्ययन पद्धति

2.1 शोध उद्देश्य

शोध का मुख्य उद्देश्य प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाओं की सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और शारीरिक समस्याओं का विश्लेषण करना है। इससे संबंधित निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1.कामकाजी महिलाओं की समस्याओं की पहचानः प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाएँ किन प्रमुख समस्याओं का सामना करती हैं, जैसे कार्यस्थल पर उत्पीड़न, कार्य और परिवार के बीच संतुलन, वेतन असमानता, मानसिक तनाव आदि।

2.समाज और परिवार पर प्रभावः कामकाजी महिलाओं का समाज और परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या वे परिवार और समाज के लिए आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं?

3-शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँः कामकाजी महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर काम के दबाव और परिवारिक जिम्मेदारियों का क्या प्रभाव पड़ता है?

4-कामकाजी महिलाओं के अधिकारों और कल्याण के उपायः सरकार और समाज द्वारा कामकाजी महिलाओं के लिए कौन से कल्याणकारी उपाय और अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं? इन उपायों का प्रभाव महिलाओं की समस्याओं को हल करने में कितना कारगर है?

5-समाधान और सुझावः कामकाजी महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए समाज, सरकार और संगठनों से क्या सुझाव और नीतियाँ दी जा सकती हैं?

2.2. परिकल्पनाएँ

इस अध्ययन के लिए निम्नलिखित परिकल्पनाएँ प्रस्तावित हैं:-

परिकल्पना:- 1 प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाएँ कार्यस्थल पर उत्पीड़न और शारीरिक–मानसिक तनाव का सामना करती हैं, जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

परिकल्पना:- 2 कामकाजी महिलाओं के पास कार्य और परिवार के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई होती है, जिससे वे अधिक तनाव और चिंता महसूस करती हैं।

परिकल्पना:- 3 प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरुषों से कम वेतन मिलता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

परिकल्पना:- 4 सरकारी और सामाजिक उपायों के बावजूद कामकाजी महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा, समानता और अवसर नहीं मिलते, जिससे उनकी समस्याएँ हल नहीं हो पातीं।

परिकल्पना:- 5 कामकाजी महिलाओं के लिए प्रभावी कार्यस्थल कल्याण और समर्थन योजनाएँ होने पर उनके कार्य और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है।

2.3. शोधकर्ता की समस्या

शोधकर्ता की समस्या इस अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित है

1. महिलाओं के अनुभवों की विविधता प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाओं के अनुभवों में बहुत विविधता हो सकती है, जैसे कृषि क्षेत्र की महिलाओं, शहरी क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं, और घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं के अनुभव अलग–अलग हो सकते हैं। शोधकर्ता को इन विभिन्न अनुभवों को सही रूप से समझने और दस्तावेजित करने में कठिनाई हो सकती है।

2. सामाजिक व सांस्कृतिक सीमाएँ प्रतापगढ़ जैसे स्थान पर पारंपरिक और सांस्कृतिक धारा का दबाव महिलाओं पर हो सकता है, जिससे वे अपनी समस्याओं को खुले रूप से व्यक्त करने में हिचकिचा सकती हैं। शोधकर्ता को महिलाओं से सही और ईमानदार जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।

3. डेटा संग्रह में कठिनाई महिलाओं के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित डेटा एकत्र करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेषकर यदि महिलाएँ अपनी समस्याओं को

सार्वजनिक रूप से साझा करने में संकोच करती हैं। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के संपर्क और साक्षात्कार में भी समस्या हो सकती है।

4. सामाजिक अपेक्षाएँ और अध्ययन के दौरान यह संभव है कि कुछ सामाजिक दबावों के कारण महिलाओं के उत्तर प्रभावित हों, विशेष रूप से जब वे अपने परिवार या समाज के सदस्य के रूप में अनुसंधानकर्ता से बातचीत कर रही हों। शोधकर्ता को इन को पहचानने और नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी।

5. सामाजिक नीतियाँ और कानूनी आयाम प्रतापगढ़ में कामकाजी महिलाओं की समस्याओं से निपटने के लिए सरकारी और सामाजिक नीतियाँ कितनी प्रभावी हैं, यह एक महत्वपूर्ण समस्या हो सकती है। इन नीतियों का प्रभाव और उन तक महिलाओं की पहुंच को समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

6. अर्थशास्त्र और वेतन असमानतारू कामकाजी महिलाओं की आर्थिक स्थिति और वेतन असमानता को मापने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि यह मुद्दा अक्सर संवेदनशील होता है और महिलाएँ इसके बारे में खुलकर बात करने में संकोच कर सकती हैं।

शोधकर्ता का उद्देश्य प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को समाजशास्त्रीयदृष्टिकोण से समझना और उनकी सामाजिक, मानसिक, और आर्थिक समस्याओं का समाधान ढूंढना है। परिकल्पनाओं के आधार पर अध्ययन से यह उम्मीद की जाती है कि महिलाओं की कार्यस्थल स्थितियाँ, उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति को उजागर किया जा सके। शोधकर्ता को इस प्रक्रिया में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जो अध्ययन की चुनौतियों का हिस्सा होंगी।

अध्ययन पद्धति का चयन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को समझने और उनका विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस अध्ययन में विभिन्न शोध विधियों और तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है ताकि महिलाओं के जीवन की वास्तविकता को सही रूप से दर्शाया जा सके। यहाँ पर एक विस्तृत अध्ययन पद्धति का विवरण दिया गया है।

2.4 अधिकारों और उद्देश्यों की परिभाषा

उद्देश्य कामकाजी महिलाओं की समस्याओं का विश्लेषण करना, जैसे कि उनके कामकाजी जीवन में आने वाली सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याएँ।

– प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाएँ किन समस्याओं का सामना करती हैं?

– उनके कार्यस्थल पर सामाजिक और मानसिक दबाव कितने अधिक हैं?

– क्या इन समस्याओं का समाधान संभव है, और इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

अनुसंधान दृष्टिकोण गुणात्मक दृष्टिकोण इस दृष्टिकोण में गहरे और विस्तृत साक्षात्कार फोकस समूह चर्चा, और केस स्टडी का उपयोग किया जाएगा ताकि महिलाओं की समस्याओं के सामाजिक और मानसिक आयाम को समझा जा सके।

सांख्यिकीय दृष्टिकोणयदि आवश्यक हो, तो एक सर्वेक्षण भी किया जा सकता है जिसमें आंकड़े एकत्रित किए जा सकें, ताकि समस्याओं के पैमाने और उनकी गंभीरता को मापा जा सके।

2.5 स्रोत और डेटा संग्रहण

साक्षात्कार प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाओं से व्यक्तिगत साक्षात्कार लिए जाएंगे, ताकि उनके जीवन के व्यक्तिगत अनुभव, उनके कार्यस्थल की स्थितियाँ और उनकी समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सके।

समूह चर्चा विभिन्न महिलाओं के समूहों के साथ चर्चा की जाएगी ताकि सामूहिक समस्याओं और अनुभवों का पता लगाया जा सके। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से महिलाएँ शामिल की जाएँगी, जैसे कृषि, उद्योग, सरकारी सेवा आदि।

सर्वेक्षणएक संरचित प्रश्नावली तैयार की जाएगी, जिसमें महिलाओं से उनके कार्यस्थल, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, वेतन, और कार्य की कठिनाई के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे।

2.5.1 नमूना चयन

2.5.1.1 सांख्यिकीय नमूना

अध्ययन के लिए एक प्रतिनिधि समूह का चयन किया जाएगा। यह नमूना महिलाओं की विभिन्न आयु, कार्यक्षेत्र, सामाजिक–आर्थिक स्थिति, और शैक्षिक पृष्ठभूमि से लिया जाएगा।

2.5.1.2 नमूना आकार

न्यूनतम 400महिलाओं का नमूना लिया गया है, ताकि विभिन्न प्रकार की समस्याओं और अनुभवों को समझा जा सके।

2.5.1.3 डेटा विश्लेषण

गुणात्मक विश्लेषण साक्षात्कार और फोकस समूह चर्चाओं से प्राप्त डेटा को विश्लेषण द्वारा वर्गीकृत किया जाएगा। इसमें महिलाओं के व्यक्तिगत अनुभवों और उनके द्वारा बताई गई समस्याओं का गहराई से विश्लेषण किया जाएगा।सांख्यिकीय विश्लेषण सर्वेक्षण के परिणामों को सांख्यिकीय विधियों जैसे प्रतिशत, माध्य और मानक विचलन से विश्लेषित किया जाएगा ताकि समस्याओं की व्यापकता और गंभीरता का आंकलन किया जा सके।

2.5.1.4 नैतिकता

सभी डेटा संग्रहण प्रक्रियाओं में महिलाओं की गोपनीयता और सहमति का सम्मान किया जाएगा।यह सुनिश्चित किया जाएगा कि महिलाओं को साक्षात्कार देने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रेरित किया जाए और वे बिना किसी दबाव के अपने विचार साझा करें।अध्ययन में उपयोग किए जाने वाले सभी व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा और केवल शोध उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा।अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर कामकाजी महिलाओं की समस्याओं का विश्लेषण किया जाएगा और समाज, सरकार तथा विभिन्न संगठनों के लिए संभावित समाधान और नीतिगत सिफारिशें दी जाएंगी।इस अध्ययन पद्धति का उद्देश्य प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को गहरे से समझना और उनके जीवन में सुधार के लिए सार्थक उपायों का करना है।

2.5.1.5 नमूना चयन विधि

नमूना चयन की विधि इस अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि अध्ययन में भाग लेने वाली महिलाएँ वास्तविकता को सही रूप से परिलक्षित करें और शोध के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करें। नमूना चयन विधि का उद्देश्य एक ऐसे समूह का चयन करना है जो प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाओं की

विविधताओं को सही तरीके से प्रतिनिधित्व कर सके। निम्नलिखित नमूना चयन विधियाँ इस अध्ययन में उपयोग की गयी हैं।

2.5.1.6 सांप्रदायिक और सामाजिक वर्ग आधारित चयन

इस विधि में महिलाओं को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा, जैसे किआयु, शिक्षा, कार्यक्षेत्र, और सामाजिक–आर्थिक स्थितिः

उदाहरण के लिए, महिलाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटा है

– आयु 20 से 55

– शैक्षिक स्थिति- अनपढ़, प्राथमिकमाध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएँ।

– कार्य क्षेत्र कृषि, उद्योग, सरकारी सेवा, घरेलू कार्य, शिक्षण क्षेत्र, इत्यादि।

– सामाजिक–आर्थिक स्थिति निम्न, मध्य और उच्च वर्ग।

प्रत्येक श्रेणी से एक निश्चित संख्या में महिलाओं को चयनित किया जाएगा, ताकि अध्ययन में विभिन्न प्रकार की महिलाओं की समस्याओं का समग्र रूप से अध्ययन किया जा सके।

सुविधाजनक नमूना चयनःइस विधि में उन महिलाओं को चुना जाएगा, जिनसे डेटा संग्रहण के लिए संपर्क करना आसान हो। यह एक तात्कालिक और समय के हिसाब से सुविधाजनक विधि होती है, खासकर जब व्यापक क्षेत्र से नमूना लेना हो।

हालांकि यह विधि थोड़ा पक्षपाती हो सकती है, परंतु इसे प्रारंभिक अध्ययन या पायलट अध्ययन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस विधि में समुदाय या कार्यस्थल जैसे केंद्रों में काम करने वाली महिलाओं को शामिल किया जा सकता है।यह विधि अध्ययन के उद्देश्य और प्रश्नों के अनुसार नमूने का चयन करने में सहायक होती है, जिससे विशेष समस्याओं पर गहरा विचार किया जा सकता है।

2.5.1.7 यादृच्छिक नमूनाकरण सांख्यिकीय नमूना चयन

इस विधि में महिलाओं का चयन यादृच्छिक तरीके से किया जाएगा, ताकि नमूने में पक्षपात न हो। इस विधि का उपयोग तब किया जा सकता है जब शोधकर्ता एक बहुत बड़े क्षेत्र या समुदाय से डेटा एकत्र करना चाहते हों और सभी संभावित महिलाओं को समान रूप से चुना जाए।

प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाओं की समस्याओं के समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए नमूना चयन विधि में विविधता, उद्देश्य और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त विधियों का चयन किया जाएगा। यह विधियाँ सुनिश्चित करेंगी कि अध्ययन के परिणाम वास्तविक और विश्वसनीय हों, जिससे महिलाओं की समस्याओं का सही और व्यापक विश्लेषण किया जा सके।

2.6 प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद क्षेत्र का परिचय

देश की वैश्विक स्थित में महिलाओं की पारिवारिक भूमिकाओं में सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर उम्मीद इन भूमिकाओं के प्रति पूर्णरूपेण समर्पित रहें, क्योंकि परम्परागत समाज पुरूष प्रधान समाज रहा है। अतः महिलाओं द्वारा पुरूष वर्ग के स्वामित्व को स्वीकार करते हुये पारिवारिक सेवाओं को ही अपना परम् कर्त्तव्य समझें।

पहले नारी अशिक्षित थी, किन्तु आधुनिक शिक्षा के विकास व्यावसायिक क्षेत्र में आना, भौतिकवादी दृष्टिकोणों से उसे अपने अस्तित्व का बोध हुआ और व्यवसायिक क्षेत्र में आने से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है जिसके फलस्वरूप महिलाओं को दोहरी पारिवारिक तथा व्यावसायिक भूमिकाओं को पूर्ण करने में जिससे उनका पारिवारिक जीवन प्रभावित होता है और पारिवारिक असंगतियों से उनकी व्यावसायिक भूमिकाएं भी प्रभावित होती है।

सामाजिक दृष्टि से नारी वर्ग के ऐतिहासिक कालखण्डों में अगर देखें तो सिर्फ वैदिक काल को छोड़कर उन्हें किसी काल में प्रतिष्ठा नहीं मिली है। मध्यकाल में उनकी स्थिति काफी दयनीय रही। आजादी के बाद महिला आन्दोलनों में भारतीय महिलाओं की परिस्थिति को परिवर्तित करने में अहम् भूमिका निभायी। यूरोपीय देश में 19वीं शताब्दी के अन्त में तथा 21वीं शदी के शुरूआत में नारी मुक्ति के आन्दोलन चले लेकिन आज तो वहाँ महिला आन्दोलनों का व्यापक स्वरूप आन्दोलित है।

आजादी के आन्दोलन में भारतीय नारियों की हिस्सेदारी ने उन्हें जीवन के नये रंग में ढलने के अवसर प्रदान किये और आजादी के बाद भारतीय संविधान में उन्हें दिये गये बराबर के अधिकार ने इस अवसर को और अधिक गतिशील बना दिया आज भारतीय स्त्री पुरूषों से चुनौती लेने के लिए हर क्षेत्र में डटी हुयी है। शिक्षा और जागरूकता ने उनकी परिस्थिति को परिवर्तित किया। आज शासकीय, अशासकीय, सार्वजनिक संगठनों में उसने अपनी प्रतिबद्धता और उत्तम कार्यशैली का परिचय दिया है।

इस क्षेत्र का अध्ययन क्षेत्र उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जनपद है। जिसका प्राचीन नाम बेल्हा है। सल्तनत काल जलालूदद्दीन खिलजी का भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस जनपद को भारत की राजधानी बनाया था। धार्मिक रूप से महाभारत काल में पाण्डव द्वारा अज्ञातवास इस जनपद में किया गया तथा जो मुख्यालय ये लगभग 14 किमी रानीगंज अजगरा स्थल पर युधिष्ठिर एवं यक्ष द्वारा संवाद स्थल तालाब भी यहीं स्थित है। यहाँ तक की जिस समय राम के वनवास के दौरान अयोध्या से दक्षिण दिशा की तरफ बेल्हा (प्रतापगढ़) से होते हुये गंगा के किनारे बसे श्रृश्वेरपुर में केवट संवाद भी प्रदर्शित होता है। जहाँ से राम भगवान गंगा को पार कर चित्रकूट के लिये बढ़े। पहले यह जनपद कौशल प्रान्त के नाम पहचान थी। परन्तु जब उत्तर प्रदेश में जनपद बनाया गया तो प्रतापगढ़ (बेल्हा) को उत्तर प्रदेश के 72वां जनपद हो गया। जिसका मुख्यालय सई नदी के किनारे स्थित है। इस जनपद की सम्पूर्ण भारत में एक अनोखी भू–स्थल है। इस जनपद में 8 नदियों का जाल से बुना हुआ है। ये निम्न है 1–गंगा, 2–सई, 3–गोमती, 4– बकुलाही, 5– सकरनी, 6–चमरौधा, 7– परैया एवं 8– पीली है। इन जनपद से मुख्य नदी सई नदीं है जिसका उदगम उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद की सईया झील से होती है। एक सोमवंशी वंश के अजीत प्रताप सिंह यहाँ के तालुकेदार रहे हैं उनके दत्तक पुत्र प्रताप बहादुर सिंह उन्होंने अपना मुख्यालय रामपुर के निकट एक पुराने कस्बे अरोर में स्थापित किया। इस जनपद में लगभग 21 तालुकेदार थे और सभी अति प्रतापी (वीर एवं शक्तिशाली) होने के कारण इस जनपद का नाम बेल्हा रखा गया। इस जिला के कालाकांकर राज्य के राजा रामपाल सिंह आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा हत्या कर दी गयी थी जिसके प्राचीन इतिहास, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, शैक्षिक, व्यावसायिक संरचना, प्रशासनिक संरचना, कृषि एवं आवागमन संरचना पर प्रकाश डालेंगे।

2.6.1 प्रतापगढ़ जनपद जनंसख्या–2011–23

उत्तर प्रदेश के जनगणना संचालन निदेशालय द्वारा उत्तर प्रदेश के एक जनपद प्रतापगढ़ का अधिकारिक जनगणना 2011 विवरण जारी किया गया । उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में जनगणना अधिकारियों द्वारा प्रमुख व्यक्तियों की गणना की गई। 2011 में प्रतापगढ़ की जनसंख्या–3209141 थी जिसमें पुरूष और स्त्री क्रमशः 1606085 और 1603056 थी। 2001 की जनगणना में प्रतापगढ़ की जनसंख्या 2731174 थी जिसमें पुरूष 1362948 थी और शेष 1363226 स्त्रियाँ थी। प्रतापगढ़ जनपद की जनसंख्या महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या का 1.61 प्रतिशत है प्रतापगढ़ जनपद का यह

आंकड़ा महाराष्ट्र की जनसंख्या का 1.64 प्रतिशत था। प्रतापगढ़ जनपद का साक्षरता दर 2011 में प्रतापगढ़ की औसत साक्षरता दर 2011 की 70.09 की तुलना में 70.09 थी यदि लिंग के आधार पर देखा जाये तो पुरूष और स्त्री साक्षरता क्रमशः 81.88 और 58.45 थी। 2001 की जनगणना के लिए प्रतापगढ़ जनपद में समान आंकड़े 73.99 और 41.54 थे। प्रतापगढ़ जनपद में कुल साक्षर 1931559 थे। जिसमें पुरूष और स्त्री क्रमशः 1121381 और 810178 थी। 2001 में प्रतापगढ जनपद में 1278271 साक्षर थे।

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 22.01 प्रतिशत है। जबकि अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या का 0 प्रतिशत है।

तालिका 2.3 जातिवार जनसंख्या

जाति	कुल	पुरूष	स्त्री
अनुसूचित जाति	709252	351084	358198
अनुसूचित जनजाति	723	380	343

तालिका 2.4 अनुसूचित/जनजाति की जनसंख्या

कुल	पुरूष	स्त्री
41357608	21676975	19680633

तालिका 2.5 निरक्षर वर्ष–2011–21/23

कुल	पुरूष	स्त्री
1277852	484704	792879

2.6.2 शैक्षिक एवं व्यावसायिक संरचना

प्रतापगढ़ जनपद में वर्तमान में संयुक्त परिवारों में द्वन्द के प्रमुख कारण कृषि योग्य भूमि में कमी आयी है। 1961 से 2007 के मध्य अनियंत्रित अलगाँव के कारण गृह निर्माण 10.43 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि में कमी आयी है। जनपद प्रतापगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषण में भी वृद्धि हुयी है। जिसका प्रमुख कारण भूमिगत जल स्तर का नीचे गिरना। जनपद में संयुक्त परिवारों में विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के परिवर्तित स्वरूप के कारण तथा अंनियत्रित कृषि पर आधारित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं 271 ईंट भट्टों से 88550 टन वार्षिक कायेले के दहन के कारण वायु प्रदूषण की समस्या भी गम्भीर है।

प्रतापगढ़ जनपद में संयुक्त परिवारों में द्वन्द का सबसे प्रमुख कारण बेरोजगारी की समस्या है। ऑकड़ों से स्पष्ट है कि यहाँ 68.94ः लोग बेरोजगार है एवं दूसरों पर आश्रित है। जिसका सबसे अधिक प्रभाव संयुक्त परिवारों पर पड़ रहा है। लोग रोटी की तलाश में संयुक्त परिवार से अलग होकर दूसरे स्थान को पलायन कर रहे हैं। संयुक्त परिवारों में द्वन्द का दूसरा प्रमुख कारण भुखमरी की समस्या है क्योंकि यहाँ एक तिहाई लोग संतुलित आहार तथा पेट भर भोजन पाने में अक्षम है। जिसका सबसे अधिक प्रभाव बच्चों पर पड़ा है। यह असमय कुपोषण के शिकार होकर अपनी कार्य क्षमता का ह्रास करते हुये जीवन यापन कर रहे हैं। संयुक्त परिवारों में द्वन्द का प्रमुख कारण शिक्षा का स्तर निम्न होना। शिक्षा किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास जिसका प्रमुख कारण शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधारों पर लगा प्रश्नचिन्ह है। जिसका सबसे अधिक प्रभाव स्त्रियों पर पड़ा है। उक्त जनपद में स्त्रियों की साक्षर दर बहुत कम है। जहाँ कुल 60.3 प्रतिशत लोग शिक्षित है। जबकि भारतवर्ष में साक्षरता का यह ः 65.38 है। कुल शिक्षितों में 64 प्रतिशत प्राथमिक स्तर पर ही शिक्षित है। शिक्षा की गुणात्मक आधार पर प्राथमिकता देनी होगी जिससे यह क्षेत्र शिक्षा तथा ज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास के अनुरूप हो सके।

तालिका 2.6 साक्षरता प्रतिशत 2011—23

कुल	पुरूष	स्त्री
12,78,271	8,12,741	4,65,530

2.6.3 प्रशासनिक संरचना

प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद के अन्तर्गत सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारक एवं सरकारी स्तर चलाई जा रही बाल विकास परियोजना ने भी परिवारों को प्रभावित किया है। हिन्दू संयुक्त परिवार को प्रभावित करने वाले कारको में आर्थिक स्थिति एक महत्त्वपूर्ण कारक है। जिनमें उच्चावय मिट्टी की उर्वरता, जल संसाधन, खुली श्वेत पद्धति, खेत का स्वरूप, विभिन्न जातियों की घनिष्टता में ध्वस एवं सामाजिक सम्बन्ध में शिथिलता धर्म एवं सुरक्षा विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत केन्द्रीय ग्राम स्थल के प्रमुख सेवाओं और छः समूहों को आधार बनाया गया। निर्धारित सेवा समूहों में भी प्राथमिक विद्यालय, उपडाकघर एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। उपयुक्त कोटियों के अन्तर्गत प्रतापगढ़ जनपद में 296 केन्द्रीय ग्राम्य स्थान निर्धारित किये गये है।

प्रतापगढ़ जनपद में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का वर्णन करते हुये भौतिक एवं कार्यालय अधिकारीकी का वर्णन कर जनपद में विद्यमान शैक्षिक एवं प्रशासनिक सुविधाओं, आवासीय संरचना तथा व्यावसायिक संरचना को आधार बनाया गया। प्रतापगढ़ जनपद में कुल 2181 गाँवों में 351564 मकान है। जनपद का औसत घनत्व 25 प्रतिवर्ग किमी0 है। इस जनपद को शासन की उदासशीनता के कारण कोई कल कारखाने नहीं जिसके कारण यह जनपद उत्तर प्रदेश का अति पिछड़ा जनपद है।

2.6.4 कृषि संरचना एवं आवागमन संरचना

प्रतापगढ़ जनपद की भूमि उपयोग प्रतिरूप सामान्य है। यहाँ शुद्ध प्रयोगित भूमि का प्रतिशत 69.9 है। सिंचाई में नलकूपों, कुओं, नहरों तथा तालाबों उपयोग हो रहा है। बेल्हा में छोटी बड़ी मिलाकर कुल 8 नदियाँ है जो कि जनपद के शोक के रूप में मानी जाती है क्योंकि इन दिनों के कच्छर की जमीन कृषि योग्य नहीं है। इन जनपद का पानी में खरापन बहुत अधिक होने के कारण उच्च कोटि की खेती नहीं हो पाती है। जनपद के कुछ स्थानों को छोड़कर सभी स्थानों पर मिट्टी बालू युक्त है जिसके कारण उपजाऊ नहीं है। यहाँ पर ऑवला मुख्य फल है, जनपद के कुछ स्थान जैसे मानिकपुर, कुण्डा आदि इलाको पर आम व अमरूद की अच्छी खेती होती है।

जिससे सड़क के रूप में 2578 किमी0 पक्की सड़कें निर्मित है। सड़कों का सर्वाधिक विकास एवं निर्माण कुण्डा तथा पट्टी विकास खण्ड में हुआ है।

मार्ग के रूप में राष्ट्रीय मार्ग तथा अन्य सड़क मार्ग निर्मित है। रेल परिवहन के रूप में यह उत्तर रेलवे का महत्त्वपूर्ण जंक्शन है। यहाँ से लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, जौनपुर एवं रायबरेली रेलमार्ग जुड़ा हुआ है। जल परिवहन के रूप में सई नदी एवं गंगा नदियाँ हैं। प्रतापगढ़ का उद्भव एवं उनके स्थानिक वितरण का अध्ययन सम्बन्धित स्थान विशेष रूप से सम्पूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है।

2.6.4 भौगोलिक विस्तार– स्थिति तथा सीमाएँ

प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य प्रयागराज के उत्तर काशी पश्चिमोत्तर तथा लखनऊ जनपद के पूरब पवित्र सई नदी के दाहिने तट पर स्थित है । मानचित्र 01 से स्पष्ट है–

प्रतापगढ़ जनपद की स्थिति

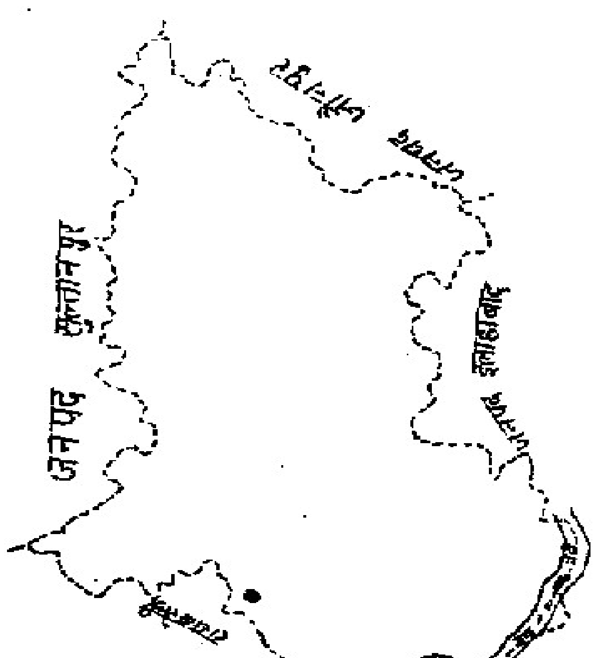

मानचित्र : 01 प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद

चौहद्दी– उक्त जनपद के उत्तर सुल्तानपुर, दक्षिण में प्रयागराज, पूरब में जौनपुर तथा पश्चिम में रायबरेली जनपद है।

धरातल–

प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद का धरात अधिकतर ऊबड–खाबड़ है। नदियाँ और उससे सम्बन्धित नालों के कारण कहीं–कहीं 15–20फुट ऊँचे कगार देखने को मिलते हैं, सम्पूर्ण जनपद का धरातल नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी का बना है। मानचित्र 'ब' से स्पष्ट है।

प्रतापगढ़ जनपद का धरातलीय स्वरूप

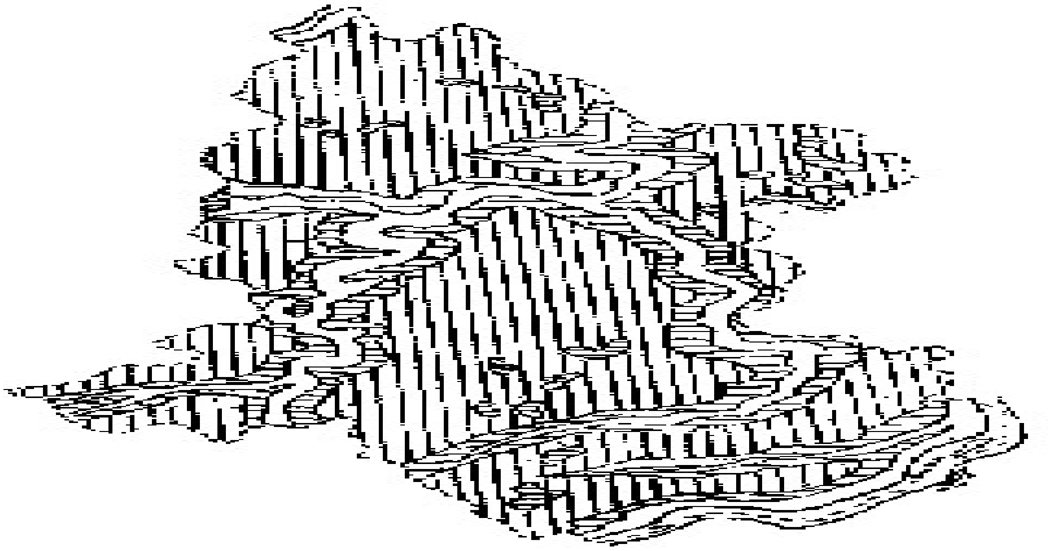

चित्र संख्या–02

जल प्रवाह तथा नदियाँ–

प्रतापगढ़ की मुख्य नदी सई नदी है। गंगा नदी प्रतापगढ़ के दक्षिण–पश्चिम सीमा बनाती हुई बहती है। जनपद के बीचो–बीच सर्वाधिक भाग में सई नदी का जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुयी जौनपुर जनपद में गोमती से मिल जाती है। बकुलाही, सकनी, गोनी, परैया, पट्टी, नाला चमड़ौरा मुत्तन नदी, सुतिया नाला आदि सई की सहायक नदियाँ तथा नाले है। बरसात में इन नदियों में बाढ़ का दृश्य उत्पन्न हो जाता है परन्तु अन्य ऋतुओं में मुख्य नदियों को छोड़कर बाकी नदी नाले सूखे ही रहते हैं।

प्रतापगढ़ जनपद की प्रमुख नदियाँ

चित्र संख्या–03

वनस्पतियाँ

इस जनपद में पतझड़ वाली वनस्पतियाँ पाई जाती है। आम, जामुन, महुआ, पीपल, वरगद, नीम तथा बबूल के वृक्ष सर्वत्र पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त सागौन, चिलबिल, शीशम, युकीलिप्ट्स के वृक्ष भी मिलते हैं। सरपट के साथ ही विभिन्न प्रकार के घास–फूस पैदा होते हैं।

मिट्टी

यहाँ की मिट्टी नदियों द्वारा लायी गयी मिट्टी के कारण उपजाऊ है। मुख्यतः तीन प्रकार की मिट्टी पायी जाती है–

1. नदियों के समीपवर्ती क्षेत्रों में बलुई मिट्टी।
2. उससे कुछ ऊपर की ओर बलुई मिट्टी।
3. नदियों से अधिक दूर दोमट मिट्टी पाई जाती है।

4. ऊसर जो उपजाऊ नहीं होती है। चित्र संख्या–द से स्पष्ट है।

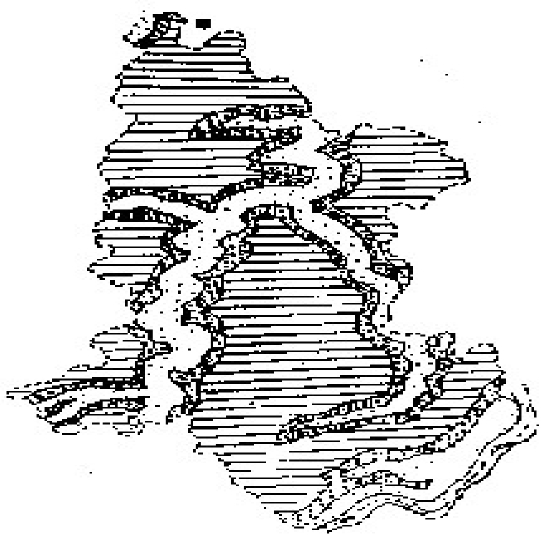

चित्र संख्या–04

कृषि व उपज–

जनपद में तीन प्रकार की फसलें पाई जाती है। खरीफ, रबी, जायद।

खरीफ

जून, जुलाई से लेकर अक्टूबर नवम्बर तक इस फसल की बुआई, निकाई तथा कटाई होती है। इसमें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूँग, उड़द, अरहर, भदई, सांवा, मकरा, तिल, पंटुआ, सनई आदि की खेती होती है। इसके अतिरिक्त भिण्डी, तरोई, कद्दू, लौकी, करेला, घुइयाँ, बैगन और टमाटर आदि सब्जियाँ भी पैदा की जाती है।

रबी

इस फसल की बुआई अक्टूबर, नवम्बर से प्रारम्भ होती है तथा कटाई मार्च, अप्रैल तक हो जाती है इसमें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसो, अलसी, बरे तथा मूली, गाजर, आलू, गोभी, शलजम, प्याज, लहसुन, मिर्चा, धनियाँ आदि सब्जियाँ भी पैदा की जाती है।

जायद

यह फसल फरवरी मार्च से प्रारम्भ होकर मई जून तक तैयार हो जाती है। इस फसल में सावाँ, मूँग, उड़द आदि अनाज तथा भिण्डी, कोहडा (कद्दू), लौकी, खरबूजा, तरबूज आदि पैदा किये जाते हैं।

सिंचाई के साधन–

वर्षा, नहर, नलकूप, कुऑ, तालाब, लिफ्ट सिंचाई योजना।

आँवला

प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद एक मात्र भारतवर्ष में ऐसा जनपद है जिसमें आँवला की खेती होती है। 1 से 30 एकड़ में आँवले का पेड़ कतार में लगाया जाता है। आँवले का पेड़ मिट्टिया बलुई मिट्टी में पैदा होता है तथा अगस्त से फरवरी तक महीने में फसल तैयार होती है। आँवला अधिकांशतः भारत के महानगरों एवं विदेशों में निर्यात होता है। आँवला से आर्युवेदिक दवायें, मुरब्बा, च्यवनप्राश, बर्फी, लडडू, कैण्डी, आचार, पेयपदार्थ, जैम आदि बनाया जाता है। हमारे जनपद में आँवला का मुख्य उत्पादन स्थल ग्राम गोड़े, जगेसरगंज के सीमावर्ती आदि ग्रामों में किया जाता है। छोटे–छोटे किसानों का लाखों का व्यापार होता है।

2.6.5 शिक्षा

यह जनपद शिक्षा का बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। क्रमशः जूनियर, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट तथा उच्च शिक्षा के लिए स्नातक (ग्रेजुएट) और स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट) तथा आगे उच्च शिक्षा पी0एच–डी0 के अध्ययन की व्यवस्था भी है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन सरकारी–

1.	प्राथमिक विद्यालय	1494
2.	सीनियर बेसिक विद्यालय	379

जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीन सरकारी–

1.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	150
2.	डिग्री कॉलेज	17
3.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	03
5.	पॉलीटेक्निक संस्थान	07

1. प्राविधिक शिक्षा

जिसके अन्तर्गत आई0टी0आई0 पॉलीटेक्निक आदि आते हैं। हमारे जनपद में आई0टी0आई0 कटरा रोड पर तथा पॉलीटेक्निक ग्राम–सोनावाँ चिलबिला में स्थापित है। जहाँ पर प्राविधिक शिक्षा अर्थात् काष्ठकला मटेल इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

2. जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान

प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद में यह संस्थान अतरसण्ड में स्थापित हैं जहाँ पर बी0टी0सी0 के अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है। जो आगे चलकर प्रशिक्षित होने पर किसी न किसी प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के रूप में सेवा करते हैं।

3. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

यह योजना विश्व बैंक द्वारा पोषित है हम योजना के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को 2000 पुताई के लिए 5000रूपया विद्यालय के साज सज्जा तथा बालकों के बैठने के लिये चटाई का प्रयोग होता है। अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों तथा बालिकाओं के लिए निःशुल्क पुस्तक दी जाती है।

4. सर्वशिक्षा अभियान

इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी ब्लाकों के बच्चों के लिए कक्ष 1 से 8 तक की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जायेगी। सरकार की ओर से पुस्तकें तथा लेखन सामग्री निःशुल्क मिलेगी।

5. टीचार्स, लर्निंग मैटीरियल

विश्व बैंक द्वारा संचालित इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय को पठन–पाठन सामग्री के लिए 500 रूपये में उपलब्ध होता है। प्रतापगढ़ शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनेकों माण्टेसरी नर्सरी विद्यालय खुल गये हैं और हर वर्ष तेजी से खुलते जा रहे हैं। जिसमें माण्टेसरी अथवा नर्सरी व शिशु मन्दिर शिक्षा के पाठ्यक्रम में काफी परिवर्तन किया गया है।

6. बाल विकास परियोजना (आँगनबाड़ी शिक्षा)

कुण्डा, बिहार, कालाकांकर, बाबागंज, लक्ष्मणपुर, रामपुरखास, सांगीपुर, आसपुर देवसरा, मंगरौरा एवं मानधाता विकास खण्डों में परियोजना चलाई जा रही है जिसमें बच्चों को लेखन सामग्री तथा पोषाहार निःशुल्क दिया जाता है।

7. कम्पयूटर द्वारा प्राविधिक शिक्षा का प्रशिक्षण

जनपद में कई स्थानों पर एन0आई0आई0टी0, अपटेक में कम्प्यूटर द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कम्प्यूटर ज्ञान प्राप्त करने पर बच्चों को नेटवर्क तथा ई–मेल से अपना संदेश कुछ क्षणों में दुनिया के किसी कोने में भेज सकते हैं।

2.6.7 जनसंख्यात्मक स्थिति

प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद में जनसंख्या और क्षेत्रफल निम्नलिखित है–

1.	प्रतापगढ़ जनपद का कुल क्षेत्रफल	–	3717 वर्गकिमी0(1,440 वर्ग मील)
2.	प्रतापगढ़ जनपद की कुल घनत्व	–	3173752850 किमी0
3.	प्रतापगढ़ जनपद की जनसंख्या पुरूष	–	18,60,810
4.	प्रतापगढ़ जनपद की जनसंख्या महिला	–	18,57,301
5.	प्रतापगढ़ जनपद की कुल जनसंख्या	–	37,18,111

तीन दशक से पहले आज जिले की जनसंख्या लगभग दूनी हो गयी है, जनपद की जनसंख्या निरन्तर तीव्र गति से गीतशील हो गयी है। परन्तु जनपद का क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं हुआ। सीमित क्षेत्रफल में जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ती है उतनी ही धीमी गति से विकास हो रहा है। जबकि जनपद का क्षेत्रफल यथावत रहता है अर्थात् सरकार विकास के नाम पर सड़क, भवन, नाली, बिजली आदि की व्यवस्था करती है परन्तु जनसंया बढ़ जाने से सारी योजना धरी की धरी रह जाती है। क्योंकि जितनी गति से जनसंख्या बढ़ती है उतनी नयी समस्यायें बढ़ती है तथा विकास की गति को प्रभावित करती है। जनसंख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ने से आज भारत की जनसंख्या एक अरब सौ करोड़ से अधिक हो गयी है। विकास की दर धीमी होने से आज गरीब निर्धन दलित गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं और उनकी जनसंख्या बढ़ोत्तरी हो रही है। जिसका परिणामस्वरूप भारत विश्व का जनसंख्या में प्रथम स्थान अपना बना लिया है।

तालिका 2.1 : प्रतापगढ़ जनपद की आबादी धर्म के अनुसार विवरण

धर्म	2011 जनसंख्या	प्रतिशत	2023 की अनुमानित जनसंख्या	पुरूष	महिला
हिन्दू	27,31,351	85.11	31,64,543	13,69,589	13,61,762
मुस्लिम	4,52,394	14.10	5,24,144	2,23,739	2,28,655
ईसाई	3,920	0.12	4,542	1,900	2,020
सिक्ख	1,431	0.05	1,681	722	729
बौद्ध	7,795	0.24	9,031	3,865	3,930
जैन	746	0.02	864	400	346
अघोषित	11,441	0.36	13,256	5,850	5,591
अन्य	43	0.00	50	20	23
कुल	32,09,141	100	37,18,111	1606085	1603056

तालिका 2.2 प्रतापगढ़ जनपद कुल जनसंख्या–1986 से 2011

वर्ष वार	पुरूष	स्त्री	कुल
1986	56.38	29.76	43.57
1992	64.13	39.29	52.21
1999	79.26	53.67	64.84
2011	09.09	64.06	73.00

2.7 महिलाओं की शिक्षा व अधिकार

जनपद प्रतापगढ़ में पहले महिलायें अधिकतर अशिक्षित थी मकान की चहर दीवारी तक सीमित थी। गृहस्थी को चलाना तथा सन्तान पैदा करना ही जानती थी। महिलायें बहुत दबी कुचली थी और उन पर तरह–तरह का अत्याचार होता था। परन्तु धीरे– धीरे समय बदला महिलाओं में जागृति आई और सरकार ने भी पूरा सहयोग किया महिलाओं को जब पुरूषों के बराबर का दर्जा मिला तथा महिलाओं को समाज ने बड़ा मान–सम्मान दिया। वर्तमान समय में महिलायें आई0ए0एस, पी0सी0एस0, डाक्टर, इन्जीरियर तथा प्रोफेसर की पद पर शिक्षा के बल पर है।

2.7.1 मध्य काल

इतिहास कभी नहीं भूल पायेगा 16वीं–18वीं शताब्दी तक स्त्रियों की स्थितियाँ अत्यधिक दयनीय रहीं।

स्त्री जब चेतनाहीन हो जाती थीं। उनकी स्थित भी इतनी गिर जाने के कारण कन्या हत्या का प्रचलन प्रारम्भ हो गया। बाल–विवाह प्रचलित था, विधवा विवाह अमान्य था। पति के मृत्योपरान्त पत्नी को आग में जलकर मरना पड़ता था जिसे सती प्रथा व विधवाओं को एक सामान्य स्त्री की भांति जीवन यापन नहीं कर सकती थी। पर्दा–प्रथा का प्रचलन था। स्त्रियाँ प्रायः घरों में रहती थीं उन्हें घर के बाहर नहीं जाना था। बहुपत्नी विवाह की प्रथा भी समाज में प्रचलित थी।

स्त्रियाँ शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थी क्योंकि पुरूषो के साथ–साथ पढ़ने–लिखने का उन्हें अवसर नहीं मिल पाता था। वे धार्मिक ग्रन्थों के पठन– पाठन से दूर होती गयी और इस प्रकार उनका आध्यात्मिक विकास कुण्ठित हो गया। स्त्री शिक्षा को निरर्थक बताया गया। लोगों में यह धारणा बलवती होती गयी कि स्त्री शिक्षा स्त्रियों को अनुचित प्रेरित करती हैं। आर्थिक क्रिया–कलापों में भी स्त्रियाँ सम्मिलित नहीं हो सकती थीं। नारियों को दासी समझा जाता था तथा हर प्रकार की सेवा करना उनका धर्म बतलाया जाता था। मनु ने लिखा है कि स्त्रियों का परतन्त्र रखना चाहिए। पुरूषों के कर्तव्य है कि वे स्त्रियों को निरन्तर अपने वश में रखे। कुमारी अवस्था में स्त्री की रक्षा पिता करता है, युवावस्था में पति के नियंत्रण में नारी को रहना पड़ता था।

2.7.2 ब्रिटिश काल

ब्रिटिश काल के अन्तिम वर्षों से स्वतन्त्रता से पूर्व तक माना गया है। उक्त काल में भारतीय समाज सुधार के अनेक प्रयत्न किये गये जैसे–विधवा, बाल विवाह एवं शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की ओर से नारियों की स्थित में सुधार हेतु व्यावहारिक कोशिश नहीं किये गये। अपने स्वार्थ में स्त्रियों का शोषित बने रहना अंग्रेजों के लिए भी लाभप्रद था। इसका परिणाम हुआ कि शताब्दी के पूर्वाद्ध तक स्त्रियों का निर्योग्यताओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ।

(अ) सामाजिक क्षेत्र

स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने, अपने अधिकारों की माँग करने और व्यवहारिक नियमों में किसी प्रकार का भी परिवर्तन करने का अधिकार व नियम नहीं रहा। स्वतन्त्रता से पहले स्त्रियों में शिक्षा 6 प्रतिशत से भी कम थी मात्र कामचलाऊ थी। यदि कोई भी स्त्री बाल–विवाह या पर्दा–प्रथा का विरोध करती थी तो उसे कलंकित समझा जाता था।

(ब) पारिवारिक क्षेत्र

क्षेत्र में स्त्रियों को सभी अधिकार समाप्त हुये। सैद्धान्तिक तौर से स्त्री परिवार के सभी कार्यों की संचालिका थी लेकिन व्यवहार में यह सभी अधिकार परिवार के 'पुरूषकर्त्ता' को स्वीकार हो जाता है। स्त्री का विवाह बहुत छोटी उम्र होने के कारण जीवन आरम्भ में ही परम्परागत रूढवादी हो गया। वैदिक काल की 'साम्राज्ञी' अब सास की सेविका बन रह गयीं। परिवार में स्त्री का कार्य बच्चों को जन्म देना तथा पति से सम्बन्धित सभी सम्बन्धियों की सेवा करना था।

(स) आर्थिक क्षेत्र

इस क्षेत्र में स्त्रियों की निर्योग्यताएं थी। स्त्रियों के द्वारा कोई आर्थिक क्रिया करना अनैतिक कार्य समझा जाने लगा। इन आर्थिक निर्योग्यताओं का प्रभाव था कि स्त्री को पुरूषों की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। आत्महत्या इस निर्भरता का एक मात्र समाधान रह गया।

(द) राजनीतिक क्षेत्र

इस क्षेत्र में तो स्त्रियों को जब घर के अन्दर स्त्रियों पर मनमाना शोषण करने वाला पुरूष घर के बाहर अंग्रेजों का गुलाम था तो स्त्रियों द्वारा राजनीति में प्रतिभाग करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यद्यपि 1919 के उपरान्त स्त्रियों को मताधिकार देने का

प्रयत्न किये गये लेकिन इसमें कोई व्यावहारिक सफलता नहीं मिल सकी। आजादी के लड़ाई में सन् 1919 के पश्चात् राजनीति में भाग अवश्य लिया लेकिन कुलीन परिवार इसका सदैव विरोध करते रहे।

2.7.3 महिलाओं की दयनीय स्थितियाँ

उपरोक्त यद्यपि स्थिति अत्यधिक उच्च थी लेकिन ईसा पूर्व से उनके अधिकार कम होना आरम्भ हो गया। समाज में निम्नलिखित कारण थे–

(1) अशिक्षा

कुछ विद्वान वैदिक काल के कारण स्त्रियों का पतन का कारण मानते हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि स्त्रियाँ शिक्षित होती तो वे न तो पक्षपातपूर्ण धार्मिक विधानों को स्वीकार करती, व अधिकारों से वंचित होती थी। जीवन अपने परिवार तक ही सीमित हो गया। उनकी एकमात्र शिक्षा पिता और पति द्वारा मिलने वाले स्वार्थपूर्ण धार्मिक ने कुछ शिक्षा ग्रहण किया था वे इसका उपयोग तथा कथित धर्मशास्त्रों को पढ़ने में करने लगी क्योंकि उस समय नारियों द्वारा सतियों और पतिव्रत को धर्म समझने लगीं।

(2) कन्यादान का आदर्श

भारतीय समाज में आदर्श का प्रचलन वैदिक काल से ही रहा है। सामाजिक व्यवस्थाओं का रूप अत्यधिक परिष्कृत होने से आदर्श समाज का दुरूपयोग नहीं किया गया। वास्तव में लड़कियों के लिये योग्य वर खोजने से सम्बन्धित था क्योंकि 'दान सुपात्र को ही दिया जा सकता था।

युवतियाँ पूर्ण स्वतन्त्रता थी। स्मृतिकाल के बाद कन्यादान की विवेचना इस प्रकार की जाने लगी जैसे कन्या एक वस्तु मानी जाने लगी कि तो वापस लिया एवं न ही पुनः दान में दिया जा सकता है। दान प्राप्त करने वाला व्यक्ति इसका किसी भी प्रकार अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है।

इसका अन्तिम निर्णय यह हुआ कि प्रत्येक पुरूष सुपात्र बन गया, युवतियाँ दान की एक निर्जीव वस्तु बन गयी। इस प्रकार कन्यादान कन्या के कानून को समाप्त होता गया।

(3) पुरूषों पर निर्भरता

उत्तर वैदिक के पश्चात् से स्त्रियों के सम्पत्ति, अधिकार समाप्त हो गये। पुरूषों पर निर्भर हो गयीं। ऐसी स्थिति में छोड़ सकती थीं।

अशिक्षा से आर्थिक क्रिया करना भी उनके लिए आसान नहीं रह गयी। इसका परिणाम हुआ कि नारी पर पुरूषों का एकाधिकार निरन्तर बढ़ता गया। इस आर्थिक कारण का महत्त्व समाज में स्थित कभी हानि नहीं हुयी क्योंकि वे आर्थिक दया पर इतना अधिक निर्भर नहीं रही है। आर्थिक निर्भरता ही व्यक्ति को सरवस लेने के लिए बाध्य कर देती है।

(4) संयुक्त परिवार व्यवस्था

परिवार का ढाँचा इस प्रकार का है कि स्त्रियों के स्वतन्त्रता व सम्पत्ति का अधिकार देकर सुरक्षित रखा जा सकता। यह विश्वास दिलाया कि क्रोधी, पापी और दुराचारी होने पर भी उसकी देवता के रूप में पूजा करना स्त्री पर परम्धर्म था।

शासकों को सम्भवतः डर था कि नारी में चेतना का विकास होने से परिवार में उनका अधिकारों से वंचित करके उनका मनमाना शोषण किया जा रहा स्थिति को गिराने में अत्यधिक सक्रिय रहे हैं।

(5) बाल विवाह

स्त्रियाँ न तो शिक्षा समाज की मौलिक सांस्कृतिक को समझकर अपने अधिकारों की माँग भी नहीं सकती थी। उन्हें पति को उचित–अनुचित आज्ञा का पालन करने की सीख मिलने के कारण यही उनका परिवेश बन गया। बहुत से लोग बाल विवाह का समर्थन इसलिए करते हैं कि जिससे नव–विवाहित युवतियाँ है।

(6) वैवाहिक कुरीतियाँ

वैवाहिक कुप्रथाओं जैसे–अन्तर्विवाह, सम्तुल्य विवाह, विधवा विवाह पर नियन्त्रण, दहेज प्रथा आदि सुधार करने में काफी सहयोग किया है।

समाज व परिवार में प्रमुख समस्या थी कि किसी प्रकार उनकी पुत्रियों का विवाह हो जाय सुयोग्य पति मिल जाये वरन् परिस्थिति वश वर–पक्ष स्त्री को एक लाभप्रद वस्तु के रूप में देखने लगें एकमात्र लाभ एवं अनेकों उपहारों को प्राप्त करना था। कन्या पक्ष के लिए यह आवश्यक किया गया कि वह वर पक्ष को कुछ धन और वस्तुएँ भेंट करें। इस प्रकार प्रत्येक माता–पिता के लिए कन्या का जीवन एक आर्थिक भार बन गया और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति गिरती गयी।

(7) मुस्लिम आक्रमण

मुसलमानों के आक्रमण के बाद नारी की स्थित अत्यधिक दयनीय हो गयी। पहले भी नारियों को जीता जा चुका था फिर भी उनकी स्थिति इतनी विषम नहीं थी।

मुसलमानों में हिन्दू स्त्रियों एवं यहाँ तक कि विधवाओं से भी विवाह समाजिक नियमों को अधिक नहीं स्वतन्त्र छोड़ा गया।

इस परिस्थिति से बाल–विवाह, पर्दा–प्रथा को लगा। विधवाओं को ज्ञान प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता था, रक्त की पवित्रता को बनाये रखने का प्रयास कर रहे हैं जो निरन्तर बंधे रहे।

2.7.4 स्वतन्त्रता के उपरान्त की स्थिति

आजाद होने के बाद क्रान्तिकारी परिवर्तन हुये हैं। यद्यपि विगत एक शताब्दी महत्त्वपूर्ण प्रयत्न होते रहे हैं स्वतन्त्रता के बाद उनकी सामाजिक, राजनैतिक स्थित में पश्चिमीकरण लौकिकीकरण और जातिशीलता को इन परिवर्तनों मुख्य कारण माना है।

परिवारों में अलगाव होने से वनिता के अपने विचारों पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि हुयी और सामाजिक नियमों में एक ऐसे समाज का परिवेश का निर्माण हुआ जिसमें बाल–विवाह, दहेज प्रथा और विजातिय विवाह की समस्याओं से मुक्त होना सरल है संयुक्त प्रभाव जो परिवर्तन हुये हैं निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा जा सकता है–

(1) शिक्षा की प्रगति

उक्त क्षेत्र में स्त्रियाँ इतनी तीव्र बढ़ रही हैं कि वर्षों पूर्व इस पर विचार नहीं की जा सकती थीं। आजादी से पहले युवतियों के लिए शिक्षा सम्बन्धी समुचित सुविधाएँ नहीं थी तथा माता–पिता, शिक्षा को उचित नहीं मानते थे। स्वतन्त्रता के पश्चात् शिक्षा में व्यापक प्रगति हुयी। इस तथ्य को इस भारत में 1882 कीं ऐसी केवल 2,054 स्त्रियाँ थी जो कि लिख–पढ़ सकती थीं, जनगणना 1981 के समय तक शिक्षित नारी की संख्या बढ़कर 7 करोड़ 961 लाख हो गयी। 1883 में जहाँ महिला ने बी0ए0 पास किया वहीं आज 7.5 लाख से भी स्नातक और स्नातकोत्तर की कक्षाओं में पढ़ रही है। स्त्री शिक्षा पर श्री पणिक्कर ने कहा है–स्त्री ने विद्रोह हिन्दू समाज जीवन की जंगली झाड़ियों को साफ करना सरल हो गया है।

(2) आर्थिक जीवन में बढ़ती हुयी स्वतन्त्रता

स्वतन्त्रता के पश्चात् शिक्षा, औद्योगीकरण और नवीन विचाराधारा से अवगत होता है कि महिलायें परिवार को सुव्यवस्थित एवं आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिये जीविकोपार्जन करती थीं, स्त्रियों द्वारा कोई आर्थिक क्रिया कर आर्थिक क्षेत्र की ओर

बढ़ना शुरू कर दिया। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में इनकी संख्या बढ़ रही है।

(3) पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि

परिवार की स्थिति में आज महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुये। वर्तमान समय में स्त्री दासी नहीं बल्कि पति के सहयोग करने की स्थिति में तत्पर रहती है नारी याची न होकर बल्कि प्रबन्धक है। शिक्षित स्त्री का बलिदान करती है बल्कि एक स्वतन्त्र एकांकी की इच्छा का महत्त्व निरन्तर बढ़ रही है।आज की नयी अधिकारों से अलग रखा भी गया आने वाले समय में वे अपनी शक्ति से स्वयं ही प्राप्त कर लेंगी।

(4) राजनीति में वृद्धि

राजनीति सुरक्षित होने पर केवल 10 स्त्रियों जबकि आज केवल राज्यसभा, लोकसभा में इनकी संख्या लगभग 67 तक पहुँच चुकी है। 1984 में स्वर्गीय इन्दिरा गाँधी ने साहसपूर्ण निर्णय लेकर विदेशी चुनौतियों का सामना किया उससे सभ्य समाजो की स्त्रियाँ जैसे हतप्रभ रह गयीं। पणिक्कर का कथन है कि–जब स्वतन्त्रता ने पहले अंगड़ाई ली तथा राजनीतिक जीवन में स्त्रियों को पद प्राप्त हुआ उसे देखकर बाहरी दुनियाँ चौंक गयी क्योंकि हिन्दू वनिता को पिछड़ी हुयी, अशिक्षित और प्रतिक्रियावादी सामाजिक व्यवस्था में जकड़ी हुयी समझने की अभ्यस्त थी तथा श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल एवं निवर्तमान राष्ट्रपति द्रोपदी मूर्मू तथा लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, रानी लक्ष्मीबाई, अवन्ती बाई आदि स्त्रियों ने भारत के उच्च पद का शुसोभित किया।

(5) सामाजिक जागरूकता

स्वतन्त्रता प्राप्ति से जीवन बिल्कुल अलग था। जिन परिवारों में वर्षों पहले तक स्त्रियों के लिए पर्दा प्रथा थी। उनके परिवारों में सांस ले रही है। जो रूढ़िवादियों व्यवस्था को नहीं मान रही है। पणिक्कर के अनुसार– ''कुछ उल्लेखनीय सफलता प्राप्त है भारत के लिए उतने महत्त्व की बात नहीं हैं कि बात की कट्टरपंथी और पिछड़े समाज उन्हें रूढ़ियों और वाक्य प्रमाण की विचाराधारा के द्वारा जकड़ रखा था।

वर्तमान समय में स्त्रियों द्वारा हिन्दू जीवन में सिद्धान्तों का पुनरीक्षण हिन्दू समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। समाज की बदलती हुयी जरूरतों के प्रति उनकी जागरूकता, धन की आड़ में उन्हें अधिकारों से वंचित हिन्दू जीवन के आदर्शों का पुनर्विवेचन करने की प्रेरणा दी है।

2.7.5 इस्लाम पंथ में नारियों की स्थिति

हिन्दू समाज व्यवस्था की समान मुस्लिम सामाजिक व्यवस्था में भी नारी की स्थित में काफी परिवर्तन होता रहा है। सिद्धान्तों और व्यवहारों के बीच मुस्लिम व्यवस्था में भी गहरी खाई है। मुसलमानों में स्त्रियों की स्थिति का वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए हमें यह देखना आवश्यक है कि अरबी व्यवस्था में मुस्लिम स्त्रियों का क्या स्थान रहा है।

2.7.5.1 अरबी व्यवस्था में मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति

अरब इस्लाम धर्म का केन्द्र स्थान है। प्राचीन अरबी औरतों के अधिकार सर्वोच्च थे। स्त्रियाँ कभी भी पुरूषो से अपनी इच्छानुसार विवाह कर सकती थीं और जब चाहे उससे सम्बन्ध विच्छेद कर सकती थीं। विवाह–सम्बन्ध अपेक्षाकृत अस्थायी थे और इनका एकमात्र उद्देश्य यौन सन्तुष्टि करना था। स्त्री की सन्तानें साधारणतया मातृ पक्ष के सम्बन्धियों द्वारा ही पलती थीं।

इसके पश्चात् धीरे–धीरे स्त्रियों के अधिकारों में ह्रास होने लगा। स्त्रियों की स्वतन्त्रता समाप्त हो गयी, आक्रमणों के समय स्त्रियों को लूटकर उनहें बेंचा जाने लगा, बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह का प्रचलन हो गया। स्त्रियों ने विवाह–विच्छेद के अधिकार छीन लिये गये और परिवार पूरी तरह से पितृ प्रधान हो गया। इस प्रकार लगभग 1500 वर्ष पहले मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति पुरूष के पूर्णतया अधीन हो गयी।

मुस्लिम स्त्रियों के अधिकार

मोहम्मद साहब के प्रयत्नों से मुस्लिम स्त्रियों को समाज में जो स्थिति प्राप्त हुयी उसे निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है–

(1) विधवा पुनर्विवाह की अनुमति

मुसलमानों में कोई भी विधवा स्त्री पुर्निर्विवाह कर सकती है। ऐसे विवाह को इस्लाम विरूद्ध नहीं समझा जाता। ऐसी स्त्रियों के लिए मृत्यु के बाद केवल इद्त की अवधि (तीन माह) तक ही पुनर्विवाह न करने का आदेश है।

(2) तलाक का अधिकार

प्रत्येक मुस्लिम स्त्री को कुछ विशेष परिस्थितियों में अपने पति को तलाक का अधिकार दिया गया है। इसके लिए स्त्री को न्यायालय की कठिनाइयों से बचाने के लिए सामाजिक रूप से तलाक के अधिकार व्यवस्था की गयी है। मुस्लिम स्त्रियाँ अपने पति को दोषी पाने पर महर की राशि छोड़कर पति के एक गवाह के सामने तलाक की

घोषणा कर सकती है। यद्यपि व्यवहार में पति की इच्छा के बिना ऐसा करना सम्भव नही होता।

(3) बाल विवाह का अभाव

मुस्लिम समाज होने के कारण भी स्त्रियों की सामाजिक स्थिति अपेक्षाकृत काफी अच्छी बनी रही। इस्लाम धर्मानुसार 15 वर्ष से कम की लड़की के विवाह को मान्यता नही दी जाती। यदि इससे कम आयु में विवाह कर दिया जाय तो मुस्लिम स्त्रियों को अधिकार है कि बालिक होने पर वह ऐसे विवाह को रद्द घोषित करवा लें।

(4) विवाह से पूर्व स्वीकृति

मुस्लिम स्त्री की स्थिति इस दृष्टिकोण से भी अच्छी है कि विवाह सम्बन्ध स्त्री की स्वतन्त्र सहमति के बिना नहीं हो सकता है। इस अधिकार के कारण स्त्री को किसी व्यक्ति के साथ विवाह करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

(5) सम्पत्ति अधिकार

प्रत्येक मुसलमान स्त्री को अपने पिता और पति को सम्पत्ति में पुत्री के रूप में मिलता है। पत्नी को हिस्सा मिलने से पहले महर की राशि अलग कर दी जाती है। क्योंकि इसकी एक भाग अधिकारी वही होती है। शेष सम्पत्ति मृतक के लड़के और लड़कियों में बराबर में बाँट दी जाती है।

2.7.5.2 मुस्लिम स्त्रियों की समस्याएँ

सैद्धान्तिक रूप से मुस्लिम स्त्रियों को काफी अधिकार मिले हुए हैं लेकिन इन्हीं के आधार पर उनकी वास्तविक सामाजिक स्थिति को नहीं समझा जा सकता। सिद्धान्त और व्यवहार में भिन्नता की समस्या मुसलमानों में भी है जिसके कारण मुस्लिम स्त्रियों को आज अनेक गम्भीर कठिनाई उत्पन्न् हो रही है। यही समस्यायें सामाजिक स्थिति को ऊँचा उठाने में बाधक हो रही है—

(1) बहुपत्नी विवाह की प्रथा

मुसलमानों में प्रत्येक पुरूष को धार्मिक और कानूनी रूप से एक साथ चार पत्नियाँ रखने का अधिकार है। स्वाभाविक है कि इस प्रथा के कारण स्त्रियों को परिवार में अपने वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं हो पाते। यह भी बहुत कठिन अपनी सभी पत्नियों से समानता का व्यवहार कर सके इसके फलस्वरूप स्त्रियों को पुरूष पर पूर्णतया निर्भर

हरना पड़ता है। उन्हें अक्सर अपने बच्चों को उचित अधिकार दिलवाने के लिए भी कठिन संघर्ष करना पड़ता है।

(2) पुरूषों के तलाक अधिकार

मुस्लिम स्त्रियों के सामने एक प्रमुख वे परिवार में अपने अधिकारों की स्वतन्त्रतापूर्वक माँगे भी नहीं कर सकती। तलाक के मामले में पुरूषों के अपेक्षाकृत व्यापक अधिकार।

(3) पर्दा–प्रथा

मुस्लिम स्त्रियों को सम्पूर्ण जीवन पर्दे में रहना आवश्यक है। पर्दा– प्रथा का रूप इतना जटिल है कि एक 80 वर्ष की वृद्धा को भी सड़क पर और यात्रा में पर्दे में ही रहने का आदेश है जिस समाज में पर्दा–प्रथा जीवन का इतना अभिन्न अंक हो, वहाँ स्त्रियाँ शिक्षा राजनीति और आर्थिक क्रियाओं में किस प्रकार भाग ले सकती है।

(4) धार्मिक कट्टरता

मुस्लिम कानून की स्थित को ऊँचा उठाने में एक बड़ी बाधा है। इसका कारण इस्लाम धर्म की कट्टरता और मुल्ला मौलवियों द्वारा इसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का विरोध करते रहना है। भारत में आज भी मुस्लिम कानूनों का आधार उनके धार्मिक आदेश है और कानूनों में किसी तरह के भी प्रगतिशील परिवर्तन का इस्लाम के नाम पर विरोध किया जाता है। धार्मिक आदेश हिन्दू जीवन में भी अनेक प्रगतिशील सुधारों का विरोध करते हैं लेकिन हिन्दुओं ने धर्म का पुर्नपरीक्षण करके अनेक ऐसे कानून बनाये हैं जो धर्म के विपरीत हुये नारियों की स्थिति को ऊँचा उठाने में सहायक सिद्ध हैं।

2.8 रमणियों में सुधार

मध्य युग में औरतों की दयनीय दशा हो गयी थी उसके विरूद्ध अनेक समाज–सुधारकों ने कार्य किया। उन्नीसवीं सदी में जो सुधार आन्दोलन शुरू हुआ था आज भी वह कार्यशील है। राजाराम मोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, महादेव गोविन्द रानाडे, दयानन्द सरस्वती तथा बाद में ऐनी बेसेन्ट ने स्त्रियों की दशा सुधारने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

इन मनीषियों के प्रयत्नें के कारण ही सती–प्रथा, बाल–विवाह, विधवा –विवाह, पर्दा–प्रथा, शिशु–हत्या आदि कुरीतियों का अन्त किन्हीं अंशों में सम्भव हो सका है। इस आन्दोलन की प्रेरणा भक्ति आन्दोलन ने दी जिसमें सन्तों ने देवताओं के साथ– साथ देवियों की भी आराधना प्रारम्भ की।

बंगाल में राजाराम मोहनराय ने सती–प्रथा के विरूद्ध जोरदार आवाज उठायी, यही कारण था कि उस समय अंग्रेजी सरकार ने एक कानून बनाकर सती–प्रथा का अवैध करार किया। ब्रह्मसमाज की स्थापना करके इन्होंने कुलीमबाद तथा बाल–विवाह के विरूद्ध सराहनीय कार्य किया।

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का प्रयत्न भी कम उल्लेखनीय नहीं है। इन्हीं के प्रयत्नों के कारण विधवा पुनर्विवाह के लिए अधिनियम पारित हो सका। स्त्री शिक्षा की व्यवस्था हो इसके लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे। इन्होंने अपने अभियान में निम्नलिखित कार्यक्रमों को सम्मिलित किया–

1. स्त्रियों को शिक्षा देना।
2. लड़कियों का विवाह 11 वर्ष की अवस्था के बाद करना।
3. विधवा पुनर्विवाह की मान्यता।
4. दहेज पर प्रतिबन्ध।

विद्यासागर ने 1853 में विधवा पुनर्विवाह नामक एक पुस्तक की रचना की। 1856 में सरकार ने विधवा पुनर्विवाह नामक अधिनियम पारित भी कर दिया। 1855–1858 के मध्य में स्वयं चालीस से अधिक कन्या विद्यालयों की स्थापना की, जिसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी।

महादेव गोविन्द रानाडे ने भी स्त्रियों की दशा में सुधारने में योगदान दिया। इन्होंने इसके लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की।

महाराष्ट्र में डी0के0 कर्बे ने भी स्त्री शिक्षा को बढ़ाने के लिए अभियान प्रारम्भ किया। 1893 में विधवा पुनर्विवाह समिति की स्थापना की। 1896 में हिन्दू विधवा गृह समिति की स्थापना की, जिनके प्रयत्नों के कारण विधवाओं के रहने के लिए आश्रम बनाये गये। 1907 में इन्होंने एक महिला विद्यालय की भी स्थापना की।

महात्मा गाँधी स्त्रियों और पुरूषों के समान सामाजिक प्रस्थिति में विश्वास करते थे। स्त्रियों के पिछड़ेपन दूर करने के लिए वे भी निरन्तर कार्य करते रहे। स्त्री शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए क्योंकि यदि माता शिक्षित रहे तभी परिवार के बच्चे विकास कर सकेंगे। गाँधी जी का मत था। बाल विवाह के विरोध में ये सदैव प्रयत्न करते रहे।

श्रीमती ऐनी बेसेन्ट ने भी भारतीय स्त्रियों की दशा दयनीय बताकर उनके सुधार के लिए सतत् प्रयत्न किया। स्त्री शिक्षा को भी आवश्यक बताकर उन्होंने बाल–विवाह का विरोध किया तथा विधवाओं के फिर से विवाह करने पर बल दिया।

इन्हीं समाज सुधारकों की प्रेरणा तथा आधुनिक सेवियों के प्रयत्नों के कारण अनेक संस्थाएँ कार्य कर रही हैं जिससे कि स्त्रियों की दशा में सुधार हो रहा है। कुछ प्रमुख संस्थाएँ निम्नलिखित है–

1. महिला राष्ट्रीय समिति।
2. अखिल भारतीय नारी सम्मेलन।
3. ईसाई युवती महिला संघ।
4. कस्तूरबा गाँधी राष्ट्रीय स्मारक समिति।

विश्व में स्त्रियों की कुल संख्या कुल जनसंख्या की लगभग आधी है। विश्व में स्त्रियों की जो संख्या है उसका आधा केवल एशिया में निवास करता है। एशिया अफ्रीका और लैटिन अमरीका में भी स्त्रियों की स्थिति पुरूषों और जानवरों के बीच की है। इन भू–भागों के रहन–सहन को देखने पर विदित होता है कि समाज में विशेषाधिकारों की रचना क्या केवल पुरूषों के लिए विकसित देशों में भी जहाँ स्त्रियों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कुछ पहलुओं में उनकी स्थिति आज भी चिन्ताजनक है। स्त्री दशा में बहुमुखी सुधार हो लोगों के दृष्टिकोण बदले जाये। केवल वैधानिक अथवा सामाजिक मान्यताओं से कुछ नहीं होता। स्त्री स्थित में सुधार हेतु अधिकांश सामाजिक विधान प्रत्येक समाज में पारित किये गये फिर भी वांछित सफलता इसलिए नहीं मिल पायी क्योंकि लोगों का दृष्टिकोण स्त्रियों के प्रति पूर्ववत् बना हुआ है। भारतवर्ष परम्परागत देश में स्त्रियों की दशा में सुधार के लिए तेजी से परिवर्तन हेतु कृत संकल्प है। राष्ट्रीय नीति यहाँ की ऐसी है जिससे वांछित सफलता आवश्यम्भावी है।

अध्याय–3

समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के रूप में कामकाजी महिलाओं की प्रस्थिति एवं योगदान

3.1 समाजशीस्त्रीय परिप्रेक्ष्य से तात्पर्य

किसी भी विषय या अनुशासन के अध्ययन में दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य उसके अध्ययन में किये जाने वाले अध्ययन का एक विशेष सन्दर्भ होता है। जैसे यदि किसी घटना का अध्ययन करना हो तो उसकी स्थिति, अस्तित्व आदि के सन्दर्भ में अनेक आयाम हो सकते हैं और अध्ययनकर्ता इन आयामों में से जिस पर विशेष ध्यान देता है वही उसका परिप्रेक्ष्य कहलाता है।

इस प्रकार समाजशास्त्र मानव और समाज का उसकी क्रियाओं– प्रक्रियाओं और समाज में घटित होने वाली समस्त घटनाओं के सामाजिक पक्ष का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। इसे ही समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य (Sociological Perspective) कहते है।

यह विदित है कि सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत अनेक विषय आते हैं, जैसे अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास आदि। इन सभी विज्ञानों में जो अध्ययन अलग–अलग सामाजिक विज्ञान में अलग – अलग दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य में विवेचना करते हैं, विभिन्न विज्ञानों द्वारा अथवा विभिन्न विषयों की विषयवस्तु समान होने पर भी इन विषयों में भी परिप्रेक्ष्य की भिन्नता और अध्ययन की सीमाएँ अलग–अलग होती है। किसी घटना का अध्ययन अलग–अलग परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में, इतिहास उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में और समाजशास्त्र किसी भी सामाजिक घटना या विषय–वस्तु का अध्ययन समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में करता है। इसी प्रकार अन्य विषय बिन्दुओं का भी अध्ययन किसी भी विषय–वस्तु के सामाजिक दृष्टिकोण से किया जाता है या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किया जाता है। उसे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहा जाता है।

3.2 प्रतापगढ़ का योगदान

महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति के सन्दर्भ में ही विश्वव्यापी स्तर पर अवधारणा उत्पन्न हुई। वैसे इस अवधारण का प्रयोग बहुत से सामाजिक समहों के

विकास के लिए किया गया है, परन्तु महिलाओं की प्रस्थिति के सन्दर्भ में इस अवधारणा का विशेष महत्त्व रहा है। समाज शास्त्रियों ने सशक्तिकरण को वह शक्ति कहा है, जो इन समूहों की अधीनता के विरूद्ध संघर्ष करने की प्रस्थिति को प्रोत्साहन देती है। सशक्तिकरण की अवधारणा अभाव के साथ जूड़ी हुई, आर्थिक अभाव वर्तमान समाज की गम्भीर समस्या है, किसी भी आर्थिक अभाव के निवारण का तरीका व्यक्ति को उन अभावों से मुक्ति दिलाना है, जो उसकी समस्या हो। समता और सम्पन्नता आज का विशेष सामाजिक लक्ष्य है, इसके लिए आवश्यक है कि समाज के पुरूषों के साथ–साथ महिलाओं का सशक्तिकरण। सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो एक निर्वल सामाजिक इकाई को उनकी सम्पूर्ण क्षमता का ज्ञान करती है। सशक्तिकरण एक विश्वव्यापी प्रश्न है जो सामाजिक न्याय, क्षमता, समानता एवं समग्र सामाजिक विकास पर आधारित अवधारणा है। सशक्तिकरण का तात्पर्य अधिकार लेने या देने से नहीं है वरन् कानून व नीति निर्माण की प्रक्रिया की क्रियान्विति में सहभागिता निर्णय लेने व नियंत्रण करने की शक्ति का परिवर्तनशील कार्यों की ओर अग्रसर होना एवं जागरूकता व सामर्थ्य निर्माण की एक प्रक्रिया है।

मानव समाज का इतिहास महिलाओं की सत्ता, प्रभुत्ता एवं शक्ति से दूर रखने का इतिहास रहा है और इसलिए प्रत्येक देश, काल, जाति, धर्म व नारियों को पुरूषों के समकक्ष न आने देने की संरचनात्मक सांस्कृतिक आध्यताएं बनाई गई।

आदिम समाजों की जीवनशैली इस बात का प्रमाण है कि प्रागेतिहासिक काल में स्त्री–पुरूष समानता विद्यमान थी। संगठित समाज की रचना उत्पादन के साधनों में बदलाव, परिवार, संस्था, अभ्युदय एवं स्वामित्व, सम्पत्ति के उदय के साथ सामाजिक संरचनाओं में आए परिवर्तनों ने स्त्री– पुरूष असमानता, भेदभाव एवं स्त्री की अधीनता तथा सशक्तिकरण की प्रक्रिया सूत्रपात किया। यह प्रक्रिया आश्चर्यजनक रूप से विश्व की सभी सभ्यताओं एवं कालखण्डों में कमोवेश पनपती रही। अधीनीकरण कि इस प्रक्रिया में सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक नैतिक मूल्यों, मानकों, अर्थतन्त्र, राजनैतिक संस्थानों समेत अनेक कारकों का योगदान रहा। विभिन्न सदियों में भौतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, राजनैतिक क्रांतियाँ हुई, किन्तु स्त्री प्रस्थिति के सन्दर्भों में सतही परिवर्तन ही हुये। इतना अवश्य रहा कि उक्त क्रांतियों के फलस्वरूप स्त्री अधीनता एवं भेदभाव के खिलाफ स्त्रियों में तथा कुछ पुरूषों में चेतना का प्रारम्भ हुआ।

वस्तुतः नारी सशक्तिकरण बहुआयमी है, किन्तु मूलरूप से महिलाओं के बुनियादी मानव अधिकारों का प्रश्न है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, वैयक्तिक, सामूहिक वैश्विक क्षेत्रों में सभी स्तरों पर वर्तमान में कुछ वर्षों में अनेक मंचों से यह प्रश्न इसलिए उठा है कि विगत लगभग छः दशकों ने देश में लोकतन्त्र की आधी आबादी को जो दर्जा मिलना चाहिए था उससे वंचित है। इसके क्या कारण है निदान या सुधार निहितार्थ हैं ऐसे अनेक प्रश्न हमारे सामने खड़े हैं।

सशक्तिकरण एक बहुआयमी अवधारणा है जो व्यक्ति का व्यक्तियों के समूह को इस योग्य बनाने का प्रयास करता है तथा कार्यों की पूर्ण अस्मिता एवं व्यक्तियों को प्राप्त कर सके। यदि किसी समाज में स्त्री पुरूष समानता के बीच विद्यमान है तो यह उस समाज के समग्र विकास के लिए कैसे यथोचित्त है।

व्यक्ति का अपने समूह या समाज में एक समय विशेष में कोई न कोई स्थान पद अवश्य होता है। कोई उच्च पद से होता है तो निम्न पद पर। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण पद तो दूसरे क्षेत्र में उसका दर्जा नीचा हो मन्त्री का पद धारण करने वाले व्यक्ति की स्थिति राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ऊँची हैं, जबकि खिलाड़ी न होने पर क्रीड़ा जगत में उसका कोई स्थान नहीं हो सकता है। एक हरिजन मेजर का स्थान सेना में ऊँचा है जबकि जाति व्यवस्था में नीचा। इस प्रकार एक व्यक्ति का समाज में अपना कोई न कोई पद या दर्जा होता है। जिसे समाजशास्त्रीय भाषा में 'प्रस्थिति' कहा जाता है और एक प्रस्थिति धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति से जिस प्रकार के कार्यों की समाज सामान्यतः अपेक्षा करता है तथा उसके अनुरूप वह जो कुछ करता है उसे उसकी 'भूमिका' कहते है।

प्रत्येक समाज की संरचना एवं संगठन का निर्माण विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा धारण की गयी सामाजिक प्रस्थितियों एवं भूमिकाओं के व्यवस्थित संयोग से होता है। इसलिए ही वीरस्टीड लिखते हैं कि ''समाज सामाजिक प्रस्थितियों का जाल है।'' प्रत्येक सामाजिक प्रस्थिति एवं भूमि का सम्बन्ध सामाजिक आदर्शों मूल्यों एवं मानदण्डों से होता है। एक प्रस्थिति के धारण करने वाला व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उस प्रस्थिति से सम्बन्धित मानदण्डों द्वारा अपेक्षित और मान्य होता है। एक पिता, पति, खिलाड़ी, राजनेता, प्रधानाध्यापक, डाक्टर, इन्जीनियर, दुकानदार, छात्र आदि किस प्रकार से समाज में अपनी भूमिका अदा करेंगे यह सामाजिक नियमों द्वारा तय होता निर्वाह की स्थिति को हम प्रस्थिति एवं भूमिका का सन्तुलन कहते हैं।

3.3 महिलाओं की प्रस्थिति का दृष्टि

यह बिडंबना ही है कि निवर्तमान समाज में महिलाओं को शक्ति का प्रतीत दुर्गा, धन का प्रतीक लक्ष्मी तथा ज्ञान का प्रतीक सरस्वती मानी गई है अर्थात् ज्ञान, वैभव और शक्ति का स्रोत स्त्रियों को माना गया है तब भी दशा निम्न है और उन्हें अनेक संरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है। नारी की जिस कोख ने सम्पूर्ण सृष्टि का सृजन किया। उसी कोख को क्यों बलात्कार, यौन उत्पीड़न और वेश्यावृत्ति का कुप्रभाव झेलना पड़ता है। जो नारी विभिन्न प्रस्थिति में भी पुरूष को ममता, स्नेह, समर्पण और वात्सल्यता का सुख देती है उसे पुरूषों के हाथों अपमानित होना पड़ता है। भारतीय समाज में नारी एक जीवित विसंगति है, एक जीवित विडम्बना है, जीवित व्यथा है जिसकी दशा में सुधार के प्रयास अभी भी वास्तविक नहीं बन पाए है।

संयुक्त राष्ट्र की पोषण, साक्षरता व लिंगानुपात तीनों में ही अत्यन्त शोचनीय स्थिति है। वैश्वीकरण के इस युग में भी कन्या जन्म अधिकांश घरों में हर्षोल्लास नहीं जगाता अपितु चिन्ता का विषय बन जाता है। वर्तमान में बच्चियों व महिलाओं के साथ घट रही दुर्घटनाएं भी इसका उत्तरदायी कारण है। इसी के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 व उसमें भी 0–6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 927 से घटकर 2011 की जनगणना में मात्र 919 का ही रह गया। इसी प्रकार 70.04 प्रतिशत राष्ट्रीय साक्षरता में पुरूषों की 82.14 प्रतिशत के मुकाबले में महिला साक्षरता मात्र 65. 40 प्रतिशत है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधें का ग्राफ अत्यधिक चिन्ताजनक है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो अनुसार 2020 में 1719 हत्या, 6234 अपहरण, 5310 बलात्कार, 479 दहेज, मृत्यु 13765, महिला उत्पीड़न (498–ए) व 8661 छेड़छाड़ के मामले दर्ज हैं। ये मामले तो वह है जो सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। वास्तविकता कितनी भयावह होगी, इसका अंदाजा हम सहज ही लगा सकते हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जो इस रक्त रंजित घटनाओं से अछूता रहा है। गैंगरेप व मर्डर जैसी घटनाएं रोंगटे खड़े कर देती है।

घरेलू हिंसा के तौर पर देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति बदतर है 2005 में सरकार को घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम पारित करवाना पड़ा इसी तरह कामकाजी महिलाओं के साथ कार्य स्थल पर पुरूष सहकर्मियों द्वारा किया जाने वाला बर्ताव उत्पीड़न हेतु 2013 में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम पारित करना इस बात का साक्ष्य है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित है। महिलाओं का घटना अनुपात भी एक चिन्ता का विषय है। यदि समाज में लैंगिक असंतुलन अधिक हो गया तो इस बात

का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकात कि समाज की तस्वीर कितनी भयावह हो सकती है? इसी अनुसार ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं'' पर भी जोर दिया गया। लेकिन यह विचारणीय प्रश्न है कि क्या केवल कानून बना देना ही महिलाओं की सुरक्षा या समाज की मुख्यधारा में शामिल करने हेतु पर्याप्त है।

इलिएट एवं मैरिल के अनुसार

'प्रस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है[1]।''

आगर्बन तथा निलकॉफ के अनुसार

''प्रस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है[2]।''

लेपियर के अनुसार

'सामाजिक प्रस्थिति सामान्यतः है जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त किये होता है[3]।''

किक्वॉल यंग के अनुसार

'प्रत्येक समाज तथा समूह के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्यों को सम्पन्न करना होता है। जिसके साथ शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा जुड़ी होती है। शक्ति तथा प्रतिष्ठा की जिस मात्रा का हम प्रयोग करते हैं वह उसकी प्रस्थिति है[4]।''

लिण्टन के अनुसार

''सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो हम उस व्यक्ति की सामाजिक प्रस्थिति कहते हैं[5]।

बीरस्टीड के अनुसार

'सामान्य एक प्रस्थिति समाज अथवा एक समूह में एक पद है[6]।

---

[1]Social Disorganization, P. No.-9

[2] Hardbook of Sociology,P.No.-208

[3] theory of Social Control P. No.-208

[4] Hardbook of Sociology, P. No.-88

[5] The ultral Background or Personality, P. No.-264

3.3.1 भूमिका का अर्थ

भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया गया है।

समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एकपक्षीय नहीं होती है, प्रत्येक भूमिका का महत्त्व अन्य प्रस्थितियों एवं भूमिकाओं के सन्दर्भ में ही होता है समाज शिक्षित करने लगी हैं। सामाजिक परिवर्तन क्योंकि जैसा कि हाबहाउस ने अपनी पुस्तक ''मारल्स इन इवोल्यूशन'' में कहा है ''नारी की शिक्षा समाज की प्रगति का सूचक है।''

मार्क्स ने कहा था कि ''नारी सामाजिक स्थित से नापा जा सकता है।''

स्वीडन के समाजशास्त्री गुस्ताफ गीगर ने लिखा है—''किसी वर्ग में नरियों की स्थित है उससे देश के विकास को सही–सही मापा जा सकता है।''

फूनियर अनुसार नारियों की स्थिति का अध्ययन अतिआवश्यक है उसके कुछ महत्त्वपूर्ण और आपस में एक समाज में उनकी भूमिका, आर्थिक भूमिका कार्यक्षेत्र और निबिद्ध कार्यों का दायरा आदि। किसी स्त्री की आर्थिक भूमिका और कार्यकर्ता के रूप में उसकी स्थिति, इनका अध्ययन करने से इस बात पर भी रोशनी पडेगी कि समाज में उसकी क्या स्थित या दर्जा थी।

शहरों की शिक्षित कामकाजी महिला की स्थित इस ओर प्रेरित किया है कि भारत में कामकाजी स्त्रियाँ थी समाज के बहुत ही गरीब वर्गों की धनी वर्गों की। अध्ययन के काम करती हैं जबकि कुछ अमीर स्त्रियाँ अपनी बौद्धिक भूख मिटाने के लिए और आत्म सन्तोष के लिए काम करती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज ऐसी स्थिति है। पिछले लगभग तीन दशकों की संख्या में जबरदस्त बदलाव है। द्वितीय विश्वयुद्ध पूर्व किसी लड़की को समझा जाता था। भयंकर आर्थिक संकट पड़ने से समाज इसकी स्वीकृति थी कि वह अर्थोपार्जन के लिए नौकरी करें। इसी कारण स्त्रियाँ नौकरी करती थीं अधिकतर रोजगार परक नारियाँ या विधवा थी जिनको आर्थिक सहायता वाला या अपना युग की स्त्रियों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कानूनी कारण से उनके लिए सम्मानजनक है और ये नौकरियाँ या धन्धे या पेशे थे। पुरूषों के समकक्ष ये नौकरियाँ में 1947 में देश का बंटवारा के बाद ही स्त्रियाँ बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलीं।

इस प्रकार मध्य तथा उच्चवर्ग की स्त्रियों द्वारा दफ्तरों में विभिन्न हैसियतों से बाबू नौकरी करने जाना देश में स्वतन्त्रोत्तर काल की घटना की स्त्रियाँ–क्वारियाँ

और विवाहिता दोनों ऐसी विभिन्न वैतनिक और नौकरियों और धन्धों में बढ़ती हुयी तादाद में दाखिल होती जा रही हैं जो जगीरदारी माना जाती थी।

भारत सरकार पुस्तक ''विमेन इन एप्लॉयमेण्ट' 1964 किया गया है। ''युद्धोत्तर जो नौकरियाँ जैसे दुकानो, व्यापारिक, प्रतिष्ठानो, बैंकों व कम्पनियों की कार्य करके अपना जीविकोपार्जन चला रही है।''

श्रम आयोग की बाते कहीं गयी हैं—''शिक्षा के प्रसार ने शहरी क्षेत्र में स्त्रियों के रोजगारों जैसे—क्लर्क, प्रशासक, वकील, डाक्टर आदि है।''

नौकरी चाहने पर जिस प्रकार तेजी से वृद्धि हुयी है उसको रोजगार दफ्तरों में दर्ज की गयी रोजगार के लिए पाने वाली स्त्रियों की बढ़ती व्यावसायिक विभाजन का वगीकृत ऑकड़ा प्राप्त हुआ है। उनके अनुसार दिल्ली के कुल रोजगार स्त्रियों में से अधिकांश स्त्रियाँ विभिन्न व्यावसायिक कार्यों में लगी हुयी थी। 1966 से 1969 के बीच की अवधि में सभी क्षेत्र में रोजगार कार्यालय में इस अवधि में अधिकतर काम चलाने वाली स्त्रियाँ व्यावसायिक और तकनीक में कहीं अधिक बढ़ी थी।

इस प्रकार देखते हैं कि आज स्थिति में काफी महत्त्वपूर्ण बदलाव हो गया है। अब कहीं 1966 में नौकरी सचमुच लगे हुये लोगों में स्त्रियाँ 2 से 3 प्रतिशत मात्र अवस्थाओं से होकर गुजरा है। पहली अवस्था में विवाह का अधिकार है।

उपर्युक्त परिस्थिति की पुष्टि 1964 में किये गये नमूनों के अध्ययनों से भी होती है। जिसके अनुसार मुम्बई में शादीशुदा शिक्षित नारियाँ लगी हुयी थी या काम की तलाश में नहीं के बारे में पता चला कारण काम नहीं करतीं जबकि 60 प्रतिशत इसलिए इसलिए नहीं कर रहीं थी अपने परिवार की आय को पर्याप्त मानतीं थी।

कोलम्बिया विश्वविद्यालय में स्त्री शक्ति के विषय पर हुये एक सम्मलेन में विवाहित स्त्रियों के जीवन में फेल्डमान ने कहा था, ''ऐसी स्त्रियों का अर्विभाव एक अपेक्षाकृत नयी घटना से भी कुछ अधिक ही सामाजिक और आर्थिक दृष्टियों में जरूरत है। दिनों दिन महत्त्व ग्रहण करती हुयी इस वैज्ञानिक ढंग से अधिकाधिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक अध्ययन किये जायें। पता लगाया जाना चाहिए कि व्यवहार में एक विवाहिता स्त्री के काम करने के क्या—क्या परिणाम होते हैं और किस प्रकार मर्दों के बीच उनके साथ भेद—भाव बरता जाय और समाज विशेषकर पुरूष वर्ग उन्हें किस प्रकार स्वीकार करता है।

इस अध्ययन में केवल शहर की शिक्षित कामकाजी स्त्रियों के एक वर्ग का कार्यालय के अन्दर काम करने वाली स्त्रियों का ही अध्ययन किया गया है। इसमें वे सभी शिक्षित स्त्रियाँ आ जाती है जो निजी और सरकारी क्षेत्रों में विभिन्न हैसियतों से काम कर रही हैं। जिनमें क्लर्क से लेकर संयुक्त सचिव और सचिव तक के पद है और जिनमें रिसेप्शनिष्ट भी शामिल है तथा प्राइवेट फर्मो और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में विभिन्न प्रबन्ध सम्बन्धी और सुपरवाइजरी पद पर कार्य करने वाली स्त्रियाँ भी आ जाती।

कर्मचारियों के बारे में बड़े पैमाने पर किये गये अध्ययनों और सर्वेक्षणों की मदद् भी यहाँ ली गयी है। जिनके लिए आँकड़े पत्रकारिता की शैली में एकत्र किये गये थे और जो विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं, अखबारों और विशेष रूप से स्त्रियों की पत्रिकाओं जैसे–'फेमिना' और 'ईब्स वीकली' में छपे थे।

अपने काम के प्रति मनोवृत्ति बदल गयी है। इस लेखक के अध्ययनों और अरोड़ा भट्टाचार्य, अन्य लोगों द्वारा किये गये अध्ययनों में यह बात पायी गयी है उनमें से एक तिहाई करना चाहती थी उनके माता–पिता बैंग्लौर की स्नातिकाओं और स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त स्त्रियाँ के गोल्डस्टीन ने जो अध्ययन किया। उनमें यह पसन्दगी विवाहित स्त्रियों को जितनी कि कवॉरी स्त्रियों में वोसेरज लिखा है कि ''भारत में जैसा कि अधिकांश विकासशील देशों में भी है''

पत्नी को घर उनकी शान और इज्जत के साथ–साथ किसी मध्यम वर्गीय परिवार पर गुजारा कर पाना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। पुरूष के ऊपर बताई करने योग्य है। इस लेखिका के अध्ययनों तथा कपाड़िया, देसाई, हरि, रोस, सेनगुप्त, रानाडे बहू का काम ठीक समझते हैं। वे चाहते हैं कि वे परिवार के आय में सहयोग करके उनकी मदद् करें। उदाहरण के लिए इस लेखिका ने अपने अध्ययन 'Marriage & the working women in India' में यह पाया कि नमूने के तौर पर जिनका अध्ययन किया, 86 प्रतिशत चाहते हैं कि उनकी पत्नियाँ काम उनके पति उन्हें कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और जौहरी के स्त्रियों में से करना पसन्द था। अरोड़ा भट्टाचार्य और अन्य लोगों के अध्ययन में उत्तर देने वालियों में से 40 प्रतिशत स्त्रियों ने कहा कि उनके कोई पेशा या धन्धा अपनाये और 44 प्रतिशत ने कहा कि उनके माता–पिताओं ने उन्हें नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित किया।

लेकिन उक्त अध्ययनों में नमूने तौर पर चुनी गयी शिक्षित स्त्रियों में से अधिकांश के माता–पिता और पति चाहते थे कि वे नौकरी करें तो उसका कारण यह था कि उनसे आर्थिक सहायता चाहते थे या उसकी इच्छा करते थे।

प्रतापगढ़ में किये गये सर्वेक्षण में यह पाया गया अधिकांश मामलों में यह भी पाया गया कि अभिभावकों और पतियों से 94 प्रतिशत और लगभग 90 प्रतिशत माता–पिता और सास–ससुर औरतों के पक्ष में थे कुछ मामलों में तो यह भी पाया गया कि स्त्री के काम करने के पक्ष में इसलिए भी थे कि वे ऐसे थे कि इससे परिवार की इज्जत रहे हैं। लेकिन इनको ध्यान में न रखा जाये तो भी अध्ययन से यह बात सिद्ध होती देखी है कि मध्य वर्ग के परिवारों में नौकरी करने के कोई विरोध की भावना नहीं है।

इस प्रकार देखते है कि शिक्षित कामकाजी स्त्रियों को दफ्तरों में है। बल्कि अब अधिक संख्या हैं। अब लोग अपने पत्नियों को क्लर्क व अन्य हैसियतों में काम करने को बुरा नहीं, जैसा कि पहले के माता–पिता और विवाहित स्त्रियाँ बढ़ती हुयी संख्या में सरकार और निजी क्षेत्रों में स्त्रियाँ क्लर्कों, स्टोनोग्राफरों, निजी सहायको, सेक्रेटरियों और मैनेजरों में कार्य कर रही है।

रोजगार कार्यालय में ताजा रजिस्टरों का यदि जाँच करें तो यह बात जानकारी हो जाती है कि रिसेप्सनिस्ट, क्लर्क, सेक्रेटरी सबसे अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि यह पाया गया कि रोजगार के कार्यालय में पिछले कुछ वर्षों में उपलब्ध कुछ नौकरियाँ ऐसी थी जिनके लिए सबसे अधिक आवेदन स्त्रियाँ ने की थी और ये भी कार्यालय नौकरियाँ 1951 के दशक में 37 प्रतिशत स्त्रियों ने क्लर्कों के कामों के लिए आवेदन दिया था। अभी भी क्लर्क के पद के लिए स्त्री उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक है।

इण्डियन फारेल सर्विस तथा इण्डियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जैसे महत्त्वपूर्ण विभागों अथवा निजी प्रतिष्ठानों के कार्यालय में जाकर देखे तो उसे जानकारी हो जायेगी कि इन कार्यालय के हर पदों पर महिलाएँ नियुक्त है। इनमें से अधिकांश पद दो दशक पूर्व केवल पुरूषों को ही प्राप्त है कि प्रत्येक वर्ष देश की असैनिक सेवाओं में आज कुछ महिलाएँ सरकारी विभाग में उप–सचिव तथा संयुक्त सचिव जैसे उच्च काम कर रही हैं। परन्तु ऐसी स्त्रियाँ गिनी–चुनी ही हैं एक ही व्यावसायिक श्रेणियों में लगे स्त्री करते हैं तो हम देखते हैं कि स्तर उच्च होता जाता ही नहीं है। विकासशील देशों में स्वीडेन में श्रम स्थिति ने अपने अस्थन में है कि निजी प्रतिष्ठानों में सफेदपोश

महिला कर्मचारियों में से अधिकांश लिपिकीय कामों में लगी थी। श्रम साध्य कार्यों में रोजगार शुदा श्रमिकों में आधी से अधिक महिलाएँ है केवल 12 प्रतिशत महिलाएँ ही उच्च प्रशासकीय पदों पर आसीन है।

3.3.2 सामाजिक प्रस्थिति के प्रकार

समाज में व्यक्ति को मिलने वाली परिस्थितियों और उनसे सम्बन्धित अधिकारों की प्रकृति समान नहीं होती बल्कि उनमें महत्त्वपूर्ण अन्तर पाया जाता है। मनुष्य केवल इसलिए बहुत सी प्रस्थितियाँ प्राप्त नहीं कर लेता कि उसने अपने आपको बहुत शक्तिशाली बना लिया है बल्कि इसलिए प्राप्त करता है क्योंकि उसे प्रकति द्वारा भी कुछ विशेष गुण प्राप्त है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति को प्राप्त होन वाली सभी प्रस्थितियों के रूप से दो भागों में बाँटा गया है–प्रदत्त व अर्जित।

3.3.2.1 प्रदत्त प्रस्थिति

व्यक्ति की किसी प्रकार के प्रयत्न नहीं करने पड़ते बल्कि सामाजिक व्यवस्था के अनुसार उसे वह प्रस्थिति अपने आप प्राप्त हो जाती है। व्यक्तित्व समुचित विकास के लिए यह भी आवश्यक है, कि व्यक्ति को समाज द्वारा कुछ ऐसी प्रस्थितियाँ प्रदान की जाये जिससे वह समाज में स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके।

प्रदत्त प्रस्थिति के आधार

1. लिंग भेद
2. आयु भेद
3. नातेदारी
4. अन्य आधार
    - (1) प्रजातीय भिन्नता
    - (2) जातिगत सदस्यता
    - (3) जन्म की वैधता
    - (4) जैविकीय विश्वास
    - (5) परिवार की परम्परायें
    - (6) माता–पिता के वैवाहिक स्थिति आदि।

3.3.2.2 अर्जित सामाजिक प्रस्थिति

अर्जित प्रस्थिति की कुल प्रस्थिति का वह भाग है जिसे वह अपने प्रयत्नों और योग्यता से समाज में प्राप्त करता है। प्रत्येक समाज में सभी सदस्यों को मिलने वाली सफलता अथवा असफलता समान नहीं होती। कुछ व्यक्तियों को समाज में कोई भी प्रदत्त स्थिति न मिलने पर भी वे आश्चर्यजनक रूप से सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति समाज द्वारा प्रदत्त प्रस्थितियों की प्रतिष्ठा को बनाये रखने तक में असफल रह जाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति की प्रस्थिति मुख्य रूप से उनकी योग्यता पर प्रयत्नों पर निर्भर रहती है, साधारण रूप से समाज में दयालु, योग्य, बुद्धिमान तथा मौलिक विचार रखने वाले व्यक्तियों को सभी व्यक्ति अधिक महत्त्व देते हैं। प्रत्येक समाज में सदैव ही कुछ व्यक्ति इतने सामयिक, साहसी, कार्यक्षम और महत्त्वाकांक्षी होते हैं कि समाज के द्वारा कोई भी सुविधाएँ न मिलने पर भी वे नेता, उद्योगपति, कलाकार अथवा लेखक जैसी महत्त्वपूर्ण प्रस्थितियों को अर्जित कर लेते हैं। प्रत्येक युग में कुछ ऐसे व्यकित होते हैं जो इतिहास का निर्माण करते हैं तथा सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था मिल सके। उदाहरण के लिए है कि एक व्यक्ति को निम्न जाति अथवा प्रजाति का सदस्य लेने के नाते समाज द्वारा कोई उच्च प्रस्थिति प्रदान न की जाये लेकिन वहीं व्यक्ति अपने प्रयत्नों और योग्यता से देश का महान नेता भी बन सकता है। इतना अवश्य है कि प्रदत्त प्रस्थिति के अभाव में व्यक्ति की एक उच्च प्रस्थिति अर्जित करने के लिये उन व्यक्तियों से अधिक प्रयत्न करना पड़ता है जिन्हें समाज ने पहले से ही ऊँची प्रस्थिति दे रखी हो।

अर्जित प्रस्थिति के आधार

1. आर्थिक दशाएँ
2. सामाजिक परिवर्तन
3. सम्पत्ति का संचय
4. व्यक्तिगत योग्यता
5. सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था

3.3.2.3 प्रदत्त तथा अर्जित प्रस्थिति में विशेष/विशिष्ट

प्रदत्त और अर्जित पद के इस सम्पूर्ण इन दोनों प्रस्थितियों का समान महत्त्व है लेकिन इनकी प्रकृति और सामाजिक जीवन में इनका योगदान भिन्न–भिन्न

होता है। निम्नांकित विवेचना में प्रदत्त और अर्जित प्रस्थिति के कुछ प्रमुख भेदों को स्पष्ट करने इस धारणा को अधिक किया जा सकता है।

1. प्रदत्त प्रस्थिति व्यक्ति को समाज द्वारा प्रदान की जाती है। जिसके लिए व्यक्ति को स्वयं किसी प्रकार के प्रयत्न नहीं करने पड़ते। इसके विपरीत अर्जित प्रस्थिति वह है जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता और कुशलता के द्वारा स्वयं प्राप्त करता है।

2. प्रदत्त प्रस्थिति के निर्धारण में व्यक्ति की आनुवंशिकता माता–पिता की स्थिति, लिंग, आयु और नातेदारी सम्बन्धी का विशेष ध्यान रखा जाता है जबकि व्यक्ति द्वारा अर्जित प्रस्थिति उसके माता– पिता और वश की स्थिति से बिल्कुल भिन्न हो सकती है।

3. प्रदत्त प्रस्थिति अपेक्षाकृत स्थिर होती है जिसमें सामान्य तथा कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्जित परिवर्तनशील होती है और व्यक्ति के जीवन काल में ही इसमें अनेक बार परिवर्तन हो सकता है।

4. प्रदत्त प्रस्थिति प्रमुख रूप से समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों के अनुसार निर्धारित होती है। इस दृष्टिकोण से इसमें गतिशीलता बहुत कम होती है। अर्जित स्थिति का प्रमुख सम्बन्ध समाज की आर्थिक व्यवस्था से वर्तमान युग में आर्थिक अवसरों में वृद्धि होने के कारण ही अर्जित प्रस्थिति का महत्त्व बढ़ता जा रहा है।

5. प्रदत्त प्रस्थिति का समाज में अधिक महत्त्व होने पर एक बन्द समाज का निर्माण होता है जबकि अर्जित प्रस्थिति को तुलनात्मक रूप से अधिक प्रधानता मिलने से एक मुक्त सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता है।

6. प्रदत्त प्रस्थिति सामूहिकता को बढ़वा देती हैं, क्योंकि इसके कारण व्यक्ति अपने स्वार्थ को अधिक महत्त्व न देकर सम्पूर्ण समूह के निर्णयों के अनुसार व्यवहार करना आवश्यक समझता है। इसके विपरीत सामाजिक व्यवस्था में अर्जित प्रस्थिति का महत्त्व अधिक होने से व्यक्तिवादिता तथा प्रतियोगिता को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि यह प्रस्थिति व्यक्तिगत प्रयत्नों और व्यक्तिगत कुशलता को अधिक महत्त्व देती है।

3.3.3 कामकाजी महिलाओं की सामाजिक विशेषताएँ एवं प्रमुख योगदान

कामकाजी महिलाओं की समााजिक योगदान की विशेषताओं से उपर्युक्त धारणाओं की निम्नांकित विशेषताओं के द्वारा अधिक है :–

1. भूमिका का तात्पर्य उन अनेक व्यवहारों की सम्पूर्णता से है।

2. हम दूसरे व्यक्तियों से जिस भूमिका की आशा करते है वह हमारी अपनी इच्छा पर नहीं होती बल्कि इसका निर्धारण एक विशेष संस्कृति के नियमों द्वारा होता है। तात्पर्य यह है कि भूमिका की स्वीकृति समूह के द्वारा दी जाती है।

3. प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष आशा दो कारणों से की जाती है, एक ही इसलिए कि अनुसार व्यवहार करें और दूसरे इसलिए कि समाज में संगठन बना रहे।

4. लेकिन अर्जित भूमिका से कुछ भिन्न मालूम होता है।

5. एक व्यक्ति की भूमिका प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न–भिन्न होती है जैसे– परिवार, क्लब, विद्यालय, धार्मिक संघ और आर्थिक संगठनों में व्यक्ति से भिन्न–भिन्न प्रकार से भूमिका की आशा की जा सकती है। प्रत्येक भूमिका व्यक्ति के एक विशेष प्रकार के व्यवहार की मांग करने के कारण है कि समाज में एक व्यक्ति भिन्न–भिन्न व्यक्तियों से भिन्न–भिन्न प्रकार का व्यवहार करता है।

6. सामाजिक भूमिका स्थिर नहीं होती। इसमें समय के अनुसार परिवर्तन होता। व्यक्ति असमाज और संस्कृति से जैसे–जैसे अधिक अनूकूलन करता जाता है उसके द्वारा की जाने वाली भूमिका में भी परिपक्वता आती जाती है।

7. व्यक्ति से यद्यपि कि वह अपनी सभी निर्वाह करेगा।

8. तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण से सभी भूमिकाओं को ही किया जा सकता है।

(1) प्रमुख भूमिकाएँ

(2) सामान्य भूमिकाएँ

प्रमुख भूमिकाएँ वह होती है जिनका सम्बन्ध मूल्यों और व्यक्ति है इसके पश्चात् भी व्यक्तित्व का निर्माण अन्य बहुत सी छोटी–बड़ी भूमिकाओं से होता है इन्हीं को सामान्य भूमिकाएँ कहा जाता है।

शिक्षित घरों की स्त्रियाँ में लाभप्रद नौकरियाँ करने लगी हैं। सामाजिक परिवर्तन आ रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हाबहाऊस ने अपनी पुस्तक ''मारल्स इन इवोल्यूशन'' के शब्दों में ''स्त्रियों की असंदिग्ध सूचक है।''

स्वीडन के समाजशास्त्री गुस्ताफ गीगर ने लिखा है–किसी स्त्रियों की जो स्थिति है उससे उस समाज के विकास को सही–सही नापा जा सकता है।

फूनियर अनुसार महिलाओं की स्थिति का अध्ययन अति आवश्यक है, स्त्रियों की स्थिति के कुछ महत्त्वपूर्ण अध्ययन इस प्रकार है– उनके आदर्श, परिवार में उनकी

भूमिका, समाज में उनकी भूमिका, आर्थिक भूमिका कार्यक्षेत्र और निबिद्ध कार्यों का दायरा आदि। किसी स्त्री की आर्थिक भूमिका और कार्यकर्ता के रूप में उसकी स्थिति, इनका अध्ययन करने से इस बात पर समाज में उसकी क्या स्थिति है।

शहरों की शिक्षित कामकाजी महिलाओं का अध्ययन करना जरूरी है। क्योंकि उन्हीं के द्वारा बदलती हुयी भारतीय स्त्री समाज की नस जानी जा सकती है।

बारबरा कामकाजी स्त्रियाँ थी तो समाज में बहुत ही गरीब फिर बहुत धनी वर्ग, उनके अध्ययन के अनुसार जो बहुत गरीब है ऐसी स्त्रियाँ आर्थिक जबकि कुछ अमीर स्त्रियाँ अपनी बौद्धिक भूख मिटने के लिए और आत्म सन्तोष के लिए काम करती है। लेकिन मुझे लगता है कि आज ऐसी स्थिति नहीं है। विगत तीन दशकों में ही सीमित किसी लड़की के लिए खास–तौर पर किसी विवाहित समझा जाता था। केवल अत्यधिक आर्थिक आवश्यकता या भयंकर आर्थिक संकट देता था कि वह अर्थोपार्जन के लिए कार्य करें। इसी कारण स्त्रियाँ नौकरी करती थीं। मध्य वर्ग की अधिकतर नौकरी पेशा या तो विधवा थी जिनको आर्थिक सहायता वाला या सहायता आर्थिक और राजनीतिक कानूनी कारण से नौकरियाँ करनी शुरू की तब भी अपेक्षा की जाती थी कि वे ऐसी ही नौकरी करें जिन्हें समाज में उनके लिए सम्मानजनक था और ये नौकरियाँ या धन्धे या पेश थे शिक्षिका और डाक्टर के उनमें से अधिकांश स्त्रियाँ अपनाती रही है। पुरूषों के साथ बैठकर कार्यालयों में काम करना खास–तौर काम करना और नौकरियाँ बाद 1947 में देश की संख्या में कार्यालय में काम करने के लिए घरों से बाहर निकलीं।

इस प्रकार देखते हैं कि मध्य वर्ग की स्त्रियों द्वारा कार्यालय में विभिन्न हैसियतों से क्लर्क और स्त्रियाँ–क्वारियाँ और विवाहिता दोनो ऐसी विभिन्न वैतनिक और लाभप्रद नौकरियों और धन्धों में बढ़ती हुयी संख्या में नियुक्त होती जा रही है। जो पहले मुख्यतः पुरूषों की अधिकार माना जाता था।

भारत सरकार ने लेब ब्यूरो द्वारा प्रकाशित पुस्तक ''विमेन इन एप्लॉयमेन्ट'' 1964 में भी उपर्युक्त समय का चर्चा किया गया है। ''युद्धोत्तर काल में सफेदपोशों के उपयुक्त नौकरियाँ जैसे दुकानों, व्यापारिक, प्रतिष्ठानों, बैंकों व बीमा कम्पनियों की नौकरियाँ करके अपना जीविकोपार्जन कर रही हैं।''

राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा ऐसी ही बातें कहीं गयी है–''शिक्षा के प्रसार ने, स्त्रियों के लिए रोजगारों जैसे–क्लर्क, प्रशासक, वकील, डाक्टर आदि के सरकारी नौकरी में हुआ है।''

उसका आंकड़ा रोजगार कार्यालय में पंजीकृत की गयी नौकरियों के लिए आवेदन बढ़ती व्यावसायिक विभाजन का जो वर्गीकृत ऑकड़ा प्राप्त बीच की अवधि में दिल्ली क्षेत्र में रोजगार कार्यालय में है कि इस अवधि में अधिकतर काम चाहने वाली स्त्रियाँ व्यावसायिक और इन काम चलाने वाली स्त्रियों में ऐसी स्त्रियों की संख्या कहीं अधिक बढ़ी थी जिन्होंने बी0ए0 तक शिक्षा थी।

इस प्रकार देखते है कि आज स्थिति में काफी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो गये है। अब कहीं अधिक बड़ी संख्या में शिक्षित रोजगार कार्यालय में सफेदपोश नौकरियों के लिए पंजीकृत कुल आवेदक थी। जबकि इन नौकरियों सचमुच लगे हुये लोगों में स्त्रियाँ 2 से 3 प्रतिशत मात्र अवस्थाओं से होकर गुजरा है। पहली अवस्था में शिक्षित स्त्रियों को नौकरी और विवाह इनमें से एक का चुनाव करना पड़ता है और हारे, देसाई द्वारा किये गये अध्ययन में कि जो स्त्रियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने और नौकरी करने का फैसला करती थीं उनमें से अधिकांश को विवाह तथा इण्डियन फारेन सर्विस की महिला के दौरान व्यवसाय या विवाह में से एक को चुनना पड़ता था अब लगभग सभी नौकरियों में स्त्रियों को प्रवेश व शादी की अनुमति है, सुख भोगने का अधिकार है।

ऊपर जो स्थिति बतायी गयी है उसकी पुष्टि 1964 में किये गये नमूने के अध्ययनों से भी होती है। जिसके अनुसार मुम्बई में शादीशुदा लगी हुयी थी या नौकरियों की खोज में नहीं के बारे में पता चला कि वे नहीं करतीं जबकि 60 प्रतिशत इसलिए काम नहीं कर रहीं थी, आय को पर्याप्त मानतीं थी।

कोलम्बिया विश्वविद्यालय में स्त्री शक्ति के विषय पर हुये एक सम्मेलन में वैवाहिक जीवन में कार्यों की चर्चा करते हुए फेल्डमान ने कहा था,''ऐसी स्त्रियों का अर्विभाव एक अपेक्षाकृत नयी घटना से भी कुछ अधिक ही से है कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन किये जायें। इस अध्ययनों की सहायता से यह पता लगाया जाना चाहिए कि व्यवहार में एक विवाहिता स्त्री के काम करने के क्या–क्या परिणाम होते हैं ओर किस प्रकार पुरूषों के बीच उनके साथ भेद–भाव बरता जाय और समाज विशेषकर पुरूष वर्ग उन्हें किस प्रकार स्वीकार करता है।

इस अध्ययन में केवल शहर की शिक्षित कामकाजी स्त्रियों के एक वर्ग का है। इसमें वे सभी शिक्षित स्त्रियाँ आ जाती है जो निजी और सरकारी क्षेत्रों में विभिन्न हैसियतों से काम कर रही हैं। जिनमें क्लर्क से लेकर संयुक्त सचिव और सचिव तक

के पद है और जिनमें रिसेप्शनिष्ट भी शामिल है। तथा प्राइवेट फर्मों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में विभिन्न प्रबन्ध सम्बन्धी और सुपरवाइजरी पद भी आ जाती है।

बड़े पैमाने पर किये गये अध्ययनों और सर्वेक्षणों की मदद् भी यहाँ जी गयी है। जिनके लिए आँकड़े पत्रकारिता की शैली में एकत्र किये गये थे और जो विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं, अखबारों और विशेष रूप से स्त्रियों की पत्रिकाओं जैसे–फेमिना और ईब्स वीकली' में छपे थे।

स्त्रियाँ अपने काम के प्रति मनोवृति हद तक बदल गयी है। इस लेख के अध्ययन, भट्टाचार्य तथा अन्य लोगों के द्वारा किये गये अध्ययनों में यह बात कहीं गई है कि जिन शिक्षित कामकाजी स्त्री का अध्ययन से लेकर 64 प्रतिशत स्त्रियाँ इस बात के पक्ष में थी। स्त्रियों को विवाह से पूर्व और जो अध्ययन किया वास्तव में चुनी गई स्त्रियो में 85 प्रतिशत ऐसी थीं जिसकी कोई ही थी जितनी कि क्वॉरी में वोसेरज भी लिखा है कि भारत में जैसा कि अधिकांश दूसरे विकासशील देशों में भी है घर समाज की मनोवृत्ति भेजना उनकी शान और इज्जत के खर्चों में बढ़ोत्तरों होने के साथ–साथ किसी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए गुजारा कर पाना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। पुरूष के ऊपर बताई गयी मनोवृत्ति है। इस लेखिका के अध्ययनों तथा कपाड़िया, देसाई, हरि, रॉस, सेनगुप्त, रानाडे समझते हैं वे चाहते आय में बढ़ोत्तरी करके उसकी मदद करें। उदाहरण के लिए इस लेखिका ने अपने अध्ययन 'डंततपंहम – जीम ॅवतापदह ॅवउमद पद प्दकपं' में यह पाया कि नमूने के तौर पर जिनका अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करते हैं और जौहरी के स्त्रियों में से 76ः ने बताया कि उनके पतियों को उनका काम करना पसन्द था। अरोड़ा भट्टाचार्य और अन्य लोगों के अध्ययन में उत्तर देने वालियों में से 40 प्रतिशत स्त्रियों ने कहा कि उनके माता–पिता पक्ष में थे कि वे कोई पेशा या धन्धा अपनाये और 44 प्रतिशत ने कहा कि उनके माता–पिता ने उन्हें नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित किया।

लेकिन उक्त अध्ययनों में नमूने तौर पर चुनी गयी शिक्षित स्त्रियों में से अधिकांश के माता–पिता और पति चाहते थे कि वे नौकरी करें तो उसका कारण यह था कि उनमें आर्थिक सहायता चाहते थे या उसकी इच्छा करते थे।

प्रतापगढ़ में किये गये सर्वेक्षण में यह पाया गया कि अधिकांश मामलों में कार्य करने के पक्ष में थे और यह भी पाया गया कि अभिभावक और पतियों से 94 प्रतिशत और परिवार की इज्जत लेकिन इन प्रतिक्रियाओं को अध्ययन में न रखा जाय तो भी इन दो अध्ययनों से यह बात सिद्ध होती दिखती है कि मध्य वर्गीय देखते हैं

कि शिक्षित कामकाजी स्त्रियों को जिनमें कार्यालय शामिल है। पहले समाज की अपेक्षा अधिकाधिक बल्कि अब अधिक संख्या भी दे रहे हैं जो अभूतपूर्व है। कार्यालय और दुकानों में विरूद्ध जो पुराने को बुरा नहीं मानते, जैसा कि पहले की विवाहित स्त्रियाँ बढ़ती हुयी तादाद में सरकार और निजी क्षेत्रों मैं कार्यालय स्त्रियाँ क्लर्कों, स्टोनोग्राफरों, निजी सहायकों, सेक्रेटरियों और रिसेप्पनिष्टों तथा उच्च सरकारी आधिकारी है।

रोजगार कार्यालय में ताजा रजिस्टरों का यदि जाँच हो जाती है कि रिसेप्सनिष्ट, पिछले सबसे अधिक अर्जियों स्त्रियाँ की थी और ये भी कार्यालय नौकरियों 1951 में 37 प्रतिशत स्त्रियों ने क्लर्कों के कामों की आवेदन दी थी की संख्या बहूत अधिक है।

ऐसे महत्त्वपूर्ण विभागों में देखें तो उसे मालूम हो जायेगा कि इन कार्यालयों के हर पदों पर महिलाएँ नियुक्त दो दशक पूर्व केवल पुरूषों को ही प्राप्त है कि प्रत्येक महिलायों में निरन्तर बढ़ोत्तरी होती जा रही है। यहीं नहीं जहाँ तक होता है कि आज कुछ महिलाएँ सरकारी विभाग में उच्च पद पर काम कर रही हैं। परन्तु ऐसी स्त्रियाँ गिनी–चुनी ही एक ही कर्मचारियों की तुलना में कम होती जाती है।

लेकिन यह स्थिति केवल भारत में ही नहीं स्थिति लगभग श्रम स्थिति ने अपने अस्थन में बताया है कि निजी अधिक महिलाएँ है। केवल 12 प्रतिशत महिलाएँ ही उच्च प्रशासकीय पदों पर आसीन है।

अध्याय–4

समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के आधार पर भारत में कामकाजी महिला का विश्लेषण एवं महत्त्व

भारतीय समाज में कामकाजी महिला के कोई भी आर्थिक कार्य करना सामाजिक प्रतिष्ठा से शिक्षा तथा सुविधाओं और विलासता के साधनों की माँग ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रेरित किया है। आज ये घर की चार दिवारी से बाहर निकाल कर लगभग सभी पुरूषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चल रही हैं। भारतीय समाज में विवाहित श्रमजीवी की दोहरी कार्योजन की भूमिका धूमिल पड़ेगी बल्कि श्रमजीवी महिला कामकाजी शब्द का प्रयोग के बाहर नियमित रूप से आर्थिक व व्यावसायिक गतिविधियों में व्यस्त रहती है।

यदि कामकाजी स्त्री कार्योजन की भूमिका में अत्यधिक रूचि ले तो गृहणी की भूमिका की उपेक्षा होगी। सामाजिक संरचना में पति, पत्नी के आपसी सम्बन्धों के विशिष्ट ढ़ाचे में यह स्वीकार किया गया है कि परिवार में पुरूष में सुख–समृद्धि एवं विलासिता सम्बन्धी भौतिक वस्तुओं की उपलब्धि और उपयोग उसकी हैं। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति एक और जहाँ उसके शारीरिक और बैद्धिक आजीविका को है। परिवार में महिलाओं की भूमिका माँ, पत्नी के रूप में है। आज के भौतिकवादी परिवेश में महिलाओं का हो जाता है। भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से सम्बन्धित सामाजिक कार्य करते कार्य करती है। साथ–साथ श्रम विभाजन का स्वरूप बदल रहा है। आधुनिक युग में व्यक्ति के सामाजिक, सांस्कृतिक, तथ्यों ज्ञान एवं प्रविधियों का बोध कराते हुए उसके साधना व्यक्ति की दूरदर्शिता, सामाजिक, राजनैतिक जीवन के प्रति जगरूकता तथा सहभागिता में ही महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अध्ययन से यह पता लगाने के प्रयास किया है कि कामकाजी महिलाएं और कार्य के बीच किस प्रकार के समायोजित है। पाण्डेय बहुत अधिक पढ़ता है। विशेष तौर पर मान्यता यह है देख–रेख तथा पालन–पोषण तरफ एकाकी परिवार द्वारा यह कहा जाता है कि महिलाओं द्वारा नौकरी करने सर्वागीण अध्ययन, श्रीवास्तव द्वारा किये गये अध्ययन, में कुछ पत्रिकाओं के सर्वेक्षण ग्लासगों विश्वविद्यालय में किये गये स्कार्ट के अध्ययन में तथा भारत में किये गये प्रतिला कपूर के अध्ययन, श्रीवास्तव द्वारा किये गये उनके विचार में उनकी सभी अध्ययनों में से सही निष्कर्ष निकलता है कि माताओं द्वारा नौकरी करने का उनके बच्चों के जीवन कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता और नही

व्यक्तित्व के विकास में बाधा आती है। उनके शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर पड़ता है। अग्र वर्णित सारणी में हमने यही प्रयास किया है—

1. कामकाजी महिलाओं की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना।

2. पेशेवर महिलाओं की शैक्षिक स्तर ..। पता चलेगा।

3. कामकाजी महिलाओं के कार्य की विभिन्न दशाओं की जानकारी प्राप्त करना।

4. कामकाजी महिलाओं के पतियों का सामाजिक आर्थिक स्तर की जानकारी प्राप्त करना।

5. कामकाजी महिलाओं का कार्योजन में आने के कारणों की जानकारी प्राप्त करना।

6. कामकाजी महिलाओं का परिवार में भूमिका संघर्ष का सम्यक अनुशीलन।

7. कामकाजी महिलाओं के अपने कार्यस्थल में भूमिका संघर्ष की जानकारी प्राप्त करना।

8. कामकाजी महिलाओं का घरेलू कार्यों को करने की अभिरूचि की जानकारी प्राप्त करना।

9. कामकाजी महिलाओं की दोहरी भूमिका के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं का विश्लेषण करना फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं का विश्लेषण करना।

10. कामकाजी महिलाओं के कार्योजन स्थल पर अधिकारियों द्वारा कार्य सम्पादन के प्रति प्रतिक्रिया की जानकारी प्राप्त करना।

11. कामकाजी महिलाओं के रागात्मक जीन पर कार्योजन के प्रभाव की जानकारी प्राप्त करना।

12. कामकाजी महिलाओं का स्तर और पारिवारिक समायोजन की जानकारी प्राप्त करना।

भारत में कामकाजी दूसरी नौकरी। उनके जीवन में जितना अधिक व्यवसाय सम्बन्धी उत्तरदायित्व महत्त्वपूर्ण है उससे अधिक महत्त्वपूर्ण है उनका पारिवारिक उत्तरदायित्व व्यावसायिक स्थिति को सन्तुलित रखना प्रत्येक कार्यरत महिला के सुखी जीवन का आधार है, यह सन्तुलन तभी सम्भव है, महिलाओं को व्यावसायिक समय पर पारिवारिक कार्य के लिए भी समय मिल सके। व्यवसाय की कार्य स्थितियाँ, कार्य समय तथा कार्य सुविधाएँ महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

राष्ट्र निर्माण के कार्य में नारी शक्ति का उपयोग करना किस कदर महत्त्वपूर्ण है। इसका सबूत तो यही है कि भारत जैसे विकासशील देश भी यह स्वीकार कर रहे हैं। विभिन्न आधुनिक मान्यताओं की वजह से नवयुवतियों का दृष्टिकोण बदलता जा रहा है। उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि नवयुवतियों को परम्परागत स्त्री क्षेत्र से बँधे रहना अब पसन्द नहीं है। वे अपने वैयक्तिक विकास तथा आत्म सन्तुष्टि के लिए उससे बाहर निकलकर काम करना चाहती है। स्त्रियों के योगदान का उपयोग करने के लिए शहरों में उनके लिए नौकरियों की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा उन्हें तकनीकी तथा अन्य व्यवसायों की उच्च से उच्च शिक्षा देनी चाहिए।

इस अध्ययन के उद्देश्य से असाधारण व्यवसायों में लगी स्त्रियों के तहत उन स्त्रियों की गणना की जायेगी। वकील, अभियन्ता, शिल्प, वैज्ञानिक, लेखपाल, तथा लेखा परीक्षक, सम्पादक तथा पत्रकार, जनसम्पर्क अधिकारी, विमान चालक, व्यवसाय प्रबन्धक तथा प्रशासक, व्यापारी, वास्तुकार एवं व्यवसाय करती हैं तथा अन्य दूसरे व्यवसायों में लगी है जिनमें अभी हाल तक सिर्फ पुरूष ही जानते थे।

चूँकि अभी तक असाधारण व्यवसायों में लगी स्त्रियों का कोई भी वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है इसलिए आवश्यकतानुसार उन अध्ययनों तथा सर्वेक्षणों का उदाहरण दिया जायेगा। जिनके आँकड़े पत्रकारों की तरह एकत्र किये गये थे और जिन्हें विभिन्न पत्र'–पत्रिकाओं में लेख रूप में प्रकाशित किया गया था।

अभियन्ता तथा वास्तुकार बननी है। किसी भी व्यवसाय या कार्यक्षेत्र का दरवाजा स्त्रियों के लिए बन्द नहीं है और इस अवसरों का सदुपयोग अधिक से अधिक स्त्रियाँ कर रही है। यह प्रवृत्ति सारे भारत में वर्तमान में है और इसका एहसास कोई भी व्यक्ति करता है।

अखबारों में महिला वकीलों की सफलता से सम्बन्धित जो खबरें आये दिन प्रकाशित हो रही है उससे यह संदिग्ध रूप में स्पष्ट हो जाता है कि कानून जैसे असाधारण व्यवसाय में स्त्रियाँ की कितनी अच्छी पकड़ है। पहले ये व्यवसाय तो पुरूषों के लिए सुरक्षित था। कुमारी कैरी रूस्तमसी मडूजा जो मुम्बई में विधि विभाग में उच्च पदों पर कार्य कर रही हैं, श्रीमती नीलोफर भागवत जो न्याय विभाग में है तथा वाशिंगटल में हुयी फिलिजैस्सप इण्टरनेशनल न्यूट कण्टेस्ट प्रतियोगिता में सफल होने वाली प्रथम भारतीय महिला है तथा श्रीमती रजनी महाजन जो कानून में अनुसंधान कर रही हैं तथा जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु विक्रय से सम्बन्धित विषय पर हेग एकेडमी

ऑफ इण्टरनेशनल लॉ की ओर से विशेष अध्ययन किया है यदि स्त्रियों ने प्रमाणित कर दिया है कि कानून के किसी भी विषय में स्त्रियाँ अपनी योग्यता का परिचय दे सकती हैं। विज्ञान जैसे कठिन क्षेत्र में भी स्त्रियों ने न केवल प्रवेश ही किया बल्कि अपनी योग्यता की धाक जमा रखी है।

कुछ समय पहले पूर्वोत्तर भारत में जब तीन महिलाओं की नियुक्ति जब आयकर अधिकारी रूप में की गयी तो इसका बहुत विरोध हुआ। लोगों ने यह कहा कि भला स्त्रियाँ इस काम को क्या कर पायेगी। परन्तु शीघ्र ही उन महिलाओं ने अपनी कार्य क्षमता का परिचय दे दिया फिर तो सारा विरोध हवा हो गया आज भारत में लगभग 100 औरते आयकर सेवा में है और एक महिला तो सीमा शुल्क विभाग में कलेक्टर के उच्च पद पर आसीन है। सीमा शुल्क से सम्बन्धित मामलों में जाँच पड़ताल करने एवं छापा करने जैसे कठिन कार्यों को महिला अधिकारी सफलतापूर्वक निपटा रही है।

फेमिना नामक पत्रिका में फलों के बड़े–बड़े बगीचे चलाने, मुर्गी पालन करने, व्यापार संस्थानों में प्रबन्ध निदेशक, आइसक्रीम और होजरी के निजी कारोबार चलाने, चाय की दुकान चलाने, डाकखानों में डाकियों के रूप में काम करने, इण्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन में एयर सैफटी आफीसर, पुलिस सब–इंस्पेक्टर तथा अन्यान्य साधारण पद पर काम करने वाली स्त्रियों की सफलता की जो कहानियाँ छपती रहती है। उनसे भी यह प्रमाणित होता है कि चाहे कोई भी कार्य क्षेत्र क्यों न हो यदि महिलाओं ने उनमें सफलता प्राप्त करने की ठान ली तो अपना नाम रोशन करके ही छोड़ेगी। फिर भी हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि इन साधारण व्यवसायों में लगी महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है जिससे स्पष्ट होता है कि स्त्रियों ने इन क्षेत्रों में जरूरत से कम ही हिस्सा लिया है।

इन व्यवसायों में शिक्षित महिलाएँ प्रवेश तो कर रही हैं लेकिन भारत में ऐसी महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। ऊँचे पद पर काम वाली महिलाओं की संख्या तो नगण्य है।

इण्डियन फारेन सर्विस तथा इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जेसे महत्त्वपूर्ण विभागों में भी तो उसे मालूम हो जायेगा इन पदों पर महिलाएँ नियुक्त है। इनमें से अधिकांश पद दो दशक पूर्व केवल पुरूषों को ही प्राप्त था, महिलाओं की संख्या अधिक होता है कि आज कुछ महिलाएँ सरकारी विभाग में उपसचिव तथा संयुक्त सचिव जैसे उच्च पद पर काम कर रही हैं। परन्तु ऐसी स्त्रियाँ गिनी चुनी ही है ओर

उन्हें महिला वर्ग का एक ही व्यवसायी श्रेणियों में लगे स्त्री, और पुरूषों की संख्या तुलनात्मक करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे–जैसे अमुक श्रेणी कार्य करना अपने आप में कोई नहीं बात नहीं है क्योंकि गाँव में स्त्रियाँ हमेशा से ही जीविका के लिए अपने पुरूषों के साथ खेतों में काम करती आ रही है। शहरों में ही लम्बे समय से स्त्रियाँ फैक्टारियों और गृह निर्माण कार्यों में मजदूरी करती आ रही है। परन्तु मध्य एवं उच्चवर्ग की शिक्षित विवाहिता स्त्रियों का घरों से बाहर उपयोगी नौकरियों की तलाश में निकलना अपेक्षाकृत नई बात है।

परम्परागत भारतीय समाज में मध्यवर्ग और उच्चवर्ग की स्त्रियों का विशेषकर विवाहित स्त्रियाँ घर से बाहर नौकरी करना सम्मानजनक नहीं समझा जाता था। आर्थिक आवश्यकता तथा कठिनाइयों में ही इन वर्गों की स्त्रियों ने घरों से बाहर निकलकर नौकरियाँ करनी शुरू कर दी। आज की बदलती हुयी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विवाहित स्त्रियों द्वारा नौकरी करने को भी प्रायः अपमानजनक नहीं माना जाता है।

शिक्षित विवाहित स्त्रियों द्वारा नौकरी करने की जो लहर आयी है उसका सम्पूर्ण व्यक्तित्व पर तथा पारिवारिक सम्बन्धों पर असर पड़ना निश्चित है। अब उसे एक ओर गृहणी और दूसरी ओर जीविकोपार्जन दोनों की भूमिका निभानी पड़ती है। इस दोहरी भमिका निभाने में उसकी शक्ति और समय खर्च होता है। प्रायः इस दोहरी भूमिका की परस्पर विरोधी आवश्यकताओं के बीच जूझना पड़ता है। कार्यरत महिलाओं को अतिरिक्त उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है इस वजह से उसके पारिवारिक सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ता है। इससे परिवार में असंगतियाँ उत्पन्न हो जाती है।

घर के निर्माण में स्त्री और पुरूष का समान उत्तरदायित्व है। घर के कार्य घर की सुव्यवस्था एवं शान्ति बनाये रखने का केवल महिलाओं का ही उत्तरदायित्व न होकर पुरूषों का भी उत्तरदायित्व है। घर की सुव्यवस्था पारिवारिक सदस्यों में अब उचित श्रम विभाजन पर निर्भर है।

एकाकी परिवार वाली कार्यरत महिलाओं में से अधिकांश महिलाओं के गृहकार्यों में उनके पति सहयोग प्रदान करते हैं। कुछ महिलाओं ने यह भी बताया कि उनके पति परिवार के किसी भी कार्य में कोई सहयोग प्रदान नहीं करते उन्हें अकेले ही सारे गृह कार्य करने पड़ते हैं।

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति पश्चात् स्त्रियों की स्थित में क्रान्तिकारी परिवर्तन है। यद्यपि 19 वीं शदी से ही नारियोँ के लिए महत्त्वपूर्ण प्रयत्न होते रहे हैं लेकिन

स्वतन्त्रता के पश्चात् ऐसे परिवर्तन सामने आये जिनके कारण स्त्रियों की अपनी स्थिति सुदृढ़ होने का अवसर मिल गया। इन परिस्थितियों में डा0 श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण और जातीय गति शीलता के बढ़ते हुये प्रभाव को मुख्य स्थान दिया। अतिरिक्त स्त्रियों में शिक्षण का प्रसार होने व व्यापारीकरण फलस्वरूप भी उन्हें विकास करने के मौका मिले। संचार के साधनों, समाचार पत्रों–पत्रिकाओं का विकास होने से स्त्रियों में अपने विचार को अभिव्यक्त करना आरम्भ किया। संयुक्त परिवारों का विघटन से स्त्रियों ने अपने विचार को अभिव्यक्त करना आरम्भ कर दिया।

परिवारों का विघटन होने से स्त्रियों के पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि हुयी है। सामाजिक नियमों से एक ऐसे समाज में वातावरण पैदा हुआ जिसमें बाल–विवाह, दहेज–प्रथा और अन्तर्जातीय विवाह की समस्याओ से छुटकारा मिल गया। फलस्वरूप स्त्रियों की स्थित में जो परिवर्तन हुआ है। निम्नांकित स्तर में स्पष्ट किया जा रहा है–

(1) शिक्षा में प्रगति –

20 वर्ष पूर्व की जा सकती। आजादी से पूर्व कन्या के लिए तो शिक्षा सम्बन्धी समुचित सुविधाएँ प्राप्त नहीं थी और न ही माता–पिता शिक्षा को फलस्वरूप लड़कियाँ रूढ़ियों में अपना जीवनयापन कर रही थीं। एक स्त्री ने बी0ए0 उत्तीर्ण किया वहीं भारत में अधिकांश लड़कियों ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातकीय व स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ रही हैं। यह निष्कर्ष दिया कि ''स्त्री शिक्षा ने विरोध के उस कुल्हाड़ी से है जिससे हिन्दू समाज जीवन की जंगली हो गया है।''

(2) आर्थिक जीवन की बढ़ती हुयी स्वतन्त्रता

स्वतन्त्रता पश्चात् व्यापरीकरण और नवीन कम होती जा रही। स्वतन्त्रता से पहले निम्न वर्ग की महिला अनेक व्यवसाय और गृह कार्यों के द्वारा कोई अजीविका उपार्जित करती थीं बाद की महिलाओं द्वारा कोई आर्थिक।

(3) पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि

महिलाओं की स्थिति में आज महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुये। आधुनिक स्त्री पुरूष की दासी नहीं अपितु उसकी सहयोगी और मित्र हैं, परिवार में उसकी स्थिति याची न होकर प्रबन्धक है और अब वह अपने समस्त अधिकारों से वंचित एक निर्बल कमजोर न रहकर अपनी स्थिति के प्रति पूर्णतया जागरूक है। आज की नयी पीढ़ी स्वयं स्त्रियों को उनके पारिवारिक अधिकार देने के पक्ष में और किसी कारण यदि इन अधिकारों से वंचित रखा गया आने वाले समय में वे उन्हें अपनी शक्ति से स्वयं ही प्राप्त कर लेंगी।

(4) राजनैतिक चेतना में वृद्धि

राजनैतिक क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति जिस गति से ऊँची उठ रही है वह वास्तव में एक आश्चर्य का विषय है। 1937 के चुनाव स्त्रियों के लिए 41 सीट सुरक्षित पर भी मात्र 10 स्त्रियाँ ही चुनाव के लिए सामने आयीं थी जबकि 1957 के चुनाव तक स्त्रियों की राजनैतिक जागरूकता इतनी बढ़ गयी केवल विधान सभाओं के लिए ही 342 स्त्रियाँ चुनाव के लिए खड़ी हुयीं उनमें 195 निर्वाचित हो गयीं। 1967 के चुनाव लोकसभा के लिए 31 स्त्रियों ने चुनाव जीता। राज्यसभा में स्त्री सदस्यों की संख्या 24 थीं।

(5) सामाजिक जागरूकता

नारियों में सामाजिक जागरूकता आ रहीं है अब वे पर्दे में सिमटी हुयी अपने आपको घर की चहरदिवारी में बन्द नहीं रखतीं। आधुनिक शिक्षित स्त्रियों में जातीय नियमों के प्रति उदासीनता पायी गयी है वे ऐसे प्रतिबन्धों की अधिक चिन्ता नहीं करती।

श्री के0एम0 पणिक्कर ने स्त्रियों की बदलती हुयी समाज की स्थिति के सम्बन्ध में लिखा है– ''भारत के लिए कुछ मेधावी स्त्रियों द्वारा प्राप्त की गयी है उल्लेखनीय सफलता उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है कि वह परिवर्तन जो गाँवो, ग्रामीण क्षेत्रों, वर्गों और जातियों में जिन्हें आज तक रूढ़िवादी या पिछड़ा हुआ माना जाता था में हुआ है। वहाँ प्रथा और रूढ़िवादिता लादे गये सामाजिक बन्धन भी स्त्रियों को मुक्त किया जा चुका है।''

डा0 ए0एस0 अल्तेकर ने लिखा है कि ''हमें स्वीकार करना चाहिए कि समय बदल चुका है, तार्किकता, समानता का युग आ चुका है इसलिए हमें प्रस्तावित परिवर्तनों को लाते हुए नवीन परिस्थितियों के साथ स्त्रियों की स्थित में समायोजित करना चाहिए।''

स्पष्ट यह है कि साथ–साथ विचारों, दृष्टिकोणों, व्यवहारों और क्रियाओं में परिवर्तन लाना समाजहित में होता है और हिन्दू समाज आज परिवर्तन की ओर अग्रसर है।

प्रो0 कुप्पुस्वामी ने कहा है ''कानून नियुक्ताओं के दूर होने और शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने से एक स्वतन्त्र प्रजातन्त्र में स्त्रियों की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में अभी भी पूरी तरह से भाग नहीं ले रही हैं। क्योंकि उन्हें शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा और पुराने सामाजिक मूल्य अभी भी प्रभावशाली नहीं हुए हैं। उन्हें विविध क्षेत्रों में भाग लेने से रोक रहे हैं। कहा भी जा सकता है कि स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रसार समग्ररूप में परिवार को उन्नत करने में अपूर्ण योगदान दे पायेगा।

4.1 समाज के भीतर कामकाजी महिलाओं की भूमिकाओं का महत्त्व

समाज में कामकाजी स्त्रियों की जिम्मेदारी आम तौर पर जैसे रूझान हुए हैं वे सर्वविदित है। एकल परिवार ज्यादातर बड़ा हो गए हैं जब शिशुओं को पालने के लिए परिवार की औरतें हर तरह से जिम्मेदार हैं अन्य क्रियाकलापों में उपस्थित हो सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं या वह खुद की औद्योगिक शुरू कर सकते हैं परिवार में औरतों की शुरुआती जिम्मेदारियां अपनी स्वयं की बच्चों को संस्कृत पारिवारिक और दृढ़ संकल्प को प्रदान करने पर ध्यान आमंत्रित होती है तो जब उनके विकल्प अनुसार वह अपना जीवन जीती हैं यह समाज में औरतों की सामाजिक जिम्मेदारियां समाज के विकास को आगे बढ़ना और मानव समाज को प्रेरित कर परिवर्तन प्रभाव के रूप में समर्पित है हिंदुस्तान में धर्म राजनीति संस्थाएं औरतों की समस्याओं के लिए हर तरह से बा/ाा; डालती है हिंदुस्तान में मानव समाज को अत्यधिक बढ़ावा देने के दौरान महिलाएं सामाजिक कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक और निजी दोनों में विभिन्न लिंग भेदों से सामना करना पड़ता है इस प्रकार के लिंग रूपी सामाजिक ढांचे का रूपांतरण और राज्य की नेशन द्वारा साथ से आदित्य संगठनों और संस्थाओं के साथ विरोध इस प्रकार औरतों की मानसिक स्थिति पर समर्थन द्वारा निहित है अतः यह कहा जाता है कि इस प्रकार के मानदंड को पालन करें समाज जिस किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में व्यक्तिगत रूप से सांप्रदायिक कल्याण को महिलाओं के लिए आगे बढ़ा सकें।

4.1.1 समाज के भीतर भूमिकाओं के प्रकार

भिन्न–भिन्न आयु और पृष्ठभूमि की औरतों की खुशी और तृप्ति का आनंद करती हैं जब भी समाज की सद्भावना और विकास को निरंतर बढ़ाने वाली विभिन्न जिम्मेदारियां को पूर्ण रूप से आगे बढ़ती है औरतों द्वारा निरंतर आगे बढ़ाने जाने वाली कर श्रेणी की रूपरेखा इस प्रकार है–

1– कोचिग प्रदान करना

महिलाएं ज्यादातर उन छात्रों को पटना अत्यधिक पसंद करती हैं जो ज्यादातर समाज के आर्थिक रूप से वंचित रह जाते हैं यह युवा मुख्य रूप से बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करने और अपने जीवन की स्थिति को आगे ले जाने के लिए ग्रामों से शहर की तरफ जाते हैं यह छात्र स्कूलों में एडमिशन लेते हैं जहां शिक्षा मुफ्त होती है ज्यादातर समय उनकी शिक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और सुधारने की आवश्यकता होती

है इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें होशियार अध्यापक से पाठ्यक्रमों में दाखिला लेना होता है इसलिए वे कुछ महिलाओं द्वारा अपने घरों में देने वाली मुफ्त कोचिंग कार्यक्रमों में प्रारूप से सम्मिलित होते हैं जो औरतें फ्री ट्यूशन प्रदान करती हैं वह ज्यादातर अपने गृह काम में रुचि रखती है और दयालतापूर्वक फैलाने और बच्चों की सहायता करने के लिए प्रेरित रहती है यह महिलाएं शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं।

2— स्वास्थ्य; देखभाल सुविधां प्रदान करना

जब महिलाएं डॉक्टरी या दूसरी स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल के रूप में उच्च पद पर होती हैं तो वह लोगों को स्वास्थ्य रूपी सेवाएं देने के लिए अपनी योग्यता और दृढ़ता का उपयोग करती हैं समाज के गरीब क्षेत्र से महिलाएं अपने घरों में देखभाल के लिए डॉक्टर रूपी क्लिनिक की स्थापना करती है या यदि समाज के जो लोग हैं उनकी देखभाल कर रही हैं वे बात करने या चलने में भी तो अपने घरों में उनसे मिल सकती है एक रिसर्च के अनुसार उन स्थानों पर जाती हैं जहां पर प्रकृति द्वारा आपदाएं आई हो वहां पर चिकित्सीय परामर्श और चिकित्सा रूपी संबंधी जरूर का पूरा करने का विरासत रहती है।

3— धर्म से जुड़े कार्यक्रम

विभिन्न सामाजिक धार्मिक कार्यों की योजना बनाने में समाज में औरतों का प्रमुख भूमिका होती है उदाहरण के तौर पर धर्म से जुड़े कार्यक्रम के दौरान भजन गाए जाते हैं धार्मिक रूपी चल समारोह का आयोजन होता है या फिर भजन परोसा जाता है पैसों की व्यवस्था को व्यवस्थित करने की भी अति आवश्यक होती है कोई अन्य व्यक्ति के लिए कार्यकर्ता और कार्यक्रमों का आयोजन करके प्रसन्नता को उत्पन्न कर सकता है इसी प्रकार यह है कि जब कोई उनमें सम्मिलित होता है तो वह बहुत प्रसन्न और अच्छा महसूस करता हैं।

4— आपराधिक और हिंसक कृत्येां का उन्मूलन

भारतीय महिलाएं संस्कृति और बच्चियों ज्यादातर घर के अंदर और बाहर हिंसात्मक अपराधों का शिकार हो जाती है इन कर्म से वित्तीय साधनों का शोषण हुआ श्री रिक शोषण यौन उत्पीड़न इत्यादि सम्मिलित हो जाते हैं एक रिसर्च के अनुसार महिलाएं घरेलू बाय रूपी रूप में काम करते हैं उन्हें अपने नातेदार रिश्तेदार विशेष कर अपने पति और अपने पति के घर वालों में अलग प्रकार का व्यवहार का सामना करना पड़ता है मुख्य कारण संसाधनों की कमी पैसे रूपी

समस्याओं से जीवन की स्थिति प्रस्तुति में उसको ठीक करने में असमर्थता होती है इस प्रकार प्राथमिक कर्म के कारण महिलाओं को आपराधिक और हिंसात्मक व्यवहार को कम करने के लिए उनकी दृष्टि के लिए स्वीकार किया जाता है मौखिक रूप से आदमी अपराधी को के साथ या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जुड़ता है जो विभिन्न व्यवहार करके उन्हें प्रताड़ित करते हैं जब मनुष्य आजकल इसी तरह के व्यवहार में विलीन हो जाते हैं तो उनके खिलाफ गंभीर दंडात्मक कार्यवाही की जाती है।

5– बुजुर्ग व्यक्तियों की देखभाल

बूढ़े लोगों को देश में बहुत सारे वृद्ध आश्रमों में रखा जाता है औरतें कभी–कभी डॉक्टरी शब्दों का द्वारा करती है यह देखने के लिए केवल सोल और बुजुर्गों के लिए बिस्तर पर कवरिंग का प्रदान करते हैं इसके अलावा छात्र बुजुर्गों से जुड़ते हैं और जीवन को जिन का एक तरीका सीखते हैं घर के अंदर महिलाओं को वरिष्ठ नागरिकों की बुजुर्गों की अति आवश्यकता रहती है जरुरत को पूरा करने का दायित्व भी उनको सौंपा जाता है औरतों को यह निश्चित और सुनिश्चित करने का कहा जाता है कि बुजुर्गों को पौष्टिक आहार प्रदान किया जाए बुजुर्गों की शारीरिक गतिविधियों में भी शामिल होने में सहायता करें।

6– सूचना प्रदान करना

जो औरतें शिक्षा प्राप्त करने के बाद और जिनके पास अच्छी डिग्री है जैसे डॉक्टर डिग्री है वह समाज को आगे बढ़ने का एक मुख्य लक्ष्य रखती है उन महिलाओं का उद्देश्य देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का रहता है और उनका आदर संकल्प का एक उद्देश्य होता है कि वह इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा नेतृत्व करने की जिम्मेदारी रखें और वह यह सुनिश्चित करें कि उनके जो भी छात्रगण है वह उनके अधीन रहकर अच्छे कार्य को आगे बढ़ाएँ।

7– रोजगार सेटिंग में कामकाजी महिलाओं की भूमिका

जो औरतें अपनी शिक्षित रूपी पृष्ठभूमि प्रतिभा विकास विशेषताओं के आधार पर रोजगार को खोजने में सक्षम होती हैं एक रिसर्च के अनुसार महिलाएं ज्यादातर परिवार और घर अपनी नौकरी को सबसे ज्यादा प्रथम स्थान पर रखती हैं अलग–अलग प्रकार की जो औरतें हैं अधिकतर आर्थिक संभावनाओं की तलाश में रहती है कई अलग–अलग महानगर क्षेत्र में जाती हैं महिला अपनी क्षमताओं के अनुसार चरित्र विशेषताओं के आधार पर एक दूसरे से अलग–अलग होती हैं काम की तलाश करते–करते समय विचार को महत्वपूर्ण कारकों में से एक यह है कि किसी भी ज़रूरतों

को प्रभावों में आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए महिलाओं को कामकाजी होने के लिए दर्शन संकल्प कौशलता प्रतिभाशाली और उनमें एक टीम वर्ग की काम करने की क्षमता होनी चाहिए।

नौकरी के प्रति कर्तव्यनिष्ठा

जो लोग अपने काम के प्रति गतिविधियों के प्रति जिम्मेदार नहीं होते उनको अपने नौकरी के लिए जिम्मेदारी रखनी चाहिए और अपने बड़े– बड़े पदों पर कार्य पूर्वक दायित्व रखना चाहिए उदाहरण के तौर पर शिक्षक सुविधाओं में महिलाएं काम करती हैं और वह अपनी सारी मूलता की जिम्मेदारी छात्रों को शिक्षित करने पर पूर्णता फोकस करती है ताकि उनके सामने उनके करियर की संभावनाओं को सुधारा जा सके छात्र पढ़ने के बाद एक अच्छे संस्थान में पढ़ने के बाद वह अच्छी नौकरी को प्राप्त करें जहां तक संगोष्ठियों सम्मेलनों में प्रतिभाग कर सकते हैं और पत्रिकाओं के माध्यम से प्रशासन से वह अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं अन्य उद्योगी बैंक गैर सरकारी संगठन उद्योगों में भी शामिल हो सकते हैं वह प्राइवेट जॉब में भी जा सकते हैं तो अपने विद्यार्थी आगे बढ़े ।

का; प;िवर.ा की स्थिति

काम से रिलेटेड स्थितियों का निर्धारण करते समय कई प्रकार के विचारों को सोचना चाहिए इनमें सम्मिलित की जाने वाली सुविधाएं भी शामिल होना चाहिए जैसे की टॉयलेट पानी लाइट व्यवस्था और गर्मी ठंडी सिस्टम जो मौसम के अनुसार उपयुक्त हो कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी यह होती है कि वह अपने किए हुए कार्य को कुशलतापूर्वक करें और कुछ मामलों में काम पर दो या दो से अधिक लोगों के बीच विवाद होने पर संभव है इस प्रकार से शामिल पशुओं के बीच अच्छी तरह की बॉन्डिंग हो और वह उसको एक महत्वपूर्ण तरीके से सुनिश्चित करें

कौशल और क्षमताएं

अक्सर इन मूल्यों को अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि के माध्यम से अपने भीतर स्थापित करती है। महिला अतिरिक्त कार्यों और गतिविधियों पढ़ना, लिखना, शोध करना, इंटरनेट का उपयोग करना, प्रभावी संचार कौशल विकसित करना कार्यान्वयन में शामिल करना होता है। ये क्षमताएं व्यक्ति के लिए महत्त्वपूर्ण होती है। जब लोग नेतृत्व के पदों पर होते हैं तो उन्हें कई तरह के कर्तव्य दिए जाते हैं और वे सुनिश्चित रूप से दूसरों में मदद करती हैं।

प्रभावी संचार प्रक्रियाएं

जब महिलाएं विविध कम्पनियों में काम करती है जो प्रभावी संचार तकनीकों को सबसे बड़े महत्त्व देखा जाता है। अधिकतर समय फोन पर या व्यक्तिगत रूप से होता है। संचार का दूसरा तरीका लेखन है, जो ईमेल, पत्रों, सूचनाओं, पैम्पलेट और अन्य लिखित प्रारूपों के माध्यम से किया जा सकता है। जब महिलाएं नेतृत्व की भूमिकाओं में होती है या उनमें जागरूकता होती है। दूसरी ओर महिलाओं की भूमिकाओं में कुशल संचार प्रक्रियाओं में शामिल होना भी है। इसलिए आवश्यक कौशल रखने और अपने कार्य दायित्वों को अच्छी तरह से निभाने के अलावा संचार प्रक्रियाओं में भाग लेना महत्त्पवूर्ण है।

निर्णय लेना

निर्णय लेना जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण हो जाता है। विशेष रूप से महिलाएं घर और काम दोनों जगहों पर बड़ी संख्या में दायित्वों के बोझ तले दब जाती है। जब वे समय के लिए दबाव में आते है और जल्दी से कार्य करने के लिए मजबूर होते हैं तो वे बुद्धिमान चयन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इन स्थितियों में एक समझदार विकल्प तक पहुँचने तक कई बैठके निर्धारित की जाती है। विभिन्न भूमिकाओं के लिए परिणाम जब लोग एक टीम के रूप में काम करते हैं तो उनका श्रम भी विभाजित हो जाता है और वे अपने काम के दायित्वों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम होते है। कहा जा सकता है कि एक टीम के रूप में काम करने से लोगों को एक दूसरे के साथ प्रभावी शब्द और सम्बन्ध विकसित करने में मदद मिलती है और तनाव भी कम होता है।

महिला समाज की धूरी है अगर धूरी टूट गई तो समाज भी टूट जायेगा। इतिहास गवाह है कि जिन समाजों ने महिलाओं को गुलाम बनाया वे खुद गुलाम बन गये, जिन समाजों ने महिलाओं को प्रगति का मौका दिया उन्हें सभ्यता के शिखर पर पहुँचने से कोई नहीं रोक सका। यद्यपि महिलाएँ तेजी से राजनीति के क्षेत्र में आ रही है। उन्हें राजनीति में अशिक्षा, भ्रष्टाचार, शोषण, आर्थिक पराधीनता, राजनीतिक सोच का अभाव आदि ऐसी प्रमुख बाधाएं है जो राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने में रूकावट लाती है। महिलाओं को समाज एवं राजनीति में आगे लाने के लिये उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाना होगा। अध्ययन क्षेत्र की महिलाओं में व्याप्त अशिक्षा और अन्धविश्वास को दूर कर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का दायित्व है। भ्रष्टाचार और शोषण से महिलाओं को मुक्त करके उन्हें राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सकता

है। महिलाओं का शिक्षित और संस्कारिक होना आवश्यक है। भारतीय परिवार में नारी का सर्वप्रथम दायित्व पत्नीत्व और मातृत्व के साथ राजनैतिक कार्यकलाप का समन्वय होना अतिआवश्यक है। एक सफल माँ और पत्नी की समाज और देश को सफल नेतृत्व दे सकती है।

21वीं शताब्दी में कामकाजी महिलाओं में आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा व्यावसायिक आकांक्षा बहुत प्रबल हो गयी है वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहती है। इससे उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह प्रगति की सीढ़ी पर चढ़ती जायेगी एवं समाज में फैली बुराई रूपी अन्धकार को दूर कर सकेगी। नारियों के लिये आत्म विश्वास और आत्म सन्तुष्ट के अवसर अनुचित रूप से सीमित रखे गये है। मशीनीयुग ने घर के बाहर ही वस्तु उत्पादन इतना अधिक बढ़ा दिया है कि अंशतः आर्थिक आवश्यकता के चलते महिलायें अब घर से बाहर काम अपनाने लगी है।

इस शोध में कामकाजी महिलाए समाज का अनिवार्य अंग है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्र के साथ–साथ राजनीति के क्षेत्र में उनकी अहम भूमिका है। जैसे– जैसे शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में राजनीति जागरूकता आ रही है। शिक्षा के प्रचार–प्रसार और बदलते सामाजिक परिवेश में राजनीति में महिलाएं आगे आ रही है और केन्द्रीय, प्रान्तीय, स्थानीय सशक्त और सुदृढ़ बनाने पर ही समाज सुदृढ़ होगा। महिलाओं को सुदृढ़ करने के लिये उनका शिक्षित होना आवश्यक है ताकि अपने अधिकारों को समझ कर समाज एवं राष्ट्र का विकास कर सकें।

समाज के भीतर महिलाओं को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ढांचागत और क्षमता को निभाती है। जिसमें कोचिंग पढ़ाना, स्वस्थ देखभाल करना, मार्गदर्शन, पाठ्येत्तर गतिविधियाँ, दान करना, घटनाओं और गतिविधियों की योजना बनाना, अपराध और हिंसा पर कम करना, कुपोषण को कम करना, ज्ञान का प्रसार करना शामिल है। उनके वित्त की स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा का स्तर, कौशल और प्रतिभा साथ ही साथ उनके वंश और रूचियां सभी पर प्रभाव पड़ता है। महिलाएं विभिन्न पदों पर कितना अच्छा प्रदर्शन करती हैं। उनके लिए यह आवश्य है कि वे संसाधनों का उचित प्रयोग करें, नीतियों का पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि जब भी वे किसी कर्तव्य और गतिविधियों के निष्पादन में लगे हों तो बढ़ाने के लिए उनसे लाभान्वित हो सकें।

अध्याय–5

कामकाजी महिलाओं की अध्ययन में संलग्न उत्तरदाताओं का परिचयात्मक विश्लेषण

प्रतापगढ़ के सन्दर्भ में कामकाजी महिलाओं के लिए यह जनपद प्रारम्भ से ही बहुत अविकसित रहा है, परन्तु जनपद में समय–समय पर कुछ विकास कार्य किया गया परन्तु बहुत सफलता नहीं मिल सकी इसलिए विज्ञान व तकनीक का विकास इस क्षेत्र में न होने के कारण यहाँ के लोग व महिला वर्ग पिछड़ा रह गया और निर्धनता का शिकार भी होती रही है।

भारत में महिलाओं की स्थिति सामान्य रूप से बहुत दयनीय मानी जाती थी। महिलाओं की समस्याएँ समाज में उनके सामान्य रूप से रहने की स्थिति से जुड़ी हुयी थीं। महिलाएँ समाज में और समाज के लिए बहुत सी भूमिकाएँ निभाती है। वे पत्नियाँ बनती है, बच्चों की माँ बनती है। फिर भी वे उच्च स्तर के व्यवसाय को भी करती है तथा शक्ति का प्रदर्शन भी करती है। वे भोजन बनाना, सिलाई करना, सफाई करना, बच्चों का पालन–पोषण तथा अन्य बहुत से कार्य भी करती हैं। परन्तु सम्मान की दृष्टि से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धन और शक्ति की स्थिति बुरी होती जा रही है।

कुछ समय पश्चात् मध्यम वर्गीय रूप में आयीं फिर भी समाज उनके लिए एक परम्परावादी समाज बन गया जिसके कारण उन्हें समाज में बहुत सी भिन्न–भिन्न कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ भिन्न–भिन्न थीं। जैसे –ग्रामीण और शहरी महिलाएँ, शिक्षित और अशिक्षित महिलाएँ अकेली रहने या परिवार के साथ रहने वाली महिलाएँ। कार्यक्षेत्र का वातावरण, अपने सत्कर्मियों का दृष्टिकोण, महिलाओं की आयु, कार्य का प्रकार, कार्य का समय, घर से कार्य स्थल की दूरी आदि ये सभी एक कामकाजी महिला के जीवन के महत्त्वपूर्ण कारक है।

डॉ0 प्रमिला कपूर ने अपने अध्ययन विभिन्न वैतनिक कार्य में कार्यरत सैकड़ों कामकाजी महिलाएँ में पाया कि उनकी समस्याएँ तीन प्रकार की है– पर्यावरणिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। उनमें से प्रत्येक की समस्याएँ उनके घर पर या कार्यरत स्थानों पर काम की समस्याओं से उभरी। इसके दो कारक है। पहला तो

दोहरी जिम्मेदारी के कारण आन्तरिक अर्न्तद्वन्द और दूसरी दोहरी जिम्मेदारी को अलग करने की प्रायोगिक कठिनाइयाँ।

सामाजिक, अपमान, आर्थिक दमन और भारतीय महिलाओं की निर्भरता तीन रूपों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। प्रथम पारिवारिक स्तर, दूसरा अपने अधिकारी, कार्यकर्ताओं द्वारा कामकाजी पर्यावरण अन्ततः राजनीतिक नेताओ, दबावी समूह और व्यापारिक संघों द्वारा।

5.1 प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाओं का सामान्य परिचय

नारी समाज की अविभाज्य अंग रही है, जीवन के रथ को खींचने में पुरूष और नारी पहिये का काम करते है अगर एक भी पहिया टूट जाय तो सारी गतिशीलता अवरूद्ध हो जाती है।

मानव सभ्यता के सारे ऊँचे स्थिति को देखते हुये खोखले सिद्ध होते हैं। पुरूष समाज ने स्त्री को शोषण और उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं दिया है। कामकाजी महिलाओं की स्थिति तो और भी भयावह है वे घर में जहाँ पति की घुड़की को सहती है वहीं कार्यालय में अधिकारियों के धौंस और रूआब से तनावग्रस्त होती है।

प्रस्तुत अध्ययन ये यह पता चल सकेगा कि वर्तमान स्थिति कुछ सुधर गयी हैं या पहले जैसी है। आखिर उनकी प्रमुख समस्याओं का कारण क्या है और उनके समाधान के लिए क्या बातें हो सकती है, इसका पता इस अध्ययन में चल सकेगा जो कामकाजी महिलाओं के लिए नीतिगत योजनायें बनाने में मदद देंगा।

यह स्वाभाविक प्रश्न खड़ा होता है कि जैवकीय दृष्टि से स्त्री पुरूष मैत्रेयी भारत में स्त्री प्रस्थिति है उसके पीछे विचारधारा और सामाजिक संरचना के बहुत बड़े कारण है। इस देश में स्त्रियों के पीछे एक जमी–जमाई धारणा है। स्वतन्त्रता के बाद भी इस धारणा में परिवर्तन नहीं आया। ऐसा माना जाने लगा है कि पहले की स्त्री परम्पराओं में जकड़ी थी इसलिए अधिक सुरक्षित थी। लेकिन आज की स्त्री अधिक स्वतन्त्र है। इसलिए सुरक्षा के खतरे अधिक बढ़ गये हैं।

स्थिति काफी दयनीय रही है। इतिहास के कालखण्डों में अगर देखे सिर्फ वैदिक काल को छोड़कर उन्हें किसी कालखण्ड में सम्मान का दर्जा नहीं मिला। मध्यकाल में सम्मान का दर्जा नहीं मिला। मध्यकाल में उनकी स्थिति काफी दयनीय रही। स्वतन्त्रता के बाद नारीवादी आन्दोलनों ने भारतीय महिलाओं की प्रस्थिति को

परिवर्तित करने में अहम् भूमिका निभायी। यूरोप में 19 वीं शताब्दीं के अन्त तथा 20 वीं शताब्दी के परम्परा में नारी मुक्त के आन्दोलन चले। आज तो वहाँ नारीवादी आन्दोलन व्यापक आन्दोलन है।

स्वतन्त्रता के आन्दोलन में भारतीय नारियों की भागीदारी ने उन्हें जीवन के नये रंग में ढलने के लिए अवसर पैदा और स्वतन्त्रता के बाद भारतीय संविधान में उन्हें दिये गये बराबर के अधिकार ने इस अवसर को और गतिशील बना दिया। आज भारतीय स्त्री पुरूषों से चुनौती लेने के लिए हर रास्ते पर डटी हैं। शिक्षा और जागरूकता ने उनकी प्रस्थिति को परिवर्तित किया। आज शासकीय, अशासकीय, सार्वजनिक संगठनों में उसने अपनी प्रतिबद्धता और उत्तम कार्यशैली का परिचय दिया है।

तालिका –5.1

उत्तरदाताओं आयु के आधार पर

क्र0सं0	आयु	संख्या	प्रतिशत
1	30 से 35 वर्ष	160	40
2	35 से 40 वर्ष	100	25
3	40 से 45 वर्ष	60	15
4	45 से 50 वर्ष	50	12.5
5	50 से 55 वर्ष	30	7.5
	कुल योग	**400**	**100**

कुल 400 महिलाओं में से, 30–35 वर्ष की आयु में 160 महिलाएँ (40 प्रति0) हैं, जो सबसे बड़ा समूह है। इसके बाद 35–40 वर्ष में 100 (25.40 प्रति0), 40–45 वर्ष में 60 (15प्रति0), 45–50 वर्ष में 50 (12.5प्रति0), और 50–55 वर्ष में 30 (7.5प्रति0) महिलाएँ

हैं। यह वितरण दर्शाता है कि सबसे अधिक महिलाएँ 30–35 वर्ष की हैं, और आयु बढ़ने के साथ उनकी संख्या और प्रतिशत कम होता है।

तालिका –5.2

उत्तरदाताओं की जाति के आधार पर

क्र0सं0	जाति / धर्म	संख्या	प्रतिशत
1	ब्राह्मण	140	35
2	क्षत्रिय	80	20
3	कायस्थ	80	20
4	अनु0जाति	20	5
5	मुस्लिम	40	10
6	ईसाई	40	10
	कुल वर्ग	400	100

कुल 400 महिलाओं में से, ब्राह्मण समूह में 140 (35प्रति0) सबसे अधिक हैं। इसके बाद क्षत्रिय 80 (20प्रति0), कायस्थ 80 (20प्रति0), अनुसूचित जाति 20 (5प्रति0), मुस्लिम 40 (10प्रति0), और ईसाई 40 (10प्रति0) हैं। यह वितरण दर्शाता है कि ब्राह्मण समूह का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, जबकि अनुसूचित जाति का सबसे कम। आयु वितरण की तरह, यह तालिका सामाजिक–धार्मिक संरचना को स्पष्ट करती है।

तालिका –5.3

उत्तरदाताओं की पारिवारिक स्वरूप के आधार पर

क्र0सं0	परिवारिक स्वरूप	संख्या	प्रतिशत
1	एकांकी परिवार	300	75
2	संयुक्त परिवार	100	25
	कुल योग	400	100ः

दी गई तालिका महिला उत्तरदाताओं के पारिवारिक स्वरूप को दर्शाती है। कुल 400 महिलाओं में से, 300 (75ः) एकल परिवारों से हैं, जबकि 100 (25ः) संयुक्त परिवारों से हैं। यह वितरण स्पष्ट करता है कि अधिकांश महिलाएँ एकल परिवारों में रहती हैं, जो आधुनिक सामाजिक संरचना की ओर इशारा करता है। संयुक्त परिवारों का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है, जो शहरीकरण और बदलते सामाजिक मूल्यों को दर्शाता है।

तालिका –5.4

उत्तरदाताओं की शैक्षणिक स्थिति के आधार पर

क्र0सं0	शैक्षिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1	हाईस्कूल	32	8
2	इण्टरमीडिएट	76	19
3	स्नातक	108	27
4	परास्नातक	148	37
5	अन्य योग्यता	36	9
	कुल योग	400	100

दी गई तालिका महिला उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति को दर्शाती है। कुल 400 महिलाओं में से, 32 (8ः) हाईस्कूल स्तर की हैं, 76 (19ः) इंटरमीडिएट, 108 (27ः) स्नातक, 148 (37ः) परास्नातक, और 36 (9ः) अन्य योग्यता वाली हैं। यह वितरण दर्शाता है कि सबसे अधिक महिलाएँ (37ः) परास्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त हैं, जो उच्च शिक्षा के प्रति रुझान को दर्शाता है। स्नातक (27ः) और इंटरमीडिएट (19ः) भी महत्वपूर्ण हैं, जबकि हाईस्कूल और अन्य योग्यता का प्रतिशत कम है।

तालिका –5.5

उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति के आधार पर

क्र0सं0	आर्थिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1	वेतनभोगी	192	48
2	अंशकालिक	80	20
3	प्राइवेट वेतनभोगी	128	32
	कुल योग	400	100

दी गई तालिका महिला उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। कुल 400 महिलाओं में से, 192 (48प्रति0) वेतनभोगी हैं, 80 (20प्रति0) अंशकालिक, और 128 (32प्रति0) निजी वेतनभोगी हैं। यह वितरण दर्शाता है कि सबसे अधिक महिलाएँ वेतनभोगी नौकरियों में हैं, जो स्थिर आय का संकेत देता है। निजी वेतनभोगी (32 प्रति0) का हिस्सा भी महत्वपूर्ण है, जबकि अंशकालिक कार्य करने वाली महिलाओं का प्रतिशत (20प्रति0) सबसे कम है। यह आर्थिक स्वतंत्रता और रोजगार के विविध स्वरूपों को दर्शाता है।

तालिका –5.6

उत्तरदाताओं की व्यवसाय के आधार पर

क्र0सं0	व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
1	शिक्षिका	120	30
2	डाक्टर	56	14
3	नर्स	72	18
4	ब्यूटीशियन	48	12
5	टेलरिंग	48	12
6	प्राइवेट कम्पनी	56	14
	कुल योग	400	100

दी गई तालिका महिला उत्तरदाताओं के व्यवसाय को दर्शाती है। कुल 400 महिलाओं में से, 120 (30:) शिक्षिका हैं, जो सबसे बड़ा समूह है। इसके बाद 72 (18:) नर्स, 56 (14:) डॉक्टर, 56 (14:) निजी कंपनी में कार्यरत, 48 (12:) ब्यूटीशियन, और 48 (12:) टेलरिंग में हैं। यह वितरण दर्शाता है कि शिक्षा क्षेत्र में सबसे अधिक महिलाएँ कार्यरत हैं, जबकि नर्सिंग और निजी कंपनियों में भी उल्लेखनीय उपस्थिति है। ब्यूटीशियन और टेलरिंग में समान भागीदारी है।

तालिका –5.7

उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति के आधार पर

क्र0सं0	वैवाहिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1	विवाहित	232	58
2	अविवाहित	168	42
	कुल योग	400	100

दी गई तालिका महिला उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति को दर्शाती है। कुल 400 महिलाओं में से, 232 (58:) विवाहित हैं, जबकि 168 (42:) अविवाहित हैं। यह वितरण दर्शाता है कि अधिकांश महिलाएँ विवाहित हैं, जो सामाजिक संरचना में विवाह के महत्व को दर्शाता है। अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत भी उल्लेखनीय है, जो संभवतः उच्च शिक्षा, करियर केंद्रित जीवनशैली या देर से विवाह के रुझान को दर्शाता है।

5.2 प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाओं की पारिवारिक स्थिति

प्रतापगढ़ जनपद एक बहुत छोटा सा जनपद है। यहाँ पर विभिन्न वर्गों की महिलायें भिन्न–भिन्न व्यवसायों में काम करती हुयी बहुत कठिनाई से अपनी जीविकोपार्जन करती। जिसमें उन्हें बहुत सी समस्याओं का भी सामना करता पड़ता है। सामान्यतः कामकाजी महिलाओं के परिवार का स्वरूप सामान्य है। उनमें अधिकांशतः एकांकी परिवार पाया जाता है। परिवार से सम्बन्धों की प्रकृति भी सामान्य है। बहुत सी कामकाजी महिलाओं का परिवार विघटित नहीं पाया है इसलिये परिवारों में पर्दाप्रथा का प्रचलन बहुत कम है जिसके कारण ये घर तथा बाहर दोनों स्थान कार्य करके दोहरी भूमिका निभा रही है। हमारे समाज में स्त्रियाँ कितना भी ऊँचा स्थान प्राप्त कर लें परन्तु इन्हें पुरूषों से नीचा ही माना जाता है। जिसके कारण इनके परिवार में सामान्यतः मुखिया आदमी ही हुआ करते है और परिवार में अधिक महत्त्व पुरूषों को ही दिया जाता है। इनके परिवार में पारिवारिक सदस्यों का आपसी ताल–मेल भी सामान्य रहता है जो

महिलायें घर से बाहर कार्य करती हैं उनके बच्चों की पालन में घर के अन्य सदस्यों का भी सहयोग रहता है जिसके कारण वे बिना किसी उलझन के घर तथा बाहर दोनों स्थान पर कार्य करके अपना निर्वहन करती हैं। इनके परिवार में सभी प्रकार के त्यौहार, व्रत, पूजा आदि किये जाते हैं। इनके परिवार में महिलायें सामान्यतः 5–6 घण्टे तक बाहर कार्य करती है।

इनमें दूसरी समस्या तब उत्पन्न होती है जब वे अपने व्यावसायिक कार्यालय में अधिक समय देती है। कुछ महिलायें जो सरकारी काम करती है उन्हें स्थानान्तरण की समस्या भी झेलनी पड़ती है। जहाँ वे अपने परिवार को छोड़कर जाने में कठिनाई का अनुभव करती है। यदि वह विवाहिता है तो वे अपने पति और बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती है। ऐसी स्थिति में सामान्यतः उन्हें कार्य छोड़ना पड़ता है। यदि वह विवाहित है और कार्यरत है तो उन्हें भी अपना कार्य छोड़ना पड़ता है। यदि वह अविवाहित है तो माता–पिता अनुमति नहीं देते है। यदि वह विवाहित है और कार्यरत है तो उन्हें भी अपना कार्य छोड़ना पड़ता है। यदि उनके श्वसुर अनुमति नहीं देते हैं। पुनः जब वह किसी नये स्थान पर कार्य प्रारम्भ करना चाहती है तो उसके लिये एक नया व्यवसाय प्राप्त करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। कभी–कभी महिलाओं को तब भी अपना व्यवसाय छोड़ना पड़ता है जब उनके बच्चे बहुत छोटे होते हैं तथा घर पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। धीरे–धीरे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब तक महिलायें अपने कार्य से इतनी दूर जा चुकी होती हैं कि दुबारा कार्य करना उनके लिये अत्यन्त कठिन हो जाता है।

दुर्भाग्यवश हमारे देश में अंशकालिक व्यवसाय की प्रक्रिया अभी तक विकसित नहीं हो पायी है। अंशकालिक व्यवसाय नवविवाहिता महिलाओं के लिए बहुत सुविधाजनक है। लेकिन यह स्वीकार्य नहीं है कि उन्हें बहुत कम वेतन मिला है और उनसे कठिन परिश्रम भी लिया जाता है।

कामकाजी महिलाओं की पारिवारिक स्थिति को सामान्य परिचय के अन्तर्गत तालिका के आधार पर दर्शाया गया है। कामकाजी महिलाओं के साक्षात्कार से ज्ञात हुआ कि लगभग 80 प्रतिशत महिलाएँ ऐसी है जिनके यहाँ पर्दाप्रथा प्रचलित है लगभग महिलाओं के यहाँ पर्दाप्रथा नहीं है। लगभग 45 प्रतिशत महिलाएँ ऐसी है जिनके घर का मुखिया पुरूष हैं परन्तु 25 प्रतिशत महिलायें ऐसी है जिनके घर महिलाएँ स्वयं ही मुखिया है। लगभग 80 प्रतिशत महिलाएँ है जो घर तथा बाहर काम करके अपने बच्चों की भी अच्छी

पालन–पोषण करती है परन्तु कुछ महिलायें हैं जिनके घर में बच्चों की पालन–पोषण में घर अन्य सदस्यों का भी सहयोग है। लगभग 100 प्रतिशत महिलाओं के घर में मुखिया का अधिक महत्त्व होता है।

5.2.1 प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाओं की व्यावसायिक स्थिति एवं समस्याएँ

प्रतापगढ़ में लगभग 400 कामकाजी महिलाओं का साक्षात्कार लेने के बाद यह पाया गया कि एक कामकाजी महिला की योग्यता (दक्षता) हमेशा संदेहयुक्त होती है। मुख्य रूप से उच्च वर्गों में यद्यपि अन्य शिक्षाएँ समान होती हैं फिर भी कहा जाता है। जहाँ पर काम करती हैं। जहाँ पर वे पुरूष कर्मियों को हैण्डिल करती हैं वहाँ पर उनकी योग्यता संदेहयुक्त होती है। यद्यपि वे अपनी कार्यकुशलता सिद्ध कर दें फिर भी उनके उन्नति के लिए उन्हें दो बार सोचना पड़ता है। यदि उन्हें कार्य करने का एक मौका मिलता है तो पुरूष सोचते हैं उन्हें इसलिए चुना गया कि वह एक महिला है।

कार्यालय में पुरूष सहकर्मी मानसिक रूप से एक कामकाजी महिला की योग्यता को स्वीकार नहीं करते हैं। पुरूष सहकर्मी इकट्ठा होकर उस महिला पर टोन्ट कसते है। जो महिलाएँ एक सुरक्षित वातावरण के परिवार में पलती है, वे इस प्रकार की कठिनाइयों में वे प्रायः अपने आपको असहाय महसूस करती है और दम तोड़ देती है। पुरूष का यह भ्रम होता है कि यह महिला बाह्य कार्य के लिए उचित नहीं है।

जहाँ पर महिलाएँ एक अधिकारी के रूप में कार्य करती है यह भी एक समस्या है। पुरूष सहकर्मी यह पसन्द नहीं करते कि महिला उनकी अधिकारी बनें। यदि वह कार्य और अनुशासन की माँग करती है तो लोग उसकी निर्दयी और ढीट कहकर आलोचना करते हैं। किसी भी तरह से वे उसके आदेशों का पालन नहीं करना चाहते हैं।

तालिका 5.9

महिलाओं की व्यावसायिक स्थिति एवं समस्या के आधार पर

क्र0सं0	महिलाओं की व्यावसायिक स्थिति एवं समस्या के आधार पर	संख्या	प्रतिशत
1	महिलाओं के पुरूष सहकर्मी	52	13
2	पुरूष सहकर्मी का महिलाओ के साथ व्यवहार	60	15
3	महिलाओं की दोहरी भूमिका	208	52
4	काम में सक्षम महिला	80	20
	कुल योग	400	100

दी गई तालिका में महिलाओं की व्यावसायिक स्थिति और समस्याओं के आधार पर जानकारी दी गई है। कुल 400 महिलाओं में से, 208 (52 प्रति0) महिलाएँ दोहरी भूमिका (घर और काम) की समस्या का सामना करती हैं, जो सबसे प्रमुख मुद्दा है। इसके बाद, 80 (20 प्रति0) महिलाएँ कार्यस्थल पर सक्षमता से संबंधित समस्याएँ, 60 (15 प्रति0) पुरुष सहकर्मियों के व्यवहार से, और 52 (13प्रति0) पुरुष सहकर्मियों की उपस्थिति से समस्याएँ अनुभव करती हैं।

5.2.2 प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाओं की भूमिका अर्न्तद्वन्द

एक छोटे से जनपद प्रतापगढ़ में पाया कि कामकाजी महिलाओं में भूमिका अर्न्तद्वन्द की समस्या एक अहम भूमिका निभाती है कुछ घरों में कामकाजी महिलाओं की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके साथ बहुत है। उनके बोझ और भावनाओं को समझा जाता है। उनके व्यक्तित्व के विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है। इस प्रकार के स्थिति बहुत संतोषजनक होती है। वे अपने कामों का आनन्द लेती है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस प्रकार के परिवार बहुत कम पाये जाते हैं। निम्नलिखित गुणों का पाया जाना आवश्यक है जैसे—साहस, दृढ़निश्चय, बुद्धिमत्ता, वास्तविकता की भावना, उत्तरदायित्व की भावना, आत्मनिर्भरता आदि।

तालिका सं0–5.10

महिलाओं में भूमिका अन्तर्द्वन्द के आधार पर

क्र0सं0	महिलाओं में भूमिका अन्तर्द्वन्द के आधार पर	संख्या	प्रतिशत
1	महिलाओं में तनाव के कारण क्रोध	60	20
2	परिवारिक स्थिति को सुदृढ़ करने में	88	42
3	महिलाएँ कैरियर के प्रति जागरूक	152	38
	कुल योग	400	100

घर और बाहर दोनों की दोहरी भूमिका निभाते हुए कभी–कभी कामकाजी महिलायें तनाव भी महसूस करने लगती है, जिसके कारण उन्हें है। 20 प्रतिशत उन्हें क्रोध कभी–कभी तथा कुछ महिलाओं नेकहा कि उन्हें क्रोध कभी नहीं आता है। 42 प्रतिशत उन्हें बाहर के कार्य करने पड़ते हैं। परन्तु 38 प्रतिशत महिलायें अपने व्यवसाय तथा कैरियर को बढ़ाने के लिए कार्य करती है। कुछ महिलायें स्त्रियों के बाहर है। कुछ महिलायें कहती है कि स्त्रियों का कार्य केवल घर के भीतर हैं, घर के बाहर नहीं।

5.3 कामकाजी महिलाओं की आर्थिक स्थिति एवं समस्याएँ

कम आय ही महिलाओं को व्यवसाय की ओर प्रेरित करती है। वे प्रायः अपने जीवन को सुखी बनाने तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चिन्तित रहती है। प्रायः उनकी प्रारम्भिक आवश्यकतायें जैसे–भोजन, कपड़ा, मकान को पूरा साफ करना चाहती है, जिसके लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता पड़ती है इस प्रकार वे काम की ओर अग्रसर होती है।

बहुत दिनों के कठिन परिश्रम बाद वो किसी काम को पाने में समर्थ होती है। कभी–कभी कुछ महिलाओं को कुछ ऐसे भी कार्य करने पड़ते हैं जिससे वे पूरी तरह अनभिज्ञ होती है। उन्हें ये भी नहीं मालुम होता है कि जहाँ उन्हें काम मिला है वहाँ उन्हें या वहाँ कार्य करने के लिए उन्हें पारिवारिक अनुमति प्राप्त होगी या नहीं।

गाँवों में कामकाजी महिला स्थिति वे उस गाँव की पुत्री है बहू। पारम्परिक तौर से एक गाँव की लड़की का विवाह उसी गाँव में नहीं किया जा सकता युवा

लड़कियाँ गाँवों में बहुत कम ही अविवाहित पायी जाती है। बहुत ही कम उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता है। बहुओं पर ही घर के सारे काम की जिम्मेदारी थोप दी जाती है। उन्हें इस प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं दी जाती, जितना कि लड़कियों को दी जाती है तथा उन्हें बाहर जाकर काम करने की मनाही भी होती है।

कामकाजी महिलाओं की कुशलता मुख्य रूप से परिवार, पड़ोस तथा मित्रों में देखने को मिलती है। सिलाई, मशीन, चरखा चलाना आदि मुख्य रूप से महिलाओं की कुशलता तथा आवश्यकता को पूरा करने का मुख्य साधन समझा जाता है।

दुनिया भर की एजेंसियों ने भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था माना है। जिसकी विकास दर वित्त वर्ष 2023 में 6.5–7.00 प्रतिशत रहेगी। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के दौरान भारत के आर्थिक विकास का मुख्य आधार निजी खपत और पूँजी निर्माण रहा है। जिसने रोजगार के सृजन में मदद की है।

5.3.1 आर्थिक सर्वेक्षण –

आर्थिक सर्वेक्षण भारतीय महिलाओं की कम एफ.एफ.पी आर. की आम कहानी घर और देश की अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग कामकाजी महिलाओं की वास्तविकता को नजर अंदाज करती है। इसमें कहा गया है ''सर्वेक्षण डिवाइन और सामग्री के माध्यम से रोजगार का मापन अन्तिम एल.एफ.पी.आर. अनुमानों में महत्त्वपूर्ण अन्तर ला सकता है और यह पुरूष एल.एफ.पी.आर. की तुलना में महिला एल.एफ.पी. आर. को मापने के लिए अधिक मायने रखता है।

आर्थिक सर्वेक्षण–2022–23 महिलाओं के लिए श्रमबल भागीदारी दर (एल. एफ.पी.आर.) की गणना में माप के मुद्दों पर प्रकाश डालता है। ओईसीडी के अनुसार श्रमबल भागीदारी दर की गणना श्रम बल का कुल भारत व प्रतापगढ़ (बेल्हा) कामकाजी आयु की आबादी से विभाजित करके की जाती है। कामकाजी आयु की आबादी 15 से 64 वर्ष की आयु के लोगों को सन्दर्भित करती है। यह सूचक आयु समूह द्वारा विभाजित है और इसे प्रत्येक आयु समूह के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। एल. एफ.पी.आर. एक अर्थव्यवस्था के सक्रिय कार्यबल का अनुमान लगाता है कि वर्ष 2021 में भारत की महिला श्रमबल भागीदारी दर 19 प्रतिशत थी, जो विश्व औसत 25.1 प्रतिशत से कम है और लम्बे समय में घट रही है। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य अमृत काल में 2047 तक 50 प्रतिशत महिला कार्यबल का लक्ष्य है।

आर्थिक सर्वेक्षण भारतीय महिलाओं की कम एल.एफ.पी.आर. की आम कहानी घर और देश की अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग कामकाजी महिलाओं की वास्तविकता को नजर अंदाज करती है। इसमें कहा गया है कि ''सर्वेक्षण डिजाइन और सामग्री के माध्यम से रोजगार का मापन अन्तिम एल.एफ.पी.आर. अनुमानों में महत्त्वपूर्ण अन्तर ला सकता है और यह पुरूष एल.एफ.पी.आर. की तुलना में महिला एल.एफ.पी.आर. को मायने के लिए अधिक मायने रखता है।

सर्वेक्षण तीन मुख्य माप मुद्दों पर प्रकाश डालता है। अत्यधिक व्यापक श्रेणियों श्रम बल की स्थिति को वर्गीकृत करने के लिए एक ही प्रश्न पर निर्भरता और उत्पादक कार्य को श्रमबल की भागीदारी तक सीमित करने का संकीर्ण दृष्टिकोण।

आर्थिक सशक्तिकरण के लाभ–

● महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक सामनता को साकार करने के लिए केन्द्रीय है।

● अर्थव्यवस्था में महिलाओं को सशक्त बनाना और काम की दुनिया में लैंगिक अन्तर को कम करना सतत् विकास के लिए 2000 एर्जेज को प्राप्त करने की कुंजी है।

● जब अधिक महिलाएँ काम करती है तो अर्थव्यवस्थाएँ बढ़ती है।

● महिलाओं और लड़कियों की शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाने से महिलाओ के आर्थिक सशक्तिकरण और अधिक समावेशी आर्थिक विकास में योगदान मिलता है।

● महिलाओं की आर्थिक समानता व्यवसाय के लिए अच्छी है।

● कानूनों में लैगिक अन्तर विकासशील और विकसित दोनों अर्थ व्यवस्थाओं और सभी क्षेत्रों की महिलाओं को प्रभावित करता है।

● अनौपचारिक और असुरिक्षत रोजगार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक है।

● विश्व स्तर पर महिलाओं को पुरूषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है।

● महिलाएँ अवैतनिक देख–भाल कार्य अर्थव्यवस्था के कामकाजी के लिए आवश्यक है लेकिन अक्सर यह बेशुमार और अपरिचित हो जाता है।

● महिलाओं को अभी भी सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच मिलने की सम्भावना कम है।

● डिजिटल विभाजन अभी भी लिंग आधारित है। कामकाजी दुनिया में हिंसा और उत्पीड़न महिलाओं को उम्र स्थान अन्य या सामाजिक स्थिति की परवाह किये बिना प्रभावित करता है।

अर्थव्यवस्था और आर्थिक जीवन एक–दूसरे के पूरक है। अर्थव्यवस्था हमारे आर्थिक जीवन को प्रभावित करती है। आर्थिक जीवन से तात्पर्य मुख्य रूप से रहन–सहन के स्तर से है। जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन उनका वितरण तथा उपयोग करना ही आर्थिक क्रियाओं का आधार एवं लक्ष्य होता है। जीवन की दिन प्रतिदिन की अधिकाधिक आवश्यकताओं को कम से कम परिश्रम से पूरा करने हेतु मानव की क्रियाओं तथा प्रयत्नों को नियमिति एवं संगठित करना ही अर्थ व्यवस्था हैं। यह व्यवस्थित तरीके से सीमित साधनों द्वारा असीमित साध्यों की अधिकतम सन्तुष्टि का प्रयत्न है।

तालिका सं0–5.11

महिलाओं की आर्थिक स्थिति

क्र0सं0	महिलाओं की आर्थिक स्थिति के आधार पर	संख्या	प्रतिशत
1.	कामकाजी महिलाओं द्वारा आय	112	28
2	कामकाजी महिलाओं द्वारा व्यय	88	22
3	कामकाजी महिलाओं द्वारा धन संचय	128	32
4	आय–व्यय सम्बन्धी वाद–विवाद	72	18
	कुल योग	400	100

सामान्य परिचय के अन्तर्गत तालिका के आधार पर स्पष्ट किया गया है। धन अर्जन के साथ ही साथ वे धन संचय भी करती हैं। अपनी आय का लगभग 75 प्रतिशत वे भविष्य के लिए जमा करती है तथा पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन करती हैं। आय को लेकर कभी–कभी पतियों से वाद–विवाद की स्थिति भी आ जाती है। प्रतिमाह अपनी आय का लगभग 22 प्रतिशत वे व्यय करती है।

5.4 कामकाजी महिलाओं की राजनैतिक स्थित

समाज के संगठन एवं सुरक्षा के लिये आवश्यक है कि समाज में नियम बने एवं लोग नियमों का पालन करें। समाज के सदस्यों से नियमों का पालन करवाना और उल्लंघन करने पर दण्ड देना एवं सामाजिक परम्पराओं की रक्षा करने का कार्य सरकारी संगठन या राजनैतिक संगठन एवं सामाजिक संगठन करते हैं। प्रत्येक समाज में चाहे वह आदमी हो या आधुनिक सामाजिक नियमों का पालन करवाने के लिये व्यक्ति और समूह के पारस्परिक सम्बन्ध को निर्धारित करने के लिये एक केन्द्रीय राज्य स्तरीय संस्था अवश्य होती है। यही संस्था इन समाज व्यक्ति एवं इनकी भूमि को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होती है इसे ही ये सरकार भी कहते हैं।

यह संगठन इनके लिये राजनैतिक संगठन भी होता है या यू कहा जाय कि किसी भी देश के शासन करने से सम्बन्धित यह नीति होती है जिसका निर्माण शासन तन्त्र को चलाने के लिये होता है।

रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार

राजनैतिक व्यवस्था किसी समाज विशेष के सम्पूर्ण संगठन का वह भाग है जो सामाजिक व्यवस्था की स्थापना एवं इसे कायम रखने के लिये समर्थ है कि समाज में सदस्यों के अधिकार एवं उत्तरदायित्व की व्यवस्था राजनीति द्वारा ही सम्भव है।

लूसी मेयर ने रैडक्लिफ ब्राउन की परिभाषा को आगे बढ़ाते हुये कहा कि राजनैतिक व्यवस्था प्रत्येक समाज में विद्यमान है। यह ऐसे लोगों का समूह है जो एक दूसरे से निश्चित अधिकार एवं दायित्व द्वारा सम्बद्ध रहते हैं।

पल वोहानन के अनुसार

बल के बिना राजनैतिक नाम की कोई वस्तु नहीं है राजनीति के क्षेत्र से भी अलग नहीं किया जा सकता, यहीं 'बल' का अर्थ है बाध्यकारी शक्ति जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिये प्रेरित किया जाता है। 'क्षेत्र' का तात्पर्य है समाज विशेष का एक निश्चित दायरा या निश्चित भू–भाग पर फैलाव है। वोहन ने बल एवं क्षेत्र के आधार पर राजनैतिक व्यवस्था की परिभाषा इस प्रकार दी है–

''राजनीति सामाजिक बल का क्षेत्रीय पहलू है।''

महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार है अपने वोट देने के लिए इन्हें किसी के द्वारा बाध्य नहीं होना पड़ता वे अपना निर्णय स्वयं लेती है। जब से मुख्यमन्त्री

ने पंचायत चुनाव में 30 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया तब से ये महिलायें भी राजनीति के प्रति जागरूक हुयी हैं क्योंकि आरक्षित सीटों से इन्हीं को चुनाव लड़ना है, हालांकि जहाँ एवं जितनी महिला पंच, उपसरपंच, सरपंच एवं सदस्य है, उनका सारा काम हस्ताक्षर को छोड़कर उनके पति एवं लड़के ही करते थे परन्तु अब महिलाएँ घर से बाहर भी काम करने लगी हैं इसलिए अब वे अपना काम स्वयं करती हैं।

तालिका सं0–5.12

कामकाजी महिलाओं की राजनैतिक स्थिति

क्र0सं0	कामकाजी महिलाओं की राजनैतिक स्थिति के आधार पर	संख्या	प्रतिशत
1.	महिलाओं को वोट देने का अधिकार	136	34
2	कामकाजी महिलाओं की राजनैतिक स्थिति क्षमता	116	29
3	महिलायें राजनीतिक दल की सदस्य	88	22
4	महिलाओं में राजनीतिक दल का दबाव	60	15
	कुल योग	400	100

इस शोध के अन्तर्गत लगभग 400 महिलाओं का साक्षात्कार लिया गया जिससे ज्ञात हुआ है कि महिलाओं को 18 वर्षो से मतदान देने का अधिकार प्राप्त हैं इनको अपने निर्णय के आधार पर वोट देने का अधिकारी है, इसमें उन्हें किसी वजह से बाध्य नहीं होना पड़ता है। ये अपना निर्णय स्वयं लेती है। 22 प्रतिशत महिलायें किसी न किसी राजनैतिक दल की सदस्य भी रही है।

5.5 कामकाजी महिलाओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ

महिलाएँ संसार में चाहे जहाँ रहे उन्हें पुरूषां की तुलना में अधिक कष्ट तथा हानियाँ सहनी पड़ती है। निश्चित रूप से यह सब जैविकीय कारणों से होता है। वे विवाहित होती है, गर्भवती होती है, बच्चों को जन्म देती है तथा अन्य बहुत सी कठिनाईयों को झेलती है। जिसके कारण वे पुरूषों से कम शक्तिशाली होती है।

भारत में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियाँ महिलाओं की जैविकीय हानि पर प्रकाश डालती हैं। ये परिस्थितियों हानि पर प्रकाश डालती है। ये परिस्थितियाँ उन रास्तों पर भी प्रकाश डालती है, जहाँ पर जैविकीय रूप से कामकाजी महिलाओं का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। एक व्यक्ति विभिन्न कम्पनियों कार्यरत महिलाओं की स्थित का विश्लेषण कर सकता है।

तालिका सं0–5.13

महिलाओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या

क्र0सं0	महिलाओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या के आधार	संख्या	प्रतिशत
1.	महिलाओं को परिवार नियोजन की जानकारी	112	28
2	परिवार नियोजन के साधनों का प्रयोग	88	22
3	बच्चों के प्रतिबन्धित टीके	124	31
4	निश्चितम अन्तराल पर स्वास्थ्य परीक्षण	76	19
	कुल योग	400	100

साक्षात्कार के उपरान्त यह ज्ञात हुआ कि लगभग 28 प्रतिशत महिलाओं को परिवार नियोजन की जानकारी है तथा कुछ महिलायें इस बात से अनभिज्ञ हैं। लगभग 90 प्रतिशत महिलायें स्वास्थ्य सम्बन्धी आकस्मिक आपदाओं से निपटने के लिए धन संचय करती हैं और एक निश्चित अन्तराल पर स्वास्थ्य परीक्षण में भी रूचि लेती हैं। अपने बच्चों को आवश्यक प्रतिबन्धित टीकें भी लगवाती है। साथ ये महसूस करती हैं कि परिवार छोटा होना चाहिए।

5.6 कामकाजी महिलाओं की धार्मिक स्थिति

धर्म का सरल अर्थ है जो धारण किया जाय जो धारण करने योग्य हो। धर्म की सर्वोपरि साधना के द्वारा ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। प्रसिद्ध विचारक काणे ने धर्म के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है–''धर्म से उनका तात्पर्य किसी विशेष ईश्वरीय मत से नहीं है बल्कि जीवन के एक तरीके या आचरण की एक संहिता से है जो स्वयं व्यक्ति के रूप में तथा समाज के एक सदस्य के रूप में एक व्यक्ति के क्रियाओं को नियमित एवं नियंत्रित करता है तथा साथ ही जिसका उद्देश्य

व्यक्ति के क्रमबद्ध विकास करना तथा इस योग्य बनाना है कि मानव जीवन या अस्तित्व के अन्तिम लक्ष्य तक पहुँच सकें।''

धर्म व्यक्ति के कर्त्तव्य एवं गुणों की ओर संकेत करता है। किसी व्यक्ति सम्प्रदाय और वर्ग की धरोहर नहीं है यह तो मानव के विकास एवं समाज कल्याण के लिए आधार मात्र है इसलिए धर्म को शाश्वत सत्य कहकर सम्बोधित किया गया है। धर्म एव मात्र ऐसा साधन है जो व्यक्ति को अच्छाई और बुराई में अन्तर करना सिखलाता है।

ई0ए0 हावेल के अनुसार

''धर्म किसी अलौकिक शक्ति के विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मवाद मानववाद का समावेश होता है।''

आगर्बन तथा निमकॉफ के अनुसार

''अलौकिक शक्तियों के प्रति दृष्टिकोण ही धर्म है अर्थात् मानवों परशक्तियों के प्रति अभिव्यिक्तियाँ है।''

इमाइल दुर्खीम के अनुसार

''धर्म पवित्र वस्तुओं से सम्बन्धित विश्वासों एवं आस्थाओं की समग्रता है जो इन पर विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय के रूप में संयुक्त करती है।''

कामकाजी महिलाएँ अपने कार्य के साथ–साथ धर्म मैं भी विश्वास रखती है। इस छोटे से जनपद प्रतापगढ़ (बेल्हा) में कामकाजी महिलाओं का साक्षात्कार करने के बाद यह ज्ञात हुआ कि इनके यहाँ सभी प्रकार के व्रत, पूजा–पाठ एवं त्यौहार मनाये जाते हैं। इनके यहाँ धर्म को मानने वाले अधिक लोग हैं।

तालिका सं0–5.14

महिलाओं की धार्मिक स्थिति

क्र0सं0	महिलाओं की धार्मिक स्थिति के आधार पर	संख्या	प्रतिशत
1.	महिलाओं में धार्मिक मान्यता	172	43
2	महिलाओं में त्यौहारों का आयोजन	128	32
3	महिलाओं द्वारा धार्मिक संस्कारों का सम्पन्न कराना	100	25
	कुल योग	400	100

उत्तरदाताओं की धार्मिक स्थिति को सामान्य परिचय के अन्तर्गत तालिका के आधार पर स्पष्ट किया गया है कि साक्षात्कार के आधार पर ज्ञात हुआ कि अलग–अलग धर्मों को मानने वाली महिलाएँ है जो अपने देवता पर अधिक विश्वास करती हैं। प्रसन्न करने के लिए वे व्रत तथा पूजा अर्चना भी करती हैं। 32 प्रतिशत महिलाओं के यहाँ सभी व्रत तथा त्यौहार मनाये जाते हैं। कुछ महिलाओं के यहाँ किसी कारणोवश कुछ त्यौहार नहीं मनाये जाते हैं। इनके परिवारों में सभी प्रकार के संस्कार भी सम्पन्न कराये जाते हैं।

शोध प्रबन्ध को शोधकर्ता ने मौलिक एवं विश्वसनीय बनाने के लिए अथक प्रयास व परिश्रम किया है। भविष्य में यह शोध महिलाओं के लिए निश्चित ही कारगर साबित होगा। शोध प्रबन्ध को अनुसंधानकर्ता ने मानचित्रों द्वारा उद्धत् किया है। शोध प्रबन्ध, सन्दर्भ ग्रन्थ सूची का भी विवरण दिया गया है।

अध्याय–6

प्रतापगढ़ (बेल्हा) की कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ

इनका गहरा अध्ययन करना आवश्यक है। इस शोध के दौरान विभिन्न रोजगार में बातचीत हुयी उससे ज्ञात हुआ है कि इनकी समस्यायें मुख्यता तीन प्रकार की है :–

परिवेशजनित तथा घर में रोजगार। कामकाजी महिलाओं का घर तथा रोजगार की जगहों पर सामाजिक, मनोवैज्ञानिक वातावरण जनित समस्याओं से परेशानी होती है। ये समस्यायें दोहरी है–पहली दो तरफ कम्पीटशन, आन्तरिक संघर्ष तथा दूसरी है व्यवहार के स्तर पर की समस्या घर–बाहर की जिम्मेदारी के साथ रोजगार से सम्बन्धित उत्तरदायित्व का ताल–मेल बनाने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाई।

समस्याओं पर विचार करने के पहले यह प्रश्न उठाना समीचीन है कि अपने रोजगार पर अपनी नहीं? अध्ययनों के द्वारा प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण तथा अरोड़ा, भट्टाचार्य तथा अन्य रामानुजन और श्रीवास्तव के अध्ययनों को पढ़ने तथा त्रिपाठी, सेन गुप्ता तथा अन्य दूसरों द्वारा फेमिना तथा 'ईब्स वीकली' आदि पत्रिकाओं में लिखे लेखों को देखने से जान पड़ता है कि स्त्रियों द्वारा हर प्रकार की नौकरियाँ पाने पर बहादुरी और विश्वासपूर्वक सामना करना उन्होंने सीख लिया है कामकाज को करने लगी है व्यवसाय की वजह वे अपनी आर्थिक समस्या अधिक हैं।

शोधार्थी ने प्रतापगढ़ में शिक्षित कामकाजी होता है कि शिक्षित कामकाजी महिलाएँ ऐसा समझतीं हैं कि वजह से परिवार में प्रतिष्ठा बढ़ गयी है बताया कि परिवार में सर्विस/व्यवासाय उनकी समस्या बन गयी है।

दूसरी ओर अनेक विद्वानों द्वारा किये गये अध्ययनों से स्पष्ट है कि अधिकांश पारिवारिक जीवन में आई हुयी बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उदाहरण अधिकांश स्त्रियों ने उन्हें बताया कि उने पति लापरवाह है तथा प्रायः ऐसा चाहते है कि उनकी पत्नियाँ परम्परागत चिन्ता मानने के लिए तैयार है कि पत्नियाँ नौकरी करें तथा उन्हें पुरूषों के समान अधिकार मिलने चाहिए। कामकाजी महिलायें भी यहीं समझती हैं कि अपनी नौकरी के द्वारा अपने पारिवारिक महत्त्वपूर्ण कार्यकर्त्ता की भूमिका निभाती हैं।

कामकाजी होने के कारण से बच्चों नहीं देख पाती है।

कर्मचारियों की भावनात्मक समस्याओं के सम्बन्ध में बसन्त कुमार के अध्ययन से स्पष्ट है कि घर तथा कार्यालय के कामों की माँग तथा आवश्यकताओं के प्रति उत्तेजित कर देती है।

एप्स्टीन ने लिखा है कि जो महिलाएँ पत्नी माँ है। एक महिला का जो दर्जा समूह है अर्थात् किसी समय विशेष पर कोई महिला जिन अनेक दर्जों को धारित किये रहती है उसकी वजह से उसके लिए दूसरा दर्जा हासिल करना अथवा वर्तमान दर्जे को छोड़ना कठिन हो जाता है। समाज स्त्री के नारीगत दर्ज को उसके अन्य किसी भी दर्जे की अपेक्षा अधिकतर आदर देता है। आचारण के सम्बन्ध में जो मान्यतायें हैं वे प्रायः अस्पष्ट होती है। जिस तरह के आचारण और दृष्टिकोण उनमें काफी भिन्नता होती है।

प्रत्येक उत्तरदायित्व समूह के सदस्यों के बीच इस बात पर नहीं है कि कामकाजी स्त्रियों से किस प्रकार के उत्तरदायित्व आचरण की अपेक्षा है और किसी एक दर्जे से सम्बंधित उत्तरदायित्व बहुत अधिक हो सकते हैं। जब दर्जे का संगठन आम प्रकार का नहीं होता है तो इससे लोगों की असुविधा होती है।

प्रायः महिला को पत्नी बनना ही होता है। कामकाजी महिलाओं के दृष्टिकोण का जो अध्ययन हुआ है उससे स्पष्ट होता है कि रोजगारशुदा महिलायें शादी करना तथा साथ ही साथ नौकरी भी करती रहना चाहती भी नौकरी करती रहना चाहती है, सामने एक असामान्य परिस्थिति पैदा हो जाती है कि इन दोनों उत्तरदायित्वों को वे किस प्रकार एक साथ ही निभायें। फलस्वरूप उन्हें संघर्ष, तनाव, थकावट के क्षणें से गुजरना पड़ता है।

अरोड़ा, भट्टाचार्य तथा अन्य के अध्ययन में तीन चौथाई ने कहा कि आर्थिक भूमिका निभाने के बावजूद भी उन्हें घरेलू झंझटों से कोई आराम नहीं हैं। 40 प्रतिशत महिलाओं को उन सारे कामों का निपटना पड़ रहा है जो वे नौकरी में आने के पहले कर रही थीं। उनसे आशा की जाती है कामों में पूरा–पूरा हाथ बँटायें। चूँकि अधिकांश घरेलू काम दोनों साथ–साथ निपटाना पड़ता है अतः उनका थक जाना सम्भालने के लिये कोई बूढ़ी औरत भारत में तो भारतीय ढंग का खाना पकाने में घण्टों का समय लगता है।

नौकरी करने की वजह से तथा अपनी आय में सम्बन्ध में उसे कुछ विशेषाधिकार भी मिल गये हैं फिर भी जैसा कि सत्यानन्द ने बताया है कि अधिकतम कामकाजी महिलाओं को पति के वश में रहना पड़ता है। परिवार में उसका दर्जा भले

ही ऊँचा हो गया है परन्तु पति मर्यादा से जरा भी हटना नहीं चाहते वे चाहते हैं कि पहले की तरह ही पत्नी उनकी सेवा पर उनका अधिकार रहे। पति इस बात पर जोर देता है कि उसकी कामकाजी पत्नी नौकरी की अपेक्षा पत्नी और माता के उत्तरदायित्वों को अधिक महत्त्वपूर्ण समझें।

परिवार में कमाऊ सदस्य के नाते स्त्री परिवार में एक विशिष्ट सम्मान का पद पाना चाहाती हैं। वह चाहती है कि कमाऊँ पुरूष समकक्ष दर्जा मिले परन्तु वास्तव में उसे सब उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के खर्च करने का अधिकार उन्हें आय पति अथवा सास श्वसुर को देना पड़ता है और कोशिश की वहाँ कलह उठ खड़ा होने के बावजूद भी उन्हें कहीं आने की स्वतन्त्रता नहीं है अपनी इच्छानुसार पति के साथ यौन सम्बन्ध करने की उसे स्वतन्त्रता नहीं व पति, सास–श्वसुर उसका कोई विशेष ध्यान नहीं रखते है।

'नवभारत टाइम्स; द्वारा 1963 में अपने पाठकों द्वारा प्रश्न पूछे गये थे उनके उत्तरों से स्पष्ट हुआ कि अनेक स्नेह और सहानुभूति नहीं मिलती। रामनम्मा ने पूना की शिक्षित रोजगारशुदा महिलाओं के सम्बन्ध में एक दूसरे सदस्यों का उनके ऊपर दबदबा कुछ कम हुआ है अथवा नहीं। पता चला कि इन महिलाओं का अपने परिवार में महत्त्व शायद ही बढ़ा है तथा परिवार में अभी भी पति का ही बोल बाला था।

मुम्बई में टाइपिस्ट, क्लर्क, रेसेप्सनिस्ट अथवा टेलीफोन आपरेटर वाली अविवाहिता लड़कियों के सम्बन्ध में लोगों ने एक विशेष अध्ययन किया था। उससे मालूम हुआ था कि अधिकांश लड़कियों को अभिभावकों के नियन्त्रण से कोई छुटकारा नहीं मिला है। हाँ, शादी के क्षेत्र में उन्हें कुछ छूट जरूर मिली है किन्तु परिवार में उनकी मर्यादा नहीं बढ़ी है। कुछ को कमाऊ सदस्य के नाते अवश्य ही परिवार में कुछ अधिक सम्मान प्राप्त था।

धन कमाने के नाते जहाँ तक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतन्त्रता मिलने की बात है। अरोड़ा, भट्टाचार्य तथा अन्य के अध्ययन में 67.50 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं ने बताया कि अब उन्हें पति चुनने की स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई है। फिर भी वे अपने अभिभावकों की इच्छाओं का अनादर नहीं करेंगी। 33.50 को कोई भी पेशा अपनाने की स्वतन्त्रता थी। 43 प्रतिशत को अपनी इच्छानुसार पैसा खर्च करने की इजाजत थी, 21.50 प्रतिशत को किसी भी जगह, किसी भी समय, किसी भी समारोह में शामिल होने की स्वतन्त्रता थी। स्पष्ट है कि आर्थिक स्वतन्त्रता की वजह से कुछ

अविवाहित लड़कियों को कुछ मामलों में स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी है। फिर भी अपने आप निर्णय लेने का अधिकार उन्हें शायद ही है।

उनमें से 23.33 प्रतिशत को परिवार में अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता था। 11 प्रतिशत अधिक उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त है।

कार्यरत महिलाओं की समस्याएँ तथा कठिनाईयाँ मुख्यता तीन प्रकार की होती है :–

- वातावरण
- सामाजिक
- मनोवैज्ञानिक

इनमें से प्रत्येक दो अवस्थाओं में उत्पन्न होती :–

- घर में
- व्यवसाय

घर तथा व्यवसाय/नौकरी दोनों स्थानों पर मनोवैज्ञानिक तथा वातावरण जनित कठिनायों से लड़ना पड़ता है। ये समस्याएँ दोहरी है:–

कार्यरत महिलाओ का घर तथा नौकरी दोनों जगहों पर सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा वातावरण जनित समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएँ दोहरी है–

दोहरी प्रतिबद्धता से उत्पन्न आन्तरिक संघर्ष आया है उसका यह जानने का प्रयास हर प्रकार की आज हमें पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास आ गया है। घर से बाहर के कामकाज को निपटाने में उन्होंने प्रवीणता प्राप्त है। नौकरी की वजह से वे आर्थिक आजादी से अधिक सन्तुष्ट हैं तथा अपने अधिकारों विशेषाधिकारों तथा आत्म सम्मान के प्रति सजग है। परिवार के लिए अपनी–अपनी महत्ता परिवार में अपने अत्तवैयक्तिक सम्बन्धों तथा स्वयं अपने तथा अपने पति और परिवार के दूसरे सदस्यों के उत्तरदायित्वों और कर्त्तव्यों के प्रति उनके हैं।

परन्तु दूसरी ओर अधिकांश आयी हुयी बदलाव को स्वीकारने अध्ययन के दौरान लेखक ने बताया कि अधिकांश पति यह चाहते हैं कि पारिवारिक आय में वृद्धि के लिए साथ ही साथ वे पति परिवार के काम में हाथ बँटाने तथा बच्चों की देखभाल करने के लिए कत्तई तैयार न करती हो।

जहाँ सम्बन्धों में अनेक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक समस्याएँ उठती है। इस प्रकार जो करना पड़ता है।

नौकरी करना वे किस प्रकार एक साथ निभाएँ। परिणामस्वरूप उन्हें संघर्ष, थकावट, तनाव व असंगतियों के क्षणों में गुजरना पड़ता है। कुछ महिलाओं ने कहा कि आर्थिक भूमिका निभाने के बावजूद भी उन्हें घरेलू झंझटों से कोई राहत नहीं है। जबकि अन्य महिलाओं को वे सारे काम करने पड़ते हैं जो सर्विस में आने से पहले करती थीं। उनसे वे अपने कामों में पूरा–पूरा हाथ बँटायें। चूँकि अधिकांश कार्यरत महिलायाँ नौकरी और घरेलू काम दोनों को साथ– साथ निपटाना पड़ता है। अतः उनका थक जाना स्वाभाविक है जिन परिवारों में कोई बूढ़ी औरत नहीं होती है। परिवारों में पति पत्नी की सहायता नहीं करते।

जो कार्यरत महिलाएँ पुरूषों के कंधे से कन्धा मिलाकर काम करती है उनकी समस्याएँ कुछ दूसरी हैं। परिवार के लिए धन अर्जित करने के अतिरिक्त जो सम्मान प्राप्त होना चाहिए वह नहीं महिलाओं की समस्याएँ बहुमुखी है।

कार्यरत महिलाओं के साथ लेखक ने साक्षात्कार किया उन्होंने बताया कि पुरूषों के जो महिलाएँ किसी पुरूष उच्चाधिकारी के नीचे काम करती हैं उनकी यह समस्या है कि व्यक्ति अधिकारी उन्हें कार्यकुशल कार्यकर्ता न मानकर उन्हें सिर्फ स्त्री में देखते हैं। यदि वह उसको करने दिया तो उसमे अपनी कत्तई योग्य नहीं हैं।

यदि महिला अधिकारी हुयी और उसके अधीनस्थ कर्मचारी पुरूष हुये तो उसका एक दूसरी प्रकार की उलझन से पाला पड़ता है। यदि वह अल्पभाषी है, अपने कर्मचारियों से उसने अनुशासन बरतने के लिए तथा काम ठीक तरह से करने के लिए कहा तो उसे उनका कोपभाजन बनना पड़ेगा। दूसरी तरफ यदि उसने नम्रता, शिष्टता और सदस्यता से काम लिया तो कहा जाता है कि वह उच्चाधिकारी की स्थितियों से साफ पता चलता है कि पुरूष अभी भी किसी महिला अधिकारी पड़ा तो उनकी अहम् भावना को चोट पहुँचती है।

कार्यरत महिलाओं को आमतौर पर पुरूषों में भी तनाव उत्पन्न होते हैं। यदि अधिक बोलती–चालती नहीं खुलकर पुरूष सहकर्मियों के साथ खुलकर मिलती–जुलती है तो उसे गलत नजरों से देखा जाता है। उसका नाजायज फायदा भी उठाने की कोशिश की जाती है।

एक दूसरी समस्या है कि पुरूषों की तरह कार्य करते—करते वह किसी पुरूष विशेष के साथ नजदीकी सम्बन्ध बना लेती है। इसकी वजह से उसके वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएँ पैदा हो जाती है।

जो महिलाएँ अधिक मजबूरी की वजह से नौकरी करती है उन्हें अपने अधिकारियों के गलत विचारों के सामने भी झुकना पड़ता है। वे इस डर से उनकी शिकायत भी नहीं कर पातीं कहीं उनकी नौकरी ही न चली जाए अथवा उन्हें पदोन्नति ही न मिले। उनके सामने दुविधा है कि कामवाली महिलाओं का किस हद तक शोषण हो रहा है। कार्यरत महिलाओं की एक और समस्या अध्ययन के दौरान देखने को मिली, वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कार्यरत महिलाओं को नौकरी के उत्तरदायित्वों को निभाने में उलझी रहने की वजह से वे अपनी परम्परागत पारिवारिक जिम्मेदारियों का पूरा—पूरा निर्वाह नहीं कर पातीं, तथा ताने सहने पड़ते हैं कटु आलोचना का शिकार होना पड़ता है। कार्यरत महिलाएँ स्वयं भी महसूस करती हैं कि दोहरा उत्तरदायित्व निभाना सुखकर नहीं है।

इन सामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्या है आवागमन की, जहाँ घर से कार्यस्थल तक बसों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है वहाँ बस पकड़ने हेतु धक्का—मुक्की की यथेष्ट सुविधा से पहुँचती है, तो पड़ोसियों से उसके विरूद्ध काना—फूसी से बाज नहीं आते। महाराष्ट्र सरकार की समिति ने अपराधी अधिकारियों के विरूद्ध महिला कर्मचारियों द्वारा की गयी कई सुझाव दिये हैं।

सैकड़ों शिक्षित कामकाजी स्त्रियों से बातचीत करते समय यह अनुभव किया कि जो स्त्रियाँ अधिक भड़कीली पोशाक पहनती हैं, अर्द्धनग्न सी दीख पड़ती हैं। उनको ही पुरूष छेड़ते हैं तथा नीच निगाह से देखते हैं। इसके विपरीत जो महिलाएँ सादी पोशक पहनती हैं, सौम्य आचरण करती हैं उन्हें पुरूष सहकर्मी सम्मान देते हैं। इसका अर्थ यह है कि महिलाओं को सीधे—सादे वस्त्र धारण करने चाहिए, आचरण सुसंस्कृत बनाने चाहिए। इससे उन्हें तथा पुरूष सहकर्मियों को अपना काम कुशलतापूर्वक करने में सहायता मिलेगी।

महाराष्ट्र सरकारी की समिति ने भी सुझाव दिया कि महिलाओं को मर्यादित आचरण करना चाहिए। अधिक तड़क—भड़क नहीं करनी चाहिए। समिति ने यह भी सुझाया है कि प्रत्येक कार्यालय में महिला कर्मचारियों के कल्याण धर्म के लिए कल्याण पदाधिकारियों की नियुक्त किया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र सरकार समिति को महिला कर्मचारियों की एक और समस्या देखने में आयी। वह है स्थानान्तरण के साथ–साथ पारिवारिक जीवन का ताल–मेल बैठाने के उद्देश्य से समित ने सुझाया है कि जहाँ तक हो सके कामकाजी महिलाओं की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण उन्हीं जगहों पर हो जहाँ उनके पति काम कर रहे हों।

कार्यालय कार्य के प्रति स्वयं महिलाएँ तथा उनके माता–पिता तथा समाज द्वैधवृत्ति रखते हैं। इस उभयभाव से कामकाजी महिलाओं को उलझन में रहना पड़ता है, वे यह तो चाहती ही हैं कि उन्हें किसी पुरूष कार्यकर्ता के ही योग्य माना जाय साथ ही साथ वे यह भी चाहती हैं कि महिला होने के नाते पुरूष उनका विशेष ध्यान रखें। वे स्त्री के रूप में पसन्द किया जाना तथा प्रशंसित होना तो चाहती है। परन्तु वे यह भी चाहती है कि उन्हें मात्र एक स्त्री ही न माना जाये बल्कि एक कार्यकुशल तथा आर्थिक रूप से स्वतन्त्र व्यक्ति भी चलता है कि पति, परिवार के अन्य सदस्य भी यह चाहता है लड़की, पत्नी अथवा बहू नौकरी करें क्योंकि इससे परिवार की आर्थिक तथा स्वयं उन्हें कुछ लाभ मिलता है। परन्तु अनजाने में ही वे इसके लिए तैयार भी नहीं है। वे चाहते हैं कि एक कार्यकर्ता के रूप में वह योग्य, आत्मविश्वासी तथा स्वाग्रही बने परन्तु साथ ही वे यह नहीं चाहते कि वह पत्नी के रूप में भी वैसी ही सक्षम आत्मविश्वासी तथा स्वाग्रही बने, उन्हें यह पसन्द नहीं कि अपने बाहरी उत्तरदायित्वों के कारण वह अपने परम्परागत पारिवारिक उत्तरदायित्वों से मुँह मोड़े। जहाँ तक घर का सम्बन्ध है उससे पति के दर्जे और उत्तरदायित्व को बदले हुए नजरिये से न देखें। आम तौर पर लोग यह नहीं चाहते कि स्त्री को अपनी कोई अभिरूचि, इच्छा, दृष्टिकोण तथा जीवन सम्बन्धी मान्यताएँ हो। यह भी पसन्द नहीं किया जाता है कि उसमें समानता की भावना पनपे वह कहीं, भी आने–जाने के लिए स्वतन्त्र हो तथा अपने व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में स्वयं कोई निर्णय लें।

पति और पत्नी के नौकरी से सम्बन्धित उभयभाव के सम्बन्ध में दुबे ने भी ऐसा ही विचार प्रतिपादित किया है। उन्होंने कहा ''महिलाओं की आपेक्षिक आर्थिक स्वतन्त्रता की जो प्रवृत्ति है उसे बहुत से पुरूष उभयभाव से देखते हैं। यहाँ तक कि कुछ पाश्चात्य सभ्यता के रंगे पुरूषों का भी यही हाल है। यदि कामकाजी महिला किसी अच्छे पद पर कार्य करती है तो उससे साथ ही साथ यह एक सामाजिक परिसम्पत्ति भी है। परन्तु उसका दूसरों से विशेष रूप से पराये पुरूषों से खुलकर मिलना अच्छा नहीं समझा जाता। नौकरी करना एवं अपनी परम्परागत पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा–पूरा निर्वाह नहीं करने के ताने सहने पड़ते है। अपने नये उत्तरदायित्व के कुछ पुरूषोचित्त पहलुओं से वे प्रसन्न नहीं है।''

पुरूष तथा समाज द्वारा उभयभावी दृष्टिकोण अपनाने, महिला की एक कार्यकर्ता के रूप से स्वीकार करने तथा कामकाजी पत्नी की बदली हुयी जीवन पद्धति को पति द्वारा स्वीकार न करने की वजह से कामकाजी महिलाओं और उनके पतियों के जीवन में नाना प्रकार की सामाजिक मनोवैज्ञनिक समस्याएँ द्वन्द्व तथा तनाव उत्पन्न होते हैं। परन्तु आशा की जाती है कि इस संक्रान्ति काल में कुछ हद तक इस प्रकार की उलझनों का उठना तथा उनकी वजह से संघर्ष और तनाव उत्पन्न होता स्वाभाविक है। जब उत्तरदायित्वों का पूर्ण नियमन हो जायेगा तो यह समस्या भी अपने आप समाप्त हो जायेगी।

ऊपर जिन सामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं की चर्चा की गयी है उनके अलावा आवास की कठिनाई। महिलाओं को कार्यालय में नौकरियों की सुविधा मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े–बड़े शहरों में ही उपलब्ध हो। महिला कार्यालयीय कार्यकर्ताओं का जमघट इन्हीं शहरों में होता है। फलस्वरूप वहाँ आवास कामकाजी महिला होस्टलों, फ्लैटों की संख्या बहुत ही कम है उनमें सभी महिला कार्यकर्ताओं की जगह नहीं मिल पाती। बंगलौर की शिक्षित स्नातिका महिलाओं ने जो अध्ययन किया था उसमें भी यह बताया गया था जिन स्थानों में नौकरियाँ उपलब्ध है वहाँ समुचित आवास की सुविधा का अभाव होना सबसे बड़ा कारण है।

आवास उपलब्ध न होने के कारण अविवाहित महिलाएँ अपने स्थानीय क्षेत्र से बाहर नौकरी करने नहीं जा पाती हैं।

कुछ अन्य दूसरे अध्ययनों तथा सर्वेक्षणों से मालूम समस्या है आवागमन की। दिल्ली जैसे शहरों में, जहाँ पर बसों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है वहाँ बसों की रेल–बस में महिला कार्यकर्ताओं का सफर करना कठिन ही है। यहाँ बस पकड़ने के लिए धक्का–मुक्की करनी पड़ती है। बसों की इंतजार में घण्टों लग जाते हैं। लम्बे कार्यकाल के बाद दो तीन घण्टों तक बसों में प्रतिक्षा व सफर करना बहुत कष्टदायक है। उस महिला के लिए जिसे घर के भी सारे कार्य करने पड़ते हैं बसों द्वारा सफर करना बहुत ही क्लेशकर और थका देने वाला है। बंग्लौर की महिला स्नातकों के सम्बन्ध में गोल्डस्टीन द्वारा किये गये अध्ययन में महिलाओं के लिए आवागमन की समुचित सुविधा की कितना कमी है। बस से होने वाले कष्ट तो है ही उसके अलावा यदि कोई है। उसकी मान मर्यादा को आँच लगने का अंदेशा बना रहता है। उसके पति और सास–श्वसूर यहाँ तक कहने लगते हैं कि वह अपने पुरूष साथियों के साथ हम समस्या से निपटने के लिए सरकार तथा कर्मचारी कल्याण योजना के अन्तर्गत दो

कदम उठाये जाने चाहिए। एक तो इस बात की व्यवस्था करना कि कर्मचारियों के आवास तथा कार्यस्थल समीप ही होना चाहिए। यहाँ तक कि स्कूल और बाल–अनुरक्षण केन्द्र भी कार्यस्थल के समीप ही होना चाहिए। इससे विवाहित स्त्रियों को नौकरी में आना तथा नौकरी में लगे रहना आसान हो सके। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक कार्यालय की अपनी बस सेवा होनी चाहिए ताकि महिला कार्यकर्ताओं को सरकारी बसों की रेल–पेल से भी बचाया जा सके।

कामकाजी महिलाएँ एवं यौन उत्पीड़न

रात की ड्यूटी करने में भी उन्हें संकोच नहीं होता फिर भी यौन उत्पीड़न एक ऐसा पहलू है जहाँ उनका उत्साह खत्म हो जाता है।

कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 141 के अन्तर्गत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किये लेकिन उनको कानून का रूप नहीं दिया। अब राष्ट्रीय महिला आयोग से सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण) विधेयक 2003 का औसत मसौदा पेश किया है। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार यौन उत्पीड़न के अन्तर्गत अश्लील भाव भंगिमा, नग्न तस्वीरों का प्रदर्शन, गंदी टिप्पणियाँ, भद्दे चुटकुले, शारीरिक बनावट को लेकर कोई भी टिप्पणी, यौन सम्बन्धी माँग धमकी, शारीरिक सम्बन्ध, स्पर्श, थपथपाना, रगड़ना, चिकोटी काटना, छेड़छाड़ शामिल है। नौकरी पेशा महिलाओं के अलावां स्वानियोजित महिलाओं व छात्राओं को इसमें सम्मलित किया गया है।

आचार संहिता

यह मालिक या नियोक्ता, प्रबन्धक की ड्यूटी है कि वह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का बचाव या रक्षा करें। यौन उत्पीड़न के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा निम्नलिखित अप्रिय या अरूचिकर यौन दुर्व्यव्हार आता है–

छेड़खानी, अश्लील टिप्पणी, भद्दे और लज्जित करने वाले चुटकुले, फब्ती लिंग आधारित टिप्पणी, फोन पर अप्रिय यौनिक बातें, शारीरिक अंग को छूना या रगड़ना, नग्न व अपमानजनक तस्वीरें या कार्टून दिखाना या ऐसा कुछ कहना, जबरदस्ती शरीर को छूना व छेड़छाड़ मर्जी के बगैर शरीर से चिपकना या किसी की निजता को तोड़ना या लैगिंग आधार पर कैरियर विकास में बाधक बनाना।

स्वरोजगार की समस्या जितनी गम्भीर होती जा रही है उसमें महिलाओं को कुछ भी दॉव पर लगाना पड़ता है। दूरस्थ राज्यों से आने वाली महिला श्रमिकों के

सामने रोजगार सबसे अहम् होता है। असंगठित क्षेत्र की महिलायें अधिक पीड़ित होती है। लोकलाज के कारण वे यौन शोषण की बात किसी से नहीं कह पातीं क्योंकि उन्हें यह भी पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुरक्षा का कोई व्यवस्था किया है।

अध्ययन एवं वास्तविक स्थिति

देशभर के विभिन्न संगठनों और संस्थाओं के **2400 पुरूषों और महिलाओं** के ''साक्षी के सर्वेक्षण से यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित चिन्ताजनक आँकड़े सामने आये हैं।

●80 प्रतिशत का कहना है कि भारतीय कार्यालय में यौन उत्पीड़न होता है।

●49 प्रतिशत ने इस उत्पीड़न को भुगता है।

●41 प्रतिशत ने इसे नहीं भुगता न ही ऐसी किसी महिला को जानते हैं जिसका यौन उत्पीड़न हुआ है।

●53 प्रतिशत का कहना है कि काम में पुरूषों और महिलाओं को बराबर अवसर नहीं मिलते।

●53 प्रतिशत का कहना है कि महिलाओं के साथ पर्यवेक्षक, कर्मचारी और सहकर्मी अच्छा व्यवहार नहीं करते।

●20 प्रतिशत का कहना है कि उनके संगठन में दिशा निर्देश को लागू कर दिया है। कार्यस्थल पर विभिन्न परिस्थितियों में यौन उत्पीड़न के कारण ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कराए गये अध्ययन से पता चलता है।

●महिलाओं में से 61.1 प्रतिशत सामान्य वर्ग को है जबकि अन्य पिछड़ी जातियों, दलितों एवं आदिवासी महिलाओं की भागीदारी 38.9 प्रतिशत है।

सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों से यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित कानूनों की कमी पूरी हुयी है। इसके अनुसार कार्यपालिका या अन्य महत्त्वपूर्ण पद पर आसीन व्यक्ति का यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा का ध्यान रखें और उन्हें किसी भी प्रकार से यौन उत्पीड़न से बचायें। कार्यस्थल के प्रभारी बिना किसी पूर्वागृह के यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए उचित कदम उठायें–

●ये यौन उत्पीड़न जैसे कृत्य की सख्त मनाही के नोटिस लगाएँ।

●इसके खिलाफ एक निश्चित सजा व जुर्माने का प्रावधान किया जाय।

●महिलाओं को कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सुविधायें और कार्य आदि के दृष्टिगत उचित व सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए।

●एक शिकायत समिति बनायी जाय जिसमें एक विशेष सलाहकार और अन्य शामिल हों। समिति की अध्यक्ष कोई महिला ही हो और समिति की आधी से अधिक सदस्य भी महिला हो। किसी भी तरह से दबाव से बचाने के लिए इसमें इस तीसरा पक्ष यानि किसी स्वयंसेवी या अन्य संस्था जो इस तरह के मामलों से परिचित हो, को भी सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

जाँच एवं दण्ड विधान

कार्यस्थल पर किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न के लिये दोषी के अलावां पर्यवेक्षक, प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक, प्रशासन प्रमुख को संयुक्त रूप से जिम्मेदार माना गया है। ऐसी स्थिति में दण्ड संहिता की धारा–34 लागू होगी। यौन उत्पीड़न के दोषी को पाँच साल तक की जेल हो सकती है या 20 हजार रूपये तक जुर्माना था दोनों सजा हो सकती है। भारत दण्ड विधान की धारा–209 अश्लील हरकत और अनजाने में जो कोई किसी को परेशान करता है।

(क) किसी सार्वजनिक स्थल पर अश्लील हरकत करता है।

(ख) सार्वजनिक स्थल या उसके आस–पास अश्लील गाने गाता है उसे 3 महीने की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

भारतीय दण्ड विधान की धारा–354 महिला के साथ बलात्कार के जुर्म मे दो वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों भारतीय दण्ड विधान की धारा–509 किसी महिला की बेदज्जती के उद्‌देश्य से शब्द भंगिमा या हरकत के लिए एक वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

अध्याय–7

निष्कर्ष

भारतीय समाज धर्म प्रधान समाज रहा है, जहाँ कि जीवन रूप में धर्म द्वारा परिभाषित, संचालित एवं नियन्त्रित रहा है। भारतीय सन्दर्भ में नारी भी अपने विभिन्न रूपों से जैसे पत्नी, पुत्री, माँ, बहन आदि धर्म से परिबद्ध रही है। नारी की पूर्णतया का प्रमुख आधार विवाह माना गया। जिसे कि भारतीय संस्कृति में जन्म–जन्मान्तर कर रिश्ता, धार्मिक संस्कार एवं अटूट बन्धन माना गया। इन्हीं धारणाओं एवं विश्वासों के फलस्वरूप वैवाहिक सम्बन्धों में किसी भी असामंजस्य परिस्थितियों को भी बिना किसी शिकायत के सहन किया गया। अतः परम्परागत रूप में वैवाहिक जीवन में सामंजस्य की समस्या प्रकाश में नहीं आयी चूँकि परम्परागत रूप में पुरूष प्रधान सामाजिक व्यवस्था थी। महिलाएँ अपने सम्पूर्ण जीवन में अपनी इच्छाओं के विपरीत परिस्थितियों, शोषण, अपमान, उत्पीड़न को मूक बनकर सहती थी। किन्तु समकालीन भारतीय समाज में परिवर्तन की आधुनिक प्रक्रियाओं, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, औद्योगीकरण, नगरीकरण, लौकिकीकरण एवं भौतिकवादी विचारधारा तथा आर्थिक स्वतन्त्रता, वैधानिक व्यवस्था व राजनीतिक चेतना आदि के फलस्वरूप महिलाओं को अपने अस्तित्व का बोध हुआ और उन्होंने हर प्रकार के शोषण एवं उत्पीड़न के सन्दर्भ में प्रश्न किए फिर यहीं से पारिवारिक अशान्ति का दौर शुरू हुआ।

बदलती परिस्थितियों में देखने को मिला। प्रथम तो नारी ने शिक्षा के क्षेत्र में पुरूष के समकक्ष आने का प्रयास किया और दूसरा महिलाओं ने नौकरियों एवं व्यवसायों में आने का प्रयास किया। लेखक ने कार्यरत महिलाओं एवं पारिवारिक असंगतियों के प्रभाव को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया। समस्या पर पूर्ण प्रकाश डालने हेतु शोध के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद का चुना है। अनुभव के आधार पर निम्न प्राक्कल्पनाओं का भी निर्माण किया गया है –

दोहरी भूमिका सामंजस्य को विघटित किया है। वहीं दूसरी ओर पारिवारिक विसंगतियों के परिणामस्वरूप उनकी कार्यकारी भूमिकाएँ भी प्रभावित हुयी हैं।कार्यरत महिलाओं की गृहणी व व्यवसायी अंशों तक भूमिका संघर्ष उपस्थित है।

400 कार्यरत महिलाओं का निष्कर्ष इकाइयों के रूप में चुनकर अध्ययन किया गया जो समाज का प्रतिनिधित्व करती है।

अध्ययन में तथ्य संकलन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक स्त्रोतं में परीक्षण, साक्षात्कार तथा अनुसूची और द्वितीयक स्त्रोत में विभिन्न समितियों, संस्थाओं के प्रतिवेदन, जनगणना रिपोर्ट, सरकारी आँकड़ों समाचार–पत्र, पत्रिकाओं आदि का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया गया है तथा एकत्रीकरण के बाद उनका वर्गीकरण, सारणीयन व विश्लेषण किया गया है और सबसे अन्त में अध्ययन के आधार पर यथार्थ निष्कर्षों का प्रतिपादन किया गया है, जो काफी सीमा तक प्राक्कल्पना के अनुरूप ही सिद्ध हुये हैं।

7.1 परिकल्पनाओं का विश्लेषण

परिकल्पना:1.प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाएँ कार्यस्थल पर उत्पीड़न और शारीरिक–मानसिक तनाव का सामना करती हैं, जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।''

विश्लेषण:

इस परिकल्पना को मात्रात्मक आंकड़ों और गुणात्मक अवलोकनों के माध्यम से मजबूती से समर्थन देता है। साक्षी NGO द्वारा किये गये अखिल भारतीय सर्वेक्षण में निम्न परिणाम प्राप्त हुये है

– शारीरिक उत्पीड़न : लगभग महिलाएँ शारीरिक उत्पीड़न की शिकार हैं, जो कार्यस्थल की सुरक्षा की कमी को दर्शाता है।

–मानसिक उत्पीड़नः महिलाओं ने मानसिक उत्पीड़न की सूचना दी, जो मनोवैज्ञानिक तनाव की व्यापकता को दर्शाता है। यह अपमानजनक टिप्पणियों, दबाव या भेदभाव से उत्पन्न हो सकता है।

– लैंगिक भेदभाव : महिलाओं ने लैंगिक भेदभाव का अनुभव किया, जो असमानता के माहौल को बढ़ाता है।

– अन्य समस्याएँ (जैसे असम्मानय महिलाओं ने असम्मान का सामना किया, जो कार्यस्थल की चुनौतियों को और गंभीर बनाता है।

ये आंकड़े दस्तावेज के यौन उत्पीड़न और कार्यस्थल सुरक्षा पर चर्चा के साथ संरेखित हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के विशाखा दिशानिर्देश और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 का उल्लेख है, मानसिक उत्पीड़न की उच्च दरगैर–शारीरिक उत्पीड़न की व्यापकता को दर्शाती है, जिसे कानूनी रूप से संबोधित करना कठिन है।

तनाव महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाते हैं। मानसिक उत्पीड़न चिंता, अवसाद और बर्नआउट का कारण बन सकता है, जबकि शारीरिक उत्पीड़न सुरक्षा को खतरे में डालता है। यह परिकल्पनो आंकड़ों द्वारा मजबूती से समर्थित है। मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे कानूनी प्रवर्तन और जागरूकता की आवश्यकता है।

परिकल्पना 2: कामकाजी महिलाओं को कार्य और परिवार के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई होती है, जिससे वे अधिक तनाव और चिंता महसूस करती हैं।''

इस परिकल्पना का समर्थन करता है, जिसमें ''भूमिका संघर्ष'' को एक प्रमुख मुद्दा बताया गया है। महिलाएँ पेशेवर और पारिवारिक जिम्मेदारियों को संतुलित करने में संघर्ष करती हैं।

– भूमिका संघर्ष और तनाव का उल्लेख है कि अधिकांश महिलाएँ एक आदर्श कर्मचारी, पत्नी और माँ की भूमिकाओं को निभाने में कठिनाई महसूस करती हैं, जिससे तनाव और चिंता बढ़ती है। सर्वेक्षण में महिलाओं ने मानसिक तनाव की सूचना दी, जो इस संघर्ष से जुड़ा है।

– पारिवारिक जिम्मेदारियाँ दस्तावेज में कहा गया है कि महिलाएँ मानती हैं कि उनकी नौकरी परिवार और बच्चों की देखभाल में बाधा डालती है। महिलाओं ने बच्चों के साथ संबंधों में तनावपूर्ण संबंधों की सूचना दी।

यह परिकल्पना निष्कर्षों द्वारा समर्थित है। सामाजिक अपेक्षाएँ, परिवार का विरोध और संस्थागत समर्थन की कमी के कारण प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाएँ तनाव और चिंता का अनुभव करती हैं।

परिकल्पना 3 प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाएँ समान कार्य के लिए पुरुषों से कम वेतन प्राप्त करती हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।''

विश्लेषण:

दस्तावेज में प्रतापगढ़ के लिए विशिष्ट वेतन डेटा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रुझान इस परिकल्पना का समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय और आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23 के अनुसार, भारत में महिलाएँ समान कार्य के लिए पुरुषों से 20–30प्रति0कम कमाती हैं।

– ''क्षेत्रीय असमानताएँ'': प्रतापगढ़ में 50 प्रति0 महिलाएँ शिक्षण जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जहाँ वेतन कम होता है। डेटा के अनुसार, 40 प्रति0 महिलाएँ असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं, जहाँ वेतन और सुरक्षा कम है।

– ''आर्थिक स्थिति पर प्रभाव'': कम वेतन महिलाओं की बचत और निवेश की क्षमता को सीमित करता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है।

यह परिकल्पना राष्ट्रीय रुझानों और भेदभाव के आधार पर आंशिक रूप से समर्थित है। प्रतापगढ़ में वेतन असमानता की संभावना है, लेकिन स्थानीय अध्ययन की आवश्यकता है।

परिकल्पना 4: सरकारी और सामाजिक उपायों के बावजूद, कामकाजी महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा, समानता और अवसर नहीं मिलते, जिससे समस्याएँ अनसुलझी रहती हैं।''

विश्लेषण:

– ''सरकारी उपाय और कमियाँ'': विशाखा दिशानिर्देश, भारतीय दंड संहिता (धारा 354, 509), और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसे उपायों का उल्लेख है। हालांकि, 46 प्रति0 महिलाएँ कार्यस्थल समस्याओं का सामना करती हैं, जो अपर्याप्त कार्यान्वयन को दर्शाता है।

– ''अवसरों की कमी'': महिलाएँ मुख्य रूप से शिक्षण और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं, और नेतृत्वकारी भूमिकाओं में उनकी भागीदारी कम है। अंतरराष्ट्रीय डेटा (केवल 30प्रति0 नेतृत्वकारी भूमिकाएँ महिलाओं के पास) इसे समर्थन देता है।

यह परिकल्पना समर्थित है। अपर्याप्त कार्यान्वयन और सामाजिक बाधाएँ सुरक्षा, समानता और अवसरों को सीमित करती हैं, जिससे समस्याएँ अनसुलझी रहती हैं।

'परिकल्पना 5: प्रभावी कार्यस्थल कल्याण और समर्थन योजनाएँ कामकाजी महिलाओं के कार्य प्रदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारती हैं।''

''विश्लेषण

इस परिकल्पना का अप्रत्यक्ष समर्थन करता है, जिसमें कल्याणकारी उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

– ''प्रस्तावित उपाय लचीले कार्य, उत्पीड़न–रोधी नीतियाँ, और प्रशिक्षण जैसे उपाय सुझाए गए हैं, जो तनाव को कम कर सकते हैं।

– ''कार्य प्रदर्शन पर प्रभाव'': समय प्रबंधन प्रशिक्षण और उपकरण कार्य दक्षता बढ़ा सकते हैं। छोटे ब्रेक (5–10 मिनट) का सुझाव है।

– ''राष्ट्रीय साक्ष्य'':डेटा के अनुसार, प्रशिक्षण और वित्तीय समर्थन से महिलाओं का प्रदर्शन सुधरता है।

हालाँकि, प्रतापगढ़ में ऐसी योजनाओं की अनुपस्थिति प्रत्यक्ष साक्ष्य को सीमित करती है।

यह परिकल्पना अप्रत्यक्ष रूप से समर्थित है। प्रभावी कल्याण योजनाएँ प्रदर्शन और स्वास्थ्य को सुधार सकती हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति लाभ को सीमित करती है।

कार्यरत महिलाओं की आवासीय पृष्ठभूमि

प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद में 33.3 प्रतिशत महिलायें कस्बे में रहती है, जबकि 16.7 प्रतिशत गाँवों में निवास करती है। नगर में रहने वाली कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत सर्वाधिक है।

7.3 प्रमुख परिणाम

7.3.1 विवाह के पूर्व परिवार की स्थिति

परिवार का स्वरूप विवाह के पश्चात् 66.7 एकांकी परिवार था जबकि 33.3 प्रतिशत संयुक्त परिवार की थीं।इस प्रकार 400 कार्यरत महिलाओं के निर्देशन में सर्वाधिक महिलाएँ एकांकी परिवार की थीं।

7.3.2 कार्यरत महिलाएँ एवं उनकी जाति

21.7 प्रतिशत कार्यरत महिलाएँ ब्राह्मण जाति, 8.41 प्रतिशत महिलाएँ क्षत्रिय जाति, 13.3 महिलाएँ वैश्य जाति, 16.7 प्रतिशत महिलाएँ कायस्थ, 11.6 प्रतिशत महिलाएँ यादव जाति की, 10 प्रतिशत महिलाएँ लोधे राजपूत जाति तथा 18.3 प्रतिशत महिलाएँ अन्य विभिन्न जातियों की थी जिनकी जाति के आधार पर संख्याएँ न के बराबर है।

7.3.3 कार्यरत महिलाएँ एवं उनकी आयु

कार्यरत महिलाओं के 20 से 24 आयु समूह में 16.7 प्रतिशत, 25 से 29 आयु समूह में 25 प्रतिशत, 30 से 34 आयु समूह में 13.3 प्रतिशत, 40 से 44 की आयु समूह में 11.7 प्रतिशत तथा 50 से अधिक आयु समूह में 3.3 प्रतिशत महिलाएँ थी।इस प्रकार कार्यरत

महिलाओं के 25 से 29 आयु समूह में सर्वाधिक प्रतिशत पाया गया जबकि 50 से अधिक आयु समूह में सबसे कम प्रतिशत महिलाएँ पायी गयी।

7.3.4 कार्यरत महिलाएँ एवं उनकी शिक्षा

8.4 प्रतिशत कार्यरत महिलाएँ हाईस्कूल 33.4 प्रतिशत इण्टरमीडिएट, 28.2 प्रतिशत स्नातक, 5 प्रतिशत महिलाएँ स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण किये थीं जबकि 25 प्रतिशत महिलाएँ या तो व्यावसायिक प्रशिक्षण लिए हुये थीं या फिर बी0टी0सी0, बी0एड्0, पी0–एच0 डी0, एल0एल0बी0, एम0बी0बी0एस0 किये हुयीं थी। इसके बाद में नौकरी या व्यवसाय में प्रवेश किया।

7.3.5 कार्यरत महिलाएँ एवं उनका कार्यरत संस्थान

कार्यरत महिलाओं में 50 प्रतिशत अध्यापिकाएँ हैं जो विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत है। डाक्टर महिलाएँ अस्पताल व प्राइवेट नर्सिंग होम में कार्य कर रही थीं। क्लर्क व टाइपिस्ट महिलाएँ विभिन्न कार्यालयों, सार्वजनिक सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं में कार्य कर रही हैं। समाज सेविकाएँ कई ब्लाकों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत कार्यक्रमों में संलग्न है जबकि अन्य कार्यरत महिलाएँ या तो अपनी निजी उद्योगों में लगी हुयी हैं या फिर विभिन्न पदों पर जैसे रेलवे में टिकट कलेक्टर, पोस्टआफिस में तथा जीवन बीमा निगम की एजेन्ट के रूप में कार्यरत हैं।

7.3.6 महिलाओं को नौकरी करने के कारण

20 प्रतिशत महिलाएँ आर्थिक आवश्यकतावश नौकरी कर रही है। 16.7 प्रतिशत महिलाएँ नौकरी इसलिए कर रही थीं जिससे वे अपने पति अथवा पिता की आय में योगदान कर सकें। 10 प्रतिशत महिलाएँ स्वयं अपने लिए स्वतन्त्र आय बनाने हेतु नौकरी कर रहीं। 2.3 प्रतिशत महिलाओं का नौकरी करने का कारण अपने लिए पद प्रतिष्ठा पाना था। 33 प्रतिशत महिलाओं का नौकरी करने का कारण घरेलू कार्यों से बचना था या फिर लोगों से मिलना–जुलना था जबकि 1.7 प्रतिशत महिलाएँ नौकरी में इसलिए थी कि उन्हें कामकाज का अभ्यास हो चुका था।

इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षित महिलाएँ मात्र आर्थिक आवश्यकतावश ही नौकरी व्यवसाय नहीं करती है बल्कि अन्य कोई कई सामाजिक, मनोवैज्ञानिक परिस्थितिवश कारणों से भी करती है।

7.3.7 बॉस/अधिकारियों का कार्यरत महिलाओं के प्रति व्यवहार

58.3 प्रतिशत कार्यरत महिलाओं के प्रति अधिकारियों या बॉस का व्यवहार सामान्य था जबकि उनका व्यवहार संतोषजनक तथा उनका व्यवहार असंतोषजनक पाया गया।

7.3.8 कार्यरत महिलाओं के सहकर्मियों के साथ सम्बन्ध

50 प्रतिशत कार्यरत महिलाओं को प्राप्त होता है जबकि 33.4 प्रतिशत महिलाएँ सहकर्मियों का यदा–कदा सहयोग लेती हैं तथा शेष महिलाओं को अपने सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिलता है।

7.3.9 नौकरी में परिवार के सदस्यों का विरोध

66.6 प्रतिशत परिवार में सदस्यों के नौकरी का विरोध किया जबकि 33.4 प्रतिशत महिलाओं के परिवार के सदस्य इस मुद्दे पर शानत रहे, 40 प्रतिशत महिलाओं के सासों ने, 35 प्रतिशत महिलाओं के श्वसुरों, 22.5 प्रतिशत महिलाओं के पतियों ने विरोध किया।

7.3.10 पति के साथ कार्यरत महिलाओं के सम्बन्ध

83.3 प्रतिशत महिलाओं के पति के साथ सम्बन्ध संतोषजनक थे जबकि 16.7 प्रतिशत पतियों के समबन्ध असंतोषजनक देखे गये।

7.3.11 कार्यरत महिलाओं के बच्चों के साथ सम्बन्ध

50 प्रतिशत कार्यरत महिलाओं के अपने बच्चों के साथ सम्बन्ध मधुर थे जबकि 40 प्रतिशत महिलाओं के बच्चों के साथ सम्बन्ध सामान्य तथा 10 प्रतिशत महिलाओं के बच्चों के साथ तनावपूर्ण सम्बन्ध देखे गये।

7.3.12 कार्यरत महिलाओं का नौकरी करते हुये परिवार के सदस्यों को सन्तुष्ट कर पाना

50 प्रतिशत महिलाएँ नौकरी करते समय परिवार के सदस्यों को सन्तुष्ट कर लेती हैं, जबकि 33.3 प्रतिशत तथा शेष नारी कभी–कभी सन्तुष्ट कर पाने में कामयाब हो पाती हैं।

7.3.12 परिवार तथा बच्चों की देख–रेख में कार्यरत महिलाओं की नौकरी/व्यवसाय बाधक

33.4 प्रतिशत उनकी नौकरी देख–रेख में बाधक है जबकि 66.6 प्रतिशत की देख–रेख में अपनी नौकरी/व्यवसाय को बाधक नहीं मानतीं है।

7.3.13 कार्यरत महिलाओं के रिश्तेदारों से सम्बन्ध

8.3 प्रतिशत महिलाओं के अपने रिश्तेदारों से सम्बन्ध सामान्य पाये गये जबकि 25 प्रतिशत महिलाओं के अपने सम्बन्ध को मधुर बताया गया तथा शेष महिलाओं ने अपने सम्बन्ध रिश्तेदारें से तनावपूर्ण बताए।

7.3.14 पति के मित्रों व अपने मित्रों से कार्यरत महिलाओं के सम्बन्ध

58.3 प्रतिशत महिलाओं के अपने मित्रों व अपने पति के मित्रों से सम्बन्ध सामान्य थे, जबकि 25 प्रतिशत महिलाओं के संतोषजनक तथा 16.7 प्रतिशत महिलाओं के असंतोषजनक पाये गये।

7.3.15 व्यवसाय के कारण से टकराव

33.3 प्रतिशत महिलाओं ने नौकरी को पति से टकराव का कारण माना है जबकि 66.7 प्रतिशत महिलायें नौकरी की वजह से टकराव नहीं मानती हैं।

7.3.16 कार्यरत महिलाओं का एक माँ के रूप में बच्चों का पालन–पोषण करना

50 प्रतिशत महिलाएँ एक माँ के रूप में बच्चों का उचित पालन–पोषण नहीं कर पातीं।

7.3.17 भूमिका संघर्ष

बदलते हुये सामाजिक परिवेश में आपको एक साथ कई भूमिकाएँ निभानी पड़ती हैं क्या आप उनसे न्याय कर पाती हैं ? यह पूछे जाने पर अधिकांश महिलाओं ने यह स्वीकार किया है कि वे घर पर आदर्श गृहणी, एक आदर्श पत्नी व आदर्श माँ के रूप में और नौकरी में आदर्श कर्मचारी आदि विभिन्न भूमिकाओं के साथ न्याय नहीं कर पाती हैं। कहीं न कहीं भूमिका संघर्ष स्पष्ट हो ही जाती है।

कार्यकारी सम्बन्धों का पारिवारिक जीवन पर प्रभाव

एक ओर अधिकारी/सहकर्मी के साथ सम्बन्धों को लेकर पति–पत्नी के सम्बन्धों में तनाव पैदा होता है। कुछ पति, पत्नी को शंका की दृष्टि से देखते हैं,

उनके चरित्र पर भी लांछन लगाने से नहीं चूकते। सास–श्वसूर के व्यंग बाण भी कार्यकारी सम्बन्धों को लेकर सुनने पड़ते हैं।

दूसरी ओर कार्यकारी सम्बन्धों का उनके जीवन पर स्वस्थ प्रभाव भी देखा गया, जैसा जीवन में समय का पाबन्द होना, बाहर निकलने पर चार–चार लोगों के बीच बैठकर नई जानकारी लेना। संकीर्ण दृष्टिकोण का परित्याग होना, अपना काम खुद करना, दूसरों को देखकर अपने व्यवहार बदलना तथा व्यवहार कुशल बनना, अपने घर को व्यवस्थित रखने की चेष्टा करना बच्चों का आत्म–निर्भर बनाना आदि।

परिवार तथा बच्चों पर प्रभाव

बच्चों की देखभाल का व्यवस्था ठीक नहीं रह पाता। परिवार में जो विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती है उनका प्रभाव बच्चों पर पड़ना स्वाभाविक ही है।नौकरी करने से परिवार तथा बच्चों पर स्वस्थ एवं अस्वस्थ दोनों ही प्रभाव देखे गये हैं। जहाँ एक ओर बच्चे सहमे–सहमे तथा डरे हुये रहते हैं क्योंकि उन्हें भय लगा रहता है कि माँ नौकरी से वापस आने पर उन्हें डांटती है। झल्लाती है तथा बच्चे माँ–बाप के प्यार से वंचित रहते हैं। क्योंकि कार्यरत माता–पिता सन्तानों को समय नहीं दे पाते कि उनके पास बिठाकर उनके मन की कुछ बातें पूछ सकें। ऐसे बच्चे बिगड़ते हुये देख गये, उन पर माता–पिता का कोई नियन्त्रण नहीं रहा। दूसरी ओर स्वस्थ प्रभाव से बच्चें अपना काम स्वयं करना सीख जाते हैं।

7.4 सुझाव

- कामकाजी महिलाओं के व्यक्तित्व और उनके पारिवारिक जीवन ढाँचों में जो अपरिहार्य परिवर्तन आ रहे हैं। वे यह माँग करते हैं कि जीवन का सामंजस्य न पति–पत्नी के विचार एवं व्यवहार में परिवार के सदस्यों में चिन्तन उत्पन्न हों।
- कामकाजी पत्नी के विरूद्ध प्रचलित सभी पूर्वाग्रह दूर होने चाहिए। विवाहित कामकाजी महिलाओं के सभी पुरूषों और महिलाओं के विश्वासों, विचार, पद्धति, विचारधारा एवं सिद्धान्तों में पूर्णरूप से परिवर्तन लाना नितान्त आवश्यक है।
- परम्पराओं से जकड़े पुरूषों और पतियों के मन में कुछ ऐसी धारणाएँ और भावनायें गहरे रूप से बैठी है जिसमें सहयोग देना उन्हें समाज की नजरों से गिराता नहीं है।
- कामकाजी महिलाओं को घर बाहर दोनों क्षेत्र सम्भालना मुश्किल है अतः परिवार के सदस्यों को कामकाजी महिला के घरेलू कार्यों में हाथ बँटाना चाहिए। यदि संयुक्त परिवार है तो सास, नन्द, देवरानी सभी को उनके काम में सहायता करनी चाहिए किन्तु यदि एकांकी परिवार है तो पति को भी पत्नी के कार्यों में सहयोग देना चाहिए।
- कामकाजी महिलाएँ जो कि एकांकी परिवार की है उन्हें अपनी अनुपस्थिति में हर समय बच्चों की चिन्ता बनी रहती है। ऐसी शिशु संरक्षण गृह खोले जाये ताकि कामकाजी महिला निश्चित होकर कार्य संस्थानों में कार्य कर सकें और इस कारण सम्भावित पारिवारिक असंगति कम हो सके।
- आज की शिक्षित कामकाजी स्त्रियों अपने अस्तित्व के लिए आत्म विश्वास बढ़ाने की जरूरत है। पूर्वाग्रह, दुराग्रह, त्यागकर परस्पर सहमति–समझदारी बढ़ाने से ही यह सम्भव है। घर बाहर दोनों स्थान सामंजस्य की कोई समस्या नहीं रहेगी।
- कार्यरत महिलाएँ कार्य को वैज्ञानिक ढंग से सोचे व तकनीकी ढ़ंग से निबटाएँ ताकि समय व श्रम का अपव्यय न हो तथा विश्राम व मनोरंजन के लिए मिल सकें।
- काम के बीच दो–तीन बार 5–0 मिनट का विश्राम लेने की आदत डालें इस तरह कार्यरत महिलाओं को अगले काम के लिए नई शक्ति स्फूर्ति मिलती रहेगी।
- कामकाजी महिलाएँ अपने काम के तरीके में थोड़ा–थोड़ा परिवर्तन करती रहे। घर की कार्यस्थल की थोड़ी साज–सज्जा भी बदलती रहे। घर पर भी कुछ बदला हुआ काम बीच–बीच में अवश्य निकाले।

– कामकाजी महिलाएँ निरन्तर कार्य की थकान के बाद कभी–कभी कुछ दिन छुट्टियाँ मनाने का प्रोग्राम बनाएँ ताकि बदलाव से, मनोरंजन से मानसिक तनाव कम हो।

– कामकाजी महिलाएँ निरन्तर थकान अनुभव करती हों, तो काम का दबाव घटाएँ। प्राथमिकता अनुसार कार्य का विभाजन करें।

– कामकाजी महिलाओं को प्रतिकूल परिस्थितियों में अधिक धैर्य, अधिक सूझ–बूझ से काम लेना चाहिए।

– घर से बाहर काम करने पर अब स्त्री के कार्यक्षेत्र दो हो गये हैं तो उस पर बहस की जानी चाहिए और दोनेां क्षेत्रों में ताल–मेल खोजने के विशेष प्रयत्न किये जाने चाहिए।

– बच्चों का सर्वांगीण विकास माताओं पर निर्भर होने के साथ यह सबका साझा सामाजिक राष्ट्रीय दायित्व है। इसलिए माताएँ यदि बच्चों की परवरिश के लिए अपनी पूर्व लगी, लगायी नौकरी छोड़ती हैं और बच्चों के बड़े होने पर उन्हें फिर नौकरी की जरूरत पड़ती हे तो उन्हें 'रिपेयर्स कोर्स' लेकर आयु सीमा में छुट के साथ फिर उस या उस तरह की नौकरी में प्रवेश की सुविधाएँ दी जानी चाहिए।

– पति–पत्नी को यौन सन्तुष्टि में किसी एक पक्ष पर इस प्रकार की कोई जबरदस्ती या व्यभिचार जैसा वातावरण उपस्थित न हो।

– कामकाजी महिलायों को छोटे बच्चों की देखभाल के लिए बाहर संस्थानों को अपनाना चाहिए।

– परम्पराओं में जकड़े भारतीय पतियों के मन में बैठी ऐसी धारणाओं व भावनाओं को बदलना होगा।

– उन परिस्थितियों और वातावरण में परिवर्तन लाया जाय जिनमें कामकाजी पत्नी रहती और काम करती है।

– स्त्रियों के प्रति, विशेष रूप से कामकाजी स्त्रियों की प्रक्रिया शिक्षित शिक्षा प्रणाली और प्रभावकारी जनसूचना के माध्यमों द्वारा बदलने की जरूरत है।

– परिस्थिति अथवा पारिवेशिक स्तर पर घर और काम के स्थान में परिवर्तन लाने की जरूरत है।

– घर में सभी सदस्यों के बीच छोटे–बड़े कामों का विभाजन कर उन पर जिम्मेदारी डालने से कामकाजी गृहणी की अत्यधिक थकान, पारिवारिक असंगति और कलक के लिए भी बहुत कुछ जिम्मेदार हैं, की समस्या हल होगी। घरेलू मनोरंजन और

सुख–शान्ति के अवसर बढ़ेंगें। तभी पूरे परिवार को गृहणी की नौकरी का लाभ मिल सकेगा, तभी बाहरी कामकाज के लिए उसकी क्षमता का विकास हो सकेगा।

- कामकाजी महिलाओं के लिए उन्हें अपने घर से बाहर जीवन के कर्त्तव्यों एवं दायित्वों को एक साथ निभाने में समर्थ बनाने के लिए अंशकालिक नौकरियों की व्यवस्था होना चाहिए ताकि वे अपनी दोनों भूमिकाओं में सामंजस्य रख सकेगी।
- गृहस्थ के कार्यों को पूरी कार्यकुशलता, क्रमबद्धता, शीध्रता एवं तीव्रता से और पूरी मितव्ययितता से पूरा करने के उपायों के बारे में उन्हें सुझाव एवं प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। गृह कार्यों के श्रम को घटाने वाले उपकरण और साधन उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराये जाने जिससे उन कामकाजी पत्नियों को, जिन्हें सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है, समय खपाने वाली दिनचर्या से भारी राहत मिल सकेंगी।
- कामकाजी स्त्रियाँ परिवार के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक जीवन में जो योगदान दे रही हैं और देने की क्षमता रखती हैं उसके प्रति लोगों में अधिक समझदारी पैदा करने की जरूरत है। स्त्रियों को यदि वास्तव में शिक्षा, प्रशिक्षण, नौकरी सुरक्षा और काम के क्षेत्र में आगे उन्नति के अवसर समान रूप से प्रदान किये जाये उन्हें अपने दोनों कार्यों–कर्मचारी के रूप में और पत्नियाँ तथा माताओं के रूप में अपने कर्त्तव्यों को बिना एक भूमिका का दूसरी भूमि को प्रभावित किये हुए एक साथ और प्रभावकारी ढंग से पालन करने की सुविधाएँ प्रदान की जाये ंतो स्त्रियाँ कहीं अधिक बड़ा योगदान कर सकेंगी।

इस शोध में शोधार्थी ने अपनी क्षमतानुसार प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद की कामकाजी महिलाओं के प्रति अथक परिश्रम करके शैक्षिक आँकड़ों का निरीक्षण करके प्रतापगढ़ जनपद के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करके इस शोध को आधुनिकीकरण कामकाजी महिलाओं स्थिति एवं उनकी दैनीय स्थिति का उल्लेख करने का महिलाओं के विषय में विस्तृत जानकारी एवं तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विशेष अध्ययन करते हुये शोधार्थी ने वास्तविकता का सफल प्रयास किया है। जिससे समाज में रोजगार परक महिलाओं का मनोबल बढ़ाने में सहयोग एवं उनके प्रमुख योगदान गृहस्थ जीवन से कार्यालीय कार्यों आदि का सुचारूरूप से व्यवस्थित उल्लेख किया है। शोधार्थी अपने जीवन व महिलाओं के उत्पीड़न के प्रति उदासीनता की भावना से ओत–प्रोत होकर उसके प्रमुख योगदानों तथा समय अभाव का विशेष अध्ययन पहुँचता है कि समाज में वास्तविकता है कि प्रतापगढ़ कामकाजी महिलायें व्यापार, नौकरी तथा गृहस्थ जीवन के अतिरिक्त भी अपने

प्रिय बच्चों तथा दादी–दादा या वयोवृद्धों की विशेष देखभाल का दायित्व कर्त्तव्य निष्ठता पूवर्क निर्वहन कर रही हैं। मैं उनके कार्यो के प्रति अपनी स्वयं की संवेदना व्यक्त करता हूँ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

– •डा. डी.एस. बघेल, *भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र*, पृष्ठ 314-320, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल।

– ·प्रो. घनश्याम धर त्रिपाठी और श्रीमती आराधना सक्सेना, *भारतीय समाज*, पृष्ठ 226, आस्था प्रकाशन, जयपुर।

– ·डा. जी.आर. मदन, *परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र*, पृष्ठ 184, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली, 2005।

– ·डा. डी.एस. बघेल, *परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र*, कैलाश पुस्तक सदन, हमीदिया मार्ग, भोपाल।

– ·डा. एम.एन. शर्मा, *विकास एवं परिवर्तन का समाजशास्त्र*, पृष्ठ 102, राजीव प्रकाशन, लालकुर्ती, मेरठ कैन्ट।

– ·डा. वीरेन्द्र सिंह यादव, *21वीं सदी का महिला सशक्तिकरण: मिथक एवं यथार्थ*, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

– ·मानचन्द्र खंडेला, *महिला सशक्तिकरण सिद्धांत एवं व्यवहार*, पृष्ठ 100-103, अविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर।

– ·डा. सुभाषचन्द्र गुप्ता, *कार्यशील महिलाएँ एवं भारतीय समाज*, पृष्ठ 198-199, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

– ·सुनील गोयल और संगीता गोयल, *भारतीय समाज में नारी*, पृष्ठ 198-199, टी.एन. पब्लिशर्स, हाईवे, जयपुर।

– ·*सामाजिक विकल्प समाज विज्ञान शोध पत्रिका*, 2007-08, पृष्ठ 145-146।

•World Bank Report, 6 April 2009, *Hindustan Times*, New Delhi, Comparative Study of Working Women, p. 11.

·Pappola, T.S. (1982), *Woman Works in an Urban Labour Market: A Study of Segregation and Discrimination in Employment*, Lucknow Publication, p. 116.

·Shardamani, K. (1985), *Progressive Land Legislation and Subordination of Woman*, Criterian Publication, New Delhi, p. 163.

·Kapoor, Pramila (1968), *The Study of Marital Adjustment of Educated Working Women in India*, Agra Publication.

·Desai, Neera (1975), *Women in Modern India*, Bora Publication, Mumbai, p. 253.

·Dube, L. & Patriwala, R. (1990), *Structural and Strategies: Women Work and Family*, Sage Publication, New Delhi.

·Mather, Deepa (1992), *Women, Family and Work*, Rawat Publication, Jaipur.

·Srivastava, Sudhir Kumar (1985), *Women Empowerment*, McGraw Hill Publication, New Delhi, p. 77.

·Sinha, Nirpendra Kumar (1972), *Participation of Women in Panchayati Raj*, Asia Publishing House, Mumbai.

·Srivastava, A.R. (2001), *Comparative Study of Scheduled Caste Women*, New Delhi Publication.

·Vyas, Minakshi (2002), *Middle and Lower Class Working Women*, Somaiya Publication, Mumbai.

·Altekar, A.S. (1956), *The Position of Women in Hindu Civilization*, Banaras Motilal Banarsidas Publishers.

·Women's International Democratic Federation, 8 June 2015, 4th Congress, Quoted from Report, p. 13.

·Ackoff, R.L., *Design for Social Research*, p. 15.

·Singh, Soran (1987), *Scheduled Castes in India: Dimension of Social Change*, Gian Publishing, New Delhi.

·Sachchidanand (1988), *Education Among the Scheduled Caste and Scheduled Tribes*, Bihar Publication.

·Well, A.F. (1960), *The Local Social Survey in Britain*.

·Moser, C.A. (1961), *Survey Methods in Social Investigation*, Heinemann, London, p. 168.

·Young, P.V. (1960), *Scientific Social Survey and Research*, Asia Publishing House, Bombay.

·Goode, William J. & Hatt, Paul K. (1952), *Methods in Social Research*, McGraw Hill Book Co. Inc., New York.

प्रतापगढ की कामकाजी महिलाओ की समस्याओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन हेतू

साक्षात्कार अनुसूची

अध्ययन का क्षेत्र का नाम --------------------------------------

1- क्रमांकः-...

2- नाम -...

3- पता -...

4- आयु–

I. 30 से 35II.35 से 40III.40 से 45 IV.45 से 50V.50 से 55

5- लिंग-I. पुरूषII.स्त्री ....

6--जाति-

Iसामान्यIIपिछडीजातिIII. अनुसूचित IV. अन्य

7- वैवाहिकस्थिति

I.विवाहित IIअविवाहितIII. तलाकशुदा IV. विधवा

8- शैक्षिकस्तर

I. अशिक्षित II.प्राइमरीIII.जूनियरहाईस्कूलIV हाईस्कूलV स्नातक VI.परास्नातक VII.अन्य योग्यता

9- व्यवसाय-

I.मजदूरीII.शिक्षिकाIII.डाक्टरIV. नर्सV.ब्यूटीशियनVI. टेलरिंगVII.प्राइवेट कम्पनी

10- मासिकआय

I. रू0 5000 -10.000 तकII. रू० 20000-25.000तक

III.रू0 26.0000 - 35000तकVII. रू0 36000सेअधिक

11.-परिवारकाआकार

I. एकांकी II. संयुक्त

12. मकानकाप्रकार

I. कच्चा II.पक्काIII. मिश्रित IV.अन्य

13- आवासोंमेंसुविधायें-

I. हाँII. नहीं

14- परिवारमेंआपकीस्वतंत्रताकास्तरकितनाहै।

I. पूर्णस्वतंत्रताII. कोईस्वतंत्रताIII. थोड़ीबहुतस्वतंत्रताIV. अन्य

15- परिवारकेकार्योंनिर्णयोंमेंआपकीभागीदारीकास्तर-

I. निम्नस्तरII.पूर्णभागीदारीIII. सामान्य IV. बिल्कुल नहीं

16- सरकार विभिन्न विकास योजनाएं चला रही है क्या आपने उनके बार में सुना है-

I.हाँII.नहीं

17- क्या आप किसी समूह या संख्या से जुड़ी है

I.नहींII. हाँ

18- आर्थिक स्थिति के आधार

I. वेतनभोगी II.अंशकालिक III. प्राइवेट वेतनभोगी

19- महिलाओं की व्यावसायिक स्थिति एवं समस्या

I.महिलाओं के पुरूष सहकर्मीII.पुरूष सहकर्मी का महिलाओ के साथ व्यवहार

III. पुरूष सहकर्मी का महिलाओ के साथ व्यवहारIV. काम में सक्षम महिला

20-महिलाओं में भूमिका अंतर्द्वंद्व

I.महिलाओं में तनाव के कारण क्रोधII.परिवारिक स्थिति को सुदृढ़ करने में

III.महिलाएँ कैरियर के प्रति जागरूक

21-महिलाओं की आर्थिक स्थिति

I.कामकाजी महिलाओं द्वारा आयII.कामकाजी महिलाओं द्वारा व्यय

III.कामकाजी महिलाओं द्वारा धन संचयIV.आय-व्यय सम्बन्धी वाद-विवाद

22-कामकाजी महिलाओं की राजनैतिक स्थिति

I.महिलाओं को वोट देने का अधिकारII.क्षमता III.महिलायें राजनीतिक दल की सदस्य

IV.महिलाओं में राजनीतिक दल का दबाव

23-महिलाओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या

I.महिलाओं को परिवार नियोजन की जानकारीII.परिवार नियोजन के साधनों का प्रयोग

III.बच्चों के प्रतिबन्धित टीके IV.निश्चितम अन्तराल पर स्वास्थ्य परीक्षण

24-महिलाओं की धार्मिक स्थिति

I.महिलाओं में धार्मिक मान्यता II.महिलाओं में त्यौहारों का आयोजन

III.महिलाओं द्वारा धार्मिक संस्कारों का सम्पन्न कराना

25-कार्यालय में यौन उत्पीड़न

I. शारीरिक उत्पीड़न II.मानसिक उत्पीड़न III.मानसिक उत्पीड़न

26-कामकाजी स्त्री के लिये वैधानिक व्यवस्थाएँ

I.जानकारी हें II. नहीं हें

27-कार्यरत महिलाओं के बच्चों के साथ सम्बन्ध

I. मधुर II.सामान्य III.तनावपूर्ण

28-कार्यरत महिलाओं को उनके पतियों द्वारा सन्देह का दृष्टि से देखाना

I. जी हां संदेह की दृष्टि से देखतेII. जी नहीं

29- क्या महिलाओ को भूमिका संघर्ष करना होता है

I. हां II. नहीं

30-कार्यरत महिलाओं के पारिवारिक जीवन में सम्बन्धों का पर प्रभाव

I. हां II. नहीं

31-बच्चों का सर्वांगीण विकास माताओं पर निर्भर है

I. हां II. नहीं

Inclusive

An Open Access Peer Reviewed International Journal
of **Kolkata Centre for Studies**

~ A UGC-CARE LISTED JOURNAL, E-ISSN: 2278-9758 ~

Dec 2022

Special Paper Section

Inclusive
ISSN:2278-9758
Vol. II, No.22
December, 2022

Socio-Economic Status of Working Women in Pratapgarh District: An Analysis

Prof (Dr.) Mahalaxmi Johri & Mr. Devendra Pratap Singh

Abstract

This research paper explores the socio-economic status of working women in Pratapgarh district. It examines key aspects such as income levels, working conditions, education, family roles, and societal perceptions. Using primary data collected through surveys and secondary data from existing literature, the study aims to provide a comprehensive understanding of the challenges and opportunities faced by working women. The analysis highlights wage disparities, gender discrimination, and the dual burden of work and domestic responsibilities. The findings emphasize the need for policy interventions to empower women and improve their socio-economic conditions.

Keywords: Socio-economic status, working women, gender inequality, wage disparity, work-life balance, women empowerment.

Introduction

The participation of women in the workforce is widely recognized as a vital indicator of progress in any society. Women's economic contribution not only boosts family income but also plays a significant role in the growth and development of a region. In India, particularly in rural areas, women's participation in the labor force is influenced by various socio-cultural, economic, and educational factors. Despite their crucial role in sustaining families and contributing to agriculture, small industries, and informal sectors, working women continue to face systemic challenges that impede their growth and limit their opportunities.

Pratapgarh, a district located in the state of Uttar Pradesh, serves as an example of such challenges. The region is predominantly rural, where agriculture remains the primary source of livelihood, supplemented by small-scale industries and informal labor. Women in Pratapgarh are involved in various occupations, including agricultural labor, domestic work, small businesses, and low-paid jobs in informal sectors. However, their work often

goes unrecognized, underpaid, or overlooked due to deep-rooted patriarchal norms and socio-economic inequalities.

One of the key concerns in the district is the limited access to education and skill development, which restricts women's ability to secure better employment opportunities. Many women are forced to accept jobs with poor wages, insecure conditions, and no social protection. In addition, societal expectations continue to burden women with traditional family responsibilities, creating a "double burden" where they juggle professional work and domestic duties simultaneously.

This study aims to delve deeper into the socio-economic status of working women in Pratapgarh district, examining their income levels, educational background, working conditions, and challenges in work-life balance. By highlighting these factors, the research seeks to provide a holistic understanding of the barriers faced by working women and suggest recommendations for empowering them. Understanding the socio-economic status of women in this district is crucial for formulating policies and interventions that promote gender equality, improve working conditions, and enhance women's participation in decision-making processes.

The paper is structured to analyze the existing disparities in income, education, and social status while examining the broader societal perceptions of working women in Pratapgarh. The findings will help identify key areas where targeted interventions can be implemented to improve the socio-economic conditions of women, ultimately contributing to the overall progress of the district and the region.

Literature Review

Singh, A., & Sharma, P. (2020). This study explores the employment patterns of rural women, emphasizing the concentration in agriculture and informal sectors. It highlights wage inequality and the lack of social security for women workers.

Gupta, R. (2019). The paper discusses wage gaps, unequal opportunities, and the role of education in determining employment status for women in rural India.

Inclusive

Roy, S., & Verma, N. (2018). This study analyzes the struggles women face balancing domestic responsibilities and professional work, particularly in rural economies.

Tripathi, M. (2017). The study highlights how education plays a transformative role in empowering women and improving their work opportunities.

Desai, K. (2016). This paper investigates how societal norms and patriarchal structures restrict women's mobility and employment opportunities.

Significance of the Study

This study is significant as it provides a deeper understanding of the socio-economic conditions of working women in Pratapgarh district. By analyzing their income levels, educational backgrounds, and working conditions, the research highlights the structural and cultural challenges that limit women's growth and participation in the workforce. It explores the barriers of wage disparities, limited access to education, and societal perceptions, which often confine women to traditional roles despite their economic contributions. The study also emphasizes the struggles women face in balancing professional and domestic responsibilities, a concern amplified in rural settings.

Objectives

1. To examine the income levels and working conditions of women in Pratapgarh district.
2. To analyze the role of education and societal factors in determining women's employment.
3. To evaluate the challenges faced by women in balancing work and family responsibilities.

Research Methodology

Research Design

- Descriptive and analytical research design.

Sample Size

- 200 working women were surveyed across urban and rural areas of Pratapgarh district.

Sampling Technique

- Stratified random sampling.

Data Collection

- Primary Data: Collected through structured questionnaires and interviews.
- Secondary Data: Sourced from journals, government reports, and books.

Tools for Analysis

- Statistical methods such as percentages, means, and graphical representation using Excel.

Data Analysis and Interpretation

Objective 1: Income Levels and Working Conditions

Income Range (Monthly)	Number of Respondents	Percentage
Below 3000	50	25%
3000-6000	80	40%
6000-10000	50	25%
Above 10000	20	10%

Interpretation: The majority of respondents (40%) fall in the income range of INR 3000-6000, indicating a concentration of women in low-paying jobs. Only 10% of women earn more than INR 10,000 monthly.

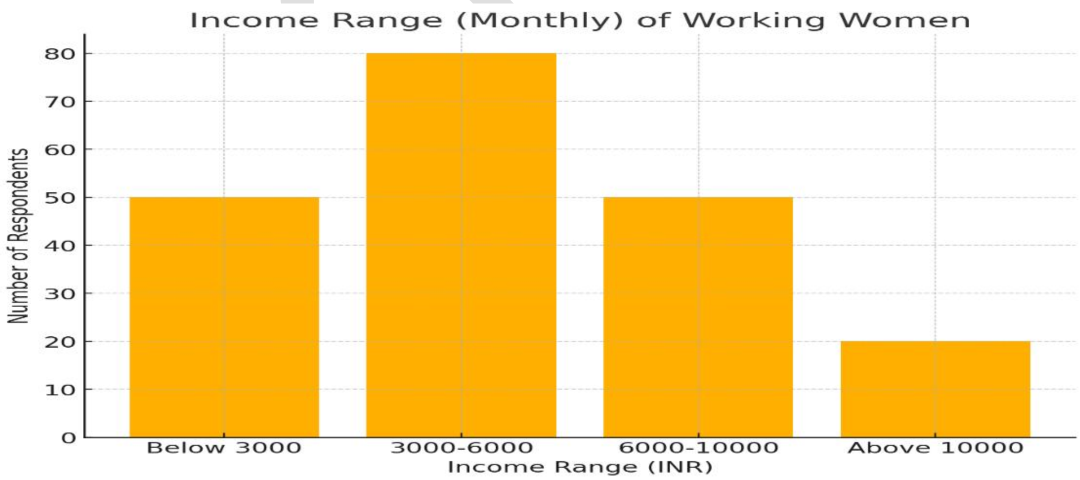

Objective 2: Role of Education and Societal Factors

Inclusive
ISSN:2278-9758
Vol. II, No.22
December, 2022

Education Level	Number of Respondents	Percentage
Illiterate	40	20%
Primary	60	30%
Secondary	70	35%
Graduate and Above	30	15%

Interpretation: Educational levels significantly impact employment opportunities. Women with secondary education dominate, but only 15% are graduates, highlighting the need for improved education access.

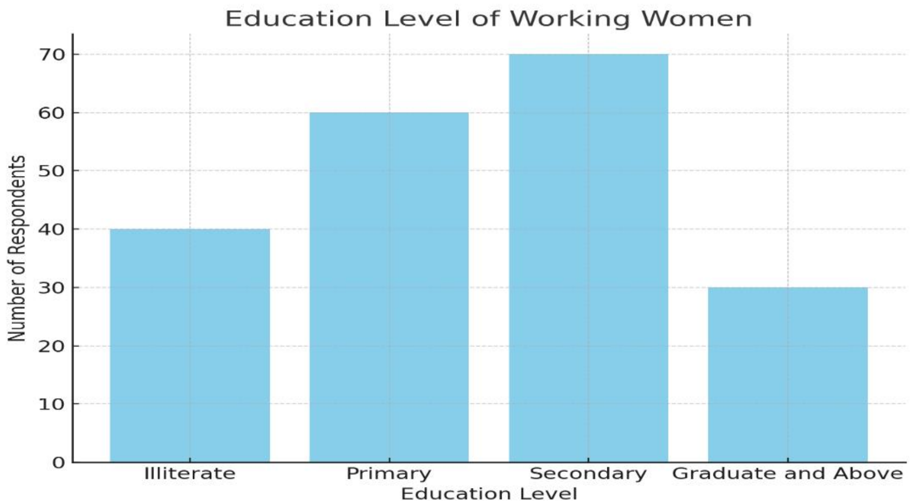

Objective 3: Challenges of Work-Life Balance

Challenges	Number of Respondents	Percentage
Long Working Hours	80	40%
Household Responsibilities	90	45%
Lack of Family Support	50	25%
Childcare Issues	70	35%

Interpretation: Balancing household responsibilities (45%) and managing childcare (35%) are key challenges for working women, reflecting the dual burden of professional and domestic work.

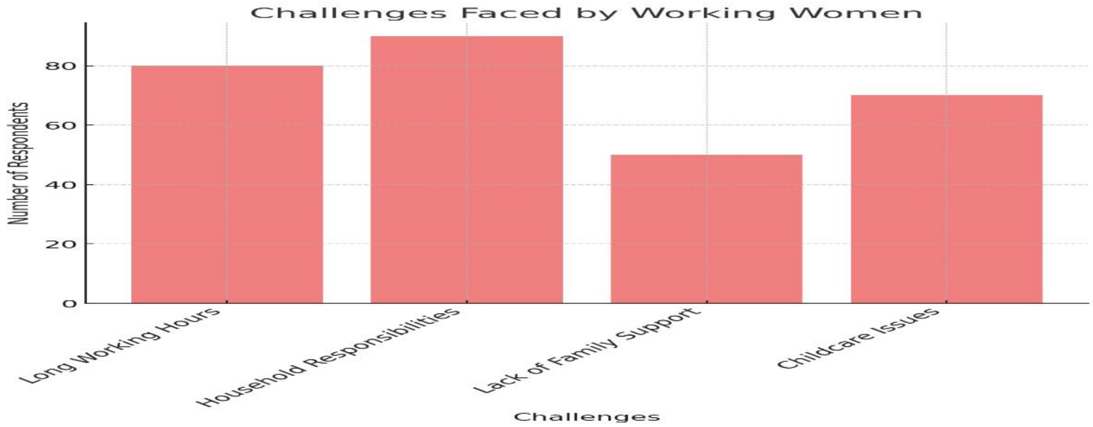

Discussion

The analysis reveals that working women in Pratapgarh district face numerous socio-economic challenges that hinder their overall development and quality of life. The data shows that a significant portion of women (40%) earn between INR 3000-6000 per month, reflecting the dominance of low-paying jobs in agriculture and informal sectors. The limited earning potential is further compounded by the lack of opportunities for skill enhancement and career growth, as indicated by the small percentage of women earning above INR 10,000.

Education emerges as a critical determinant of employment opportunities. Although a majority of respondents have primary or secondary education, only 15% of women have completed graduation or higher studies. This highlights the need to improve access to quality education and vocational training programs to enable women to secure better-paying jobs and participate more actively in the workforce.

The challenges of balancing work and family responsibilities remain a significant concern, with 45% of respondents identifying household responsibilities as a major issue. The "double burden" of work and domestic duties limits women’s ability to pursue full-time employment or engage in professional development. Childcare issues and lack of family support further exacerbate this challenge, underscoring the need for supportive policies such as affordable childcare services and flexible work arrangements.

Overall, the findings point to the urgent need for policy interventions aimed at addressing wage disparities, improving educational access, and promoting

gender equality. Empowering women through targeted programs can not only improve their socio-economic status but also contribute to the economic development of the region.

Conclusion

The socio-economic status of working women in Pratapgarh district reflects a complex interplay of limited education, low income, and societal barriers. Women continue to be concentrated in low-paying jobs, particularly in the informal sector, which restricts their financial independence and overall development. While educational attainment is improving, the absence of higher education and vocational skills prevents many women from accessing better employment opportunities.

The dual burden of professional and domestic responsibilities remains a significant challenge, exacerbating stress and limiting career advancement. Additionally, societal norms and lack of family support continue to impede women's ability to work effectively and maintain a work-life balance.

To address these issues, there is an urgent need for targeted interventions such as educational programs, skill development initiatives, fair wage policies, and supportive family structures. By empowering women and creating a conducive environment for their growth, not only can their socio-economic conditions be improved, but they can also contribute significantly to the overall development of the region. Policymakers and community leaders must work collaboratively to dismantle societal barriers and ensure that working women in Pratapgarh achieve equal opportunities and recognition in the workforce.

Recommendations

1. Increase access to quality education and vocational training for women.
2. Implement policies to ensure fair wages and safer working conditions.
3. Promote awareness programs to challenge gender stereotypes and societal norms.
4. Provide affordable childcare facilities to support working mothers.

References

- Desai, K. (2016). Barriers to Women in Rural Workspaces. *Sociological Review of India,* 14(4), 23-38.
- Gupta, R. (2019). Gender Inequality in Employment: A Rural Perspective. *Economic and Political Weekly,* 54(12), 45-53.
- Roy, S., & Verma, N. (2018). Work-Life Balance for Women in Rural Communities. *Indian Journal of Sociology,* 22(6), 56-70.
- Singh, A., & Sharma, P. (2020). The Status of Women Workers in Rural Areas. *Journal of Rural Sociology,* 45(3), 34-48.
- Tripathi, M. (2017). Education and Empowerment of Rural Women: An Empirical Analysis. *Women's Studies Review,* 18(2), 78-85.
- Patel, R., & Joshi, M. (2015). Economic Contributions of Rural Women in India. *Journal of Economic Development,* 10(4), 12-24.
- Kumar, P., & Sharma, L. (2016). Gendered Labor Patterns in Rural Regions. *Indian Economic Review,* 15(3), 101-116.
- Das, A. (2018). Rural Employment and Women: A Critical Analysis. *Social Development Journal,* 14(2), 37-50.
- Chatterjee, S., & Sinha, R. (2020). Women Empowerment through Self-Help Groups. *International Journal of Rural Studies,* 25(1), 45-62.
- Mishra, T. (2019). Education and Work Opportunities for Rural Women. *Educational Review,* 33(6), 112-127.
- Prasad, N. (2017). Patriarchy and Women's Employment Challenges. *Sociological Spectrum,* 19(4), 67-82.
- Sharma, B., & Yadav, R. (2020). Work-Life Challenges in Rural Economies. *International Journal of Sociology,* 29(3), 88-102.
- Thomas, L. (2018). Wage Disparities in Rural India: A Study. *Economic Perspectives,* 12(5), 23-38.
- Khan, M. (2019). Women in Agriculture: Contribution and Challenges. *Indian Agriculture Review,* 15(1), 50-72.
- Verma, R. (2021). Bridging the Gender Gap in Employment. *Indian Journal of Gender Studies,* 17(2), 103-117.

Prof (Dr.) Mahalaxmi Johri

Inclusive

Inclusive
ISSN:2278-9758
Vol. II, No.22
December, 2022

HOD, Dept of Sociaology
PK University, Shivpuri (M.P.) India
&
Mr. Devendra Pratap Singh
Research Schalor (Sociaology)
PK University, Shivpuri (M.P.) India

Inclusive

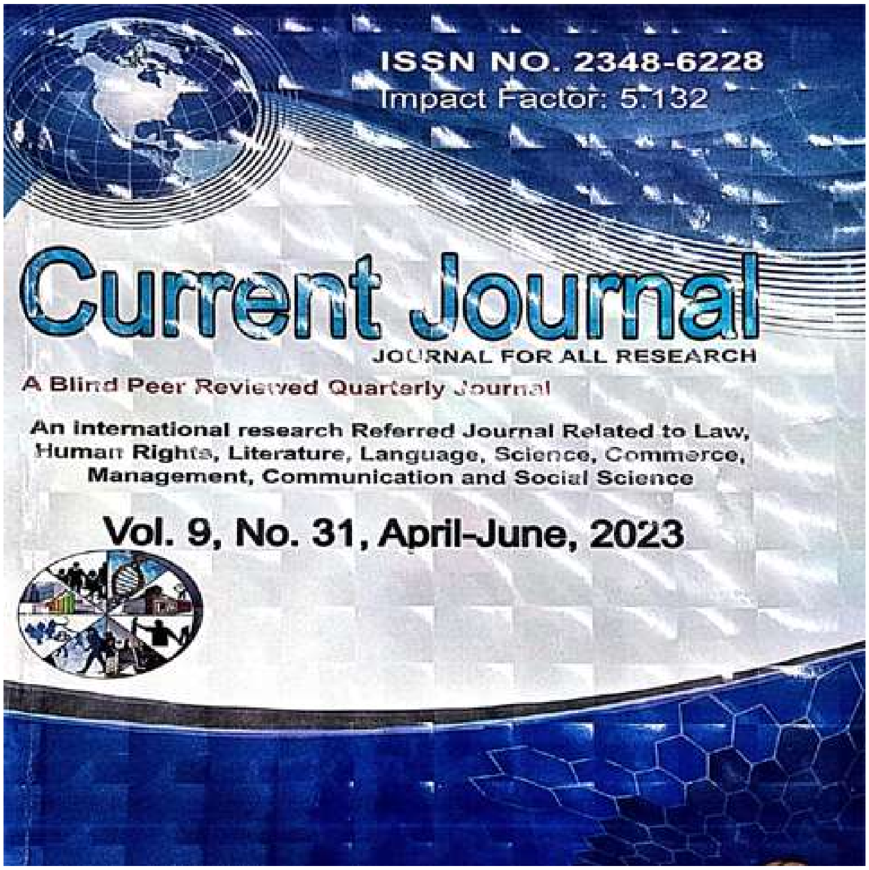

ISSN NO. 2348-6228
Impact Factor: 5.132
Current Journal
JOURNAL FOR ALL RESEARCH
A Blind Peer Reviewed Quarterly Journal
An international research Referred Journal Related to Law, Human Rights, Literature, Language, Science, Commerce, Management, Communication and Social Science
Vol. 9, No. 31, April-June, 2023

CONTENT

1.	न्यू मीडिया के युग में स्वास्थ्य सेवा : एक विश्लेष्णात्मक अध्ययन *डॉ० मोहम्मद फरियाद*	.....	1-5
2.	"राजकाज और कविताई....." (कवि रहीम की कविता के सन्दर्भ में) *डॉ० हरिबिलास*	.....	6-8
3.	कबीर काव्य में उपदेशात्मक की समस्या *अभिनीत कुमार मिश्रा*	.....	9-11
4.	**THE DEVELOPMENT IN AGRARIAN STRUCTURE OF EARLY MEDIEVAL NORTHERN AND PENINSULAR INDIA FROM SIXTH-SEVENTH TO ELEVENTH-TWELFTH CENTURIES AD** ***Shail Bala Mishra***	.....	12-18
5.	**IMPACT OF MNREGA ON SOCIO-ECONOMIC CONDITION OF THE WOMEN JOB CARD HOLDERS** **(A case study of Nyaya Panchayat Gorihat, Block Munakot, District Pithoragarh, Uttarakhand, India)** ***Dr. Jag Deepak Joshi***	.....	19-29
6.	**LIQUIDITY MANAGEMENT IN BANKS: IMPORTANCE, BENEFIT AND WARNING INDICATORS** ***Ziaul Haque***	.....	30-36
7.	**EFFECTIVENESS OF A STRUCTURED TEACHING PROGRAMME ON KNOWLEDGE REGARDING HOME CARE OF INTELLECTUALLY DISABLED CHILDREN AMONG CAREGIVER** ***Mr. Anurag Singh***	.....	37-43
8.	**FACTOR AFFECTING E-COMMERCE AND ITS IMPACT ON PERFORMANCE** ***Mukesh Kumar Yadav*** ***Babita Devi***	.....	44-51
9.	**ऐतिहासिक महानायको पर रचित महाकाव्य** दीपिका शुक्ला	....	52-57
10.	**ज्योतिषीय कालगणना एक विमर्श** **कोमल सिंह**	.....	58-61
11.	उत्तर भारत के विजय में मुहम्मद गोरी के अमीरो का योगदान। तृप्ति कुमारी	....	62-66

CONTENT

12.	**Digitalization: An Impactful Factor in Investment Decision Making** **Saransh Kumar Srivastav[1], Dr. Brijvas Kushwaha[2], Dr. Prateek Verma[3]**	.....	67-79
13.	आग का दरिया' में सांप्रदायिकता का परिप्रेक्ष्य डॉ नवनीत कुमार राय	.....	80-83
14.	Changes and Results of BHEL's Financial Performance Through Financial Ratios **Manish Kumar Singh**	.....	84-96
15.	ह्रषीकेश सुलभ की कहानियों में मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति इला कुमारी	....	97-101
16.	हिन्दी साहित्य के फुटकल कवि और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि *डॉ. राकेश पाण्डेय*	.....	102-104
17.	The Importance of Art Marketing for Emerging Artists in India **Dr. Ajay Kumar Pande** **Randhir Singh**	.....	105-112
18.	मानवाधिकार शिक्षा में नैतिक मूल्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन उपेन्द्र कुमार सिंह	.....	113-117
19.	**Importance of Food and Nutrition in Sports Performance: An Analytical Study.** Dr. Sanjay Kumar Singh	....	118-124
20.	**Exploring English Communication Skills among Tribal Students: A case of Central Part of Madhya Pradesh** **Dr. Vimal Raj**	....	125-132
21.	**Provision and Use of E-Resource Licensing: A Study on the Selected Central University Libraries of Uttar Pradesh.** Arvind Kumar Singh	.....	133-141

CONTENT

22.	जैव विविधता संरक्षण डा० अन्नू महाजन	....	142-144
23.	त्रिरत्नं मोक्षसाधनम् श्रवणकुमार	.....	145-147
24.	पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक विकास हिमांशु मिश्र	....	148-149
25.	**The Impact of Advertising on Indian Society and its Role in Simplifying the Consumer Life Cycle** **Pavanesh Kumar Bind**	....	150-155
26.	***OXIDATION OF SUGARS*** ***Dr. Padmakshi Singh***	.....	156-159
27.	भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में महिलाओं का योगदान आकाशदीप	....	160-165
28.	**Seasonal Migration as A Social Determinant of Health Among Migrant Children: A Case Study of Varanasi** Drishty Mukherjee	.....	166-168
29.	प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद की कामकाजी महिलाओं की समस्याओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रो०:महालक्ष्मी जौहरी देवेन्द्र प्रताप सिंह	.....	169-180
30.	पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारतीय व्यापार के अन्तर्राष्ट्रीय स्थल मार्ग–एक अध्ययन योगिता सिंह	.....	181-182
31.	बौद्ध धर्म एवं आर्थिक कारक विकास क्रम में भूमिका तथा आज के परिप्रेक्ष्य में प्रसंगिकता शंकर लाल मकदूम	....	182-187

प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद की कामकाजी महिलाओं की समस्याओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

प्रो०;महालक्ष्मी जौहरी *

देवेन्द्र प्रताप सिंह **

वर्तमान युग नई चेतना व जागृति का नवयुग है। आज नारी जाति सशक्तिकरण की एक नयी ज्योति हर क्षेत्र में जागृति हो रही है। 21वीं शताब्दी की नारी शिक्षा व समय दोनों के महत्ता या उपयोगिता को समझने लगी है। इस जागरूता के कारण कामकाजी महिलायें अपने शिक्षण संस्थानों, स्वशासित या सरकारी, अस्पतालों, बैंकों तथा सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों, प्रशासन, सेना, व्यसायिक संस्थानों, अन्तरिक्ष, कला, साहित्य, विज्ञान, तकनीकी आदि सभी क्षेत्रों में कामकाजी महिला के रूप में महिलाएँ सक्रिय भूमिका निभा रही है। वास्तव में प्रस्तुत आलेख में भारत में व उत्तर प्रदेश राज्य में व प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद में कामकाजी महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में तथा आत्मनिर्भर बनने के मार्ग में सहायक व उसमें बांधक बन रहे विभिन्न कारकों का समलोचन/समीक्षात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। कामकाजी महिलाओं की परिस्थितियाँ तथा परेशानियाँ/समस्यायें से सम्बन्धित यह अध्ययन व्यवहारिक विशलेषण, ऐतिहासिक पद्धतियों द्वारा किया गया जिसमें सन्दर्भ पुस्तको, पत्र–पत्रिकाओं व गुगल वेबसाइटों द्वारा प्राप्त द्वितीय स्त्रातों का सहयोग लिया गया है।

वास्तव में वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि शिक्षण सेवा क्षेत्र में महिलाओं को अत्यधिक आकर्षित किया है। निश्चित अवधि तक कार्य निश्चित नियम राजनैतिक हस्तक्षेप का अभाव, सापेक्ष सुरक्षा आदि अनेक ऐसे कारक है। जिससे महिलाओं का आकर्षण वेतन के साथ–साथ महिलाओं से जुड़ी शिक्षा का स्तर और परिवारिक पृष्ठिभूमि आदि कारक महिलाओं के समक्ष कार्य और परिवार का दोहरा दबाव उपस्थित करते है।। अर्जित एवं प्रदत्त मूल्य तथा भूमिका के बीच की प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद की कामकाजी महिला किस प्रकार समंजस करती है प्रस्तुत अध्ययन इसी तथ्य के उत्तर की खोज करने का प्रयास है।हमारे देश की आबादी का लगभग आधा भाग महिलाएँ हैं। संविधान में इन्हें पुरूषों के समान अधिकार दिए है किन्तु अनेके पूर्वाग्रह और लिंग भेद के

* विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र पी०के०वि०वि०शिवपुरी मध्य प्रदेश

** शोध.छात्र समाजशास्त्र पी०के०वि०वि०शिवपुरी मध्य प्रदेश

प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद की कामकाजी महिलाओं की समस्याओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

शोध निर्देशिका

प्रो०(डॉ.) महालक्ष्मी जौहरी
विभागाध्यक्ष
(समाजशास्त्र)
पी0के0 विश्वविद्यालय
शिवपुरी (मध्य प्रदेश)

देवेन्द्र प्रताप सिंह
शोधार्थी
(समाजशास्त्र)
पी0के0 विश्वविद्यालय
शिवपुरी (मध्य प्रदेश)

प्रस्तावना

वर्तमान युग नई चेतना व जागृति का नवयुग है। आज नारी जाति सशक्तिकरण की एक नयी ज्योति हर क्षेत्र में जागृति हो रही है। 21वीं शताब्दी की नारी **शिक्षा** व समय दोनों के महत्ता या उपयोगिता को समझने लगी है। इस जागरूता के कारण कामकाजी महिलायें अपने **शि**क्षण संस्थानों, स्वशासित या सरकारी, अस्पतालों, बैंकों तथा सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों, प्रशासन, सेना, व्यसायिक संस्थानों, अन्तरिक्ष, कला, साहित्य, विज्ञान, तकनीकी आदि सभी क्षेत्रों में कामकाजी महिला के रूप में महिलाएँ सक्रिय भूमिका निभा रही है। वास्तव में प्रस्तुत आलेख में भारत में व उत्तर प्रदेश राज्य में व प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद में कामकाजी महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में तथा आत्मनिर्भर बनने के मार्ग में सहायक व उसमें बांधक बन रहे विभिन्न कारकों का समलोचन/समीक्षात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। कामकाजी महिलाओं की परिस्थितियाँ तथा परेशानियाँ/समस्यायें से सम्बन्धित यह अध्ययन व्यवहारिक विशलेषण, ऐतिहासिक पद्धतियों द्वारा किया गया जिसमें सन्दर्भ पुस्तको, पत्र–पत्रिकाओं व गुगल वेबसाइटों द्वारा प्राप्त द्वितीय स्त्रातों का सहयोग लिया गया है।

वास्तव में वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि शिक्षण सेवा क्षेत्र में महिलाओं को अत्यधिक आकर्षित किया है। निश्चित अवधि तक कार्य निश्चित नियम राजनैतिक हस्तक्षेप का अभाव, सापेक्ष सुरक्षा आदि अनेक ऐसे कारक है। जिससे महिलाओं का आकर्षण वेतन के साथ–साथ महिलाओं से जुड़ी शिक्षा का स्तर और परिवारिक पृष्ठिभूमि आदि कारक महिलाओं के समक्ष कार्य और परिवार का दोहरा दबाव उपस्थित करते है।। अर्जित एवं प्रदत्त मूल्य तथा भूमिका के बीच की प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद की कामकाजी महिला किस प्रकार समंजस करती है प्रस्तुत अध्ययन इसी तथ्य के उत्तर की खोज करने का प्रयास है।

हमारे देश की आबादी का लगभग आधा भाग महिलाएँ हैं। संविधान में इन्हें पुरूषों के समान अधिकार दिए है किन्तु अनेके पूर्वाग्रह और लिंग भेद के परिणाम स्वरूप अनेक असमानताओं का सामना करना पड़ता है। लगभग सभी

महिलाओं को शोषण व हिंसा का शिकार होना पड़ता है। पितृसत्ता ने महिलाओं को उपभोग की वस्तु माना है। पुरूषों ने महिलाओं के जीवन उनकी योग्यता और उनकी कार्यशैली को निर्धारित करने की चेष्टा की लेकिन यथार्थ सत्य है कि महिला भी पुरूषों की भांति अपनी अलग पहचान रखती है वह अपने जीवन में उचित चुनाव करने की क्षमता रखती है। शिक्षा के प्रचार व प्रसार से देश में शिक्षित महिलाओं की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है और पढ़–लिखकर नौकरियाँ करने लगी तथा प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद की कामकाजी महिलाओं का एक नया वर्ग चल गया। जिस समाज में महिला की कमाई को अनुचित समझा जाता था, उसी समाज में महिला की कमाई से घर चलने लगे। पति–पत्नी दोनों कमाते हैं, यह गर्व की बात समझी जाती है। देश में कामकाजी महिलाओं का इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है। यह स्वतन्त्रता व समानता के सिद्धान्त से प्रभावित होकर महिलाओं में आत्मनिर्भरता के लिए जो नई सोच और नई चेतना पैदा हुई है, यह उसी का परिणाम है। प्रतापगढ़ जनपद की कामकाजी महिलाओं की समस्याओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन का रूप रेखा शिक्षित एवं रोजगार युक्त महिलाओं से है, अच्छे जीवन स्तर की इच्छा की बल मिला, यह तो समय की आवश्यकता, परिवार की आवश्यकता, व्यक्तिगत अछ की तुष्टि, समय व्यतीत करने की भी चाह आदि ऐसे कारण जो कामकाजी महिलाओं का केन्द्र बिन्दु है। अनेक अध्ययनों से यह प्रमाणित होता है कि कार्यरत महिलाओं के सामने मुख्य समस्या भूमिका संघर्ष की है। वे अपने आप को परिवार व कार्यालय के अनुसार कैसे समायोजित करती है। निम्न स्व–प्रतिविम्ब और दोहरी भूमिकाएँ कामकाजी महिलाओं के लिए भूमिका संघर्ष पैद करती है। जिसका प्रभाव पारिवारिक सम्बन्धों अपेक्षत भूमिकाओं पर पड़ता है। कामकाजी महिलाएँ आज भी आर्थिक रूप से पुरूषों से मुक्त नहीं है। क्योंकि जो महिलाएँ अपनी परिवार की अर्थव्यवस्था में योगदान करती है, वे अपनी आय को अपनी इच्छानुसार व्यय करने के लिए स्वतन्त्र नहीं है। सामाजिक, नैतिक व मनोवैज्ञानिक आयामों में भी उनकी स्थिति पुरूषों के समान नहीं है। जिस प्रकार वह नौकरी करती है। घर का काम करती है। इन सबके प्रति उसकी निष्ठा उसके जीवन के स्वरूप के सन्दर्भ पर निर्भर करती है और समाज द्वारा उसका मूल्यांकन बिल्कुल अलग परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। व्यवसायिक भूमिका और परमपरागत भूमिकाओं की एक साथ निभाना एक महिला के लिए प्राकृतिक व कृत्रिम रूप से बहुत कठिन हो जाता है। आज भी परिवार के अनेक कार्य व भूमिकाएँ है। जिनके निर्वाह की पूरी जिम्मेदारी एक महिला की ही मानी जाती है। इस प्रकार एक कार्यरत महिला के लिए दोनों क्षेत्रों में समायोजन करना बड़ी समस्या उत्पन्न कर देता है।

भारत व विश्व में कामकाजी महिला शब्द का प्रयोग नौकरी करने वाली महिलाओं के सन्दर्भ में किया गया है तथा कामकाजी महिलाओं से तात्पर्य हम प्रायः व्यवसाय व नौकरी तथा सरकारी व प्राइवेट नौकरी से उनको जोड़ते हैं तथा उनका अवलोकन भी उनके व्यवसाय से करते है। वास्तव में मनुष्य एक तर्कशील प्राणी हैं। उसके हर एक कार्य के पीछे उद्देश्य होता है। इस अध्ययन का भी यह

उद्देश्य है कि एक कामकाजी को किसी तरह की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक और कार्य स्थल पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कामकाजी महिला के ऊपर परिवार एवं कार्यालय की जिम्मेदारी होती है। किसी को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। आज भी परिवार में अनेक कार्य है जिनके निर्वाह की पूरी जिम्मेदारी एक महिला की ही मानी जाती है।

वास्तव में भारतीय समाज की परम्परागत व्यवस्था में महिलाओं की पारिवारिक भूमिकाओं में सामाजिक, सांस्कृतिक व समाजशास्त्रीय मूल्यों के आधार पर उनसे यह आशा की जाती है कि वे इन कामकाजी महिलाओं की भूमिकाओं के प्रति पूर्णरूपेण समर्पित रहे, क्योंकि परम्परागत समाज पुरूष प्रधान समाज रहा है। अतः महिलाओं से यह आशा की गई कि वे पुरूष वर्ग के स्वामित्व को स्वीकार करते हुए पारिवारिक सेवाओं को ही अपना परम कर्त्तव्य समझें। पश्चिमी देशों की तरह भारत में घरेलू कामों में पति–पत्नी का हाथ नहीं बटाते हैं। कामकाजी महिला की स्थिति दो पाटो में फंसे हुए घुन के समान होती है। यदि वह दोनों में सन्तुलन स्थापित करने में असमर्थ होती है तो उसे भारी निन्दा का सामना करना पड़ता है। जर्मनी, ब्रिटेन एवं फ्रांस में महिलायें कम से कम आत्मविश्वासी है। उन्हें लगता है कि उनका परिवार उनके कैरियर को बर्बाद कर सकता है। घर में सम्मान पाने, घरेलू हिंसा से बचने एवं परिवार/परिजनों के अपमान से बचने के लिए जब तक महिला आत्मनिर्भर होने के लिए घर से बाहर निकलती है तो उसे समाज और पुरूष सत्तात्मक सोच रखने वालों से सामना करना पड़ता है। अनेक लोगों की टीका टिप्पणियों अर्थात् तानाशाही, धूरती निगाहों से सामना करना पड़ता है।

पहले नारी अशिक्षित थी अतः विभिन्न प्रकार के शोषण एवं उत्पीड़न को मूक बनकर सहन करती रहती थी। किन्तु आधुनिक शिक्षा के विकास, व्यावसायिक क्षेत्र में अपना भौतिकवादी दृष्टिकोणों से उसे अपने आस्तित्व का बोध हुआ है और व्यावसायिक क्षेत्र में आने से आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। जिसके फलस्वरूप महिलाओं को दोहरी पारिवारिक तथा व्यावसायिक भूमिकाओं को कायम करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। जिससे उनका पारिवारिक जीवन प्रभावित होती है।

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सदियों से काफी दयनीय रही है। उनका हर स्तर पर शोषण और अपमान होता रहा है। भारतवर्ष में पुरूष प्रधान समाज होने के कारण सभी नियम कायदे, कानून पुरूषों के हितों को ध्यान में रखकर बनाये जाते रहें। खेलने और शिक्षा ग्रहण करने की उम्र में बेटियों की शादी कर देना और फिर बाल्यावस्था में ही गर्भाधारण कर लेना उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित होता रहा है तथा बाल–विवाह एक प्रकार से नारी सशक्तीकरण के लिए अभिश्राप है। इस बड़ी से बड़ी कठिनाइयों व समाज में व्यापत बुराईयों व कुठित जीवन हो जाता है। महिलाओं का सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन बना कर रखा गया। 21वीं सदी के भारत में आज भी पिछड़े क्षेत्रों में यह परम्रा जारी है। जो भारतीय समाज के लिए एक बहुत बड़ी महामारी या समस्या प्रद रोग है। जिसका निदान करना बहुत जरूरी है। वह मार्ग माना समाज का सुधार है जिसका मात्र शिक्षा ही एक आधार सिद्ध है।

विश्व बैंक के ताजा ऑकड़ों के अनुसार महिलाओं ने वर्ष 2021 में भारत में औपचारिक और अनौपचारिक कार्यकल का 23 फीसदी से कम प्रतिनिधित्व किया, जो वर्ष 2005 में लगभग 27 प्रतिशत थी, वहीं इसकी तुलना में पड़ोसी देशों में बांग्लादेश में 32 प्रतिशत और श्रीलंका में 34.5 प्रतिशत है। कामकाजी महिलाओं पर कोविड का असर भारत व विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ा।

दत्ता के अनुसार, महिलाओं और लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रशिक्षण व समाजशास्त्रीय अध्ययन व कार्यक्रमों और कौशल विकास तक पहुँच में सुधार महत्त्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि नियोक्ताओं को भी लैंगिक आधार पर संवेदनशील नीतियाँ देनी चाहिए जैसे सामाजिक सुरक्षा बच्चें की देखभाल माता–पिता की छुट्टी और कार्य स्थल तक पहुँचने के लिए सुरक्षित और शुलभ परिवहन का प्रावधान होना चाहिए जिससे महिलाओं की समस्याओं का निदान हो सके। इस प्रकार से यदि देखा जाय कामकाजी महिलाओं को भारत में 37 प्रतिशत पुरूषों से कम वेतन मिलता है।

महिलाओं को परिवार व समाज के सम्मान पाने के लिए आर्थिक रूप से निर्भर होने की सलाह दी जाती हैं। प्राचीन काल में मजदूर वर्ग की महिलाएँ अनेक प्रकार की कार्य करती रही है। कुछ क्षेत्रों में जैसे घरों, सड़कों इत्यादि की सफाई, कपड़े धोना, नर्सिंग, दाई, सिलाई, बुनाई, खेती बाड़ी सम्बन्धी कार्य इत्यादि में तो इनका एकाधिकार रहा है। अतिशिक्षित परिवारों एवं उच्च शिक्षित परिवारों की महिलाओं की बात की जाय तो उन परिवारों में महिलाएँ अपेक्षाकृत हमेशा से ही सम्मान प्राप्त रही है। परन्तु मजदूर वर्ग में शिक्षा के अभाव में रूढ़ीवादी समाज के कारण आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हुये भी अपमानित होती रहती थी और आज भी विशेष बदलाव नहीं हो पाया है। महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने और शिक्षित होने के चलते मध्य वर्गीय परिवार की महिलाएँ भी नौकरी, दुकानदारी अर्थात् व्यवपार, ब्यूटी पार्लर, डाक्टर, वकील, शिक्षक जैसे व्यवसायों में पुरूषों के समान कार्यों का अंजाम देने लगी है। डाक्टर, वकील, आई0टी0सी0ए0, पुलिस जैसे क्षेत्रों में आज महिलाओं की बहुत मांग है।

परन्तु हमारे समाज का ढाँचा कुछ इस प्रकार का है कि महिला को कामकाजी होने के बाद भी नए प्रकार के संघर्ष से जुझना पड़ता है। अब उन्हें सुबह जल्दी उठकर अपने परिवार बच्चे तथा अन्य सदस्यों के लिए भोजन आदि का व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके पश्चात संध्या के समय शीघ्र लौटकर गृह कार्यों में लगना पड़ताा है। क्योंकि परिवार के पुरूष आज भी गृहकार्यों की जिम्मेदारी सिर्फ घर की महिला की ही मानते हैं। पुरूष उनका सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होते यदि महिला उन पर दबाव मानती है तो अक्सर पुरूषों को कहते हुये सुना जाता है कि अपनी नौकरी अथवा कामकाज छोड़कर घर की जिम्मेदारी को ठीक से निभाओ महिलाओं की जिम्मेदारी घर संभालने की होती है।

महिलाओं की भूमिका के लिए सामाजिक रवैया, कानून से बहुत पीछे है। यह रवैया जो महिलाओं को कुछ नौकरियों को उपयुक्त मानता है और दूसरी को नहीं सौ उन लोगों को रंग देते है। जो कर्मचारियों की भर्ती करते है।

आज केन्द्रीय राजधानी दिल्ली और राज्यों की राजधानियों के उच्च पदस्थ स्थानों पर महिलाओं ने अपनी योग्यता सिद्ध की है। यूरोप और अमेरिका ही नहीं आज इजरायल, मिस्र और छोटे–छोओे अरब देशों तथा भारती की अनेक महिलाओं नेतायुमान संचालन, सेना, पुलिस, परिवहन के क्षेत्रों में भी कार्य करके पुरूषों की बराबरी करने का साहस दिखाया है।

सामाजिक प्रगति में योगदान संसार के विकसित देशों और विकासशील देशों में नारी का अपने राष्ट्र निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान है। भारत में भी कुशल और उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार कामकाजी महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राष्ट्र के निर्माण और विकास में उनका योगदान कम महत्त्व का नहीं है। कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ भारत में शिक्षण प्रशिक्षण और कामकाज करके योग्यता ग्रहण करने में तो महिलाओं का तेजी से योगदान बढ़ा है। परन्तु पुरूष समाज का नारी के प्रति दृष्टिकोण अभी तक नहीं बदला हैं आज भी पुरूष नारी को हेय दृष्टि से देखता है। अतः उनके विकास और स्वतन्त्रता की राह में हर तरह के कांटे बिछाने का प्रयास किये जा रहे हैं। परिणामस्वरूप महिलायें अपनी योग्यता के अनुसार खुलकर कार्य नहीं कर पाती है। भारतीय समाज तो अभी तक प्राचीन सामंती व्यवस्था की मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाया है। कामकाजी महिलाएँ बड़ी कठिनाई से अपना जीवन यापन कर पा रही है।

आधुनिक समय में जहाँ शिक्षा के विकास में नारियों ने कदम रखा वहीं अन्य प्रक्रियाएँ जैसे औद्योगिककरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, लैंकिकीकरण, भौतिकवादी, विचाराधार एवं आर्थिक स्वतन्त्रता आदि ने नारी को परम्पराबद्ध बन्धनों से मुक्त करके व्यावसायिक क्षेत्र में ला दिया यह परिवर्तन दो चरणों में हुआ है–

1– प्रथम चरण में नारी ने शिक्षा के क्षेत्र में पुरूष के समकक्ष आने का प्रयास किया।

2– द्वितीय चरण में नारी में नौकरियों एवं व्यवसायों में आने का प्रयास किया।

समकालीन भारतीय समाज में निरन्त परम्परायें तो बदल रही है। किन्तु आधुनिकता को अभी पूर्णरूप से स्वीकार नहीं किया गया है। नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदर्शों मानदण्डों में अन्तद्वन्दों की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जिसके फलस्वरूप मानवीय सम्बन्धों में तनाव एवं संघर्ष उत्पन्न हो रहे है। यद्यपि मानवीय सम्बन्धों में होने वाले तनावों एवं संघर्षों को विभिन्न विद्वानों ने अलग–अलग रूपों में देखने का प्रयास किया है। चूँकि कामकाजी महिलाओं को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। एक भूमिका पत्नी, माँ व गृहणी की तथा दूसरी भूमिका नौकरी की। घर और नौकरी दोनों ही दोहरी माँगों व तनावों के कारण उन्हें परस्पर पारिवारिक असंगतियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसका प्रभाव उनकी नौकरी से सम्बद्ध दायित्वों व कर्त्तव्यों दोनों पर पड़ता है।

काम करने वाली वे महिलाएँ है जिनके शारीरिक या मानसिक श्रम से कोई आर्थिक रूप का उत्पादन कार्य सम्पन्न हो।

"A employed women is defined here as one who has been gainfull exmaployed by Government or Semi-Government of Private agencies"

प्रस्तुत शोध में यह जानने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार कामकाजी महिलाओं का आज भी समाज में दो पहलूओं का सामना करना पड़ता है। एक तो उनका घर और दूसरा काम के अवसर प्रदान करने वाला कार्यालय। इसी अन्तर्द्वन्द को केन्द्रीय अध्ययन मानकर प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद की कामकाजी महिलाओं की प्रस्थिति और समस्याओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध सात अध्यायो में विभक्त है। जिसमें कामकाजी महिलाओं की स्थिति, भूमिका तथा समस्याओं का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष एवं कामकाजी महिलाओं की समस्याओं के निवारण पर प्रकाश डाला गया है।

प्रस्तुत अध्ययन इस बात का भी खुलासा करेगा कि नारी किसी भी दायरे में पुरूषों से पीछे नहीं है। यद्यपि उसके सामने सामाजिक वर्णनाओं की एक लम्बी कतार है। परन्तु वह इन वर्णनाओं से भी लोहा लेने के लिए तत्पर है। यह अध्ययन कामकाजी महिलाओं की समस्याओं और अन्तर्द्वन्दों को मुखारित करेगा, साथ ही यह अध्ययन इन समस्याओं के निराकरण हेतु एक सुझाव भी देगा जो महिलाओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति बनाने के समय सार्थक सिद्ध होगी।

राष्ट्र और समाज की प्रगति में जब हम महिलाओं से योगदान की अपेक्षा रखते हैं तो प्रायः वह भूल जाते हैं कि एक प्रतापगढ़ जनपद की कामकाजी महिला को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। एक कार्य स्थल से दूसरी परिवार से सम्बन्धित होती है। प्रायः स्त्री से यह आशा की जाती है कि काम पर जाने पूर्व और काम से लौटने के बाद वह गृहणी की भूमिका भी पूरी जिम्मेदारी से निभाएँ वह अन्याय है। पुरूषों को भी घर की जिम्मेदारी में बराबर का सहयोग करना चाहिए परम्परागत समाज से आज नारी की स्थिति भिन्न है। वह अपनी पहचान कर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बिना किसी दबाव के मुक्त होकर अर्थोपार्जन कर रही है। आर्थिक स्वालम्बन ने उसे गरिमा और आत्मविश्वास दिया है। आर्थिक स्वालम्बन की तलाश में स्त्री घर की चार दिवारी से बाहर निकल रही है। किन्तु यह स्थिति सहज नहीं है। अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

समाज में दोहरी भूमिका निभाती है। प्रतापगढ़ जनपद की कामकाजी महिलाओं की समस्याओं की एक समाजशास्त्रीय अध्ययन जिसका प्रमुख व्यवसाय आँवला का उत्पाद एवं व्यवसाय से है तथा नौकरी एवं गृहणी की सम्पूर्ण पारिवारिक जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना है। वह घर से परिवार द्वारा प्रताड़ित होती है। तो बाहर समाज द्वारा महिलाएँ पुरूष से आगे निकल जाय तो पुरूष के अहंम को ठेस पहुँची है। पितृ सत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। नारी का स्थान पुरूष के बाद ही समझा जाता है। ''मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्रियों को बाल्यावस्था में पिता के संरक्षण में युवा अवस्था में पति के संरक्षण में और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए'' परम्परागत समाज की यह धारणाएँ आज भी पूरी तरह से बदलती नहीं है। यह स्त्री के विकास में बांधा उत्पन्न करती है। भारत में धर्म की प्रधानता यहाँ लोगों धार्मिक मान्यताओं को बहुमूल्य समझते है।

उपरोक्त सभी समस्याओं के कारण महिलाएँ कैरियर एवं निजी जीवन को सन्तुलित रखते समय कठिनाईयों का सामना करती है। ऐसा माना जाता है कि बाहर से काम करके आने के बाद घर की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है यह सोच

तानव पैदा करती है और कुछ महिलाएँ व्यवसायिक जीवन से दूर हो जाना पसन्द करती है। जिससे मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिससे मानसिक रूप से तनाव ग्रसित हो जाती है।

निमकाक के अनुसार –

> 'कई लोगों के लिए एक साथ विवाह और कार्य के उद्देश्य को स्वीकार करना एक संघर्ष उत्पन्न कर सकताा है। क्योंकि दो प्रकार के उद्देश्यों की संतुष्टि के लिए दो विभिन्न प्रकार के गुणों की आवश्यकता होती है।

एक कामकाजी महिला को अपने कार्यरत जीवन तथा माँ के रूप में दोहरी भूमिकाओं के संघर्ष का सामना करना पड़ता है। एक तरफ अपने कार्यालय का कार्यभार और दूसरी तरफ माँ के रूप में संतानों की देखभाल करना इस प्रकार एक कामकाजी महिला अपने कार्य के साथ–साथ घर और परिवार की भी देखभाल करती है। फिर भी संघर्ष उत्पन्न होता है।

आजीविका मिशन से जुड़कर विकास की इबारत लिख रही हैं प्रतापगढ़ (बेल्हा) में समूह की कामकाजी महिलाएँ

प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद में बिहार ब्लाक के हरिहरपुर गाँव की सरिता देवी, सुमन देवी सहित अन्य महिलाएँ अक्टूबर 2019 में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थी। उनको ट्रेनर के माध्यम से उनकों पखवारे भर प्रशिक्षिण किया गया। रिवाल्विंग फण्ड व सामुदायिक निवेश निधि के तहत महिलाओं को लगभग डेढ़ लाख रूपये मिले।

प्रतापगढ़ जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ अपनी समस्याओं का निराकरण करती हुई आत्म निर्भर की ओर उन्मुख हो रही है।

यद्यपि प्रतापगढ़ जनपद की कामकाजी महिलाओं की समस्याओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन के तहत प्रतापगढ़ की महिलाओं के साथ बढ़ती आपराधिक वारदातों को देखते हुए कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शासन चिन्तित हेा उठा है। ऐसी महिलाओं की सुरक्षा के लिए या समस्याओं के निदान हेतु 2001 में ही शासनादेश जारी हुआ था लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के कारण ऐसे मामले सामने आने के बाद भी गम्भीरता नहीं दिखाई जा रही थी। अब नए सिरे से शासन का आदेश आने के बाद इस पर कार्यवाही करने के लिए जिला स्तर पर महिलाओं की टीम गठित की गई है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अल्तेकर (1962)	:	द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, मोती लाल बनारसीदास प्रकाशन, वाराणसी।
2. आधारानी बहेश	:	भारतीय नारी, दशा दिशा 1983 पृ.–166 नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली।
3. अर्थवेद 1975	:	प्रथम खण्ड संस्कृति संस्थान, ख्वाजा कुतुब, वेद नगर बरेली।
4. अर्थवेद संहिता	:	अजमेर 2014 वि0
5. अष्ठाना प्रमिला	:	1974 वुमेन्स मूवमेण्ट इन इण्डिया विकास पब्लिशिंग हाउस, कानपुर।
6. इलिट एवेन्यू, बी(1974)	:	वूमेन इन इण्डियन पोलीटिक्स, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
7. इंटरनेशनल सेमिनार्स	:	1968–1972 एम्प्लायमेंट ऑफ वूमेन रिजनल ट्रेड यूनियन, सेमिनार, पेरिस,

26–29 नवम्बर, 1968, फाईनल रिपोर्ट बाई आर्गनाइजेशन फार इकोनामिक को– आपरेशन एण्ड डेव्हलपमेण्ट पेरिस।

8. इन्द्रा एम0ए0 : स्टेट्स ऑफ वूमेन इन एन्सिएण्ट इण्डिया, मोती लाल, बनारसीदास, वाराणसी (1955)

9. इंटरनेशनल सेमीनार्स : 1968–72 एम्प्लायमेण्ट ऑफ वूमेन रिजनल ट्रेड यूनियन सेमीनार पेरिस–26–29 नवम्बर 1968

10. इन्द्र प्रोफेसर : 1955 दि स्टेट ऑफ वूमेन इन एशियेन्ट इण्डिया मोती लाल बनारसी दास, बनारस।

11. एप्स्टीन सिथिया एफ(1970) : वुमेन प्लेस, कैलिफोर्निया, वि0वि0 कैलिफोर्निया

12. एन्डिएप्पन, पी0 : वूमेन एण्ड वर्क–एकम्परेटिव स्टडी ऑफ डिसक्रिमिनेशन इन इण्डिया एण्ड यू0एस0ए0 सोमैया पब्लिकेशन प्राइवेट लि0,नई दिल्ली (1981)

13. एन्टोनी एन0 : वूमेन राइटर डायलॉग, नई दिल्ली (1981)

14. एवरेट जे0एन0 : वूमेन एण्ड सोशियल चेन्ज इन इण्डिया हर्टेज पब्लिसर्श, नई दिल्ली (1981)

15. कपूर, प्रमिला (1972) : द चेजिंग रोज एण्ड स्टेट्स ऑफ वुमेन

16. कपूर, प्रमिला (1970) : मैरेज एण्ड द वर्किंग वुमन इन इण्डिया

17. कपूर, प्रमिला (1976) : कामकाजी भारतीय नारी, राजपाल एण्ड सन्स नई दिल्ली।

18. कपूर प्रमिला : भारत में विवाह और कामकाजी महिलायें, राजकमल प्रकाशन (1976)

19. कामारोवस्की एम0 : वूमेन इन दि मार्डन वर्ल्ड, लिटिल ब्राउन वोस्टन,

1953

20. कारमेलक मारग्रेट : द हिन्दू वूमेन, बाम्बे एशिया पब्लिशिंग हाउस 1961

21. कोयना ताकशी : द चेजिंग सोशल पोजीशन ऑफ वूमने इन जापान, यूनेस्को (1961)

22. कौर आई0 : स्टेट्स आफ हिन्दू वूमेन इन इण्डिया, चुग पब्लिकेशन्स, इलााबाद 1983

23. किरन डी0 : स्टेट्स एण्ड पोजीशन ऑफ वूमेन इन इण्डिया विकास पब्लिशिंक हाउस, नई दिल्ली (एन0डी0)

24. कपूर प्रमिला : मैरिज एण्ड दि वर्किंग वूमेन इन इण्डिया विाकस पब्लिशिंक हाउस प्रा0लि0 नई दिल्ली–1970

25. कुलवन्त आनन्द : इम्पैक्ट आफ दि चेजिंग स्टेट्स आफ वूमेन ऑन पापुलेशन ग्रोथ, अनपब्लिस्ड पी0एच0डी0 थीसिस, पंजाब यूनिवर्सिटी चण्डीगढ़ 1970 पृ–55–88

26. कारमेक, मारग्रेट एल0 : हिन्दू वूमेन कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस, कोलम्बिया 1953

27. कारमैक मारग्रेट : दि हिन्दू वूमेन बाम्बे, एशिया पब्लिशिंग हाउस 1961.

28. कुप्पपुस्वामी बी0 : एम0 इन्ड्रोडक्शन टू सोशयल साइकोलॉजी, **एशिया पब्लिश**ंग हाउस, बम्बई 1961.

29. कोजर लेविस : दि फेकशन्स ऑफ सोशयल कानपिलवट फ्री प्रेस ग्लेगे 1956.

30. खन्ना गिरजा एवं : इण्डियन वूमेन डुडे दिल्ली विकास, 1978 मरियम्मा ए0 वरगीज

31. खोसला जी0डी0 : इण्डियन वूमेन डुडे दि टाइम्स ऑफ इण्डिया मार्च 30,1969

32. गोरे एम0ए0 (1968) : आर्गेनाइजेशन एण्ड फेमली चेंज मुम्बई पापुलर प्रकाशन।

33. गिरिजा खन्ना एवं मरियम्मा ए बारगीज : इण्डियन वूमेन टुडे दिल्ली विकास 1978पं0–3

34. गौतम धर्मसूत्र : 1966 सम्पादक और हिन्दी व्याख्याकार पाण्डेय डा0 उमेशचन्द्र चौखम्बा वाराणसी।

35. गोस्वामी तुलसीदास : रामचरित मानस, गीता प्रेस, गोरखपुर संवत 2004.

36. घोष एस0के0 : वीमेन इन ए चेंजिंग सोसाइटी एशिया पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली 1984

27. डहल स्ट्राम ई0 : दि चेन्जिंग रोब्स ऑफ मैन एण्ड वूमेन डकवर्थ, लंदन 1967

28. डेविस कैथरीन बी : फैक्टर्स इन दि सिविल लाईक ऑफ टवेन्टी टू हन्ड्रेड वूमेन, हार्यर एण्ड ब्रदर्स पब्लिशर्स न्यूयार्क 1929

29. डिसूजा ए0 : वूमेन इन कन्टेपोरेरी इण्डिया मनोहर, नई दिल्ली 1975

30. डहल स्ट्राम ई0 : द चेन्जिंग रोल्स ऑफ मेन एण्ड वूमेन उकवर्थ लन्दन 1961.

31. Altekes- 1978 : The position of women in Hindu Civilization, Motilal Babarasidas Delhi.

32. Das Veena- 1976 : India women, work power and status in B.R. Narda (ed) Indian women from purdan to modermity vikas publishing house Pvt. Ltd. New Delhi.

33. Desouza Vitor's 1980 : Family stuts and Female work participation in Altred Desousza (ed) women in contemporary India & South asia Manohar Publication, New Delhi.

34. Jain Devaki 1975 : Indian women Government.

Impact Factor : 6.963 (IIJF) UGC NO.46953
Registration No. 1803/2008 ISSN :- 2319-6297

The Original Source

Journal for All Research

An Interdisciplinary Quarterly Research Peer Reviewed Journal

Editor in Chief
Prof. (Dr.) Ashok Kumar Singh

Editor
Dr. Rajeev Kumar Srivastav
Dr. B.K. Srivastav

Founder
Late Prof. S.N. Sinha
Eminent Historian & Former HOD
Dept. of History
Jammia Millia Islamia, New Delhi

Volume 6 No. -19 (April-June, 2023

Published by
Centre for Historical and Cultural Studies & Research
Varanasi (U.P.) India

CONTENT

	विनोद कुमार सिंह		
16.	शिक्षा एवं समाज : एक विमर्श	....	76-78
	उपेन्द्र कुमार सिंह		
17.	जैनागमपरम्परा, उत्तराध्ययनं च	....	79-81
	श्रवणकुमारः		
18.	भारतीय गाँवों में सामाजिक परिवर्तन : एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण	....	82-83
	हिमांशु मिश्र		
19.	**Indian Iconography in the Context of Hindu Festivals**	....	84-90
	Dr. Ajay Kumar Pandey		
	Randhir Singh		
20.	**The Impact of Education System in Schools of Kanpur**	....	91-93
	Pooja Awasthi		
	Dr Smriti Sharma		
21.	**The Growth and Adoption of Social Media Platforms and Their Transformative Impact on Advertising Practice**	.....	94-98
	Pavanesh Kumar Bind		
22.	भारत में श्रम और रोजगार एवं कोविड–19	.....	99-102
	गुड्डी रानी		
	डॉ० मंजु झा		
23.	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का न्यायिक विश्लेषण		
	डा0 शशांक शेखर	....	103-106
24.	**History of Urban Planning in India: British challenges vs Indian response**	....	107-111
	Dr. Deepak Kumar		
25.	सामुहिक मुक्ति का उद्घोषक कवि : मुक्तिबोध		
	डॉ0 हरिबिलास	.....	112-115
26.	समकालीन हिन्दी कथा–साहित्य में स्त्री–विमर्श		
	अजय कुमार सिंह यादव	....	116-117
27.	भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन की अदृश्य महिलाएं		
	आकाशदीप	....	118-121
28.	**Impact of Migration on Education of Children of Migrant Workers: A Case Study of Varanasi**	....	122-127
	Drishty Mukherjee		
29.	**Exploring the Role of Youth Participation in Peacebuilding Activities During Cultural Festivals Organized by Traditional Clubs**	....	128-130
	Ashutosh Upadhyay		
30.	हमारे देश की शिक्षिकाएँ और उनका सामाजिक जीवन; एक दृष्टि में		
	डॉ0 अंकिता सिंह	....	131-133

31.	ग्रामीण समाज, जनसंचार माध्यम और वैश्वीकरण रन्जू राठौर साक्षी वर्मा	....	134-137
32.	**Impact of G20 Policies on India's Economic Growth and Development** Dr. Daya Ram Swati Gangwar	....	138-143
33.	वज्रयान सम्प्रदाय का मध्ययुगीन कला पर प्रभाव डॉ० राजेन्द्र कुमार सोनकर	....	144-146
34.	प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद उ०प्र० की कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ प्रो०महालक्ष्मी जौहरी देवेन्द्र प्रताप सिंह	....	147-151
35.	पूर्व मध्यकालीन भारत में शिल्पी वर्ग की स्थिति– एक अध्ययन योगिता सिंह	....	152-153
36.	महात्मा गौतम बुद्ध के समाज दर्शन में उनके जीवनकाल से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं की भूमिका शंकर लाल मकदूम	....	154-160
37.	स्वामी विवेकानन्द तथा गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षादर्शन में निहित शैक्षिक मूल्यों की वर्तमान में प्रासंगिकता का अध्ययन सन्तोष कुमार सिंह	....	161-168
38.	**Retrospection of the Collective Insensitivity towards the Indian Geronts: A Gerontological Reading of Geetanjali Shree's *A Tomb of Sand*** Manohar Parmar	....	169-172
39.	'थारू जनजाति में लोकगीतों का प्रचलन' डॉ० अभिलाषा पाठक रश्मि पाठक	....	173-175
40.	**Diasporic Disquiet: Exploring Identity, Home, and Community in Sudha Koul's *The Tiger Ladies*** **Pratyush Pandey**	....	176-180
41.	मोरवाल जी कहानियों में स्त्री चेतना सुरजीत	....	181-184
42.	जैनदर्शने योगस्वरूपविमर्शः नैन्सीगुप्ता		185-188
43.	समणसुत्ते द्रव्यनिरूपणम् रिंकी सिंह	....	189-192
44.	दलित की अवधारणा, अर्थ एवं परिभाषा डॉ० राणा प्रताप तिवारी नम्रता पाठक	....	193-197
45.	'पार्वतीमंगलम्' में अद्वैत वेदान्त डॉ० उदल कुमार राम लाल विश्वकर्मा	....	198-202
46.	माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों में कार्य नैतिकता का महत्व दीपिका कुमारी	....	203-205
47.	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के साहित्य में भाषा और संस्कृति डॉ० मधु पाण्डेय	....	206-208

An International Peer Reviewed Research Refereed Quarterly Journal April-June, 2023 Vol.6 |Issue-19
UGC NO.46953 Impact Factor : 6.963 (IIJF ISSN :- 2319-6297

प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद उ0प्र0 की कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ

प्रो०महालक्ष्मी जौहरी *

देवेन्द्र प्रताप सिंह **

कामकाजी महिलाओं की समस्याओं और कठिनाइयों के अनेक आयाम है। इनका गहरा अध्ययन करना आवश्यक है। इस शोध के दौरान विभिन्न नौकरियों तथा रोजगार में लगी सैकड़ों महिलाओं के साथ जो बातचीत हुयी उससे ज्ञात हुआ है कि इनकी समस्यायें मुख्यतः तीन प्रकार की है :—

वातावरण, जनित, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक और इनमें से प्रत्येक समस्या दो अवस्थाओं में उत्पन्न होती है घर में रोजगार में। कामकाजी महिलाओं का घर तथा रोजगार दोनों जगहों पर सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा वातावरण जनित समस्याओं तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये समस्यायें दोहरी है— पहली है दो तरफ प्रतिबद्धता से उत्पन्न आन्तरिक संघर्ष तथा दूसरी है व्यावहारिक स्तर पर की समस्या घर—बार की जिम्मेदारी के साथ रोजगार से सम्बन्धित उत्तरदायित्व का ताल—मेल बैठाने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाई।

इन समस्याओं पर विचार करने के पहले यह प्रश्न उठाना समीचीन है कि अपने रोजगार एवं अपनी आर्थिक स्वतन्त्रता के प्रति महिलाओं के दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आया है क्या उसका उनके व्यक्तित्व, उनके नजरिये तथा घर में उनकी स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ा है अथवा नहीं ? अध्ययनों के द्वारा प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण तथा अरोड़ा, भट्टाचार्य तथा अन्य रामानुजन और श्रीवास्तव के अध्ययनों को पढ़ने तथा त्रिपाठी, सेनगुप्ता तथा अन्य दूसरे लोगों द्वारा फेमिना तथा 'ईम्स वीकली' आदि पत्रिकाओं में लिखे लेखों को देखने से जान पड़ता है कि मध्यवर्गीय महिलाओं द्वारा हर प्रकार की नौकरियाँ करने तथा आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होने की वजह से आज उनमें पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास आ गया है। किसी भी मुसीबत का बहादुरी और विश्वासपूर्वक सामना करना उन्होंने सीख लिया है तथा घर से बाहर के कामकाज को निपटाने में उन्होंने प्रवीणता प्राप्त कर ली है नौकरी की वजह से वे अपनी आर्थिक स्वतन्त्रता से अधिक सन्तुष्ट है तथा अपने अधिकारों, एवंविशेषाधिकारों तथा आत्मसम्मान के प्रति अधिक सजग है। परिवार के लिए अपनी महत्ता, परिवार में अपने अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों तथा स्वयं अपने तथा अपने पति और परिवार के दूसरे सदस्यों के उत्तरदायित्वों और कर्त्तव्यों के प्रति उनके दृष्टिकोण में बहुत परिवर्तन हो गये हैं।

श्रीवास्तव जी ने चण्डीगढ़ की शिक्षित कामकाजी महिलाओं में से कुछ महिलाओं का जो अध्ययन किया उससे स्पष्ट होता है कि शिक्षित कामकाजी महिलाएँ ऐसा समझती है कि नौकरी करने की वजह से परिवार में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गयी है वे इससे प्रसन्न है तथा वे ऐसा नहीं समझती कि नौकरी की वजह से उनके पारिवारिक जीवन में कोई बाँधा पहुँचती है। अध्ययन के दौरान इस अधिकांश महिलाओं ने बताया कि नौकरी में आने के बाद से वे पहले की अपेक्षा अधिक स्वाग्रही और समानता की हिमायती बन गयी है।दूसरी ओर अनेक विद्वानों द्वारा किये गये अध्ययनों से स्पष्ट है कि अधिकांश पति—पत्नी द्वारा नौकरी करने की वजह से पारिवारिक जीवन में आई हुयी बदलव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उदाहरण के लिए अधिकांश पति तो यह चाहते है कि पारिवारिक आय में वृद्धि के लिए उनकी पत्नियाँ नौकरी करें, परन्तु साथ ही वे घर—बार के काम में हाथ बँटाने तथा बच्चों की देखभाल करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। यह माना जाता है कि यह काम तो पत्नी का ही है भले ही वह पति की ही जैसी नौकरी क्यों न करती हो। यद्यपि अधिकांश कामकाजी स्त्रियाँ अपने इस दोहरे उत्तरदायित्व को निभाने के लिए तैयार है, परन्तु उन्हें अपने पतियों से इस काम में सहयोग मिलता है।

"धींगड़ा" ने भी अपने अध्ययन में यही पाया था कि अधिकांश स्त्रियों ने उन्हें बताया कि उने पति लापरवाह है तथा प्रायः ऐसा चाहते है कि उनकी पत्नियाँ परम्परागत रूप से उनके वश में रहें तथा नौकरी के बावजूद भी वे ही घर बार की चिन्ता करें जबकि वे इस बात को मानने के लिए तैयार है कि पत्नियाँ नौकरी करें तथा उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए। कामकाजी महिलायें भी यहीं समझती है कि अपनी नौकरी के द्वारा अपने पारिवारिक जीवन में कोई कमी, परिवर्तन तथा रूपान्तर लाये बिना ही वे महत्वपूर्ण कार्यकर्त्ता की भूमिका निभा रही हैं।

घर—बार की सारी जिम्मेदारियों को अकेले ही निभाते रहने की वजह से कामकाजी महिलाएँ थक जाती है और चिड़चिड़ी बन जाती है। इससे स्वाभाविक है कि अपने पतियों तथा बच्चों के साथ हँसी—खुशी के साथ समय नहीं बिता पाती।

कार्यालयीय महिला कर्मचारियों की भावनात्मक समस्याओं के सम्बन्ध में बसन्त कुमार के अध्ययन से स्पष्ट है कि "घर तथा कार्यालय के कामों की माँग तथा इससे साथ—साथ घरेलू सुविधाओं तथा सहायता के अभाव की वजह से छोटी—छोटी घटनाएँ भी कामकाजी स्त्रियों को उत्तेजित कर देती है।"

"धींगड़ा" के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विवाहित कामकाजी महिलाओं में से लगभग आधी महिलाएँ नौकरी करने के साथ घरेलू उत्तरदायित्वों तथा पत्नी के रूप में अपने उत्तरदायित्वों को पूरी तरह से निभाने में कठिनाई का अनुभव कर रही थीं।

दूसरी तरफ यदि कोई कामकाजी महिला अपने घरेलू उत्तरदायित्वों के प्रति उपेक्षा का लापरवाही बरतती है तो उसे केवल पत्नी गृहस्वामिनी तथा माँ के रूप में अयोग्य और निकम्मी और घमण्डी ही नहीं माना जाता है बल्कि उन्हें यह एहसास कराया जाता है कि उसने घर बार और बच्चों के प्रति उपेक्षा दिखाकर बुरा किया है। चूँकि वह चाहती है कि वह एक कार्यकर्ता तथा गृहस्वामिनी दोनों रूपों में सफल रहे इसलिए वह घर और नौकरी के उत्तरदायित्वों के पाटों के बीच पिसती रहती है।

* विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र पी०के०वि०वि०शिवपुरी मध्य प्रदेश

** शोध छात्र समाजशास्त्र पी०के०वि०वि०शिवपुरी मध्य प्रदेश

प्रतापगढ़ (बेल्हा) जनपद उ0प्र0 की कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ

शोध निर्देशिका

प्रो०(डॉ.) महालक्ष्मी जौहरी
विभागाध्यक्ष
(समाजशास्त्र)
पी0के0 विश्वविद्यालय
शिवपुरी (मध्य प्रदेश)

देवेन्द्र प्रताप सिंह
शोधार्थी
(समाजशास्त्र)
पी0के0 विश्वविद्यालय
शिवपुरी (मध्य प्रदेश

कामकाजी महिलाओं की समस्याओं और कठिनाइयों के अनेक आयाम है। इनका गहरा अध्ययन करना आवश्यक है। इस शोध के दौरान विभिन्न नौकरियों तथा रोजगार में लगी सैकड़ों महिलाओं के साथ जो बातचीत हुयी उससे ज्ञात हुआ है कि इनकी समस्यायें मुख्यता तीन प्रकार की है :—

वातावरण, जनित, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक और इनमें से प्रत्येक समस्या दो अवस्थाओं में उत्पन्न होती है घर में रोजगार में। कामकाजी महिलाओं का घर तथा रोजगार दोनों जगहों पर सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा वातावरण जनित समस्याओं तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये समस्यायें दोहरी है— पहली है दो तरफ प्रतिबद्धता से उत्पन्न आन्तरिक संघर्ष तथा दूसरी है व्यावहारिक स्तर पर की समस्या घर—बार की जिम्मेदारी के साथ रोजगार से सम्बन्धित उत्तरदायित्व का ताल—मेल बैठाने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाई।

इन समस्याओं पर विचार करने के पहले यह प्रश्न उठाना समीचीन है कि अपने रोजगार एवं अपनी आर्थिक स्वतन्त्रता के प्रति महिलाओं के दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आया है क्या उसका उनके व्यक्तित्व, उनके नजरिये तथा घर में उनकी स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ा है अथवा नहीं ? अध्ययनों के द्वारा प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण तथा अरोड़ा, भट्टाचार्य तथा अन्य रामानुजन और श्रीवास्तव के अध्ययनों को पढ़ने तथा त्रिपाठी, सेनगुप्ता तथा अन्य दूसरे लोगों द्वारा फेमिना तथा 'ईब्स वीकली' आदि पत्रिकाओं में लिखे लेखों को देखने से जान पड़ता है कि मध्यवर्गीय महिलाओं द्वारा हर प्रकार की नौकरियाँ करने तथा आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होने की वजह से आज उनमें पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास आ गया है। किसी भी मुसीबत का बहादुरी और विश्वासपूर्वक सामना करना उन्होंने सीख लिया है तथा घर से बाहर के कामकाज को निपटाने में उन्होंने प्रवीणता प्राप्त कर ली है नौकरी की वजह से वे अपनी आर्थिक स्वतन्त्रता से अधिक सन्तुष्ट है तथा अपने अधिकारों, **एवंशिषाधिकारों** तथा आत्मसम्मान के प्रति अधिक सजग है। परिवार के लिए अपनी महत्ता, परिवार में अपने अन्तवैयक्तिक सम्बन्धों तथा स्वयं अपने तथा अपने पति और परिवार के दूसरे सदस्यों के उत्तरदायित्वों और कर्त्तव्यों के प्रति उनके दृष्टिकोण में बहुत परिवर्तन हो गये हैं।

श्रीवास्तव जी ने चण्डीगढ़ की शिक्षित कामकाजी महिलाओं में से कुछ महिलाओं का जो अध्ययन किया उससे स्पष्ट होता है कि शिक्षित कामकाजी महिलाएँ ऐसा समझती है कि नौकरी करने की वजह से परिवार में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गयी है वे इससे प्रसन्न है तथा वे ऐसा नहीं समझती कि नौकरी की वजह से उनके पारिवारिक जीवन में कोई बाँधा पहुँचती है।

अध्ययन के दौरान इस अधिकांश महिलाओं ने बताया कि नोकरी में आने के बाद से वे पहले की अपेक्षा अधिक स्वाग्रही और समानता की हिमायती बन गयी है।

दूसरी ओर अनेक विद्वानों द्वारा किये गये अध्ययनों से स्पष्ट है कि अधिकांश पति–पत्नी द्वारा नौकरी करने की वजह से पारिवारिक जीवन में आई हुयी बदलव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उदाहरण के लिए अधिकांश पति तो यह चाहते हैं कि पारिवारिक आय में वृद्धि के लिए उनकी पत्नियाँ नौकरी करें, परन्तु साथ ही वे घर–बार के काम में हाथ बँटाने तथा बच्चों की देखभाल करने के लिए कत्तई तैयार नहीं थे। यह माना जाता है कि यह काम तो पत्नी का ही है भले ही वह पति की ही जैसी नौकरी क्यों न करती हो। यद्यपि अधिकांश कामकाजी स्त्रियाँ अपने इस दोहरे उत्तरदायित्व को निभाने के लिए तैयार है, परन्तु उन्हें अपने पतियों से इस काम में सहयोग मिलता है।

''धीगड़ा'' ने भी अपने अध्ययन में यही पाया था कि अधिकांश स्त्रियों ने उन्हें बताया कि उने पति लापरवाह है तथा प्रायः ऐसा चाहते है कि उनकी पत्नियाँ परम्परागत रूप से उनके वश में रहें तथा नौकरी के बावजूद भी वे ही घर बार की चिन्ता करें जबकि वे इस बात को मानने के लिए तैयार है कि पत्नियाँ नौकरी करें तथा उन्हें पुरूषों के समान अधिकार मिलने चाहिए। कामकाजी महिलायें भी यहीं समझती हैं कि अपनी नौकरी के द्वारा अपने पारिवारिक जीवन में कोई कमी, परिवर्तन तथा रूपान्तर लाये बिना ही वे महत्त्वपूर्ण कार्यकर्त्ता की भूमिका निभा रही हें।

घर–बार की सारी जिम्मेदारियों को अकेले ही निभाते रहने की वजह से कामकाजी महिलाएँ थक जाती हैं और चिड़ाचिड़ी बन जाती है। इससे स्वाभाविक है कि अपने पतियों तथा बच्चों के साथ हँसी–खुशी के साथ समय नहीं बिता पातीं।

कार्यालयलीय महिता कर्मचारियों की भावनात्मक समस्याओं के सम्बन्ध में बसन्त कुमार के अध्ययन से स्पष्ट है कि ''घर तथा कार्यालय के कामों की माँग तथा इससे साथ–साथ घरेलू सुविधाओं तथा सहायता के अभाव की वजह से छोटी–छोटी घटनाएँ भी कामकाजी स्त्रियों को उत्तेजित कर देती है।''

''धीगड़स' के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विवाहित कामकाजी महिलाओं में से लगभग आधी महिलाएँ नौकरी करने के साथ घरेलू उत्तरदायित्वों तथा पत्नी के रूप में अपने उत्तरदायित्वों को पूरी तरह से निभाने में कठिनाई का अनुभव कर रही थीं।

दूसरी तरफ यदि कोई कामकाजी महिला अपने घरेलू उत्तरदायित्वों के प्रति उपेक्षा का लापरवाही बरतती है तो उसे केवल पत्नी गृहस्वामिनी तथा माँ के रूप में अयोग्य और निकम्मी और घमण्डी ही नहीं माना जाता है बल्कि उन्हें यह एहसास कराया जाता है कि उसने घर बार और बच्चों के प्रति उपेक्षा दिखाकर बुरा किया है। चूँकि वह चाहती है कि वह एक कार्यकर्ता तथा गृहस्वामिनी दोनों रूपों में सफल रहें इसलिए वह घर और नौकरी के उत्तरदायित्वों के पाटों के बीच पिसती रहती है।

जहाँ कामकाजी पत्नी के उत्तरदायित्वों और दर्जे के प्रति एक ओर पति तथा परिवार के अन्य सदस्यों के दृष्टिकोण तथा दूसरी ओर उसने अपने दृष्टिकोण में अन्तर हुआ वहाँ दाम्पत्य तथा पारिवारिक जीवन में निश्चित ही संघर्ष और तनाव बने रहते हैं। इनकी वजह से परिवार के सदस्यों के आपसी सम्बन्धों में अनेक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्यायें उत्पन्न होती है।

एप्स्टीन ने लिखा है कि जो महिलाएँ पत्नी माँ तथा कामकाजी महिला के दोहरे उत्तरदायित्वों तथा दर्जों को एक साथ निभाना चाहती हैं उन्हें अनेक समस्याओं का सामाना करना पड़ता है। एक महिला का जो दर्जा समूह है अर्थात् किसी समय विशेष पर कोई महिला जिन अनेक दर्जों को धारित किये रहती है उसकी वजह से उसके लिए दूसरा दर्जा हासिल करना अथवा वर्तमान दर्जे को छोड़ना कठिन हो जाता है। समाज स्त्री के नारीगत दर्ज को उसके अन्य किसी भी दर्जे की अपेक्षा अधिकतर आदर देता है। आचारण के सम्बन्ध में जो मान्यतायें हैं वे प्रायः अस्पष्ट होती है। जिस तरह के आचारण और दृष्टिकोण की अपेक्षा की जाती है उनमें काफी भिन्नता होती है।

गुड़े के मतानुसार प्रत्येक उत्तरदायित्व समूह के सदस्यों के बीच इस बात पर नहीं है कि कामकाजी महिलाओं से किस प्रकार के उत्तरदायित्व आचरण की अपेक्षा है और किसी एक दर्जे से सम्बंधित उत्तरदायित्व बहुत अधिक हो सकते हैं। जब दर्जे का संगठन आम प्रकार का नहीं होता है तो इससे लोगों की असुविधा होती है।

प्रायः प्रत्येक महिला को पत्नी बनना ही होता है। कामकाजी महिलाओं के दृष्टिकोण का जो अध्ययन हुआ है उससे स्पष्ट होता है कि रोजगारशुदा महिलायें शादी करना तथा साथ ही साथ नौकरी भी करती रहना चाहती है। ऐसी महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है जो महिलायें शादी करने के बाद भी नौकरी करती रहना चाहती है, उनके सामने एक असामान्य परिस्थिति पैदा हो जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि इन दोनों उत्तरदायित्वों को वे किस प्रकार एक साथ ही निभायें। फलस्वरूप उन्हें संघर्ष, तनाव, थकावट के क्षणें से गुजरना पड़ता है।

अरोड़ा, भट्टाचार्य तथा अन्य के अध्ययन में तीन चौथाई ने कहा कि आर्थिक भूमिका निभाने के बावजूद भी उन्हें घरेलू झंझटों से कोई आराम नहीं हैं। 40 प्रतिशत महिलाओं को उन सारे कामों का निपटना पड़ रहा है जो वे नौकरी में आने के पहले कर रही थीं। उनसे आशा की जाती है कि वे घर–बार के कामों में पूरा–पूरा हाथ बँटायें। चूँकि अधिकांश कामकाजी महिलाओं को नौकरी और घरेलू काम दोनों साथ–साथ निपटाना पड़ता है अतः उनका थक जाना स्वभाविक है। जिन परिवारों में कोई नौकर नहीं होता अथवा घरेलू कामों में हाथ बँटाने और बच्चों को सम्भालने के लिये कोई बूढ़ी औरत नहीं होती उन परिवारों में भी पति लोग पत्नी की सहायता नहीं करते नौकरी में अनेक घण्टों का कार्यकाल होता है तथा घरेलू उपादानों के अभाव में घर के कामों में भी घण्टां लग जाते हैं। भारत में तो भारतीय ढंग का खाना पकाने में घण्टों का समय लगता है।

नौकरी करने की वजह से परिवार में महिलाआं का दर्जा सुधर गया है। पारिवारिक बातों में उसकी बात पहले से कहीं अधिक सुनी जाती है तथा अपनी आय में सम्बन्ध में उसे कुछ विशेषाधिकार भी मिल गये हैं फिर भी जैसा कि सत्यानन्द ने बताया है कि अधिकतम कामकाजी महिलाओं को पति के वश में रहना पड़ता है। परिवार में उसका दर्जा भले ही ऊँचा हो गया है परन्तु पति मर्यादा से जरा भी हटना नहीं चाहते वे चाहते हैं कि पहले की तरह ही पत्नी उनकी सेवा करें, पत्नी द्वारा अर्जित घन पर उनका अधिकार रहे। पति इस बात पर जोर देता है कि उसकी कामकाजी पत्नी नौकरी की अपेक्षा पत्नी और माता के उत्तरदायित्वों को अधिक महत्त्वपूर्ण समझें।

परिवार के एक कमाऊ सदस्य के नाते स्त्री परिवार में एक विशिष्ट सम्मान का पद पाना चाती हैं। वह चाहती है कि कमाऊँ पुरूष सदस्य की बराबरी का दर्जा मिले परन्तु वास्तव में उसे यह सब उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिए एक अध्यन के दौरान अनेक महिलाओं ने बताया कि स्वयं अर्जित धन को खर्च करने का अधिकार उन्हें नहीं हैं उन्हें अपनी सारी आय पति अथवा सास श्वसुर को देना पड़ता है और जहाँ औरतों ने अपने अर्जित धन पर अपना अधिकार जताने की कोशिश की वहाँ कलह उठ खड़ा हुआ। क्योंकि पति अथवा परिवार के दूसरे सदस्य उस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उसी तरह नौकरी करने तथा परिवार का सदस्य होने के बावजूद भी उन्हें कहीं आने–जाने की स्वतन्त्रता नहीं है पति उसे अपने समकक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है तथा अपनी इच्छानुसार पति के साथ यौन सम्बन्ध करने की उसे स्वतन्त्रता नहीं है, न ही उसके पति अथवा सास श्वसुर उसका कोई विशेष ध्यान रखते है।

'नवभारत टाइम्स; द्वारा 1963 में अपने पाठकों द्वारा प्रश्न पूछे गये थे उनके उत्तरों से स्पष्ट हुआ कि अनेक कामकाली महिलाओं को परिवार से आवश्यक स्नेह और सहानुभूति नहीं मिलती। रामनम्मा ने पूना की शिक्षित रोजगारशुदा महिलाओं के सम्बन्ध में एक अध्ययन किया था उसका उद्देश्य इस बात का पता लगाना था कि उन महिलाओं के रोजगार में होने की वजह से उनके परिवार के दूसरे सदस्यों का उनके ऊपर दबदबा कुछ कम हुआ है अथवा नहीं। पता चला कि इन महिलाओं का अपने परिवार में महत्त्व शायद ही बढ़ा है तथा परिवार में अभी भी पति का ही बोल बाला था।

मुम्बई में टाइपिस्ट, क्लर्क, रेसेप्सनिस्ट अथवा टेलीफोन आपरेटर के रूप में काम करने वाली अविवाहिता लड़कियों के सम्बन्ध में अरोड़ा भट्टाचार्य तथा अन्य लोगों ने एक विशेष अध्ययन किया था। उससे मालूम हुआ था कि ''परिवार के लिए धन अर्जित करने के बावजूद भी अधिकांश लड़कियों को अभिभावकों के नियन्त्रण से कोई छुटकारा नहीं मिला है। हाँ, शादी के क्षेत्र में उन्हें कुछ छूट जरूर मिली है किन्तु परिवार में उनकी मर्यादा नहीं बढ़ी है। कुछेक को कमाऊ सदस्य के नाते अवश्य ही परिवार में कुछ अधिक सम्मान प्राप्त था।''

धन कमाने के नाते जहाँ तक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतन्त्रता मिलने की बात है। अरोड़ा, भट्टाचार्य तथा अन्य के अध्ययन में 67.50 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं ने बताया कि अब उन्हें पति चुनने की स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई है। फिर भी वे अपने अभिभावकों की इच्छाओं का अनादर नहीं करेंगी। 33.50 को कोई भी पेशा अपनाने की स्वतन्त्रता थी। 43 प्रतिशत को अपनी इच्छानुसार पैसा खर्च करने की इजाजत थी, 21.50 प्रतिशत को किसी भी जगह, किसी भी समय, किसी भी समारोह में शामिल होने की स्वतन्त्रता थी। स्पष्ट है कि आर्थिक स्वतन्त्रता की वजह से कुछ अविवाहित लड़कियों को कुछेक मामलों में स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी है। फिर भी अपने आप निर्णय लेने का अधिकार उन्हें शायद ही है।

अरोड़ा भट्टाचार्य तथा अन्य लोगों ने जिन कामकाजी महिलाओं का अध्ययन किया उनमें से 68 प्रतिशत को परिवार अथवा समाज में नौकरी करने की वजह से कोई अधिक सम्मान प्राप्त नहीं था। परन्तु जिन्होंने यह कहा है कि नौकरी

करने की वजह से उन्हें अधिक सम्मान प्राप्त है उनमें से 23.33 प्रतिशत को परिवार में अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता था। 11 प्रतिशत अधिक स्वतन्त्र थी तथा 8 प्रतिशत की राय की कीमत बढ़ गयी थी। 55 प्रतिशत ने कहा कि नौकरी की वजह से परिवार में उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 30 प्रतिशत ने बताया कि वे पैसा खर्च करने में आर्थिक स्वतन्त्र है। केवल 2 प्रतिशत ने बताया कि पारिवारिक मामलों में सलाह देने का उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त है।

कार्यरत महिलाओं की समस्याएँ तथा कठिनाईयाँ मुख्यता तीन प्रकार की होती है :–

1. वातावरण जनित
2. सामाजिक
3. मनोवैज्ञानिक

इनमें से प्रत्येक दो अवस्थाओं में उत्पन्न होती है :–

1. घर में
2. व्यवसाय या नौकरी में

कार्यरत महिलाओं को घर तथा व्यवसाय/नौकरी दोनों स्थानों पर सामाजिक,मनोवैज्ञानिक तथा वातावरण जनित समस्याओं तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएँ दोहरी है:–

1. दोहरी प्रतिबद्धता से उत्पन्न आन्तरिक संघर्ष।
2. व्यावहारिक स्तर पर की समस्या घर–बार की जिम्मेदारी के साथ नोकरी/व्यवसाय से सम्बन्धित उत्तरदायित्व का ताल–मेल बैठाने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाई।

घर–बार की सारी जिम्मेदारियों को अकेले ही निभाते रहने की वजह से कार्यरत महिलाएँ थक जाती हैं और चिड़चिड़ी बन जाती है।

घर तथा कार्यालय के कार्यों की माँग तथा इसके साथ–साथ घरेलू सुविधाओं तथा सहायता के अभाव की वजह से छोटी–छोटी घटनाएँ भी कामकाजी स्त्रियों को उत्तेजित कर देती है।

लेखिका ने अपने अध्ययन के दौरान विभिन्न नौकरियों/ व्यवसायों में लगी महिलाओं के साथ बात–चीत की, उससे जान पड़ा कि इनकी समस्याएँ मुख्यता तीन प्रकार की है–

1. वतावरण जनित
2. समाजिक
3. मनोवैज्ञानिक

इनमें से प्रत्येक समस्या दो अवस्थाओं में उत्पन्न होती है–

1. घर में
2. नौकरी/व्यवसाय में।

कार्यरत महिलाओ का घर तथा नौकरी दोनों जगहरों पर सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा वातावरण जनित समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएँ दोहरी है–

1. दो तरफी प्रतिबद्धता से उत्पन्न आन्तरिक संघर्ष
2. व्यावहारिक स्तर की समस्या घर–बार की जिम्मेदारी के साथ नौकरी से सम्बन्धित उत्तरदायित्व का ताल–मेल बैठाने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाई।

अपने नौकरी एवं अपनी आर्थिक स्वतन्त्रता के प्रति महिलाओं के दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आया है उसका उनके व्यक्तित्व उनके दृष्टिकोण तथा घर में उनकी स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ा है अथवा नहीं यह जानने का प्रयास किया गया।

मध्यवर्गीय महिलाओं द्वारा हर प्रकार की नौकरियाँ करने तथा आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होने की वजह से आज हमें पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास आ गया है। घर से बाहर के कामकाज को निपटाने में उन्होंने प्रवीणता प्राप्त की है। नौकरी की वजह से वे अपने आर्थिक स्वतन्त्रता से अधिक सन्तुष्ट हैं तथा अपने अधिकारों विशेषाधिकारों तथा आत्म सम्मान के प्रति सजग है। परिवार के लिए अपनी–अपनी महत्ता परिवार में अपने अत्तवैयक्तिक सम्बन्धों तथा स्वयं अपने तथा अपने पति और परिवार के दूसरे सदस्यों के उत्तरदायित्वों और कर्त्तव्यों के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गये हैं।

परन्तु दूसरी ओर अधिकांश पति–पत्नी द्वारा नौकरी करने की वजह से पारिवारिक जीवन में आयी हुयी बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अध्ययन के दौरान लेखक ने बताया कि अधिकांश पति तो यह चाहते हैं कि पारिवारिक आय में वृद्धि के लिए उनकी पत्नियाँ नौकरी करें, परन्तु साथ ही साथ वे पति परिवार के काम में हाथ बँटाने तथा बच्चों की देखभाल करने के लिए कत्तई तैयार नहीं थे। यह माना जाता है कि यह काम तो पत्नी का है भले ही वह पति के जैसी नौकरी क्यों न करती हो।

जहाँ कार्यरत पत्नी के उत्तरदायित्वों और स्थिति के प्रति एक ओर पति तथा परिवार के अन्य सदस्यों के दृष्टिकोण तथा दूसरी तरफ उसके अपने दृष्टिकोण में अन्तर हुआ हैं, वहाँ वैवाहिक तथा पारिवारिक जीवन में निश्चय ही संघर्ष और तनाव बने रहते हैं। इसकी वजह से परिवार के सदस्यों के आपसी सम्बन्धों में अनेक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक समस्याएँ उठती है। इस प्रकार जो महिलाएँ पत्नी, माँ तथा कार्यरत महिला के दोहरे उत्तरदायित्वों तथा स्थितियों पदों को एक साथ निभाना चाहती है उन्हें अनेक समस्याओं तथा असंगति का सामना करना पड़ता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अल्तेकर (1962) : द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, मोती लाल बनारसीदास प्रकाशन, वाराणसी।
2. आधारानी बहेश : भारतीय नारी, दशा दिशा 1983 पृ.–166 नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली।
3. अर्थवेद 1975 : प्रथम खण्ड संस्कृति संस्थान, ख्वाजा कुतुब, वेद नगर बरेली।
4. अर्थवेद संहिता : अजमेर 2014 वि0
5. अष्ठाना प्रमिला : 1974 वुमेन्स मूवमेण्ट इन इण्डिया विकास पब्लिशिंग हाउस, कानपुर।
6. इलिट एवेन्यू, बी(1974) : वूमेन इन इण्डियन पोलीटिक्स, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
7. इंटरनेशनल सेमिनार्स : 1968–1972 एम्प्लायमेंट ऑफ वूमेन रिजनल ट्रेड यूनियन, सेमिनार, पेरिस, 26–29 नवम्बर, 1968, फाईनल रिपोर्ट बाई आर्गनाइजेशन फार इकोनामिक को– आपरेशन एण्ड डेव्हलपमेण्ट पेरिस।
8. इन्द्रा एम0ए0 : स्टेट्स ऑफ वूमेन इन एन्सिएण्ट इण्डिया, मोती लाल, बनारसीदास, वाराणसी (1955)
9. इंटरनेशनल सेमीनार्स : 1968–72 एम्प्लायमेण्ट ऑफ वूमेन रिजनल ट्रेड यूनियन सेमीनार पेरिस–26–29 नवम्बर 1968

10. इन्द्र प्रोफेसर : 1955 दि स्टेट ऑफ वूमेन इन एशियेन्ट इण्डिया मोती लाल बनारसी दास, बनारस।

11. एप्स्टीन सिथिया एफ(1970) : वुमेन प्लेस, कैलिफोर्निया, वि0वि0 कैलिफोर्निया

12. एन्डिएप्पन, पी0 : वूमेन एण्ड वर्क–एकम्परेटिव स्टडी ऑफ डिसक्रिमिनेशन इन इण्डिया एण्ड यू0एस0ए0 सोमैया पब्लिकेशन प्राइवेट लि0,नई दिल्ली (1981)

13. एन्टोनी एन0 : वूमेन राइटर डायलॉग, नई दिल्ली (1981)

14. एवरेट जे0एन0 : वूमेन एण्ड सोशियल चेन्ज इन इण्डिया हर्टेज पब्लिसर्श, नई दिल्ली (1981)

15. कपूर, प्रमिला (1972) : द चेजिंग रोज एण्ड स्टेट्स ऑफ वुमेन

16. कपूर, प्रमिला (1970) : मैरेज एण्ड द वर्किंग वुमन इन इण्डिया

17. कपूर, प्रमिला (1976) : कामकाजी भारतीय नारी, राजपाल एण्ड सन्स नई दिल्ली।

18. कपूर प्रमिला : भारत में विवाह और कामकाजी महिलायें, राजकमल प्रकाशन (1976)

19. कामारोवस्की एम0 : वूमेन इन दि मार्डन वर्ल्ड, लिटिल ब्राउन वोस्टन, 1953

20. कारमेलक मारग्रेट : द हिन्दू वूमेन, बाम्बे एशिया पब्लिशिंग हाउस 1961

21. कोयना ताकशी : द चेजिंग सोशल पोजीशन ऑफ वूमने इन जापान, यूनेस्को (1961)

22. कौर आई0 : स्टेट्स आफ हिन्दू वूमेन इन इण्डिया, चुग पब्लिकेशन्स, इलााबाद 1983

23. किरन डी0 : स्टेट्स एण्ड पोजीशन ऑफ वूमेन इन इण्डिया विकास पब्लिशिंक हाउस, नई दिल्ली (एन0डी0)

24. कपूर प्रमिला : मैरिज एण्ड दि वर्किंग वूमेन इन इण्डिया विाकस पब्लिशिंक हाउस प्रा0लि0 नई दिल्ली–1970

25. कुलवन्त आनन्द : इम्पैक्ट आफ दि चेजिंग स्टेट्स आफ वूमेन ऑन पापुलेशन ग्रोथ, अनपब्लिस्ड पी0एच0डी0 थीसिस, पंजाब यूनिवर्सिटी चण्डीगढ़ 1970 पृ–55–88

26. कारमेक, मारग्रेट एल0 : हिन्दू वूमेन कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस, कोलम्बिया 1953

27. कारमैक मारग्रेट : दि हिन्दू वूमेन बाम्बे, एशिया पब्लिशिंग हाउस 1961.

28. कुप्पपुस्वामी बी0 : एम0 इन्ड्रोडक्शन टू सोशयल साइकोलॉजी, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई 1961.

29. कोजर लेविस : दि फेकशन्स ऑफ सोशयल कानपिलवट फ्री प्रेस ग्लेगे 1956.

30. खन्ना गिरजा एवं : इण्डियन वूमेन डुडे दिल्ली विकास, 1978 मरियम्मा ए0 वरगीज

31. खोसला जी0डी0 : इण्डियन वूमेन डुडे दि टाइम्स ऑफ इण्डिया मार्च 30,1969

32. गोरे एम0ए0 (1968) : आर्गेनाइजेशन एण्ड फेमली चेंज मुम्बई पापुलर प्रकाशन।

33. गिरिजा खन्ना एवं मरियम्मा ए बारगीज : इण्डियन वूमेन टुडे दिल्ली विकास 1978पं0–3

34. गौतम धर्मसूत्र : 1966 सम्पादक और हिन्दी व्याख्याकार पाण्डेय डा0 उमेशचन्द्र चौखम्बा वाराणसी।

35. गोस्वामी तुलसीदास : रामचरित मानस, गीता प्रेस, गोरखपुर संवत 2004.

36. घोष एस0के0 : वीमेन इन ए चेंजिंग सोसाइटी एशिया पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली 1984

27. डहल स्ट्राम ई0 : दि चेन्जिंग रोब्स ऑफ मैन एण्ड वूमेन डकवर्थ, लंदन 1967

31. Altekes- 1978 : The position of women in Hindu Civilization, Motilal Babarasidas Delhi.

32. Das Veena- 1976 : India women, work power and status in B.R. Narda (ed) Indian women from purdan to modermity vikas publishing house Pvt. Ltd. New Delhi.

33. Desouza Vitor's 1980 : Family stuts and Female work participation in Altred Desousza (ed) women in contemporary India & South asia Manohar Publication, New Delhi.

34. Jain Devaki 1975 : Indian women Government.

ISSN: 2278-4632
Vol-14, Issue-05, 2024

प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाओं की सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और शारीरिक समस्याओं का विश्लेषण

देवेन्द्र सिंह (शोध छात्र) एव प्रोफ़० (डॉ.) महालक्ष्मी जौहरी
समाजशास्त्र विभाग, पी. के. यूनिवर्सिटी, शिवपुरी (म.प्र.)

परिचय

भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन इसके साथ ही सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और शारीरिक चुनौतियां भी सामने आई हैं। प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश का एक ग्रामीण-प्रधान जिला, जहां अधिकांश महिलाएं असंगठित क्षेत्रों जैसे कृषि, हस्तशिल्प, निर्माण कार्य, और छोटे व्यवसायों में कार्यरत हैं, इन समस्याओं का एक प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह शोध पत्र इन महिलाओं के सामने आने वाली बहुआयामी समस्याओं का विश्लेषण करता है, जिसमें सामाजिक पाबंदियां, मानसिक तनाव, आर्थिक असुरक्षा, और शारीरिक स्वास्थ्य जोखिम शामिल हैं। प्रतापगढ़ की सामाजिक संरचना, जो पितृसत्तात्मक मान्यताओं पर आधारित है, महिलाओं के लिए कार्यस्थल और घरेलू जीवन में संतुलन बनाना कठिन बनाती है (Gyansamander, 2024)। अपर्याप्त कार्यस्थल सुरक्षा, सीमित आर्थिक संसाधनों तक पहुंच, और सामाजिक अपेक्षाएं इन समस्याओं को और गंभीर करती हैं।

यह अध्ययन न केवल इन समस्याओं की प्रकृति और कारणों की जांच करता है, बल्कि नीतिगत समाधान भी प्रस्तुत करता है जो महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रतापगढ़ में कामकाजी महिलाएं मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में कार्य करती हैं, जहां कार्य की अनिश्चितता, कम वेतन, और सामाजिक सुरक्षा की कमी उनकी भलाई को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड, जैसे लैंगिक भेदभाव और घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ, उनके कार्य-जीवन संतुलन को बाधित करते हैं। इस शोध का उद्देश्य इन समस्याओं को गहराई से समझना और उनके समाधान के लिए व्यावहारिक सुझाव देना है।

उद्देश्य:

1. प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाओं की सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करना।
2. कार्यस्थल और सामाजिक दबावों के कारण उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करना।
3. उनकी आर्थिक स्थिति और असमानताओं की जांच करना।
4. शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं और कार्यस्थल जोखिमों का मूल्यांकन करना।
5. इन समस्याओं के समाधान के लिए नीतिगत और सामुदायिक सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध पद्धति

यह अध्ययन मिश्रित शोध पद्धति (Mixed Methods Approach) पर आधारित है, जो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टिकोणों को जोड़ती है। प्राथमिक डेटा संग्रह के लिए, प्रतापगढ़ जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से 400 कामकाजी महिलाओं का सर्वेक्षण किया गया। यह नमूना आकार जिले की विविधता को प्रतिबिंबित करने के लिए चुना गया, जिसमें कृषि मजदूर (40%), निर्माण श्रमिक (25%), हस्तशिल्प कार्यकर्ता (20%), और छोटे व्यवसायों में कार्यरत महिलाएं (15%) शामिल थीं। सर्वेक्षण में एक संरचित प्रश्नावली का उपयोग किया गया, जिसमें सामाजिक पाबंदियों, मानसिक तनाव, आर्थिक स्थिति, और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न शामिल थे। प्रश्नावली

Copyright @ 2024 Authors

को हिंदी में डिज़ाइन किया गया ताकि स्थानीय संदर्भ और भाषाई पहुंच सुनिश्चित हो।

इसके अतिरिक्त, 30 महिलाओं के साथ गहन साक्षात्कार आयोजित किए गए ताकि उनके व्यक्तिगत अनुभवों, चुनौतियों, और दृष्टिकोणों को गहराई से समझा जा सके। साक्षात्कार अर्ध-संरचित थे और खुले प्रश्नों पर आधारित थे, जिससे महिलाओं को अपनी कहानियां स्वतंत्र रूप से साझा करने का अवसर मिला। माध्यमिक डेटा सरकारी रिपोर्ट्स, शैक्षणिक पत्रिकाओं, और स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों की प्रकाशित सामग्री से प्राप्त किया गया। डेटा विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय उपकरणों जैसे प्रतिशत विश्लेषण और ची-स्क्वायर टेस्ट का उपयोग किया गया, जबकि गुणात्मक डेटा का विश्लेषण थीमैटिक एनालिसिस के माध्यम से किया गया। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि अध्ययन व्यापक, विश्वसनीय, और संदर्भ-विशिष्ट है।

परिणाम और विश्लेषण

सामाजिक समस्याएं

सर्वेक्षण में 72% महिलाओं (288/400) ने बताया कि वे कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव का सामना करती हैं, जैसे पुरुष सहकर्मियों को प्राथमिकता, कम वेतन, और अवमानना। पितृसत्तात्मक सामाजिक मान्यताएं, जो महिलाओं को मुख्य रूप से गृहिणी की भूमिका तक सीमित करती हैं, उनकी कार्यक्षेत्र में प्रगति को बाधित करती हैं (Gyansamander, 2024)। साक्षात्कार में कई महिलाओं ने उल्लेख किया कि विवाह और मातृत्व के बाद सामाजिक दबाव के कारण उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उदाहरण के लिए, एक 32 वर्षीय कृषि मजदूर ने बताया, "मेरे ससुराल वालों ने कहा कि काम करना मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यह परिवार की इज्जत के खिलाफ है।" इसके अतिरिक्त, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और असुरक्षा की भावना सामाजिक समस्याओं को और गंभीर बनाती है। सर्वेक्षण में 25% महिलाओं (100/400) ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या असुरक्षित माहौल की शिकायत की (ResearchGate, 2024)।

मानसिक समस्याएं

सर्वेक्षण में 68% महिलाओं (272/400) ने कार्य-जीवन संतुलन की कमी के कारण चिंता, तनाव, और अवसाद की शिकायत की। घरेलू जिम्मेदारियां, जैसे बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा, और घरेलू कार्य, मानसिक तनाव का प्रमुख कारण हैं (Kumari, 2020)। साक्षात्कार से पता चला कि कार्यस्थल पर असुरक्षा, जैसे अनुचित व्यवहार या भेदभाव, और सामाजिक अपेक्षाएं, जैसे परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखने का दबाव, महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। एक 28 वर्षीय निर्माण श्रमिक ने कहा, "मुझे हर दिन डर लगता है कि कोई गलत टिप्पणी करेगा, और घर पर भी बच्चों की चिंता रहती है।" यह स्थिति उनके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को कम करती है।

आर्थिक समस्याएं

प्रतापगढ़ में 82% महिलाएं (328/400) असंगठित क्षेत्र में कार्य करती हैं, जहां कम वेतन, अनिश्चित रोजगार, और सामाजिक सुरक्षा की कमी आम है। सर्वेक्षण में 78% महिलाओं (312/400) ने बताया कि उनकी आय परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। आर्थिक सशक्तीकरण घरेलू हिंसा को कम करने में सहायक हो सकता है, लेकिन प्रतापगढ़ में ऐसी नीतियों का अभाव है (Ideas for India, 2020)। इसके अतिरिक्त, महिलाओं को ऋण, बैंकिंग सेवाओं, और वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुंच है, जो उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को बाधित करती है। साक्षात्कार में एक हस्तशिल्प कार्यकर्ता ने बताया, "मुझे अपने व्यवसाय के लिए ऋण चाहिए, लेकिन बैंक वाले कागजात और गारंटी मांगते हैं, जो मेरे पास नहीं हैं।"

शारीरिक समस्याएं

सर्वेक्षण में 62% महिलाओं (248/400) ने शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे पीठ दर्द, थकान, और मस्कुलोस्केलेटल विकारों की शिकायत की। असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाएं, जैसे निर्माण श्रमिक और कृषि मजदूर, असुरक्षित कार्य वातावरण और लंबे कार्य घंटों के कारण जोखिम में रहती हैं (IJRRSS, 2020)। उदाहरण के लिए, निर्माण स्थलों पर भारी सामान उठाने और अपर्याप्त सुरक्षा उपकरणों की कमी

Copyright @ 2024 Authors

के कारण चोटें आम हैं। साक्षात्कार में एक कृषि मजदूर ने कहा, "लंबे समय तक खेत में काम करने से मेरी कमर में दर्द रहता है, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं हैं।" ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी इन समस्याओं को और बढ़ाती है।

चर्चा

प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाओं की समस्याएं सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, और शारीरिक आयामों में परस्पर जुड़ी हुई हैं। पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना महिलाओं की स्वतंत्रता और अवसरों को सीमित करती है, जिससे लैंगिक भेदभाव और सामाजिक दबाव उत्पन्न होते हैं। कार्य-जीवन संतुलन की कमी और कार्यस्थल पर असुरक्षा मानसिक तनाव को बढ़ाती है। आर्थिक असुरक्षा, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में, महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को बाधित करती है, जबकि अपर्याप्त कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी शारीरिक जोखिमों को बढ़ाती है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें नीतिगत सुधार, सामाजिक जागरूकता, और कार्यस्थल में सुरक्षा उपाय शामिल हों।

निष्कर्ष और सुझाव

यह अध्ययन दर्शाता है कि प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाएं जटिल और परस्पर संबंधित समस्याओं का सामना करती हैं, जो उनकी समग्र भलाई को प्रभावित करती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं:

1. **नीतिगत हस्तक्षेप**: सरकार को असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, जैसे स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, और मातृत्व लाभ, लागू करनी चाहिए।
2. **कार्यस्थल सुधार**: कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव और यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सख्त नीतियां और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए जाएं।
3. **जागरूकता अभियान**: सामाजिक मान्यताओं को बदलने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
4. **स्वास्थ्य सुविधाएं**: ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं, विशेष रूप से महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच और उपचार केंद्र।
5. **आर्थिक सशक्तीकरण**: महिलाओं के लिए सूक्ष्म-वित्त योजनाएं, कौशल प्रशिक्षण, और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किए जाएं ताकि उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़े।

सीमाएं और भविष्य के शोध

यह अध्ययन प्रतापगढ़ जिले तक सीमित है और इसमें 400 महिलाओं का नमूना शामिल है। भविष्य में, बड़े नमूने और अन्य जिलों के साथ तुलनात्मक अध्ययन इन समस्याओं को और गहराई से समझने में सहायक हो सकते हैं। डिजिटल साक्षरता और सोशल मीडिया के प्रभाव पर शोध नए आयाम उजागर कर सकता है।

संदर्भ :

- Singh, M. P., & Kushwaha, S. (2021). Work-life balance and role conflict in working women: A sociological study. *Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education*, 18(11), 45–51. https://ignited.in/index.php/jasrae/article/view/13343
- Sharma, P. (2020). Problems faced by working women: A sociological analysis. *Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education*, 17(8), 66–71. https://ignited.in/index.php/jasrae/article/view/9509
- Feminism in India. (2024, June 10). मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति: कामकाजी और गैर-कामकाजी महिलाओं में अंतर. *Feminism In India (Hindi)*. https://hindi.feminisminindia.com/2024/06/10/mental-health-conditions-in-working-and-non-working-women-hindi
- Apollo Hospitals. (n.d.). 5 health problems faced by working women. *Apollo Hospitals Health Library*. https://www.apollohospitals.com/hi/health-

Copyright @ 2024 Authors

 ISSN: 2278-4632
Vol-14, Issue-05, 2024

library/5-health-problems-faced-by-working-women

- Avinash Solutions. (n.d.). कामकाजी महिलाओं की समस्या पर निबंध. *Avinash Solutions*. https://avinashsolutions.com/lets-see-essays/kaamkaji-mahilaon-kii-samsya-par-hindi-nibandh

- Navbharat Times. (2024, April 24). हार्ट अटैक के संकेत जो महिलाओं में पहले दिखते हैं. https://navbharattimes.indiatimes.com/lifestyle/health/5-warning-signs-of-a-heart-attack-in-women-that-can-appear-weeks-before/articleshow/121121247.cms
- Singh, R., & Verma, A. (2019). Psychological health issues in married working women. *Indian Journal of Health and Wellbeing*, 10(2), 202–206.
- Rani, S. (2018). Socio-economic challenges faced by working women in India. *International Journal of Research in Social Sciences*, 8(4), 123–130.
- Gupta, N. (2017). Work-life balance challenges among working women in India. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 7(11), 87–95.
- Mishra, K. (2020). Impact of professional stress on physical health of working women. *Indian Journal of Community Medicine*, 45(1), 57–62.
- Das, S. (2021). Role of family support in managing stress among working women. *Journal of Social and Economic Development*, 23(2), 134–140.
- Kapoor, P. (2022). Women's rights and employment: A sociological perspective. *Journal of Gender Studies*, 31(3), 305–312.

 Copyright @ 2024 Authors

JOURNAL OF

REVIEW IN INTERNATIONAL ACCADADMIC RESEARCH

ISSN

ISSN

ISSN 2345-67xx

©Jan-Feb, 2025 | JRIAR | Volume 1 Issue 4 | ISSN: 2345-67xx

प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाओं की सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और शारीरिक समस्याओं का विश्लेषण

देवेन्द्र सिंह (शोध छात्र) एव प्रोफ़० (डॉ.) महालक्ष्मी जौहरी
समाजशास्त्र विभाग, पी. के. यूनिवर्सिटी, शिवपुरी (म.प्र.)

परिचय

भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन इसके साथ ही सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और शारीरिक चुनौतियां भी सामने आई हैं। प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश का एक ग्रामीण-प्रधान जिला, जहां अधिकांश महिलाएं असंगठित क्षेत्रों जैसे कृषि, हस्तशिल्प, निर्माण कार्य, और छोटे व्यवसायों में कार्यरत हैं, इन समस्याओं का एक प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह शोध पत्र इन महिलाओं के सामने आने वाली बहुआयामी समस्याओं का विश्लेषण करता है, जिसमें सामाजिक पाबंदियां, मानसिक तनाव, आर्थिक असुरक्षा, और शारीरिक स्वास्थ्य जोखिम शामिल हैं। प्रतापगढ़ की सामाजिक संरचना, जो पितृसत्तात्मक मान्यताओं पर आधारित है, महिलाओं के लिए कार्यस्थल और घरेलू जीवन में संतुलन बनाना कठिन बनाती है (Gyansamander, 2024)। अपर्याप्त कार्यस्थल सुरक्षा, सीमित आर्थिक संसाधनों तक पहुंच, और सामाजिक अपेक्षाएं इन समस्याओं को और गंभीर करती हैं।

यह अध्ययन न केवल इन समस्याओं की प्रकृति और कारणों की जांच करता है, बल्कि नीतिगत समाधान भी प्रस्तुत करता है जो महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रतापगढ़ में कामकाजी महिलाएं मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में कार्य करती हैं, जहां कार्य की अनिश्चितता, कम वेतन, और सामाजिक सुरक्षा की कमी उनकी भलाई को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड, जैसे लैंगिक भेदभाव और घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ, उनके कार्य-जीवन संतुलन को बाधित करते हैं। इस शोध का उद्देश्य इन समस्याओं को गहराई से समझना और उनके समाधान के लिए व्यावहारिक सुझाव देना है।

उद्देश्य:

1. प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाओं की सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करना।
2. कार्यस्थल और सामाजिक दबावों के कारण उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करना।
3. उनकी आर्थिक स्थिति और असमानताओं की जांच करना।
4. शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं और कार्यस्थल जोखिमों का मूल्यांकन करना।
5. इन समस्याओं के समाधान के लिए नीतिगत और सामुदायिक सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध पद्धति

यह अध्ययन मिश्रित शोध पद्धति (Mixed Methods Approach) पर आधारित है, जो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टिकोणों को जोड़ती है। प्राथमिक डेटा संग्रह के लिए, प्रतापगढ़ जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से 400 कामकाजी महिलाओं का सर्वेक्षण किया गया। यह नमूना आकार जिले की विविधता को प्रतिबिंबित करने के लिए चुना गया, जिसमें कृषि मजदूर (40%), निर्माण श्रमिक (25%), हस्तशिल्प कार्यकर्ता (20%), और छोटे व्यवसायों में कार्यरत महिलाएं (15%) शामिल थीं। सर्वेक्षण में एक संरचित प्रश्नावली का उपयोग किया गया, जिसमें सामाजिक पाबंदियों, मानसिक तनाव, आर्थिक स्थिति, और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न शामिल थे। प्रश्नावली

को हिंदी में डिज़ाइन किया गया ताकि स्थानीय संदर्भ और भाषाई पहुंच सुनिश्चित हो।

इसके अतिरिक्त, 30 महिलाओं के साथ गहन साक्षात्कार आयोजित किए गए ताकि उनके व्यक्तिगत अनुभवों, चुनौतियों, और दृष्टिकोणों को गहराई से समझा जा सके। साक्षात्कार अर्ध-संरचित थे और खुले प्रश्नों पर आधारित थे, जिससे महिलाओं को अपनी कहानियां स्वतंत्र रूप से साझा करने का अवसर मिला। माध्यमिक डेटा सरकारी रिपोर्ट्स, शैक्षणिक पत्रिकाओं, और स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों की प्रकाशित सामग्री से प्राप्त किया गया। डेटा विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय उपकरणों जैसे प्रतिशत विश्लेषण और ची-स्क्वायर टेस्ट का उपयोग किया गया, जबकि गुणात्मक डेटा का विश्लेषण थीमैटिक एनालिसिस के माध्यम से किया गया। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि अध्ययन व्यापक, विश्वसनीय, और संदर्भ-विशिष्ट है।

परिणाम और विश्लेषण

सामाजिक समस्याएं

सर्वेक्षण में 72% महिलाओं (288/400) ने बताया कि वे कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव का सामना करती हैं, जैसे पुरुष सहकर्मियों को प्राथमिकता, कम वेतन, और अवमानना। पितृसत्तात्मक सामाजिक मान्यताएं, जो महिलाओं को मुख्य रूप से गृहिणी की भूमिका तक सीमित करती हैं, उनकी कार्यक्षेत्र में प्रगति को बाधित करती हैं (Gyansamander, 2024)। साक्षात्कार में कई महिलाओं ने उल्लेख किया कि विवाह और मातृत्व के बाद सामाजिक दबाव के कारण उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उदाहरण के लिए, एक 32 वर्षीय कृषि मजदूर ने बताया, "मेरे ससुराल वालों ने कहा कि काम करना मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यह परिवार की इज्जत के खिलाफ है।" इसके अतिरिक्त, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और असुरक्षा की भावना सामाजिक समस्याओं को और गंभीर बनाती है। सर्वेक्षण में 25% महिलाओं (100/400) ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या असुरक्षित माहौल की शिकायत की (ResearchGate, 2024)।

मानसिक समस्याएं

सर्वेक्षण में 68% महिलाओं (272/400) ने कार्य-जीवन संतुलन की कमी के कारण चिंता, तनाव, और अवसाद की शिकायत की। घरेलू जिम्मेदारियां, जैसे बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा, और घरेलू कार्य, मानसिक तनाव का प्रमुख कारण हैं (Kumari, 2020)। साक्षात्कार से पता चला कि कार्यस्थल पर असुरक्षा, जैसे अनुचित व्यवहार या भेदभाव, और सामाजिक अपेक्षाएं, जैसे परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखने का दबाव, महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। एक 28 वर्षीय निर्माण श्रमिक ने कहा, "मुझे हर दिन डर लगता है कि कोई गलत टिप्पणी करेगा, और घर पर भी बच्चों की चिंता रहती है।" यह स्थिति उनके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को कम करती है।

आर्थिक समस्याएं

प्रतापगढ़ में 82% महिलाएं (328/400) असंगठित क्षेत्र में कार्य करती हैं, जहां कम वेतन, अनिश्चित रोजगार, और सामाजिक सुरक्षा की कमी आम है। सर्वेक्षण में 78% महिलाओं (312/400) ने बताया कि उनकी आय परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। आर्थिक सशक्तीकरण घरेलू हिंसा को कम करने में सहायक हो सकता है, लेकिन प्रतापगढ़ में ऐसी नीतियों का अभाव है (Ideas for India, 2020)। इसके अतिरिक्त, महिलाओं को ऋण, बैंकिंग सेवाओं, और वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुंच है, जो उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को बाधित करती है। साक्षात्कार में एक हस्तशिल्प कार्यकर्ता ने बताया, "मुझे अपने व्यवसाय के लिए ऋण चाहिए, लेकिन बैंक वाले कागजात और गारंटी मांगते हैं, जो मेरे पास नहीं हैं।"

शारीरिक समस्याएं

सर्वेक्षण में 62% महिलाओं (248/400) ने शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे पीठ दर्द, थकान, और मस्कुलोस्केलेटल विकारों की शिकायत की। असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाएं, जैसे निर्माण श्रमिक और कृषि मजदूर, असुरक्षित कार्य वातावरण और लंबे कार्य घंटों के कारण जोखिम में रहती हैं (IJRRSS, 2020)। उदाहरण के लिए, निर्माण स्थलों पर भारी सामान उठाने और अपर्याप्त सुरक्षा उपकरणों की कमी

के कारण चोटें आम हैं। साक्षात्कार में एक कृषि मजदूर ने कहा, "लंबे समय तक खेत में काम करने से मेरी कमर में दर्द रहता है, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं हैं।" ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी इन समस्याओं को और बढ़ाती है।

चर्चा

प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाओं की समस्याएं सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, और शारीरिक आयामों में परस्पर जुड़ी हुई हैं। पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना महिलाओं की स्वतंत्रता और अवसरों को सीमित करती है, जिससे लैंगिक भेदभाव और सामाजिक दबाव उत्पन्न होते हैं। कार्य-जीवन संतुलन की कमी और कार्यस्थल पर असुरक्षा मानसिक तनाव को बढ़ाती है। आर्थिक असुरक्षा, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में, महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को बाधित करती है, जबकि अपर्याप्त कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी शारीरिक जोखिमों को बढ़ाती है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें नीतिगत सुधार, सामाजिक जागरूकता, और कार्यस्थल में सुरक्षा उपाय शामिल हों।

निष्कर्ष और सुझाव

यह अध्ययन दर्शाता है कि प्रतापगढ़ की कामकाजी महिलाएं जटिल और परस्पर संबंधित समस्याओं का सामना करती हैं, जो उनकी समग्र भलाई को प्रभावित करती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं:

1. **नीतिगत हस्तक्षेप**: सरकार को असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, जैसे स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, और मातृत्व लाभ, लागू करनी चाहिए।
2. **कार्यस्थल सुधार**: कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव और यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सख्त नीतियां और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए जाएं।
3. **जागरूकता अभियान**: सामाजिक मान्यताओं को बदलने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
4. **स्वास्थ्य सुविधाएं**: ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं, विशेष रूप से महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच और उपचार केंद्र।
5. **आर्थिक सशक्तीकरण**: महिलाओं के लिए सूक्ष्म-वित्त योजनाएं, कौशल प्रशिक्षण, और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किए जाएं ताकि उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़े।

सीमाएं और भविष्य के शोध

यह अध्ययन प्रतापगढ़ जिले तक सीमित है और इसमें 400 महिलाओं का नमूना शामिल है। भविष्य में, बड़े नमूने और अन्य जिलों के साथ तुलनात्मक अध्ययन इन समस्याओं को और गहराई से समझने में सहायक हो सकते हैं। डिजिटल साक्षरता और सोशल मीडिया के प्रभाव पर शोध नए आयाम उजागर कर सकता है।

संदर्भ :

- Singh, M. P., & Kushwaha, S. (2021). Work-life balance and role conflict in working women: A sociological study. *Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education*, 18(11), 45–51. https://ignited.in/index.php/jasrae/article/view/13343
- Sharma, P. (2020). Problems faced by working women: A sociological analysis. *Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education*, 17(8), 66–71. https://ignited.in/index.php/jasrae/article/view/9509
- Feminism in India. (2024, June 10). मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति: कामकाजी और गैर-कामकाजी महिलाओं में अंतर. *Feminism In India (Hindi)*. https://hindi.feminisminindia.com/2024/06/10/mental-health-conditions-in-working-and-non-working-women-hindi
- Apollo Hospitals. (n.d.). 5 health problems faced by working women. *Apollo Hospitals Health Library*. https://www.apollohospitals.com/hi/health-

library/5-health-problems-faced-by-working-women

• Avinash Solutions. (n.d.). कामकाजी महिलाओं की समस्या पर निबंध. *Avinash Solutions*. https://avinashsolutions.com/lets-see-essays/kaamkaji-mahilaon-kii-samsya-par-hindi-nibandh

• Navbharat Times. (2024, April 24). हार्ट अटैक के संकेत जो महिलाओं में पहले दिखते हैं. https://navbharattimes.indiatimes.com/lifestyle/health/5-warning-signs-of-a-heart-attack-in-women-that-can-appear-weeks-before/articleshow/121121247.cms

• Singh, R., & Verma, A. (2019). Psychological health issues in married working women. *Indian Journal of Health and Wellbeing*, 10(2), 202–206.

• Rani, S. (2018). Socio-economic challenges faced by working women in India. *International Journal of Research in Social Sciences*, 8(4), 123–130.

• Gupta, N. (2017). Work-life balance challenges among working women in India. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 7(11), 87–95.

• Mishra, K. (2020). Impact of professional stress on physical health of working women. *Indian Journal of Community Medicine*, 45(1), 57–62.

• Das, S. (2021). Role of family support in managing stress among working women. *Journal of Social and Economic Development*, 23(2), 134–140.

• Kapoor, P. (2022). Women's rights and employment: A sociological perspective. *Journal of Gender Studies*, 31(3), 305–312.

CERTIFICATE

of participation

THIS IS TO CERTIFY THAT

DEVENDRA PRATAP SINGH

HAS SUCCESSFULLY PARTICIPATED IN THE
NATIONAL CONFERENCE ON **CONTEMPORARY ISSUES IN SOCIOLOGY**
ORGANIZED BY THE **DEPARTMENT OF SOCIOLOGY, SWAMIJI MAHARAJ COLLEGE, NAINITAAL**
HELD IN **ONLINE/HYBRID** MODE ON **MAY 23-24, 2024**.

Titled : प्रतापगढ़ में महिलाओं द्वारा मजदूरी और वेतन लैंगिक असमानता ।

THE PARTICIPANT ACTIVELY ENGAGED IN THE VIRTUAL SESSIONS AND CONTRIBUTED TO THE MEANINGFUL EXCHANGE OF IDEAS AND KNOWLEDGE IN THE FIELD OF SOCIOLOGY. WE ACKNOWLEDGE THEIR VALUABLE PRESENCE AND COMMEND THEIR DEDICATION TO ACADEMIC GROWTH AND DISCOURSE.

Ch. Rao Sinjda
President

Narayan Singh
Manager

RGVK-State Resource Centre, Shimla

Established By: Ministry of Human Resource Development, Government of India

QTanalytics®
Consulting | Research | Training

CERTIFICATE OF PRESENTATION

This certificate is awarded to

Devendra Pratap Singh

Research Scholar, P.K. University, Shivpuri

for presenting a Research Paper on

Status of Women Empowerment in Pratapgarh (U.P.)

in virtual

International Conference on Gender Perspectives in Public Policy and Development (GPPPD24)

held on June 21, 2024

DIRECTOR
Abhilashi University, H.P.

SECRETARY

CONVENOR

GPPPD24

DIRECTOR
RGVK-SRC SHIMLA

Issue Date: June 21, 2024

Certificate ID: GPPPD24-P01